लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

31 जुलाई, 1984/9 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति नीचे से 2, "बंगाल कम्यूनिटी कंपनी" के स्थान पर "बंगाल इम्यूनिटी कंपनी" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 7, "श्री पेचाला पल्ली पंचालैया" के स्थान पर "श्री पुंचालापल्ली पेंचालैया" पढ़िये।

पृष्ठ 12, पंक्ति 24, "श्री अटल कुमार वाजपेयी" के स्थान पर "श्री अटल विहारी वाजपेयी" पढ़िये।

पृष्ठ 17, नीचे से पंक्ति 8, "श्री अमर दत्त" का नाम "श्रीमती सुशीला गोपालन" से पहले पढ़िये।

पृष्ठ 28, पंक्ति 11, "श्रीमती किशोरी सिन्हा" के स्थान पर "श्रीमती किशोरी सिन्हा" पढ़िये।

पृष्ठ 54, पंक्ति 14, "श्री बनवारी लाल वेखा" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल बैरवा" पढ़िये।

पृष्ठ 54, पंक्ति 21, 25 तथा अंतिम पंक्ति "सहायताकेन्द्र निदेशक केन्द्र निदेशक" के स्थान पर "सहायक केन्द्र निदेशक" पढ़िये।

पृष्ठ 57, पंक्ति 11, "श्री दलिप सिंह भूरिया" के स्थान पर "श्री दलीप सिंह भूरिया" पढ़िये।

पृष्ठ 64, पंक्ति 4, "इण्डियन में टेलीफोन" में से "में" का लोप किया जाये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 18, "संचार मंत्रालय में" के पश्चात "उप-मंत्री" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 68, नीचे से पंक्ति 7, "श्री एन0ई0होरो" के स्थान पर "श्री एन0ई0 होरो" पढ़िये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 8, "पुरवांस" के स्थान पर "पुनर्वास" पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 10, "श्री गार्गो शंकर मिश्र" के स्थान पर "श्री गार्गो शंकर मिश्र" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 19, "गगा" के स्थान पर "गंगा" पढ़िये।

पृष्ठ 91, पंक्ति 17, अं0प्र0स0 "282" के स्थान पर "1282" पढ़िये।

पृष्ठ 101, पंक्ति 16, "आकशवाणी" के स्थान पर "आकाशवाणी" पढ़िये।

पृष्ठ 102, पंक्ति 3, "शोधककारखाने" के स्थान पर "शोधक कारखाने" पढ़िये।

पृष्ठ 108, प्रथम पंक्ति, "{श्री रामचन्द्रथ{" के स्थान पर "{श्री रामचन्द्र रथ{" पढ़िये।

पृष्ठ 110, पंक्ति 3, "श्री वी0वी0देसाई" के स्थान पर "श्री बी0वी0देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 116, पंक्ति 4, "अधिकारियों को संयुक्त" के स्थान पर "अधिकारियों को संयुक्त" पढ़िये।

पृष्ठ 146, नीचे से पंक्ति 6, "श्री हरिहरन सोरन" के स्थान पर "श्री हरिहर सोरन" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 13, "कोरब सुपर ताप बिजलीघर" के स्थान पर "कोरबा सुपर ताप बिजली घर" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 12, "श्रीमती विद्याचेन्नूपति" के स्थान पर "श्रीमती विद्या-चेन्नुपति" पढ़िये।

पृष्ठ 170, पंक्ति 18, "श्री बनवरी लाल बेरव" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल बेरवा" पढ़िये।

पृष्ठ 180, नीचे से पंक्ति 15 "बोभाकृत" के स्थान पर "बोमाकृत" पढ़िये।

पृष्ठ 181, पंक्ति 5, "श्रीमतो प्रमोला दंडवते" के स्थान पर "श्रीमती प्रमिला दंडवते" पढ़िये।

पृष्ठ 182, पंक्ति 16, "श्री वी०वी०देसाई" के स्थान पर "श्री बी०वी०देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति 5, "एल०टी० 848/84" के स्थान पर "8487/84" पढ़िये।

पृष्ठ 189, पंक्ति 26, "पश्चिमी बंगाल को" के स्थान पर "पश्चिमी बंगाल को" पढ़िये।

पृष्ठ 190, पंक्ति 8, "इम्यूनिहो" के स्थान पर "इम्यूनिटी" पढ़िये।

पृष्ठ 194, प्रथम पंक्ति, "मरुस्थलो" के स्थान पर "मरुस्थलीय" पढ़िये।

पृष्ठ 204, पंक्ति 13 के नीचे लगे "रूल" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 207, पंक्ति 6, "श्री पी०नागप्पाल" के स्थान पर "श्री पी०नाम्प्पाल" पढ़िये।

पृष्ठ 211, नीचे से पंक्ति 2, "श्री सी०टी०दंडपाणी" के स्थान पर "श्री सी०टी०दंडपाणि" पढ़िये।

पृष्ठ 217, पंक्ति 7, "श्री पी०नाम्माल" के स्थान पर "श्री पी०नाम्प्पाल" पढ़िये।

पृष्ठ 218, पंक्ति 7, "श्री विलास मुत्तेवार" के स्थान पर "श्री विलास मुत्तेमवार" पढ़िये।

पृष्ठ 227, पंक्ति 13, "श्री राजेस कुमार सिंह" के स्थान पर "श्री राजेश कुमार सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 250, नीचे से पंक्ति 2, "श्री एफ०एच०मोहासिन" के स्थान पर "श्री एफ०एच०मोहसिन" पढ़िये।

पृष्ठ 256, प्रथम पंक्ति, "श्री हरिकेष बहादुर" के स्थान पर "श्री हरिकेश बहादुर" पढ़िये।

पृष्ठ 257, पंक्ति 20, "श्री राम जेटमलानी" के स्थान पर "श्री राम जेठमलानी" पढ़िये।

पृष्ठ 267, पंक्ति 20, "श्री सुभाष चन्द्र बोष अल्लूरी" के स्थान पर "श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी" पढ़िये।

पृष्ठ 306, अंतिम पंक्ति "{इटुक्को}" के स्थान पर "{इदुक्को}" पढ़िये।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 49, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 31 जुलाई, 1984/9 श्रावण, 1906 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 122 से 126		...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			
*तारांकित प्रश्न संख्या :	127 से 141	...	21-32
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1205 से 1282, 1284 से 1288 1290 से 1379, और 1381 से 1386	...	32-185
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		...	186-89
पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर नगरपालिका को रक्षा विभाग की भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में याचिकाए		...	189
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85 श्री प्रणव मुखर्जी		...	190
विधेयक पुर:स्थापित			196
(एक) बंगाल कम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जण और अन्तरण) विधेयक		...	190

---

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक ... 190-191

(तीन) हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक ... 191-192

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला विवरण ... 192

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के उन किसानों को, जिनकी फसलें भाखड़ा नहर में दरार पड़ने और ट्यूब वैलों के लिए बिजली न मिलने के कारण नष्ट हो गई हैं, क्षतिपूर्ति देना।

श्री मनीराम बागड़ी 192

(दो) महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमल नाथ ... 193

(तीन) देश के मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 194

(चार) भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर की मरम्मत

श्रीमती जयन्ती पटनायक ... 194-195

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को और अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा ... 195

(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का विकास करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 195-196

(सात) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के आई.एस.टी. आर.ए.सी. एकांश को श्री हरिकोटा से बंगलौर ले जाने को रोकने की आवश्यकता

श्री पेंचाला पल्ली पेंचालैया 196-197

(आठ) मारी इंजीनियरी निगम, रांची के मजदूरों की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल में केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा — 197

(नौ) लोगों की असुविधाओं को दूर करने हेतु बर्दवान की स्थानीय रेल डाक सेवा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य ... 197-198

जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा

प्रो. सैफुद्दीन सोज ... 198-283

श्री बी. आर. भगत ... 211-248

श्री राजेश कुमार सिंह ... 231-232

श्री पी. नामग्याल ... 232-237

श्री राम जेठ मलानी ... 237-257

श्री ए. के. सेन ... 251-258

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन ... 258-265

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 264-285

श्री गिरधारी लाल डोगरा ... 270-273

श्री सी. टी. दण्डपाणि .. 273-277

श्री हरिकेश बहादुर ... 277-281
श्री कमालुद्दीन अहमद ... 281
डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 284-288
आचार्य भगवान देव 288-292
श्री मगनभाई बारोट ... 292-294
श्री पुचालापल्ली पैंचालैया ... 294-296
श्री ए. के. राय ... 296-299
श्री चन्द्रजीत यादव ... 299-303
श्री पी. वी. नरसिंह राव ... 303-312

कार्य मंत्रणा समिति

64वां प्रतिवेदन ... 312

लोक सभा

मंगलवार, 31 जुलाई, 1984/9 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जम्मू काश्मीर विधान सभा में कांस्टीच्युशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : स्पीकर के साथ हमदर्दी कीजिए। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी हमदर्दी तो प्रजातंत्र के साथ है और साथ में विधान के साथ है।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय आपको अध्यक्ष का पक्ष लेना चाहिए, श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : मैं पक्षपात नहीं कर सकता। इसमें भाई चारा, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार नहीं होता। अध्यक्ष इन सभी चीजों से ऊपर है।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के बीच यह टकराव अच्छा नहीं है यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए भयंकर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी भी इसे प्रोत्साहन नहीं देता, मैं विधान मंडल तथा न्याय-पालिका के बीच किसी प्रकार के टकराव के साथ सहानुभूति नहीं रखता। मैं उनकी संपूरक तथा अनुपूरक भूमिकाओं का एक बहुत कट्टर समर्थक हूं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष जी, वहां पर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह पूछने लगे कि राम कौन था और सीता कौन थी ? इसी विषय पर तो डिस्कशन चल रहा है।

श्री मनोराम बागड़ी : आप, स्पीकर का पक्षपात नहीं करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय : इस सांवैधानिक पहलू से केवल उच्च न्यायालय ही निपट सकता है मैं नहीं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, आप इस समय कोई बयान न दें। अनजाने में आपने कह दिया है कि उच्च न्यायालय इस पर कार्यवाही करेगा। अनुच्छेद 212 के अनुसार, कोई भी न्यायालय सदन के भीतर की कार्यवाही पर चाहे यह संसद में हो या किसी विधान सभा में, कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपने मुझे गलत समझा है। मैंने सदन की कार्यवाही या ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं कहा है। मैं केवल सांवैधानिक मामलों के बारे में बात कर रहा हूं। बस

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जब अध्यक्ष स्वयं मामला उच्च न्यायलय में ले गए हैं, तो क्या होगा ? **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : आप अध्यक्ष को विवाद में क्यों घसीटते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है, यह उच्च न्यायालय का काम है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाना बनाने की गैस के दाम

*122. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना बनाने की गैस के दाम कम करने का कोई आसान तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां है ; और

(घ) क्या यह सच है कि देश में गैस का उत्पादन बहुत अधिक होता है लेकिन इसको सिलेण्डरों में भरने की व्यवस्था के अभाव और इसके वितरण में अनियमितताओं के कारण उपभोक्ताओं को गैस के लिए ऊंचे मूल्य का भुगतान करना पड़ता है और उनको गैसें भी विलम्ब से मिलती है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) खाना बनाने की गैस के दाम, जो सरकारी नीति के परिणामस्वरूप, पहले से ही कम रखे गये हैं, को और कम करने का, इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इस समय, खाना बनाने की गैस की कोई अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध नहीं है।

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस समय खाना बनाने की गैस के उपलब्ध न होने के कारण जनता के सामने बडी भारी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि सब आदमियों को आसानी के साथ गैस उपलब्ध हो सके ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि आसानी के साथ तो गैस अभी नहीं मिल सकती। वैसे नेचुरल गैस में से एल पी. जी., जो खाना पकाने के काम आती है, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे-जैसे हमें गैस उपलब्ध होगी वैसे-वैसे हम ज्यादा लोगों को देते जाएंगे। हो सकता है तब तक हमारी आबादी और भी ज्यादा बढ़ जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खाना पकाने का काम भी पुरुष ही कर लें।

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कन्सलटेटिव कमेटी में हम लोगों के सामने मंत्री महोदय ने बताया था कि गैस का उत्पादन काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी आदमियों के सामने गैस उपलब्ध होने में बड़ी समस्या पैदा हो रही है। दूसरे, गैस की कीमत भी बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में, हम जानना चाहेंगे कि जब गैस का उत्पादन काफी संतोषजनक रूप से बढ़ा है तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि गैस की कीमत कम कर दी जाए और सब लोगों को गैस मिल सके।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : गैस का उत्पादन भविष्य में बढ़ेगा जब हम नेचुरल गैस से एल. पी. जी. निकालेंगे, अभी नहीं बढ़ा है। इसलिए अभी ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि देश के बीस हजार या उससे अधिक आबादी वाले जितने शहर और कस्बे हैं, उन सब को गैस की सुविधा और गैस की एजेन्सियां गैस के कनैक्शन दिए जाएंगे। क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस आश्वासन के अनुरूप देश में अब तक कितने बीस हजार से अधिक आबादी वाले शहरों और कस्बों को गैस मिल चुकी है, गैस की एजेन्सियां दे दी गई हैं। क्यों कि मेरे निवाचन क्षेत्र में कई शहर और कस्बे ऐसे हैं, जिनकी आबादी 20 हजार या 28 हजार या उससे भी ज्यादा है, लेकिन वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है दूसरे, जितने हमारे यहां प्रोजेक्टस बन रहे हैं, उन में भी क्या वरीयता के आधार पर सप्लाई दी जाएगी, जैसे बिजली घर इन्टीरियर में बन रहे हैं या दूसरे प्रोजेक्टस बन रहे हैं।

इन दोनों आश्वासनों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की अब क्या स्थिति है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : हमारे पास अभी जितनी गैस उपलब्ध है, हमारी धारणा और इच्छा है कि हम 20 हजार तक की आबादी वाले सभी शहरों और कस्बों के लोगों को गैस कनैक्शन दें। अभी तो इससे बड़ी आबादियों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। उन बड़ी आबादियों के सर्वेक्षण के बाद, छोटी आबादियों तक, 20 हजार की आबादी वाले शहरों और कस्बों तक हम जाएंगे। कब तक हम ऐसा कर पायेंगे, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता।

श्री अमल दत्त : प्रश्न के इन दो भागों में से एक भाग में यह पूछा गया है कि क्या फालतू गैस उपलब्ध हैं और दूसरा भाग यह हैं कि क्या मूल्य में कमी की जा सकती है ?

जहां तक फालतू गैस की उपलब्धता का सम्बन्ध है, प्रश्न का यह उत्तर दिया गया है कि इस समय कोई फालतू गैस उपलब्ध नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि जहां कहीं भी किसी पैट्रोलियम या तेल क्षेत्र में सहयोजित गैस है, उस सहयोजित गैस को आज बेकार जलने दिया जा रहा है और उसको पम्पिग करने तथा जनता में वितरित करने के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है जो प्रति वर्ष अखबारों तथा पत्रिकाओं में आती है। बम्बई हाई में बेकार जलने वाली गैस की मात्रा भी बहुत अधिक है। क्या सरकार बता सकती है कि कितनी गैस बेकार जलने दी जाती है और उसे अधिग्रहण करने तथा जनता तक पहुंचाने में सरकार को किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

दूसरे, जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, क्या यह सही नहीं है कि मूल्य मनमाने ढंग से निर्धारित किया जाता है ? सरकारी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ. एन. जी. सी.) एक ऐसी कम्पनी है जो सर्वाधिक लाभ कमा रही है और इस लाभ में पैट्रोल तथा अन्य पदार्थों के साथ-साथ खाना पकाने की गैस में होने वाला लाभ भी शामिल है। यदि सरकार जनता को राहत देना चाहे तो शायद यह खाना पकाने की गैस की कीमत घटाकर आधी कर सकती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्द खां) : हम खाना पकाने वाली तरल पैट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) पर पहले ही राजसहायता दे रहे हैं। इस वर्ष हमने कुछ एल. पी. जी. का आयात किया है, हम लगभग 13,000 टन का आयात पहले ही कर चुके हैं; कुल मिलाकर हम एक लाख टन एल. पी. जी. का आयात करेंगे...

श्री अमल दत्त : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम खाना पकाने की गैस पर पहले ही राज सहायता दे रहे हैं, हम पहले से ही राज सहायता दे रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि कितनी फ्लेयर अप होती है और उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं, तथा क्या गैस की कीमत 50 परसेंट कम कर सकते हैं ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो फ्लेयर अप हो रही है वह नेचुरल गैस है। उसमें से एल. पी. जी. निकालने के लिए संयंत्र लगाने हैं और उसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं कि कितनी फ्लेयर अप कर रहे हैं। शायद 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस 'फ्लेयर अप कर रहे हैं। उसमें से एल. पी. जी. निकालेंगे और इस पर गम्भीरता से सोच रहे हैं कि इसको कम से कम कर दें, एल. पी. जी. निकाल कर कंज्यूमर्स को दें।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : मेरे माननीय सहयोगी ने जो कुछ कहा है, क्या मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर सकता हूं ? वह पहले ही सदन को यह जानकारी दे चुके हैं कि प्रतिवर्ष 60 लाख घनमीटर गैस व्यर्थ जलने दी जाती है। यह इस लिए जलाई जा रही है कि हमारे पास संपीड़न सुविधाओं की कमी है तथा कुछ उद्योग जिनके प्रति हम वचनबद्ध हैं, इसका अधिकतम सीमा तक उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है, संपीड़न सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वास्तव में, बम्बई हाई तथा अन्य स्थानों पर प्लेटफार्मों का तेजी से विकास किया जा रहा है। संपीड़न सुविधाओं के पूरा होने पर गैस के व्यर्थ जलने की कोई घटना नहीं होगी और हमें आशा है कि ये सुविधाएं लगभग दो वर्ष में पूरी हो जाएंगी जहां तक गैस के व्यर्थ जलने का सम्बन्ध है स्थिति यह है वास्तव में, मैं पहले भी सदन को यह बता चुका हूँ...

श्री अमल दत्त : इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री पी. शिव शंकर : लगभग दो वर्ष में, क्योंकि नियोजन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न कारणों से प्रत्येक स्थान पर प्लेटफार्मों की स्थापना करने में कुछ विलम्ब हुआ है। दक्षिण आसीन प्लेटफार्मों के बन जाने पर हम बम्बई हाई में यह कार्य पूरा कर लेंगे क्योंकि वहां केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पूर्ण विकास करने की आवश्यकता है।

खाना पकाने की गैस के मूल्य के बारे में स्थिति यह है कि उस पर पहले ही काफी राज सहायता दी जा रही है। (**व्यवधान**) मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिए...

श्री अमल दत्त : यदि ऐसा है तो मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है ?

श्री पी. शिव शंकर : क्या आप कृपया सुनेंगे ? आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। मैं आपको बेहतर ब्यौरा देना चाहता था। मैं गोल मोल उत्तर नहीं देना चाहता था।

आज स्थिति यह है कि एल. पी. जी, पर प्रति मीट्रिक टन 1007.31 रुपए की राज सहायता दी जा रही है। यह है स्थिति। इसके अतिरिक्त गैस की भराई तथा भाड़े पर भी राज सहायता दी जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम मूल्यों में नहीं कर सकते। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हम मूल्यों में कमी नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो धन हमें प्राप्त होता है उससे हम तेल क्षेत्रों की खोज तथा दोहन की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं और हमारे पास साधनों की भी कमी है तथा हम साधन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम मूल्य कम करने के लिए उत्सुक नहीं थे। लेकिन, यदि मूल्य कम करने हैं, तो साधन कम हो जायेंगे। मुद्दा यही है।

पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा भारत विरोधी प्रचार

123. **श्री बृजमोहन महन्ती :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल ही की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि भारत में स्वर्ण मन्दिर में सैनिक हस्तक्षेप के बाद से पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा भारत विरोधी और साम्प्रदायिक किस्म के कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है तथा भारत की प्रधान मंत्री की छवि को भी बार-बार अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) जी हां। अपने सार्वजनिक वक्तव्यों तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सूचना मंत्री के साथ अपनी बातचीत में मैंने उनका ध्यान पाकिस्तानी माध्यमों के पंजाब के घटनाक्रमों के झुकावपूर्ण एवं आपत्तिजनक कवरेज की ओर आकर्षित किया था। मैंने उन्हें बताया था कि इस प्रकार का तोड़ामरोड़ा और एक तरफा माध्यम क्वरेज द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहायक नहीं है।

श्री बृजमोहन महन्ती : प्रश्न के (क) मात्र के दूसरे भाग में मैंने भारत की प्रधानमन्त्री की छवि को बार-बार अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में पूछा है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है। वास्तव में मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों पंजाब की घटनाओं के अवांच्छनीय एवं आपत्तिजनक रूप से प्रस्तुत करने की ओर आकर्षित किया है। उन्हें उनका ध्यान विशेष तौर पर भारत की प्रधानमंत्री की छवि को बार-बार अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किए जाने की ओर दिलाना चाहिए था। मेरा प्रश्न है कि इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियात अली के बीच हुए समझौत के बाद से शिमला समझौते तक हमने पाकिस्तान सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध और सांस्कृतिक संबंधों तथा एक दूसरे देश के बारे में अपमानजनक ढंग से प्रचार न करने के सबंध में कई समझौते किए हैं। इन मामलों पर कई बार सहमति हुई है। इस बार जो समझौता किया गया है उसके मुख्य विशेषताएं क्या है ?

श्री एच. के. एल. भगत : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मैंने उनके साथ प्रचार माध्यम से आपत्तिजनक प्रचार करने तथा हमारी प्रधानमन्त्री के बारे में दिए गए अपमानजनक संदर्भों के संबंध में बातचीत की है। मैंने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जहां तक उनकी प्रतिक्रिया का संबंध है, उनका मत था कि उन्होंने समूचे मामले को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, उन्होंने

बी. बी. सी. तथा अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए थे। मैंने उन्हें बताया कि जहां तक आपतिजनक, गलत तथा अपमानजनक समाचारों का संबंध है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके जवाब में उनके सूचना मन्त्री रजा जफरुल्ल ने बताया कि कई बार भारत पाकिस्तान के बारे में गलत सूचना देता है। अत: भविष्य में इसमें और सुधार लाने के उद्देश्य से हम इस समझौते पर पहुंचे कि (1) भविष्य में प्रति 3 माह के पश्चात यह पता लगाने के लिए कि किसी तरह का विद्वेषपूर्ण प्रचार न किया जाए, प्रचार माध्यम की जांच की जानी चाहिए। (2) रेडियो संवाददाताओं की एक माह की अवधि में ही अदला-बदली की जानी चाहिये। (3) दोनों देशों के बीच रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान होना चाहिये। हमारे यहां भारत-पाक आयोग है तथा उप-आयोग है तथा वे पहले भी निर्णय ले चुके हैं कि रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान होना चाहिये। उसके परिणामस्वरूप हमने उन्हें रेडियो तथा दूरदर्शन के उन कार्यक्रमों की सूची भेजी है, जो हम उन्हें देना चाहते थे। मेरे पाकिस्तान रहते उन्होंने ऐसे सूची हमें नहीं दी थी। हाल ही में उन्होंने दूरदर्शन तथा रेडियो के कुछ कार्यक्रमों की सूची हमें भेजी है। दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों के सह-उत्पादन के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों के संबंध में हमारा सुझाव यह था कि हमें वाणिज्यिक आधार पर आदान-प्रदान करना चाहिए जबकि वे चाहते थे कि आदान-प्रदान एक सरकार से दूसरी सरकार के स्तर पर होना चाहिए।

महोदय हम सामान्य तौर पर माध्यम के सम्बन्ध में, सहयोग चाहते थे और हमारा प्रयास था कि यथासंभव अधिक सहयोग दे सकें। फिल्मों के संबंध में हमने उन्हें फिल्मों के आदान-प्रदान, फिल्मों की बिक्री तथा व्यवसायियों के आदान-प्रदान के बारे में पेशकश की यह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर लागू होता है, जिस पर कि उन्होंने सहमति दी थी। फिल्मों के संबंध में वे दोनों देशों में दो फिल्मोत्सव कराए जाने पर सहमत हुए। वे मोहम्मद अली जिन्ना पर फिल्म बनाना चाहते थे और उसके लिए सहायता चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि हम अविभाजित भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर फिल्म बना रहे हैं और हमें उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत तथा सिंध में शूटिंग करने के लिये उनकी सहायता लेनी पड़ सकती है। यह विषय विचाराधीन है। माननीय सदस्य ने पूर्व समझौतों का उल्लेख किया है। भारत-पाक संबंधों के व्यापक हित में मैं समझता हूँ कि कि बेहतर यह होगा कि यह प्रश्न विदेश मन्त्री से पूछा जाए।

श्री बृजमोहन महंती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी प्रधानमन्त्री के बारे में दो गई अपमानजनक टिप्पणियां आपतिजनक थी ? यह उनका दावा है। ठीक है। दूसरे, महोदय फीचर फिल्मों के बारे में नहीं बताया गया है। यह सूचना मिली है कि हमारे सीमा क्षेत्रों में फीचर फिल्में दिखायी जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के बावजूद भी भारत-विरोधी और सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा है। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्री एच. के. एल. भगत : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने जोरदार शब्दों में उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि उनके माध्यमों द्वारा आपत्तिजनक प्रचार किया गया है, जिसमें हमारी प्रधानमन्त्री के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों की बात भी है लेकिन वे अपना

ही स्पष्टी करण देते रहे। फीचर फिल्मों के संबंध में, इस बात के अतिरिक्त कि वे केवल दो फिल्मोत्सवों के लिये सहमत हुए, उनका तर्क यह था कि उनका फिल्म उद्योग कमजोर है अत: फिलहाल वे फिल्मों की बिक्री के लिए भी तैयार नहीं हैं।

श्री आर. आर. भोले : महोदय, सीमा वर्ती राज्यों में यात्रा के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तथा बंगलादेश के बहुत से कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन पर देखे जाते हैं। अत: हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन तथा रेडियो की अधिक शक्तिशाली प्रसारण मशीनें लगाने पर विचार क्यों नहीं करती ताकि यदि हम किसी चीज का प्रचार करना चाहें तो उसे पाकिस्तान और बंगलादेश में सुना और देखा जा सके।

श्री एच. के. एल. भगत : महोदय, सामान्यत: प्रचार तथा दूरदर्शन के ट्रांसमीटर लगाने की नीति यह है कि यह किसी देश के अपने ही कार्यक्रमों के लिए होता है। उनके कुछ कार्यक्रम हमारे देश में देखे जाते हैं और हमारे कुछ कार्यक्रम उनके देश में देखे जाते हैं। निश्चित रूप से हम अपने सीमा क्षेत्रों को यथासंभव प्रभावशाली बनना चाहते हैं ताकि हमारे देश के लोग व्यापक कार्यक्रम देख सकें। कुछ मामलों में हमने ट्रांसमीटर लगाए हैं तथा कुछ अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 124—श्री वाजपेयी।

प्रो. के.के. तिवारी : महोदय, इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं नहीं जानता कि आपने इस प्रश्न की अनुमति कैसे दी है। आप कृपया इस प्रश्न को पढ़िए। मैं नहीं जानता कि आपके सचिवालय ने इसे स्वीकृति कैसे दी। (**व्यवधान**)

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियंत्रण

124. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरजभान : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गत 3 जून के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित आकाशवाणी प्रसारणों के विश्लेषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सरकार का नियन्त्रण चुनावों की निष्पक्षता के लिये किस तरह खतरा पैदा करता है, यदि हां, तो इस विश्लेषण का क्या ब्यौरा है; और

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री एन.टी. रामाराव के नाम का पहली बार उस समय उल्लेख किया गया जब आन्ध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम आ गये थे और इससे पहले चुनाव अभियान के दौरान, उनका कभी उल्लेख नहीं किया गया; यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्ग निर्देश थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने 3 जून, 1984 के दिल्ली के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित समाचार को देखा है। सरकार उस समाचार में निहित विश्लेषण और निहित विश्लेषण और निष्कर्षों से सहमत नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों में विपक्षी दलों और उनके नेताओं को विधिवत् कवर करते रहे हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण के लिए निर्वाचन आयोग तथा राजनैतिक दलों द्वारा अनुमोदित चुनाव प्रसारणों की योजना 1977 से प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के चुनावों से पहले आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण करने की सुविधा दी जाती है।

2. यह सही नहीं है कि चुनाव अभियान के दौरान आकाशवाणी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव के नाम का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। 11 और 15 दिसम्बर, 1982 के रात 9-00 बजे के बुलेटिन में उनके नाम का विधिवत् उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार, 10 दिसम्बर, 1982 और 4 जनवरी, 1983 को प्रसारित इस प्रकार के बुलेटिनों में तेलुगु देशम पार्टी को कवर किया गया था। इसके अलावा, 1-12-82 और 7-1-83 के बीच आकाशवाणी, हैदराबाद और आकाशवाणी, बिजयबाड़ा से प्रसारित आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों में श्री एन० टी० रामाराव को 123 पंक्तियां और तेलुगु देशम पार्टी को 204 पंक्तियां दी गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर मैं पूरक प्रश्न पूछने से पहले, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जो कि पूरक प्रश्न में नहीं आया है। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है·····

अध्यक्ष महोदय : यह क्वैश्चन की कौन सी कैटेगरी है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह क्लैरिफिकेशन है। इसकी सफाई हो जाए तो उसपर सवाल पूछा जाए।

मन्त्री महोदय ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि यह सही नहीं है कि चुनाव अभियान के दौरान आकाशवाणी के द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव के नाम का नाम उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। 11 और 15 दिसम्बर, 1982 के रात 9-00 बजे के बुलेटिन में उनके नाम का विधिवत् उल्लेख किया गया था।"

यह विधिवत् उल्लेख क्या होता है ? इसी तरह से अंग्रेजी में है : उनके नाम का विधिवत उल्लेख किया गया था। यह ड्यूली मेंशन्ड का क्या मतलब है ?

सवाल यह किया गया था कि जब चुनाव आंध्र में हो रहा था तो चुनाव के दौरान रात को 9 बजे जो मुख्य बुलेटिन होता है, उसमें तेलगू देशम और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला था

लेकिन तेलुगू देशम के नेता श्री एन० टी० रामाराव के किसी भी भाषण को 9 बजे के बुलेटिन में नहीं दिया गया। मन्त्री जी कह रहे हैं कि उनके नाम का उल्लेख किया गया था। हो सकता है किसी कांग्रेस के नेता ने उनकी आलोचना करते हुए उनका नाम लिया हो तो क्या उस उल्लेख को विधिवत् उल्लेख माना जाएगा ? इसलिए पहले यह स्पष्ट कर दें कि ड्यूली मेंशन्ड का क्या मतलब है ?

श्री एच. के. एल. भगत : मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके नाम का जिक्र किया गया लेकिन क्या कहा गया उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। आनरेबल मेम्बर चाहेंगे तो दे दूंगा। **(व्यवधान)** एक बात मैं और साफ कर दूं कि आपके आडवाणी साहब ने जो स्टडी की है वह सही नहीं है, गलत है—अभी अभी मैं आपके सामने फैक्ट्स ऐंड फीगर्स भी रखूंगा।··· **(व्यवधान)** उनका नाम उन दो बुलेटिंस में आया लेकिन कैसे मेंशन किया गया, क्या कहा गया इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं, वह बाद में दे सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ड्यूली मेंशन्ड का क्या मतलब है ?

श्री एच. के. एल. भगत : ड्यूली मेंशन्ड के मायने सीधे सीधे यह हैं कि ठीक तरह से मेंशन किया गया जैसा कि करना चाहिए था। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तथ्य को छिपा रहे हैं।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तैयार होकर क्यों नहीं आए।

श्री एच. के. एल. भगत : मैं कोई चीज छिपा नहीं रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : जानकारी में नहीं है या जानकर छिपा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया कि जो जानकारी में है वह बता दिया फिर छिपाने की आवश्यकता ही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : किसी एक के बाप दादे की जायदाद है क्या ? अगर आयेगा तो सभी का आयेगा। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उल्लेख किया है आन्ध्र के चुनाव का और आडवाणी जी ने जो विश्लेषण किया है उससे जो तथ्य सामने आए हैं वह बड़े चौंकाने वाले हैं लेकिन मन्त्री महोदय उन तथ्यों को चुनौती दे रहे हैं। उन तथ्यों के अनुसार 15 दिसम्बर, 1982 से लेकर 7 जनवरी, 1983 तक आन्ध्र प्रदेश में चुनाव अभियान चल रहा था, तो सात नौ बजे मुख्य बुलिटिन में प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, को 243 लाइनें दी गई, जिनमें से 133 लाइनें उनके पोल-कम्पेन से सम्बन्धित थी। इसकी तुलना में मोरारजी भाई को 6.5 लाइनें, बाबू जगजीवन राम जी को 9.5 लाइनें, रामाराव जी के भाषण का उल्लेख नहीं

था और मुझे 7.5 या 8.5 लाइनें मिली हैं।···(व्यवधान)·· क्या आल इन्डिया रेडियो एक तरफा प्रचार के लिए है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई गाइड लाइन्स दिए गए हैं ? चुनाव के दौरान आल इन्डिया रेडियो, टेलिविजन किस तरह से व्यवहार करेंगे, क्या वह सरकारी पार्टी के प्रचार का साधन बनेंगे ? मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इन तथ्यों को चुनौती कैसे दे रहे हैं ? मैं भविष्य के बारे में भी जानना चाहता हूं कि आल इन्डिया रेडियो और टेलिविजन की आपको विश्वसनीयता कायम करनी है या नहीं करनी है ? इस सम्बन्ध में आप क्या निर्देश दे रहे हैं और अभी तक आपने क्या निर्देश दिए हैं ?

श्रीएच. के. एल. भगत : अध्यक्ष जी, असल बात यह है, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बड़े स्नेह और आदर से बताना चाहता हूं कि उनके पास जो श्री अडवाणी जी का विश्लेषण है, वह बिल्कुल गलत है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। बल्कि आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन्फार्मेशन है, वह सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। मैं आपको हिसाब से फैक्ट्स बता रहा हूं। आपने कम बताई हैं, मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर को 517 लाइनें दी गई, उसमें 213 लाईनें पार्टी मैटर्स के लिए दी गई। उसके बाद एडवाणी जी ने कहा बी. जे. पी. को 80 लाइनें दी गई, जबकि 110 लाइनें दी गई।··· (व्यवधान)···लोकदल को उन्होंने कहा 52 लाइनें दी गई, जबकि 56.5 लाइनें दी गई, जनता पार्टी को 27 लाइनें, जबकि 37 लाइनें दी गई, सी. पी. आई. (एम) को 22.5 लाइनें, जबकि 25.5 लाइनें दी गई, सी. पी. आई. को 10.5 लाइनें, जबकि 14.5 लाइनें दी गई, कलकत्ता कन्कलेव को 106.5 लाइनें, जबकि 95.5 लाइनें दी गई और दूसरी पार्टीज जिनको आप पार्टी नहीं मानते हैं, दूसरी रीजनल पार्टीज, जिनको एडवाणी जी ने जान-बूझकर नहीं गिना होगा या कैसे नहीं गिना, इस तरह से कुल मिलाकर 298.5 लाइनें और टोटल 501.5 लाइनें सारे अपोजीशन ग्रुप्स को दी गई।···(व्यवधान)··बिल्कुल सही बात है, जरा जवाब सुनिए··· (व्यवधान)···प्राइम मिनिस्टर और पार्टी मैटर्स को सारी लाइनें मिलाकर 630 लाइनें कांग्रेस को दी गई। मुझे अफसोस है···(व्यवधान)···विरोधी दलों को 501 और कांग्रेस को 630 लाइनें दी गई, यह आल इण्डिया रेडियो को मेरे पास इन्फार्मेशन है।····(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए तो आप भी आनरेबिल मेम्बर है और वह भी आनरेबिल मेम्बर हैं। (व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : मुझे अफसोस है, एडवाणी जी जिम्मेदार सदस्य हैं और इनकी पार्टी के नेता हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे हैं···(व्यवधान)···इस हाउस मे मैं दुःख व्यक्त करना चाहता हूं कि श्री एल. के. एडवाणी इस देश के पुराने सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। राज्य सभा के सदस्य हैं, जिम्मेदार नेता हैं। उनको यह अधिकार था कि यदि उनको कोई इन्फार्मेशन चाहिए, तो मुझसे इन्फार्मेशन मांगते, मैं उनको सही इन्फार्मेशन देता। मैं नहीं जानता···(व्यवधान)···

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, लाइब्रेरी में बुलिटिन रखा रहता है। आपसे इन्फार्मेशन लेने की जरूरत नहीं है।···(व्यवधान)···

श्री एच. के. एल. भगत : मुझे नहीं पता कि उन्होंने किन सूत्रों से इन्फार्मेशन ली है। अगर उन्होंने ए. आई. आर. अपने छुपे हुए चेलों से ली है, तो उन्होंने यह गलत काम किया है। मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूं, उनकी इन्फार्मेशन गलत है। आल इन्डिया रेडियो का स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है। दूसरी बात वाजपेयी जी ने चुनाव की बात की, मेरे पास और तथ्य है, सारी पोलिटिकल पार्टीज की नेशनल कन्वेंशन को कवर किया गया है। वन-मैन पार्टी की कन्वेंशन भी कवर की गई हैं।··· (**व्यवधान**) ···

दूसरी बात मैं यह कहूंगा—रेडियो और टी० वी० की कैडिबिलिटी है, लेकिन आप उसकी कैडिबिलिटी नहीं चाहते हैं, उसकी क्रैडिबिलिटी से डरते हैं। मेरा कहना यह है कि जो गाइड-लाइंज उस जमाने में थी, उसीके मुताबिक काम हो रहा है। चुनाव के मामले में जो कार्यवाही की गई, वह सही की गई है, आइन्दा भी सही की जायगी। रेडियो एण्ड टी० वी० का कोई एक-तरफा सवाल नहीं है, पार्टीज के लिए कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है।

एक बात मैं तेलगू-देसम के बारे में साफ करना चाहता हूं। आपने नेशनल बुलेटिन की बात की है—तेलगू देसम रिकगनाइज्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ सत्य सबके सामने आना चाहिये ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 9 बजे के बुलेटिन की बात करो।

श्री एच. के. एल. भगत : आपने जैनरल सवाल किया है, दूसरे से क्यों जोड़ते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने सबेरे 6 बजे के बुलेटिन का नाम ले लिया, यह काफी नहीं है। 9 बजे का मेन बुलेटिन है।

श्री एच. के. एल. भगत : हैदराबाद और विजयवाडा स्टेशनों से 1 दिसम्बर, 1982 से लेकर 7-1-1983 तक तेलगू देसम को 204 लाइनें, श्री एन. टी. रामाराव को 123 लाइनें दी गई। इसलिये वाजपेयी जी की सारी एलीगेशन, और एडवानी जी की एन्क्वायरी फाल्ज, रांग पोलिटीकली मोटिवेटेड हैं। ये गलत इल्जाम हैं जो रेडियो और टी० वी० पर लगाये गये हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : भगत जी हैं, फिर भी तैश में आ रहे हैं।

श्री अटल कुमार वाजपेयी : अध्यक्ष जी, श्री एडवानी ने जो विश्लेषण किया था, वह 3 जून के अखबारों में छपा था, उसीके आधार पर मैंने सवाल बनाया। मंत्री महोदय और सूचना मंत्रालय ने अधिकृत रूप से उसका खंडन नहीं किया था। आज वे उन तथ्यों को चुनौती दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों का निर्णय कैसे होगा। आप इसे किसी पार्लियामेन्ट्री कमेटी को सौंप दीजिये·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिकार्ड बदले नहीं जा सकते। आप तथ्य कैसे बताते हैं ?

प्रो. मधु दंडवते : वे सब पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात है। मैं इसमें मध्यस्थता करना नहीं चाहता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मन्त्री महोदय कह सकते हैं कि 9 बजे के बुलेटिन के बारे में जो मैंने कहा है, वह गलत है ?

श्री एच. के. एल. भगत : गलत है। 9 बजे के बुलेटिन के बारे में आप ने जो कहा है, आपके तथ्य गलत हैं।... (**व्यवधान**)

श्री हरीश कुमार गंगवार : इस की जांच करवाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच करवा लेता हूँ। (**व्यवधान**)

भगत जी, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री एच. के. एल. भगत : मैं एक बात और कहना चाहता हूं-मैंने जो बातें कही हैं, वे तथ्य के आधार पर हैं। वाजपेयी जी ने अभी कहा कि इसको कान्ट्रडिक्ट नहीं किया गया। मैं सब चीजों को जमा करवा रहा था और सोचा था कि जमा करवा कर कन्ट्राडिक्ट करूंगा, लेकिन यह अच्छा हुआ कि आपने मुझे हाउस में कान्ट्राडिक्ट करने का मौका दे दिया। हाउस में ही कान्ट्राडिक्ट हो गया। ये तथ्य जो मैंने बतलायें हैं। आल इण्डिया रेडियो की स्टडी के आधार पर बतलाए हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं-आपने मुझे प्रोवोक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं प्रोवोक होना नहीं चाहता हूं-अगर मीडिया का कोई ग्रेवेस्ट-मिसयूज हुआ है तो डार्केस्ट ईयर फार रेडियो एण्ड टी. वी. उस समय था जब आप ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कैम्पेन चलाया, दिन-रात** ल्जाम लगाये जाते थे...(**व्यवधान**) कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, कोई इलजाम साबित नहीं हो सका,** इलजाम लगाये गये...इस समय आडवानी जी मन्त्री थे। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मिनिस्टर को ऐसे जवाब देना चाहिये ?

श्री एच. के. एल. भगत : क्यों नहीं देना चाहिये, आप कुछ भी कहते रहें ?

श्री रत्नसिंह राजदा : मन्त्री महोदय को किस तरह उत्तर देना चाहिए, इसके कुछ नियम हैं। वह बहुत अधिक उत्तेजित हैं और वह बहुत भावुक होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो जोर से बोलते ही रहते हैं, आज उन्होंने जोर से बोल दिया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, वातावरण को जरा ठीक कीजिए। मन्त्री जी ने "फाल्ज" शब्द का इस्तेमाल किया है-एडवानी जी के लिए...

श्री एच. के. एल. भगत : फाल्ज के बजाय इन-करेक्ट कह लीजिये।

श्री मनीराम बागड़ी : मन्त्री जी को अगर कोई ऐसा कहे, तो कैसा लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जो अन-पार्लियामेंट्री बात होगी, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री जी ने जनता पर जो आरोप लगाया है, वह निराधार है...

श्री एच. के. एल. भगत : 100 परसेन्ट सही हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जनता सरकार में पहली दफा राजनैतिक दलों को रेडियो और टी. वी का उपयोग करने की सुविधा दी गई थी।

श्री एच. के. एल. भगत : वह सुविधा जारी रहेगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : रेडियो और टेलीविजन के खिलाफ में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास भी शिकायतें पहुंची हैं। इलेक्शन कमीशन की मेरे पास एक चिट्ठी है 14 मई 1984 की और इलेक्शन कमीशन जो कहता है, वह मैं कोट करना चाहता हूँ :

"—चर्चा के मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह मुद्दा उठाया कि पहले लोक सभा तथा कुछ विधान सभाओं के चुनाव के समय, आकाशवाणी। दूरदर्शन और विज्ञापन तथा दृश्य श्रव्य निदेशालय के दुरुपयोग के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें मिली थीं। अधिकांश शिकायतें...से संबंधित होती थीं

महोदय, यह महत्वपूर्ण है ..

"—(एक) सतारूढ़ दल की चुनाव गतिविधियों को अधिक समय दिया जाना; (दो) विपक्षी दलों विचारों और गतिविधियों का बहुत कम या बिलकुल भी प्रसारित न किया जाना (तीन) सतारूढ़ दल के लाभ के लिए सरकार की गतिविधियों के प्रकाशन तथा प्रचार में विज्ञापन तथा दृश्य-श्रव्य निदेशालय का दुरुपयोग किया जाना; (चार) सतारूढ़ दल के चुनाव सफलता को प्रोत्साहन देने में आकाशवाणी। दूरदर्शन आदि माध्यमों का दुरुपयोग किया जाना।

अध्यक्ष महोदय : ये शिकायतें हैं। यह चुनाव आयोग का कथन नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक सुझाव दिया गया था कि चुनाव के दौरान एक मोनीटरिंग सेल बनाया जाए जो यह देखे कि रेडियो और

टेलीविजन का मिसयूज तो नहीं हो रहा है और प्रजातंत्र में संतुलन बनाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मानीटरिंग सेल बनाने के प्रस्ताव का विरोध क्यों किया गया।

प्रो. के. के. तिवारी : वे निराधार थे। महोदय, क्या उन्होंने यह आरोप लगाने के लिए आपकी अनुमति ली है ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी,जो ये आरोप नहीं है। उन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल शिकायतें हैं। शिकायत कोई भी कर सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शिकायत कोई भी कर सकता है।

श्री एच. के. एल. भगत : पहली बात तो मैं यह कहना चहता हूं जैसा कि आप ने भी कहा है कि इलैक्शन कमीशन के सामने कम्पलेंटस की गई, यह इन का कहना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कम्पलेंटस सही नहीं हैं और तीसरे यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे आए डेढ़ साल हो गया है इस महकमे में और बंगाल के बारे में सी. पी. आई. (एम) के लोगों ने जो कम्पलेंट्स की थीं, उन का जवाब मैं ने देदिया था। इस के अलावा मेरे लोक सभा में कहने के बावजूद भी वाजपेयी जी कोई स्पेसीफिक कम्पलेंट नहीं दे पाये, ऐसी मेरे पास रिपार्ट हैं और जहां तक मानीटरिंग सेल का ताल्लुक है, उनकी कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। वह बिल्कुल एक पालीटीकली मोटीवेटेड चीज है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैंने कई कम्पलेंटस की थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शास्त्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायतें की थीं।

(**व्यवधान**)

श्री एच. के. एल. भगत : इन्होंने हाऊस में कहा था कि श्री राम विलास पासवान का नाम ले लिया गया लेकिन मेरा नहीं लिया...(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने कहा था कि निष्पक्षता के साथ तमाम लोगों का होना चाहिए। आप गलत क्यों बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बीच में प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में शुरू में कहा है

"सरकार इस विशलेषण में से सहमत नहीं है।"

और आगे जो आंकड़े दिये, इन्होंने कहा है कि आप की बात ठीक है मैं साबित कर रहा हूं कि आडवाणी जी ने...

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बता तो दिया है।

श्री सूरज भान : इन्होंने कहा है कि आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है, वह गलत कहा है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे आंकड़े दे तो दिये हैं।

श्री सूरज भान : इन्हीं के जवाब से मैं साबित कर रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि आंकड़े ठीक दिये हैं। आडवाणी जी ने 16 दिसम्बर, 1982 से 3 जनवरी, 1983 तक से आंकड़े दिये हैं और इन्होंने जिक्र किया है 11 दिसम्बर, और 15 दिसम्बर का। इन्होंने कहां का जिक्र किया, कुछ पता नहीं है। एन. टी. रामाराव की स्पीच रिपोर्ट हुई या नहीं, वह बाद में बतायेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यह तो उन्होंने खुद भी मान लिया है। 16 दिसम्बर और 3 जनवरी के बीच के जो आंकड़े आडवाणी जी ने दिये हैं वे बिल्कुल ठीक है जैसा कि आपके जवाब में है। अब एक चीज में उनसे कहना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो और टी. वी. जैसे मीडिया का इन्फर्मेशन देना, एजूकेट करना और एन्टरटेनमेन्ट करना मकसद है लेकिन बदकिस्मती से इसे पार्टी प्रोपेगण्डे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मन्त्री जी ने कहा कि वे मोनिटरिंग सेल की जरूरत नहीं समझते हैं। कल के ट्रिब्यून में छपा है कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने 7 रिकगनाइज्ड पार्टीज की 25 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। क्या आप उस मीटिंग के पहले ऐसा बयान दे कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कन्वींस करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि जो वह करना चाहते हैं उसे रद्द कर दिया जाए ? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया के लिए मोनिटरिंग सेल बनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई है, क्या आप उसे पसंद करेंगे और आप उसके रास्ते में रोड़ा तो नहीं अटकायेंगे ?

श्रीएच. के. एल. भगत : यह सारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हमने अपनी राय इलेक्शन कमिश्नर को दे दी है। जो आडवाणी जी ने सजेशन दिया था उसके बारे में हमारे कमेंट्स मांगे गये थे वे हमने दे दिये हैं कि मोनिटरिंग सेल की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ओपिनियन आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहेंगे तो जब तक होगी तब देखा जाएगा।

प्रो. के. के. तिवारी : वास्तव में, सार्वजनिक साधनों का उपयोग सूचना, मनोरंजन और अनुदेशों के प्रसार के लिये किया जाना चाहिये। श्री अड़वाणी जब सूचना और प्रसारण मंत्री थे तब 1977-1979 के दौरान क्या कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गए थे ? क्या मंत्री जी सदन के समक्ष उस विशेष अवधि का; जब श्रीमती गांधी के प्रति व्यक्तिगत प्रहार किया जाता था और 1980 के बाद से अब तक, सार्वजनिक साधनों के दुरुपयोग करने से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने को सहमत हैं ? क्या मंत्री जी उस समय का चित्र, कि किस प्रकार, जब जनता पार्टी के शासन में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से हर रोज ही श्रीमती गांधी को प्रहार का लक्ष्य बनाया जाता था और 1980 से अब तक प्रचार माध्यम का क्या कार्य-निष्पादन रहा है, बताने के लिए सहमत हैं। स्वयं जनता पार्टी के सदस्यों की यह शिकायत थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के शरण स्थल बन गये हैं और जहां आज भी उनका प्रमुख स्थान बना हुआ है, यदि ऐसा हो, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गति-

विधियों और संदिग्ध तत्वों की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए मंत्री जी का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

प्रो. मधु दण्डवते : यह प्रश्न शायद जनवरी में पूछा जा सकता है जब हम सत्ता में आ जायेंगे।

श्री एच के. एल. भगत : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र के वे वर्ष सबसे अधिक अधकारमय थे जब—यदि किसी पर कोई आरोप लगाया जाता है, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है—किन्तु तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये बिना ही श्रीमती गांधी तथा अन्य कई लोगों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाये जाते; और सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाता था। जहां तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता हूँ, जो मर चुके हैं, मैं उन्हें फिर से नहीं उखाड़ना चाहता। दूसरी बात यह है कि अनेक लोगों द्वारा कहे जाने पर मेरा यह विचार बन गया है और जैसा मैं कह भी चुका हूं कि मन्त्रालय में श्री वाजपेयी जी के दल के अनेक चेले हैं। मैं उस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार चले। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस प्रकार के शब्द का प्रयोग मंत्री को शोभा नहीं देते। मैं कोई महात्मा नहीं हूं। मैं चेले नहीं पालता हूँ। इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाय। मैं एक दल का सदस्य हूं। मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं और साथी हैं किन्तु चेले नही हैं। अध्यक्ष महोदय, यह चेला वाला मामला जो है वह ठीक नहीं है। वह चेले भी हैं और चांटे भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : चमचे भी हैं, कर्छी भी हैं।

औषध फार्मूले का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति निर्णयों की पुनरीक्षा

*125, **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

श्री अमल दत्त : **क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान भेषज तथा निर्माण संबंधी नीति निर्णयों के फलस्वरूप भूतपूर्व "फेरा" कंपनियां फार्मूलेशनों का उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हुई हैं और अपनी मूल कंपनियों को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति की पुनरीक्षा करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति

तथा 1978 की औषध नीति के वर्तमान उपबंधों के अधीन, 40 प्रतिशत या उससे कम की सीधी विदेशी पूंजी वाली कंपनी भारतीय कंपनी समझी जाती है। ऐसी कंपनियों को उनके प्रपूंज औषध उत्पादन के मूल्य के दस गुने तक फार्मूलेशन लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि भूतपूर्व फेरा कंपनियों को भारतीय कंपनी न समझा जाये। उपर्युक्त पहलू सहित वर्तमान औषध नीति के सभी पहलुओं वर्तमान नीति की जांच के संदर्भ में इस समय पुनरीक्षा की जा रही है और प्रथम उपाय के रूप में राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद को अपनी सिफारिशें तैयार करने को कहा गया है।

श्री अमल दत्त : उत्तर अस्पष्ट है और इसलिये भाग (क) से (घ) का उत्तर एक साथ दिया गया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या 'फेरा' कंपनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है और उसका उत्तर केवल अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हुए दिया गया है कि कुछ कपनियों को भारतीय कंपनियां समझा जा रहा है। प्रश्न यह है कि औषधि उद्योग में किसी 'फेरा' कंपनी को अपने बल्क उत्पादन के दस गुणे मूल्य तक औषधि निर्माण की अनुमति कब से दी गई है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है। केवल वर्तमान नीति को दोहराया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या फेरा कंपनियों को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को भेजने की अनुमति दी गई है और उसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न का अगला भाग यह था कि क्या सरकार उक्त नीति की समीक्षा करेगी और इसमें उन्हें कितना समय लगेगा। इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मत्री जी इस प्रश्न का उत्तर भी देने की कृपा करेंगे कि यह समीक्षा कब तक पूर्ण होने की आशा है।

श्री बसन्त साठे : जैसा कि मैं कह चुका हूं प्रश्न यह है कि 'फेरा' कम्पनी क्या है। और जो मार्ग दर्शी सिद्धांत निधारित किए जाते हैं वे केवल कुछ औषधियों से ही नहीं बल्कि सभी 'फेरा' कम्पनियों के संबंध में होते हैं। उसके अनुसार, जहां तक औषधियों का संबंध है जो 40 प्रतिशत से कम पूंजी लगाती है वे कम्पनियां 'फेरा' कम्पनी की श्रेणी में नहीं आती हैं, किन्तु उन्हें वस्तुत: भारतीय कम्पनियों के समान ही वस्तुत: भारतीय कम्पनियों समझा जाता है और उनके बल्क औषधि उत्पादन के मूल्य का अनुपात एक से लेकर दस गुणा तक होता है। इसीलिए, मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यह 1978 की उस औषधि नीति के अनुसार है है जिसको जनता पार्टी की विगत सरकार के काल में तैयार किया गया था और उस समय श्री बहुगुणा उसके प्रभारी मंत्री थे। और वही नीति आज भी लागू है। अत: जहां तक 'फेरा' संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का सम्बन्ध है, कोई उलंघन नहीं हुआ है। अब यदि कोई ऐसी कम्पनी है फिर भी जहां तक धनराशि भेजने का सम्बन्ध है, वही मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होंगे इसलिए वह 'फेरा' कम्पनी जो शुद्ध रूप से 'फेरा' कम्पनी है, उसे 1 और 5 तकके अनुपात की अनुमति है 40 प्रतिशत से कम पूंजी लगाने वाली कम्पनियों के लिए यह अनुपात। और 10 का है। यह नीति सभी पर लागू होती है।

श्री अमल दत्त : मैं जो सूचना चाहता हूं वह उन्होंने अभी तक नहीं दी है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ ऐसे अभ्यावेदन, प्राप्त हुए हैं जिनमें

इन भूतपूर्व 'फेरा' कम्पनियों को 'फेरा' कम्पनी न मानने का अनुरोध किया गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये अभ्यावेदन किससे प्राप्त हुए हैं और इन कम्पनियों को फेरा के अन्तर्गत न लाने के क्या तर्क अभ्यावेदन में प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या इन कम्पनियों को अर्थात् भूतपूर्व 'फेरा' कम्पनियों को अपने बल्क उत्पादन से 10 गुणा अधिक मूल्य की औषधि का उत्पादन करने की अनुमति देने से बल्क औषधियों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है और क्या ये कम्पनियां रूग्ण हो गई हैं।

श्री बसन्त साठे : बल्क औषधि निर्माता सभी कम्पनियों को अपनी बल्क औषधियों का कुछ भाग गैर-सह कम्पनियों और छोटी कम्पनियों सहित अन्य कम्पनियों को भी सप्लाई करना पड़ता है।

जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, बड़े और छोटे स्तर की भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा मुख्यतः 'फेरा' और भूत-पूर्व 'फेरा' कम्पनियों का विरोध किया गया है। आशा भी यही थी। प्रश्न इस बात का नहीं है कि उनकी कितनी इक्सूटी अनिवार्यतः होनी चाहिए, क्योंकि उसका सम्बन्ध इस बात से है कि उनका कितना धन विदेश भेजा जाता है। इन सब बातों के बारे में राष्ट्रीय औषधि परिषद विचार कर रही है। उसका प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। जब भी कोई नयी नीति बनाई जायेगी, तब इन सभी बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : क्या मन्त्री जी हम लोगों को यह बतायेंगे कि इस देश से कितना रूपया बाहर भेजा जा रहा है ? क्या उसे पूर्णतः रोका जा सकता है; यदि हां, तो कब तक ?

श्री बसन्त साठे : जो रूपया बाहर भेजा जाता है, उसकी दो श्रेणीयों हैं—धनराशि भेज कर और कच्चा माला आयात करके मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जितनी धनराशि वास्तव में बाहर भेजी जाती है वह उसकी तुलना में कहीं कम है जो मूल कम्पनियों से मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद के रूप में की जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री जी ने अनेक बार 1978 की औषधि नीति का उल्लेख किया है और यह कहा कि उसकी समीक्षा की जा रही है। यह सच है कि विकास परिषद द्वारा गठित की गई संचालन समिति ने यह सिफारिश की है कि लगभग 40 प्रति बल्क औषधियों और फार्मुलेशनों को मूल्य नियन्त्र की परिधि से अलग रखा जाये। इस समय लगभग 20 प्रतिशत औषधियों को मूल्य नियन्त्रण की परिधि से अलग रखा जाये। इस समय लगभग 20 % औषधियों को मूल्य नियन्त्रण की परिधि से युक्त है। यदि ऐसा है, तो क्या इसका यह अर्थ नही होगा कि इन औषधियों का अधिक उत्पादन होगा जिससे इन कम्पनियों को, जिन में सेअधिकांश बिदेशी कम्पनियां है, अधिक लाभ होगा।

श्री बसन्त साठे : संचालन समिति का प्रतिवेदन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

इसलिये, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इन प्रस्तावों में से एक यह प्रस्ताव भी उनके विचार में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वह तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री बसन्त साठे : जो कुछ प्रकाशित हुआ वह अनुमान के आधार पर हुआ है मै उसे नहीं मान सकता।

भारत-सोवियत संघ अन्त: सरकार आयोग की बैठक

*126. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 840 मेगावाट के बिजली घर की स्थापना के बारे में समझौते पर विचार करने हेतु भारत-सोवियत संघ अन्त: सरकार आयोग की बैठक मास्कों में आयोजित की जाने वाली है; और

(ख) क्या इससे आन्ध्र प्रदेश में एल्मूनियम काम्पलेक्स को सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारतीय-सोवियत अन्त: सरकारी आयोग की दिसम्बर, 1983 में हुई पिछली बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि अगली बैठक सितम्बर-अक्तूबर, 1984 में मास्को में की जायेगी।

बिहार के, कहलगांव में 210-210 मेगावाट की 4 यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना में सहयोग देने के लिये भारत और सोवियत रूस के बीच विचार-विमर्श हुआ है। यद्यपि आयोग की अगली बैठक के लिये कार्यसूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बैठक में इस मामले की समीक्षा किए जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : मैंने यह प्रश्न इस विचार से पूछा था आंध्र प्रदेश में बिजली घर स्थापित किया जायेगा। मुझे यह नहीं मालूम कि वह ताप बिजली घर जल-विद्युत अथवा परमाणु ऊर्जा पर होगा। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : यह बिहार में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश को उन ताप बिजलीघरों से बिजली मिलेगी तो दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुक्त-बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मार्ग-निर्देश

* 127. **श्री चित बसु :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कुछ मार्ग-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां तो उन मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ लक्ष्य रखे गये थे; और

(घ) क्या सरकार ने वास्तविक कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मार्ग-दर्शी उपरेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण सारांश निम्नप्रकार से हैं :—

(i) पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार करने तथा उन्हें मंजूर करने का कार्य एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के तुरन्त बाद राज्य-सहायता के हिस्से को एक किस्त में जारी किया जाना चाहिये।

(iii) निधियों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि केन्द्रीय और राज्य सहायता के हिस्से बराबर-बराबर अर्थात् 50 : 50 के आधार पर इस्तेमाल हों।

(iv) पिछले वर्ष के दौरान जारी किये गये अनुदानों के समर्थन में उपयोग प्रमाणपत्र निर्धारित फार्म और ढंग से निश्चित तारीख तक प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार मुक्त कराये गये बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित वास्तविक कार्य समय-समय पर निगरानी और इसका मूल्यांकन कर रही है। श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी गहन मौका पुनरीक्षण करते हैं। विभिन्न राज्यों में पुनर्वास कार्यों की पुनरीक्षा करने से जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का पता चला है, वे निम्नप्रकार से हैं :—

1. अधिकांश राज्यों में पुनर्वास वैयक्तिक लाभोन्मुख रहा है और कुछ राज्यों में पुनर्वास के लिए समूह पर आधारित योजनाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किए गए।

2. चूंकि मुक्त कराये गये अधिकांश बन्धुआ श्रमिक भूमिहीन कृषि श्रमिक वर्गों के हैं, जिनमें से अधिकांशत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होते हैं, इसलिए मकान के लिए जगह कृषि-भूमि को आबंटित करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई हैं।

3. अधिकांश पुनर्वास योजनाएं भूमि पर आधारित तथा बाकी गैर-भूमि तथा कुशलता पर आधारित पाई गई हैं। पुनर्वास-कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों तथा एजेन्सियों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए है। पुनर्वास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की आय और जीविका के अवसरों को उन्नत करना तथा उनके जीवन-स्तर में बेहतर सुधार करना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चला सकें।

भोपाल में एस.टी.डी. प्रणाली

*128. **श्री सुभाष चन्द यादव :**

श्री राम विलास पासवान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल की एस. टी. डी. प्रणाली को दूरसंचार विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल ने दोषपूर्ण पाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) भोपाल की एस.टी.डी. प्रणाली की खराबियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.एन. गाडगिल) : (क) "दूरसंचार विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल" ने भोपाल में एस.टी.डी प्रणाली का कोई निरीक्षण नहीं किया। क्षेत्रीय परियात अधीक्षक, बम्बई के दल ने आवधिक परीक्षण की सूची के अनुसार 21 जून, 84 से 27 जून, 84 तक भोपाल से 2 एस.टी.डी. मार्गों पर सेवा गुणता परीक्षण किया था।

(ख) भोपाल-नई दिल्ली मार्ग पर एक एक्सचेंज से टेलीफोन से टेलीफोन कालों का औसतन प्रभावी प्रतिशत सात था तथा भोपाल-सीहोर मार्ग पर यह 34% था। भोपाल टर्मिनल से कार्य प्रणाली में जो सुधार देखा गया वह क्रमश: 64 और 85 प्रतिशत था। सेवा गुणता परीक्षण सही नहीं समझे गये क्योंकि वे भोपाल के किसी एक एक्सचेंज से भोपाल-नई दिल्ली मार्ग पर किये गये थे और उन दिनों खराब जंक्शनों का प्रतिशत (50 प्रतिशत) अधिक था।

(ग) भोपाल से एस. टी. डी. सेवा में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) एक्सचेंज उपस्कर की जांच का कार्य शुरू किया गया गया और जिन खराबियों का पता लगता है उन्हें उत्तरोत्तर दूर किया जाता है। रख-रखाब कार्य पर और अधिक ध्यान दिया गया।

(दो) भोपाल से जुड़े एस. टी. डी. मार्गों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेवा गुणता परीक्षण किए जाते हैं।

(तीन) भोपाल-नई दिल्ली मार्ग पर, एस. टी. डी· परियात का बेहतर संचालन करने के उद्देश्य से ट्रैक सर्किटों की संख्या 14 से बढ़ाकर 20 की जाएगी।

(चार) भोपाल और इन्दौर के बीच पुरानी नरो-बैंड माइक्रोवेव प्रणाली के स्थान पर मार्च, 1984 में बेहतर कार्यप्रणाली वाली वाइड-बैंड माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित की गई।

असम में मतदाता सूचियों में संशोधन

*129. **श्री भीम सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी असम में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का अभी तक आदेश नहीं दिया है।

आयोग ने बताया है कि असम में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के प्रशन पर 11 जनवरी, 1984 को मुख्य सचिव और असम सरकार के अन्य ज्येष्ठ अधिकारियों के साथ, और 28 फरवरी, 1984 को अनेक राजनैतिक दलों और असम की प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, आयोग ने 30 जनवरी, 1984 को असम सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया था और तभी से इस विषय में निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है। आयोग ने कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में 7 अगस्त, 1984 तक राज्य सरकार को अपने विचार भेजने के लिए भी कहा है और आयोग इस विषय में और विचार-विमर्श करने के लिए 25 अगस्त, 1984 को राजनैतिक दलों के साथ एक बैठक करने के लिए भी विचार कर रहा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजीनिवेश

* 130. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

प्रो० मधु दंडवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों और व्यापारियों ने अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजीनिवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये, कम्पनी कानून में परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों को स्वीकार कर लिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) माननीय सदस्यों के मन में शायद कतिपय भारतीय कम्पनियों द्वारा उनके नामों में शेयरों के अन्तरण का पंजीकरण करने से इनकार करने पर अनिवासी भारतीय द्वारा अभी हाल ही में अनुभव की गई कठिनाइयां हैं । इस सम्बन्ध में कम्पनियों को शेयरों के अन्तरण को पंजीकरण करने से इनकार करने के लिये, कम्पनियों को अधिक सख्त बनाने के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 में उचित संशोधन करने के लिये स्टाक एक्सचेंजों, भारत चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता आदि से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों सहित सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधी आधारभूत ढांचों की कमी को समाप्त करने हेतु उपाय

*131. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सम्बन्धी आधारभूत ढांचे की अपर्याप्तता तथा बिजली की उपलब्धता में कमी की स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लाभकारी हो सके और बिजली की सप्लाई की स्थिति में गिरावट न आने पाये; और

(ख) शेष 2.30 लाख गांवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी. शिव शंकर : (क) ग्राम विद्युतीकरण कार्यों की गति में तेजी लाने की दृष्टि से, उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ही जहां तक सम्भव हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने और वितरण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों के साथ समीक्षा बैठक की जाती हैं । राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम छः से

आठ घंटे विद्युत की सुनिश्चित सप्लाई करने की सलाह दी गई है और पहले से विद्युतीकृत क्षेत्रों में घरों में बिजली देने के काम को और बढ़ाने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।

सातवीं योजना में यह प्रस्ताव हैं कि उप-परेषण सुविधाओं की व्यवस्था करके, ऊर्जा की बचत करने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करके तथा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करके ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए एक समेकित रास्ता अपनाया जाए। अधिक पिछड़े क्षेत्रों को बिजली देने के संबंध में ध्यान दिया जाता रहेगा ताकि इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की कार्यवाही सुविधापूर्वक की जा सके।

(ख) देश में कुल 5.76 लाख गणना किए गए आबाद गांवों में से जून, 1984 के अन्त तक 3.50 लाख गांव विद्युतीकृत हो गए हैं तथा शेष 2.26 लाख गांवों को विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। दसवें दशक प्रारम्भ में 100% ग्राम विद्युतीकरण पूरा कर लिए जाने की आशा है, बशर्ते इस बीच की अवधि में अपेक्षित निधियां उपलब्ध होती रहें।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*132 **श्री के. प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली में "हैवी इम्पोर्ट आयल बिल लाइक्ली इन दी सेवन्थ प्लान" (सातवीं योजना में तेल के आयात पर भारी राशि खर्ज होने की संभावना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, वर्तमान दरों पर संशोधित तेल का आयात करने से तेल का आयात पर खर्च की जाने वाली धनराशि कितने तक पहुंच जाएगी; और

(ग) तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा देश में ही तेल के उत्पादन और उसकी मांग के बीच में अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) सातवीं योजना के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) अन्वेषण एवं विकास प्रयासों को तेज किया जा रहा है जिससे पहले से ही खोजे गये तेल क्षत्रों से और अधिक तेल प्राप्त किया जा सके तथा नये तेल क्षेत्रों की खोज की जा सके।

दिल्ली-गाजियाबाद और फरीदाबाद और मेरठ के बीच टेलीफोन सेवा

*133. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से गाजियाबाद के बीच स्थानीय कालों को मिलने में काफी समय लगता है और प्रयोक्ताओं को कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) जी हां। व्यस्त समय के दौरान काल मिलाने में कुछ कठिनाई महसूस की जाती है।

(ख) सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से जो उपाय किए गए हैं। करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं:-

दिल्ली-फरीदाबाद, दिल्ली गाजियाबाद मार्ग

(एक) पी. सी. एम. और समीक्ष प्रणालियों पर उच्च ग्रेड जंक्शन सर्किट प्रदान करना।

(दो) कर्नाट प्लेस टैड्स एक्सचेंज का जनपथ में स्थानांतरण।

दिल्ली-मेरठ मार्ग

दिल्ली-मेरठ एम. टी. डी., जो केवल 9 पर कार्य कर रही है, को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के माध्यम से जोड़ने का प्रस्तात है।

लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराना

*134. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के समर्थन में क्या तर्क दिए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां,।

(ख) पृथक निर्वाचनों पर सरकार, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों आदि द्वारा उपयत किए जाने वाले भारी व्यय में बचत करने, अधिकारियों और सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारिवृन्द के अधिक मात्रा में एकत्र करने में कमी करने, सरकार द्वारा

लोक सभा और विधान सभाओं के लिए पृथक निर्वाचनों के लिए लगने वाले समय में बचत करने के लिए विकास संबंधी क्रिया कलापों और 1957 तक साथ-साथ कराए गए ऐसे निर्वाचन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आयोग ने अपनी सिफारिशों के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं।

(ग) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

बम्बई तथा रत्नागिरि के बीच 'आन डिमाण्ड सर्विस' टेलीफोन

*135 डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और रत्नागिरि के बीच 'आन डिमाण्ड सर्विस' अक्सर खराब रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवा के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार राज्य में राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) जी हां। कोल्हापुर और रत्नागिरि के बीच ओपन वायर लाइनों पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण बम्बई और रत्नागिरि के बीच डिमांड सर्विस में बार-बार खराबी आ जाती है।

(ख) हाथ खम्भा और रत्नागिरि के बीच यू. एच. एफ. रेडियो प्रणाली चालू हो जाने के बाद बम्बई से रत्नागिरि के लिए डिमांड ट्रंक सर्किल को स्थायी एवं विश्वसनीय माध्यम द्वारा शीघ्र ही बदल जाएगा।

सरकारी उपक्रमों द्वारा अलाभकारी मूल औषधियों तथा फार्मूलेशनों का निर्माण

*136 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मूल औषधियों, उनके लवणों तथा "फार्मूलेशनों" की मांग इतनी कम है कि बड़ी औषधि निर्माण कम्पनियों को उनका निर्माण करने पर कोई लाभ नहीं होता है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनका निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बड़ी संख्या में अनिवार्य और जीवन रक्षक

औषधों जैसे कि एन्टीवायोटिक्स, सल्फा औषधों, टी. बी. निरोधी औषधों, कुष्ठ निरोधी औषधों उच्च रक्तचाप निरोधी औषधों, सेरा और वेक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उन औषधों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनका देश में उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नही है।

तथापि, विकासात्मक प्रयास के भाग के रूप में वल्क औषधों की मांग/उपलब्धता की निरन्तर समीक्षा की जाती है। जब भी किसी औषध का वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद उत्पादन लघु क्षेत्रों में अथवा संगठित क्षेत्र में व्यवहार्य होता है, सरकार द्वारा आवश्यक अनुमोदन/प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं।

दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को स्वर्ण मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति

*137. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर में दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को उस समय भी प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी जब कि समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों के पंजाब में प्रवेश करने पर पाबन्दी लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है तथा वे कितनी अवधि तक स्वर्ण मन्दिर में रहे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण बर्ताव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) जून, 1984 के शुरू में पंजाब में आने जाने या स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में प्रवेश पर पाबन्दियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के हित में लगाई गई थी। वे पाबन्दियां सामान्य थी तथा केवल प्रेस के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। तथापि, लोगों को घटनाक्रमों के बारे में दार्ष्टिक सूचना उपलब्ध करने के लिए दूरदर्शन दलों जिनमें दूरदर्शन संवाददाता, प्रोडयूसर, कैमरामैन और सहायक तकनीकी कर्मचारी और पर्यवेक्षण अधिकारी शामिल थे, को दिल्ली और जलन्धर दूरदर्शन केन्द्रों से अमृतसर और स्वर्ण मन्दिर परिसर में कवरेजों के लिए भेजा गया था। तथापि दूरदर्शन दल का कोई सदस्य स्वर्ण मन्दिर में नहीं ठहरा था। जैसा ही, स्थिति सामान्य हुई, प्रेस दलों को भी स्वर्ण मन्दिर में ले जाया गया था।

ऊर्जा की खपत और तेल का आयात

*138. **श्री हेमवती नंदन बहुगुणा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने एक दशाब्दी में आयातित तेल के अपने अंश को 62 प्रतिशत से कम करके 32 प्रतिशत करने के साथ-साथ अपनी प्राथमिक ऊर्जा खपत को 62 प्रतिशत से घटाकर 48 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) उसी अवधि में और उसी दिशा में भारत का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है;

(ग) क्या सरकार अभी भी इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में पेट्रोल में अल्कोहल का प्रयोग फिर शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या पेट्रोल में अल्कोहल के प्रयोग की संभावना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल ब्राजील भेजने का कोई विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) जी नहीं

(घ) जी नहीं

विवरण

(अनुमानित)

ई. ई. सी		भारत	
कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत की प्रतिशतता के रूप में तेल की खपत	कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत की प्रतिशतता के रूप में तेल आयात	कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत की प्रतिशतता के रूप में तेल की खपत	कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत की प्रतिशतता के रूप में तेल का शुद्ध आयात
61% (1973)	60% (1973)	28% (1973-74)	24% (1973-74)
48% (1983)	34% (1983)	25% (1983-84)	10% (1983-84)

पवन-ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

***139. श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :**

श्री आर. पी. गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पवन ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों संबंधी कार्यदल ने देश में पवन-विद्युत-उत्पादन के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इससे देश की ऊर्जा-आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति होगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित में जल पम्पन वाली पवन चक्की के लिए प्रदर्शन एवं विस्तार कार्यक्रमों तथा बैट्री चार्जर, पवन-विद्युत-उत्पादन और बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए पवन फारमों की स्थापना संबंधी कार्यक्रमों पर विचार किया गया है।

(ग) यदि प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया तो योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विद्युत का 50 लाख यूनिट वार्षिक उत्पादन तथा ऊर्जा का कम से कम 30,000 टन डीजल के बराबर उत्पादन हो सकता है।

दिल्ली में योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के कारण बिजली की कटौती

*140. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विद्युत पारेषण और उसके वितरण में वृद्धि करने के लिए, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की योजनाओं के पूरा होने में देरी होने के कारण, राजधानी में लगातार बिजली की कटौती की जाती है और उसकी सप्लाई में बाधा भी पड़ती रहती है;

(ख) यदि हां, तो कौनसी योजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और वे कितनी पीछे चल रहीं हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; प्रत्येक योजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है और उन योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने तथा पूरा करने के लिए और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में विद्युत की मांग लगभग 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान मांग में अचानक वृद्धि हो गई है जिसका आंशिक रूप से कारण परिवेश के तापमान में वृद्धि होना और परिणाम-स्वरूप वातानुकूल संबंधी भारों में वृद्धि होना है। इसके परिणामस्वरूप संघ

शासित क्षेत्र दिल्ली में, विशेष रूप से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कुछ ट्रांसफार्मरों पर अधिक भार हो जाने के कारण प्राथमिक वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है। विवेकपूर्ण भार प्रबन्ध व्यवस्था करने से कुछ क्षेत्रों में इन परिस्थितियों में अस्थाई तौर पर लोडशैडिंग करनी पड़ी। प्रणाली पर इस प्रकार के दबाव की आवर्तिता को रोकने के लिए नजफगढ़, महरौली, जहांगीरपुरी और रेवाड़ी में ट्रांसफार्मरों का शीघ्र चालू किया जा रहा है। यह रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आयोजित पारेषण और वितरण स्कीमों के सम्बन्ध में अधिकांश निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहा है।

क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड

*141. **श्री बालकृष्ण वासनिक :**

श्री गुफरान आजम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के अन्तर्राज्यीय अन्तरण के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य मतभेदों को दृष्टि में रखते हुये उनका मन्त्रालय क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है ;

(ख) क्या कोई ऐसी कार्यवाही करने से पहले राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों पर निर्णय लागू करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों को किस हद तक शक्तियां प्रदान की जाएंगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) राज्याध्यक्ष विद्युत समिति ने यह सिफारिश की है कि सांविधिक निकायों के रूप में क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों की स्थापना करके क्षेत्रीय बिजली बोर्ड प्रतिस्थापित कर दिये जायें, जिन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएं :—

—ग्रिड का समेकित प्रचालन, क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन पर नियन्त्रण, अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का निर्माण तथा अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों और उनसे सम्बन्धित उपकेन्द्रों का स्वामित्व;

—अन्त:क्षेत्रीय विद्युत का अन्तरण;

—क्षेत्रीय विद्युत के इष्टतम विकास की आयोजना;

—क्षेत्र की सभी यूटिलिटिज से विद्युत का थोक क्रय विक्रय करना।

क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों को पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य दिए जाने का विचार व्यक्त किया गया है। भागीदार यूनिटों के मुख्य कार्यपालकों को भी अंशकालिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

वर्तमान क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केवल परामर्श दाता है तथा नियन्त्रण करने और निर्णयों को लागू कराने के सम्बन्ध में उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सांविधिक शक्तियों के साथ और अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों तथा सम्बन्धित उप केन्द्रों के नियन्त्रण हेतु क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का गठन करने के सम्बन्ध में विद्युत समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इस मामले पर हाल ही में 18-7-1984 को हुए राज्यों के विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया था। अधिकांश राज्य सांविधिक क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बनाये जाने के विरोध में हैं।

क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को अधिक शक्तियां देने के प्रश्न की जांच विभिन्न राज्यों के साथ परामर्श करके की जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संचार समस्याओं के बारे अभ्यावेदन

1205. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मन्त्रालय को संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संचार समस्याओं के बारे में संसद सदस्यों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो वे संसद सदस्य कौन-कौन हैं तथा उन्होंने क्या मुख्य मुद्दे उठाए हैं; और

(ख) ऐसे मामलों के सम्बन्ध में यदि कोई स्मरण पत्र प्राप्त हुये हैं तो कितने और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनता द्वारा संचार सुविधा के संबंध में उठाई जा रही दिक्कतों के बारे में श्री मनोरंजन भक्त, संसद सदस्य से केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस अभ्यावेदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं;

(एक) निम्नलिखित 3 स्थानों पर उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव :

1. कैंपबैलबे
2. डिगलीपुर
3. मायाबंदर

(दो) कैंपबैल बे, डिगलीपुर एवं हट बे में ट्रंक सुविधाओं से युक्त टेलीफोन एक्सचैंज खोलना।

(तीन) पोर्टब्लेयर एक्सचेंज का 200 लाइनों द्वारा विस्तार करके उसकी क्षमता 900 से 1100 लाइनें करना।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई स्मरण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए गृह मन्त्रालय की सलाहकार समिति की 23-3-84 को आयोजित बैठक में डाक एवं दूर संचार सुविधाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया गया था, उनकी जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में निम्न-लिखित कार्रवाई करने का विचार है :-

(एक) कैम्पबेल बे, डिगलीपुर एवं मायाबंदर में तीन भू-केन्द्र मंजूर कर दिए गए हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हट बे एवं कमौर्टा में दो और भू-केन्द्र स्थापित करने के लिये विभाग विचार कर रहा है।

(दो) अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से दो टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए प्राप्त हुई मांग के आधार पर 1984-85 के दौरान 100 लाइनों का छोटा स्वचल एक्सचेंज कैंपबेल बे, में और 40 लाइनों का एक्सचेज डियलीपुर में स्थापित किये जाने की संभावना है फिलहाल हट बे में एक्सचेंज के लिए कोई मांग दर्ज नहीं है।

(तीन) जहां तक पोर्टब्लेयर एक्सचेंज के विस्तार और कैंपबैल, डिगलीपुर एवं हट बे में ट्रंक सुविधाओं से युक्त एक्सचेंजी की स्थापना में बिलम्ब का प्रश्न है, प्राथमिकताओं के आधार पर उपस्कर की सप्लाई करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। विचार-विमर्श के दौरान हुई चर्चा के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों के साथ शीघ्र ही एक बैठक बुलाई जा रही है जिसमें स्थानीय ससद सदस्य को भी आमंत्रित किया जाएगा।

बदरपुर ताप बिजलीघर का कार्यकरण

1206. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 मई, 1984 के इण्डियन एक्स प्रैस में रिफ्ट अमंग एजेन्सीज हिट्स बदरपुर प्लांट शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तीन सरकारी एजैन्सियों अर्थात राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, रेलवे और राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों में समन्वय की कमी से राजधानी में केन्द्रीय सरकार प्रबन्धित ताप बिजली घर का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बदरपुर ताप बिजली घर के संकट को हल करने के लिए तथा इसके सुव्यवस्थित ढंग से कामकाज करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्बन्धित संगठनो के बीच कोई परस्पर विरोध नहीं है। कोयले की सप्लाई तथा बैगनों को खाली करने और उन्हें लौटाने के एक-दूसरे से सम्बन्धित मामले समन्वित ढंग से हल किए जाते हैं। 1983-84 में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 48.77 था, जबकि अखिल भारत आंकड़े 47.9% थे।

उत्पादकों द्वारा सोडा एश के मूल्य में वृद्धि

1207. **श्री अजित बाग :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप सोडा एश के उत्पादकों ने अपने मूल्यों में और वृद्धि कर दी है,

(ख) यदि हां, तो मूल्य में प्रति टन कितनी वृद्धि की गई,

(ग) क्या उत्पादकों ने मूल्य वृद्धि के बारे में सरकार को सूचित किया था,

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की थी कि यह मूल्य वृद्धि सोडा ऐश के प्रति टन उत्पादन में कोयले की अतिरिक्त वृद्धि के अनुरूप है,

(ङ) क्या इस विषय में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की भी मंत्रणा ली गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(च) सरकार द्वारा उत्पादकों को यह परामर्श न दिए जाने के क्या कारण हैं कि अब तक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच न कर ली जाये तब तक मूल्य वृद्धि न की जाये ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (च) कोयले के मूल्य 8.1.1984 से बढ़ाए गए थे। उसके बाद सोडा ऐश के उत्पादकों ने अपने मूल्य निम्न प्रकार से बढ़ाए :—

उत्पादक का नाम	सोडा ऐश लाइट के मूल्य में वृद्धि (रु० प्रति टन में)
मैं. टाटा केमिकल्स लि.	182.20
मैं. सौराष्ट्र केमिकल्स लि.	165.00
मैं. धरगाधरा केमिकल्स लि.	220.00
मैं. हरी फर्टिलाइजर्स	120.00
मैं. टुटीकोरिन अलकली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	163.68

इस समय सोडा ऐश के मूल्य पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है । तथापि, उत्पादकों के मूल्यों पर अनौपचारिक निगरानी रखी जा रही है । हाल ही में जब-उत्पादकों ने सरकार को अपने संशोधित मूल्य की सूचना दी, जिसमें कोयले, भाड़े, पावर तथा जूट वेग, की तरह के कच्चे माल में वृद्धि को उक्त वृद्धियों के लिए उत्तरदायी बताया गया, तो मामले को इस बात की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का निर्दिष्ट दिया गया कि क्या मूल्यों में वृद्धि उपयुक्त थी । वह सोडा ऐश लागत तथा मूल्य के पहले अध्ययन को अद्यतन करते हुए इन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे । उनके पश्चात, मामले को मूल्य तथा लागत ढांचे सम्बन्धी उप समिति के समक्ष रखा जाएगा । उत्पादकों को यह भी कहा गया है कि वे इस बात की पुन जांच करें कि क्या वृद्धि की मात्रा न्यायोचित थी ।

समझौता के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनवाद के समक्ष औद्योगिक विवाद

1208. **श्री ए. के. राय :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1984 तक के पिछले एक वर्ष के दौरान क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनवाद के समक्ष समझौते के लिए लाए गए ऐसे औद्योगिक विवादों के ब्यौरे क्या हैं, जो विवाद खनिकों की मन्जूरी से आठ कार्य दिवसों के लिए कटौती करने से संबन्धित थे, संबद्ध कोयला खानों के नाम एवं कटौती की तारीख क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितने खान मजदूरों से कटौती की गई;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या हैं जिनमें अधिकारी के समक्ष मामला समझौते के लिए लम्बित रहने के दौरान कटौतियां की गई;

(ग) क्या क्षेत्र I की फुलवारी तौर कोयला खान के एक मामले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी द्वारा यह लिखित आश्वासन देने के बावजूद कि पूर्व स्थिति को बनाए रखा जायेगा, कटौती की गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

मिजोरम में पन बिजली परियोजनाएं शुरू करने हेतु मिजोरम सरकार का प्रस्ताव

1209. **डा. आर. रोथुआमा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को मिजोरम में बिजली की अत्याधिक कमी को पूरा करने की दृष्टि से वहां की अनेक नदियों के पानी का उपयोग करके पन बिजली परियोजनाए शुरू करने हेतु मिजोरम सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि मिजोरम की राजधानी ऐजवरज का आधा दक्षिणी भाग पिछले एक वर्ष से आज तक बिजली के अभाव में अन्धकार ग्रस्त रहता है; और

(घ) यदि हां तो शहर में पुन: बिजली सप्लाई व्यवस्था कायम करने के लिए क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मिजोरम/मणीपुर सीमा पर बारक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) के अन्वेषण संबंधी कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। घालेश्वरी जल विद्युत परियोजना (160 मेगा और तुइवई नदी पर तुइवई 260 मेगा.) के अन्वेषण संबंधी कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मिजोरम सरकार ने शेरलुइ-ख (5.1 मेगा.) और तुइरेल जल विद्युत परियोजना (33·3 मेगा.) के अन्वेषण का प्रस्ताव किया है। इन स्कीमों पर क्रियान्वयन के लिए, इनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने और निवेश संबंधी निर्णय कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीग्राफ गाइड के संशोधित और अद्यतन संस्करण का विवरण

1210. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ गाइड का संशोधित और अद्यतन संस्करण इस बीच प्रकाशित हो गया है और "फोनोकोम" आधार पर कार्य कर रहे लोगों सहित विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय में इसका वितरण कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) यह गाइड किस तारीख को प्रकाशित हुई (दो) पावती कार्यालयों के नामों में शुद्धियां नाम जोड़ने का कार्य किस तारीख तक किया गया (तीन) किस तारीख को इसका वितरण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसका प्रकाशन और वितरण किस तारीख तक हो जाने की संभावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका पिछला संस्करण किस तारीख को प्रकाशित किया गया था ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां,

(ख) (I) खंड-1 20.1. 1982 को तथा खंड-II जुलाई, 1983 में प्रकाशित हुआ।

(II) खंड-1 जुलाई, 1979 तक
खंड-I अप्रैल 1979 तक

(III) खंड-I 1982 में

खंड-II जुलाई, 1983 से फरवरी, 1984 तक

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) खंड-I 20.1.1982 को

खंड-II जुलाई, 1983 में ।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को मुफ्त वर्दियां

1211. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री दिगम्बर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1984 के बिजनैस स्टैंडर्ड, कलकत्ता संस्करण में "फ्राम दी फाइल्स" शीर्षक के अन्तर्गत "यूनिफार्म सैन्स इक्वालिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ;

(ग) भारतीय तेल निगम उच्च प्रबंधकीय पदों तक सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म की सप्लाई शुरू करने के लिए किन कारणों से प्रेरित हुआ है;

(घ) इस पर कितना धन खर्च होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए किस मान/टाइप की वर्दियां निर्धारित की गई हैं;

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम की महिला कर्मचारियों ने अपनी अलग मांगे रखी हैं; और

(च) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने पर कितना खर्च होगा और उनकी मांगें कहां तक स्वीकार की जा रही हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) निगम की स्थापना से, क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को कार्य करने के कपड़े/यूनिफार्म सप्लाई किए जा रहे थे । 1983 में मान्यता प्राप्त यूनियनों और निगम के अधिकारी संघ के साथ कामगरों और अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों को जारी किए जाने वाले कार्य के कपड़े/यूनिफार्म के मान और किस्म के बारे में एक समझौता हुआ था । यूनियनों और अधिकारी संघ के साथ किए गये विचार-विमर्श में महिला कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के सभी वर्ग शामिल हैं ।

(ग) कार्य पर कार्य करने के यूनिफार्म की तरह के कपड़े पहनने की विचार धारा से कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच कार्य अनुशासन में सुधार होता है, पहचान की अनुभूति और एक ही संगठन में होने की भावना उत्पन्न होती है। यह विचारधारा तेल उद्योग के अन्य संगठनों में भी विद्यमान है।

(घ) गर्मी की यूनिफार्म में एक कमीज और एक पैंट शामिल है। प्रारम्भ में चार से सप्लाई किए जायेंगे और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष दो सेट सप्लाई किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष एक जोड़ा जूता और दो जोड़ी मोजे भी दिए जायेंगे। इसकी अनुमानित लागत निगम के लिए करोड़ रुपये की है।

(ङ) और (च) जी, हां। महिला कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के चार रंगों के लिए इच्छा जाहिर की गई थी। इस मामले का महिला कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ मिलकर समाधान कर दिया गया था। उपर्युक्त भाग (घ) में बताई गई अनुमानित एक करोड़ रुपये की लागत में महिला कर्मचारियों को सप्लाई की गई यूनिफार्म शामिल हैं।

डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य का अवैध कोयला पकड़ा जाना

1212. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या ऊर्जा मंत्री डेढ करोड़ रुपये मूल्य का अवैध कोयला पकड़े जाने के बारे में 3 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6271 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचना चालू सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनी अधिनियम में 'परक्यूजिटस' 'रेमुनेरेशन' की परिभाषा

1213. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 जून, 1984 के पाइनेन्शियल एक्सप्रेस नई दिल्ली में, 'रेमुनेरेशन अण्डर कम्पनीज एक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम में 'परक्यूजिटस' और 'रेमुनेशन' की पूरी परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है;

(ग) क्या इन शब्दों की समुचित परिभाषा के अभाव में कम्पनी के कार्याधिकारी चालाकी से, 'जन सम्पर्क' अथवा 'व्यापार संवर्धन' के नाम पर तथा अन्य तरीकों से कई सुविधाओं जैसे अपने निवास स्थानों में निशुल्क सुरक्षा गारद, सीमा रहित धन-राशि का जल-पान और कई अन्य रियायतों का लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन शब्दों की स्पष्ट परिभाषा बनाने और वर्तमान अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों में उनकी सीमा निर्धारित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198, 309 और 314 अदायगियों के अर्थ प्रकट करती हैं, जो पारिश्रमिक को वैधानिक रूप देती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 की उपधारा (4) के विशेष स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि वेतन और स्वच्छ लाभ पर कमीशन से पृथक पारिश्रमिक में क्या सम्मिलित किया जाए। परिलब्धियों के सम्बन्ध में, जो अनुज्ञेय है, उनको प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के विषय में मार्ग-संदर्शिका में निर्धारित किया गया है और वह सदन के पटल पर 10-8-83 को प्रस्तुत कर दी गई थी।

(ग) विद्यमान मार्ग संदर्शिका के अन्तर्गत सुरक्षा गार्डों, मनोरंजन, जनसम्पर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए किये गये व्यय को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कम्पनी के व्यापार के लिए इस प्रकार के व्यय को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ना तो निषिद्ध न ही नियमित किया जाता है।

(घ) विद्यमान उपबन्धों के पर्याप्त होने के कारण, उनमें संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

देश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1214. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों और कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक एक्सचेंजों में से कितनी टेलीफोन लाइनें हैं;

(ख) क्या वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ग) ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना में लगभग कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में लगाए गये उपकरण आयात किये गये हैं

और यदि हां, तो क्या किसी विदेशी कम्पनी से कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगामी पांच वर्षों के दौरान देश में और अधिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) देश में सात स्थानीय इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये है। इन एक्सचेंजों के स्थानों के नाम और क्षमता निम्न प्रकार है :—

	स्थान	सज्जित क्षमता
1.	कौसीकलां	256 लाइनें
2.	नैनीताल	768 ,,
3.	उझानी	256 ,,
4.	अल्मोड़ा	384 लाइनें
5.	कूपरेज-IV-बम्बई	10,000 ,,
6.	मझगांव-III-बम्बई	10,000 ,,
7.	ईदगाह-IV-दिल्ली	10,000 ,,

(ख) जी हां।

(ग) एक्सचेंजों की लागत उनकी किस्म, क्षमता, परियात आदि के अनुसार अलग-अलग होती है। इन एक्सचेंजों की अनुमानित परियोजना लगता निम्न प्रकार है :—

एक)	नैनीताल	56 लाख रुपए
दो)	उझानी	36 लाख रुपए
तीन)	अल्मोड़ा	41 लाख रुपए
चार)	कूपरेज-IV	11.22 करोड़ रुपए
पांच)	मझगांव-III	11.33 करोड़ रुपए
छः)	ईदगाह-IV	11.13 करोड़ रुपए
सात)	कौसीकलां :	यह एक्सचेंज नार्वे सरकार से बतौर उपहार प्राप्त हुआ था।

(घ) जी हां। इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर का आयात किया जा रहा है। विदेशी संस्थानों से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कारों का आयात करने और अंकीय किस्म के उपस्कार का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये समुचित व्यवस्था की गई है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

एक) आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा तैयार किये गये मानदंडों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत मैसर्स निस्सों इवाई कारपोरेशन, जापान (M/s Nissho Iwai Corpn. Japan) से फिटेक्स-100-एल प्रणाली की 1.75 लाख लाइनों का आयात किया जा रहा है।

दो) आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली ऐजेसी द्वारा तैयार किये गये मानदंडों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत मैसर्स फिलिप्स, हालैंड से कनटैनराइज्ड एक्सचेंजों की 60,000 लाइनों का आयात किया जा रहा है।

तीन) भारत सरकार और नार्वे सरकार के बीच साज-सामान सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, नैनीताल, अल्मोड़ा और उझानी के तीनों एक्सचेंज प्राप्त हो चुके हैं। कोसीकलां एक्सचेंज नर्वे सरकार से बतौर उपहार प्राप्त हुआ था।

चार) मैसर्स सी. आई. टी. अल्कातेल, फ्रांस से ई-10 बी अंकीय स्थानीय एक्सचेंज उपस्कर की लगभग दो लाख लाइनों का आयात किया जा रहा है। मैसर्स सी.आई.टी. अल्कातेल के साथ अंकीय स्थानीय इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के देश में ही उत्पादन के लिये सहयोग के बारे में समझौता हुआ है।

(ङ) अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के उपस्करों का देश में ही उत्पादन करने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

पारम्परिक गैर-वाणिज्यिक ईंधन का वाणिज्योकरण

1215. **श्री सूरज भान** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोबर, ईंधन की लकड़ी और कृषि अपशिष्ट (वेस्ट) जैसे परम्परागत गैर-वाणिज्यिक ईंधनों के वाणिज्यीकरण से गरीब लोग ऊर्जा के स्रोतों से वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) मुद्रा प्रणाली के विस्तार के साथ

परम्परागत गैर-वाणिज्यीकरण ने कुछ सीमा तक प्रगति की है और यह इन ईंधनों की तुलनात्मक कमी का विशेष रूप से ग्रामीण गरीब लोगों के लिए एक अंशदायी कारण है। फिर भी, इस वाणिज्यीकरण के सुनिश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। समाज के कमजोर वर्गों की ऊर्जा सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने इन ईंधनों की पूर्ति और उनके अधिक प्रभावशाली उपयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ऊर्जा बागवानी, सौर कुकरों की राजसहायता प्राप्त बिक्री, उन्नत प्रकार के चूल्हों की आपूर्ति के लिए उदार राज-सहायता, पारिवारिक और सामुदायिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों आदि की स्थापना के लिए राजसहायता भी सम्मिलित है।

अखबारी कागज का उत्पादन

1216. **श्री अमरसिंह राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में अखबारी कागज की अनुमानित मांग कितनी है :

(ख) चालू वर्ष में अखबारी कागज का कितना अनुमानित उत्पादन होने की सम्भावना है :

(ग) क्या यह सच है कि देश में अखबारी कागज की कमी है, यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि अखबारी उद्योग को संकट का सामना न करना पड़े; और

(घ) अखबारी कागज का आयात किस एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है और प्रतिमाह कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्ष 1984-85 के लिए अखबारी कागज की अनुमानित मांग 385,000 मीट्रिक टन है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन लगभग 200,000 मीट्रिक टन होने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं। 185,000 मीट्रिक टन की शेष आवश्यकता की पूर्ति आघातों द्वारा की जा रही है जिसके लिए विदेशी मुद्रा पहले ही रिलीज हो चुकी है।

नेपा न्यूजप्रिन्ट रिम, भद्रावती में मैसूर पेपर मिल तथा केरल में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., जो अखबारी कागज का वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही कर रहे हैं, के अलावा, 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली चौथी अखबारी कागज परियोजना, तमिलनाडु, न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लि. के इस वर्ष के उत्तरार्ध में चालू होने की उम्मीद है।

(घ) अखबारी कागज का आयात भारत के राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम से किया जाता है। अप्रैल-जून, 1984 के दौरान आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा नीचे दी गई है :—

अप्रैल	15,546 मीट्रिक टन
मई	21,158 मीट्रिक टन
जून	22,113 मीट्रिक टन

मंत्रालय में सलाहकार (औषध) की नियुक्ति

1217. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सलाहकार (औषध) की नियुक्ति किन उपबन्धों के अन्तर्गत की जाती है,

(ख) उसकी क्या शक्तियां हैं और किस प्रकार के मामले परामर्श हेतु उसके पास भेजे जाते हैं, और

(ग) इस उच्च पद के लिए आवश्यक अर्हताएं/अनुभव आदि क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सलाहकार (औषध) की नियुक्ति, रसायन और उर्वरक मंत्रालय औषध सलाहकार भर्ती नियम 1977 के अनुसार की जाती है।

(ख) सलाहकार औषध सामान्यत, मंत्रालय के औषध प्रभाग में कार्यवाही किये जाने वाले मामलों के तकनीकी पहलुओं से सम्बद्ध है।

(ग) पद के लिये अनिवार्य अर्हताएं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन अथवा भेषज रसायन अथवा जीव रसायन अथवा फार्मेसी आफ फार्मा को लोजी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष और औषध अनुसंधान विकास, उत्पादन आयोजन और औषध उद्योग के विकास, अनुसंधान और विकास संगठन, विश्वविद्यालय अथवा सरकारी संगठन में 18 वर्षों का अनुभव है।

दिल्ली दूरदर्शन पर फीचर फिल्मों का प्रसारण

1218. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली दूरदर्शन अधिकांशत: एक ही फिल्म को कई बार दिखाता है,

(ख) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान कितनी फीचर फिल्में टेलीविजन पर दो बार दिखायी गयी; और

(ग) क्या दूरदर्शन पर ऐतिहासिक फिल्में दिखाने का सरकार का विचार है ताकि परिवार के सदस्यों के साथ-साथ बच्चे भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली सामान्यत: फीचर फिल्मों को पुन: नहीं दिखाता है । तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा कुछ फिल्मों को उनकी गुणवत्ता तथा नये ट्रांसमीटरों की स्थापना होने के कारण नये दर्शकों, जिन्होंने इन फिल्मों को शायद न देखा हो की वर्धित संख्या को ध्यान में रखते हुए पुन: दिखाया गया है । 1983 और 1984 के दौरान केवल तीन फिल्मों को फिर से दिखाया गया था ।

(ग) दूरदर्शन ऐतिहासिक फिल्मों को समय-समय पर टेलीकास्ट करता रहा है बशर्ते कि वे उपलब्ध हुई हों और उपयुक्त हों ।

औषध नीति में संशोधन

1219. **श्री एन. डेनिस :**

श्री ई० बालानन्दन :

श्री दिगम्बर सिंह :

श्री सज्जन कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री 8 मई, 1984 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 10523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 की औषध नीति के पुनरीक्षण और इसमें संशोधन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त कर्णधार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीणों को रियायती दरों पर बायोगैस संयंत्रों की सप्लाई

1220. **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीणों को रियायती दरों पर बायोगैस संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर कोई अधिकारी नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उसके सीतापुर जिले में कितने किसानों ने बायोगैस संयंत्र लगाये हैं;

(ग) क्या सरकार गरीब किसानों को बायोगैस संयंत्र मुफ्त उपलब्ध कराती है अथवा राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कितनी रियायत दी जाती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां। चुने गए महत्यपूर्ण जिलों में पदों के सृजन के लिए राज्य सरकारों और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को बायोगैस विकास की चल रही राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) वर्ष 1981-82 (बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के प्रारम्भ से) से 1983-84 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में कुल 39929 पारिवारिक आकार के बायोगैस सयत्र लगाए जा चुके हैं, इनमें से 1136 संयंत्र सीतापुर जिले में लागाए गए थे।

(ग) से (ड़) : बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना में सभी लाभार्थियों को केन्द्रीय राज सहायता उपलब्ध है। केन्द्रीय राजसहायता की उच्चतर दर छोटे सीमांतिक किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए उपलब्ध है। फिर भी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों और सूखे जिलों में सभी वर्गों के किसानों को अभी भी उच्चतर राजसहायता दी जाती है। राजसहायता का नमूना संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय राजसहायता का नमूना (उदाहरण)

रुपयों में

संयंत्र का आकार (क्यूविक मी.)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, अधिसूचित पहाडी क्षेत्री और सूखे जिलों के लिए	अनुसूचित जन जातियों/ भूमिहीन मजदूरों सहित छोटे और सीमांतिक किसानों के लिए	अन्य क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए	सभी अन्य के लिए
1.	2	3	4	5
2.	2940	2350	2350	1560
3.	3660	2860	2860	1900

1	2	3	4	5
4.	4390	3220	3220	2140
6.	5350	3920	—	2610
8	6460	4640	—	3100
10	8080	5540	—	3700
15	11440	8150	—	5430
20	15260	10960	—	7300
25	17640	12280	—	8190

दूरदर्शन में कैजुअल प्रोडक्शन-असिस्टेन्ट लाइटिंग असिस्टेन्ट और फ्लोर-असिस्टेन्ट

1221. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन में काम कर रहे कैजुअल प्रोडक्शन-असिस्टेन्टों की संख्या क्या है ?

(ख) इन कैजुअल कर्मचारियों को कार्य दिवस के आधार पर या साक्षातकार द्वारा दीर्घावधि अनुबध (स्थायी) न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) किए गए अथवा किए जाने वाले साक्षात्कारों में कैजुअल कर्मचारियों को तरजीह न दिए जाने के क्या कारण हैं ? और

(घ) ऐसे प्रोडक्शन-असिस्टेन्टों, लाइटिंग असिस्टेन्टों और फ्लोर-असिस्टेन्टों का ब्यौरा क्या है, जो वर्ष 1981 से काम कर रहे हैं और जिन्होंने दिल्ली दूरदर्शन तथा इन्सैट-बी में हुए साक्षात्कार में भाग लिया था लेकिन अब तक उनका चयन नहीं हुआ है ? तत्संबंधी कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच· के. एल. भगत) : (क) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा-समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जब प्रश्नास्पद पदों के नियमित पदधारी छुट्टी, प्रशिक्षण, इत्यादि के कारण थोड़े समय के लिए अनुपस्थित होते हैं तब दूरदर्शन केन्द्र आवश्यक कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को नैमित्तिक आधार पर कार्य करने के लिए लगाते हैं। नैमित्तिक आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को नियमित नियुक्तयों की पेशकश नहीं की जा

सकती, क्योंकि इन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर नियुक्त अन्य व्यक्ति पहले ही उपलब्ध होते हैं। जब भी इन पदों में नियमित रिक्तियां होती है, उन्हें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विज्ञापित किया जाता है। जब भी इस प्रकार की रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, नैमित्तिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदनपत्रों पर विधिवत् विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित शर्तें पूरी करते हों।

औद्योगिक संबंध निगरानी एककों को मजबूत बनाना

1222. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक संबंध निगरानी एककों को और मजबूत बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार का संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने तथा अशांति के कारणों का अध्ययन करने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बहतर श्रमिक सम्बन्धों का वातावरण बनाने के लिए और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) श्रम संबंध निगरानी एककों के कार्यकरण की लगातार पुनरीक्षा की जाती है जिसकी स्थापना देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए की गई है। राज्यों में वर्तमान निगरानी प्रबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी अपनी राज्य-प्लामस् में स्कीम (में) की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही करने का परामर्श दिया है।

(ख) और (ग) औद्योगिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औद्योगिक संबंध के बारे में अध्ययन करने/प्रायोजित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण उद्योगों में औद्योगिक संबंधों पर समय-समय पर होने वाली त्रिपक्षीय समितियों में विचार-विमर्श किया जाता है ताकि अनिर्णीत विवादों को निपटाया तथा श्रम प्रबंधों को मजबूत बनाया जा सके।

रसायन निर्माता सरकारी उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

1223. **श्री एन के शेजवलकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की रसायन निर्माता कम्पनियों का 30 जून, 1984 को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन क्या रहा, और

(ख) उनके कुल उत्पादन और लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं और उन कम्पनियों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित तीन कंपनियां सरकारी क्षेत्र में रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं।

1. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., नई दिल्ली।

2. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.. रसायनी (महाराष्ट्र)

3· सदर्न पेस्टिसाइड्स कार्पोरेशन लि., हैदराबाद।

30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष के दौरान उनका निष्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.

1. उत्पादन (जुलाई 1983 जून, 1984)

1. टेक्नीकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स = 9650.8 टन
2. फार्मूलेटेड पेस्टिसाइड्स बराबर

(क) ठोस बराबर 16866.5 टन

(ख) तरल बराबर 92.0 कि. लि.

2. लाभ

जुलाई, 1983-जून 1984-रु. 6. 13 लाख

3. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

जुलाई, 1983-जून, 1984-रु. 12.00 लाख (लगभग)

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.

1. उत्पादन

जुलाई 1983 से जून, 1984-96, 219 टन

2. लाभ

जुलाई, 1983 से जून, 1984-रु. 365.99 लाख

3. अनुसंधान और विकास पर व्यय

जुलाई, 1983 से जून 1984- रु. 9.86 लाख

सदर्न पेस्टिसाइड्स कार्पो. लि.

1. उत्पादन	अप्र ल, 1983/मार्च 84	अप्रैल, जून 84
वी. एच. सी. 50 प्रतिशत डब्ल्यू डी. पी.	5160.90 टन	1596.75 टन
वी. एच· सी. 10 प्रतिशत डस्ट	1915.55 टन	—

2. लाभ

अप्रैल, 83 मार्च 84 -रु. 10. 83 लाख
अप्रैल-जून 84 -रु. 12. 08 लाख

3. अनुसंधान और विकास पर व्यय बराबर शून्य

मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति

1224. डा. बसन्त कुमार पन्डित : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश ने तापीय विद्युत उत्पादन में उच्चतम संयंत्र-उपयोगिता प्राप्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली की स्थिति और भी बेहतर होती, यदि पन-बिजली का वर्तमान अनुपात केवल 12 प्रतिशत से अधिक होता;

(ग) क्या यह सच है कि बरगी, बाणसागर (टोन्स) और हसदेव (अ गो) पन-बिजली परियोजनाओं से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्टें स्वीकृति के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास लम्बे समय से लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश में ताप-विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात सभी राज्य बिजली बोर्डों में सबसे अधिक था।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, जल-विद्युत क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात होने से ताप-विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात बेहतर हो जाएगा।

(ग) से (ङ) हसदेव (बांगो) और बाणसागर, टोंस जल-विद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 17 जून, 1983 तथा 11 मार्च, 1983 को स्वीकृति दी गई थी। बार्गी बहूद्देश्यीय परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना प्राधिकारियों से आयोग द्वारा उठाये गये मुद्दों को हल करने के लिए अपने इंजीनियर आयोग में भेजने का

अनुरोध किया है ताकि योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण परियोजना (सिंचाई और विद्युत दोनों संघटक) पर विचार किया जा सके। तदोपरान्त, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण स्कीम के विद्युत् संबंधी भाग पर कार्रवाई करेगा।

सिरोही राजस्थान में आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण

1225. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सिरोही जिला मुख्यालय में बनाये जा रहे आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(ख) इस आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से देश में कितने शहरों को "टेलेक्स" से जोड़ा जाएगा;

(ग) राजस्थान में ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज बनाए गए हैं और कितने बनाने का विचार है और ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) छोटे इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के आयात के लिए प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयातित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में से राजस्थान के लिए 10 एक्सचेंज आवंटित करने का प्रस्ताव है। अन्तिम लागत के आंकड़ों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) 88 स्थानों के लिए 200/400/600 लाइनों के 88 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के आयात किए जाने का प्रस्ताव है।

31 जुलाई, 1984 को कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

1226. **श्री के. राममूर्ति :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में 31 जुलाई, 1984 को नियोक्ताओं द्वारा कितनी बकाया राशि जमा कराई जानी थी और नियमों के प्रावधानों का पालन करने में नियोक्ताओं के असफल रहने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ख) भविष्य निधि निपटाने के कितने मामले अभी भी भविष्य निधि संगठन के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उनका निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि देय राशियों की कुल बकाया राशि 91.9 करोड़ रुपये थी। भविष्य निधि प्राधिकारी बकाया देय राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :—

I छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार जिला कलेक्टरों को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

(ii) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले चलाये जाते हैं।

(iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जाती है।

(iv) अधिनियम की धारा 14ख के अनुसार विलम्ब से किये गये भुगतान पर ग्रेडिड दरों पर हर्जाने लगाये जाते हैं।

(v) अपराधिक संक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों के पास जाया जाता है ताकि दोषी नियोजक को अच्छे व्यवहार के लिये बाध्य किया जा सके।

(vi) जहां कहीं यह महसूस किया जाता है कि निचले न्यायालय द्वारा दिया गया दंड कम और अपर्याप्त है, वहां दण्ड को बढ़ाने के लिये अपील की जाती है।

(vii) कर्मचारी यूनियन/नियोजक संगठनों के ध्यान में दोषों को इस अनुरोध के साथ लाया जाता है कि वे भुगतान शीघ्र कराने के लिये अपनी मध्यस्थता का प्रयोग करें।

II. छूट प्राप्त प्रतिष्ठान :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14(2क) के अधीन अभियोजन मामले चलाये जाते हैं।

(ii) जहां कहीं आवश्यक होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की जाती हैं।

(iii) भविष्य निधि राशि का विलम्ब से स्थानांतरण करने पर ग्रेडिड दरों पर दाण्डिक ब्याज लिया जाता है, और

(iv) प्रदान की गई छूट को रद्द करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

(ख) 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार यह सूचित किया गया है कि भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास, 1,50,789 दावे लम्बित पड़े हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कर्मचारी भविष्य निधि योजना	—	63,837
कर्मचारी परिवार पेशन योजना	—	79,183
कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना	—	7,769

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने लम्बित दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित कराने के लिये विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाएं जारी की हैं।

एल. पी. जी. डीलरों के गोदामों से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की सप्लाई

1227. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एल. पी. जी. के डीलर्स उपभोक्ताओं को रिफिल की सप्लाई उनके निवास स्थान पर न करके अपने दूर स्थित गोदामों पर सप्लाई करते हैं, जो दूर-दराज जगहों पर स्थित होते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब डीलर्स अपने गोदामों पर रिफिल की सप्लाई करते हैं, जो उपभोक्ता अपने खर्च पर अपने निवास स्थान पर ले जाते हैं परन्तु उस स्थिति में भी डीलर्स उनसे कनैक्शन प्रभार वसूल करते हैं;

(ग) क्या सरकार तेल निगम और डीलर के बीच हुए समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ताकि उपभोक्ताओं और जनता को सही स्थिति का पता लग सके; और

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करेगी और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि डीलर आमतौर पर उपभोक्ताओं के निवास-स्थानों पर रिफिलों की सप्लाई करने के लिए इन्कार करते हैं।

(ख) तेल कंपनियों ने चुने हुए शहरों में कुछ डीलरों के पास "नगद दो और भरे हुए सिलेण्डर उठाओ" की एक योजना प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को एक रुपया गृह डिलीवरी प्रभार के बदले देना पड़ता है। डीलरों द्वारा रिफिलों की सप्लाई के लिए कोई कलेक्शन प्रभार नहीं लगाये जाते हैं।

(ग) संबंधित तीन तेल कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले समझौता दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(घ) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए तेल कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों में और सप्लाई प्वाइन्टों पर उपभोक्ता सेवा कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करा सकते हैं सभी शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए यथा सम्भव कदम उठाये गये हैं।

पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग

1228. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से पवन और सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करने और देश में उपयुक्त स्थानों पर एककों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उस बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) खासतौर पर राजस्थान में गत दो वर्षों के दौरान परिवार बायो-गैस संयंत्र का उपयोग किस सीमा तक बढ़ा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग पवन और सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन और प्रयोग सम्मिलित हैं। देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में सौर जल तापन एकक, सौर शुष्कक, सौर काष्ठ भट्टे, जल पंपन प्रणालियां, रोशनी एकक और साथ-साथ जल पंपन पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं। सौर कुकर, सौर जल तापक और सौर शुष्कक पर निजी एवं संस्थागत रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पवन पंपों और प्रकाश वोल्टीय जल पंपन प्रणालियों की सप्लाई के लिए एक विशेष परियोजना के प्रायोगिक विस्तार कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोगकर्त्ताओं को कुछ और प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। ये प्रणालियां मुख्यत: देशी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रयासों पर आधारित हैं।

(ग) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 1982-83 में 57498 और 1983-84 में 92590 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। राजस्थान में इन दोनों वर्षों के दौरान क्रमश: 2404 और 2581 संयंत्र स्थापित किए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन

1229. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 सहित गत, तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों को

नलकूप, घरेलू और सड़क बत्ती के कनेक्शन दिए गए तथा कितनी अनुसूचित जातियों की बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया; और

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या, ऊर्जित किए गए पम्प सेटों, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दी गई बिजली, सड़क रोशनी के लिये दी गई बिजली, तथा विद्युतीकृत की गई हरिजन बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा उपाबन्ध 1-4 में दिये गये विवरणों में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8500/84]

(ख) वर्ष 1984-85 के समस्त लक्ष्यों में 23,105 गांवों का विद्युतीकरण तथा 3,85,744 पम्पसेटों/ट्यूबवेलों को ऊर्जित किया जाना है।

फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात में औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का भाग

1230. **श्री बनवारी लाल बेला** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मेडिकल केस्टर आयल को छोड़कर "फार्मास्यूटिकल्स" के निर्यात में औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का क्या भाग था और (1) सरकारी क्षेत्र (2) निजी क्षेत्र (3) लघु उद्योग क्षेत्र, तथा (4) विदेशी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार किए गए निर्यात के मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : निर्यात के क्षेत्रवार तथा कम्पनीवार विवरण इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, सहायता केन्द्र निदेशग, केन्द्र निदेशक के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1231. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, सहायता केन्द्र निदेशक, केन्द्र निदेशक आदि के संवर्ग के संबद्ध उन कर्मचारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो किसी न किसी रूप में तीन वर्षों की अवधि के समय तक दिल्ली में तैनात रहे हैं ? और

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों के संबंध में स्थानान्तरण के क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं तथा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन में उनमें से किसी कर्मचारी को दिल्ली में तैनात गया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीगुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यालयों में 14 केन्द्र निदेशक 9 सहायता केन्द्र निदेशक और 24

कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव किसी न किसी रूप में तीन वर्ष की अवधि से अधिक से अधिक समय से दिल्ली में तैनात हैं।

(ख) स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, दिल्ली जैसे केन्द्र पर कार्यकाल 4 वर्ष है जबकि विज्ञान प्रसारण सेवा केन्द्रों पर यह 3 वर्ष है। उपरोक्त 47 कर्मचारियों में से, 36 ने इस प्रकार का कार्यकाल पूरा कर लिया है। स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को, समूचे संजाल पर अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का फैलाव करने तथा अधिकारियों को विभिन्न कार्यों और केन्द्रों में सेवा करके अपने अनुभव में वृद्धि करने के लिए समर्थकारी बनाने के दुहरे उद्देश्य से बनाया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का लोक सेवा की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए सदैव पालन किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों को सामान्य कार्यकाल के बाद इस विचार से रखा गया है कि इस प्रकार की तैनातियों में समूचे संजाल के लिए उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग हो। इसे उल्लंघन नहीं समझा जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक तैनाती/स्थानान्तरण के बारे में निर्णय प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है।

मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति

1232. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में 20 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3745 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) दिनांक 20 मार्च, 1984 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3745 द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में 4 वित्तीय वर्षों के लिए काफी सूचना मांगी गयी थी। प्राप्त सूचना को संकलित किया जा रहा है।

महानिदेशक दूरदर्शन की नियुक्ति

1233. **प्रो. रूपचन्द पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के महानिदेशक का पद जनवरी, 1984 से रिक्त पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि हाल में नियुक्त किये गये दूरदर्शन के महानिदेशक को लगभग तीन महीने पश्चात् सेवानिवृत होना है क्योंकि उनका सेवाकाल पहले ही एक वर्ष बढ़ाया जा चुका है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) महानिदेशक, दूरदर्शन के पद के पहले पदधारी 31 जनवरी, 1984 को सेवा निवृत्त हुए थे । अगले महानिदेशक की नियुक्ति होने तक इस पद के चालू कर्तव्यों की देख रेख करने के लिए तत्काल व्यवस्था कर दी गई थी ।

(ग) इस पद को एक उस अधिकारी, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, की पुन: नियुक्ति करके उपयुक्त समय के लिए 2 जुलाई, 1984 से भर दिया गया है ।

शीरे की सप्लाई कम होने के कारण अल्कोहल एककों का बन्द होना

1234. **श्री एम. एम. लारेंस :**

श्री ई. बालानन्दन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष शीरे की सप्लाई कम होने के कारण अल्कोहल पर आधारित औद्योगिक एककों को बन्द होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) इस वर्ष वास्तव में कितनी सप्लाई उपलब्ध होने और कितनी मांग होने की आशा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) चालू अल्कोहल वर्ष में अल्कोहल तथा शीरे की मांग तथा उपलब्धता के आकलनों से पता चलता है कि जहां शीरे की पर्याप्त आपूर्ति है, अल्कोह की अनुमानित मांग तथा आपूर्ति के मध्य अन्तराल हो । अत यह निश्चित किया गया कि अल्कोहल में बाहुल्य वाले राज्यों से कम अल्कोहल वाले राज्यों को आवंटन करते समय पेय उद्देश्य के लिए अल्कोहल का आवंटन गत अल्कोहल वर्ष में देय अल्कोहल की खपत तक सीमित किया जाएगा । जहां कुछ एककों ने औद्योगिक अल्कोहल की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाई की सूचना दी है, वहां यह औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में मध शालाओं को शीरे की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण नहीं माना जा सकता। वर्ष प्रारम्भ में अल्कोहल में बाहुल्य वाले राज्य भी देय उद्देश्य के लिए अल्कोहल के प्रयोग पर उचित निगरानी कर के औद्योगिक अल्कोहल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ।

कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की सप्लाई

1235. **श्री के. टी. कोसलराम:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पड़ोसी राज्यों को बिजली की सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के लिये परमाणु बिजली का वास्तविक आबंटन क्या है ?

ऊर्जा (मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र से पड़ोसी राज्यों को विद्युत का आबंटन करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के वार्षिक कोटे में वृद्धि के लिए अनुरोध

1236. **श्री दलिप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए मिट्टी के तेल के वार्षिक कोटे में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने मिट्टी के तेल के मासिक कोटे को बढ़ाकर 25,000 मी. टन करने का अनुरोध किया है।

सरकार की नीति के अनुसार राज्य को अधिक आबंटन किये जा रहे हैं।

सिंगरेनी कोयला क्षेत्र

1237. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार के एक उपक्रम, सिंगरेनी कोलियरीज में केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की कितनी शेयर पूंजी है;

(ख) ऋण राशि सहित इसमें अब तक कुल कितना पूंजी निवेश हुआ है, तथा पूंजी निदेशकों के नाम क्या है; और

(ग) वर्ष 1981-82 से आज तक प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और कितना उत्पादन प्राप्त हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिंगरैनी कोलियरीज कं. लिमिटेड की ईक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की भागीदारी का अनुपात लगभग 49 : 51 का है। दिनांक 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की शेयर पूंजी क्रमशः रू. 37.05 करोड़ और रु. 38.02 करोड़ है।

(ख) सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. में 31-3-1984 को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल निवेश (ऋण+ईक्विट) रु. 280.58 करोड़ था। इसमें 1983-84 के दौरान किए गए पुनर्भुगतान शामिल नहीं हैं।

(ग) सिं. को. कुं. लि. द्वारा 1981-82 से अब तक कोयले का वास्तविक उत्पादन और लक्ष्य निम्नलिखित है :···

(मि. टन)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1981-82	11.50	12.10
1982-83	13.50	12.34
1983-84	15.00	12.69 (अन्तिम)

मंजूरी के लिए पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लम्बित प्रस्ताव

1238. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के लिए अब तक स्वीकृत की गई धन राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में पेट्रोरसायन कम्पलेक्स स्थापित करने के कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों को पेट्रोरसायन परियोजनाओं का अनुमोदन करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) छटी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को पेट्रोकेमिकल्स परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम विभाग द्वारा कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं ही उठता।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय क्षेत्र में महाराष्ट्र में एक गैस क्रेकर कम्पलैक्स और उत्तर प्रदेश में सलीमपुर में एक एरोमेटिक्स कम्पलैक्स की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव हैं। इनकी अनुमानित पूंजीगत लागत नीचे दर्शायी गई है :

महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलेक्स	...	1167 करोड़ रुपये
सलीमपुर कम्पलैक्स	...	490 करोड़ रुपये

ऐसे निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों को, सरकार की अन्य एजेंसियों से संविक्षा और परामर्श आवश्यक है।

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में उप डाकघर

1239. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किये गये उप डाकघरों की संख्या संलग्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात्, बरेली, पीलीभीत, हरदोई, आँवला और लखीमपुर खीरी की तुलना में सबसे कम है;

(ख) उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थिति डाकघरों, उप डाकघरों और शाखा डाकघरों के तुलपात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (ग) डाक-सुविधाओं के बारे में जिला-वार उपलब्ध है। निर्वाचन क्षेत्र-वार जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाना बनाने की गैस की डीलरशिप आबंटित करने के लिए जारी किए गए विज्ञापन

1240. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाना बनाने की गैस की डीलरशिप आबंटित करने के लिए कितने विज्ञापन जारी किए और ये विज्ञापन किन-किन स्थानों और क्षेत्रों के लिए जारी किए गए;

(ख) कितने विज्ञापनों के संबंध में साक्षात्कार आयोजित किए जा चुके हैं तथा कितने विज्ञापनों के संबंध में अभी साक्षात्कार लिए जाने हैं;

(ग) साक्षात्कार आयोजित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और साक्षात्कार आयोजित करने का प्रभारी अधिकारी कौन है; और

(घ) क्या साक्षात्कारों में अनियमितताएं बरतने के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है और जहां आवश्यक होता है उचित कार्यवाही की जाती है। तथापि, शिकायतें का संकलित ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाएं

1241. **श्री आर आर भोले :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1970 से 1984 तक, वर्ष-वार, कितनी रिट याचिकाएं लंबित पड़ी हैं और वर्ष 1970 से पूर्व की कितनी रिट याचिकाएं लंबित हैं; और

(ख) वर्ष 1970, 1971 आदि से 1984 तक, वर्ष वार कितनी रिट याचिकाएं दाखिल की गई।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने जो जानकारी भेजी है वह संलग्न विवरण i और ii में दी गई हैं।

विवरण I

उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिनाएं

1.6.1984 को अंतिम सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	लंबित मामले
1	2
1970	1
1971	5

1	2
1972	63
1973	106
1974	28
1975	17
1976	111
1977	140
1978	705
1979	213
1980	860
1981	1334
1982	3713
1983	2846
1984 (31 मई, 1984 तक)	2699
	योग 12841

टिप्पणी : 1. 1970 से पूर्व की कोई किट याचिका लंबित नहीं है ।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1.6.84 को उच्चतम न्यायालय में 17478 रिट याचिकाएं भी प्रारंभिक सुनवाई के लिए लम्बित थी ।

विवरण II

1970 से 1984 तक प्रारंभिक सुनवाई के लिए संस्थित की गई रिट याचिकाएं

वर्ष	संस्थित ली गई रिट याचिकाओं की संख्या
1	2
1970	656
1971	469

1	2
1972	658
1973	2062
1974	604
1975	1604
1986	358
1977	2440
1978	4725
1979	1698
1980	6735
1981	9527
1982	11368
1983	17167
1984 (30 जून तक)	13966

दक्षिण बसई से हजिरा तक गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए ठेके पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुई हानि

1242 **मंगल राम प्रेमी :**

श्री जयपाल सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बसई से हजिरा तक गैस पाइप लाइन बिछाने का ठेका दुबई में कार्यरत "ब्राशन एण्ड रूट" कम्पनी को किन आधारों पर दिया गया था जबकि एक अमेरिकी कम्पनी "मेकडारमैट" को यह ठेका दिए जाने पर दस करोड़ रुपये की राशि बचत की जा सकती थी; और

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दस करोड़ रुपये की हानि हुई है और यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमिताओं को रोकने के लिए की गई कार्यवाही और उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शकर मिश्र) : (क) ठेका एक भारतीय कम्पनी मैसर्स ईसार ब्राउन रूट इन्डिया लिमिटेड को दिया गया था, चूंकि

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वहन किये जाने वाले अपेक्षित कर दायित्वों को ध्यान में रखते हुये उनका प्रस्ताव सबसे कम मूल्य का था।

(ख) जी, नहीं।

महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन और तरग ऊर्जा पर अनुसंधान में तेजी लाने का प्रस्ताव

1243. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :**

श्री चिंतामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन और तरंग ऊर्जा पर अनुसंधान में तेजी लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके उपयोग के लिए कोई परीक्षण किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप में एक मेगावाट महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन (ओ.टी.ई.सी.) संयंत्र के लिए एक संकल्पनात्मक नमूने का विकास किया गया है। स्थान चयन के लिए दो स्थानों पर जल-मापी सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है। इसके साथ-साथ ताप-विनिमायकों, नलिका (पाइपिंग) प्रणाली आदि के नमूने प्राप्त करने के लिए समुद्र तल पर किए गए जल पंपन से पाइप में जमी पपड़ी (शुष्क परत) पर प्रयोग किए जा रहे हैं। व्यावहारिक अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट को शीघ्र ही तैयार हो जाने की सम्भावना है।

तरंगों के उपयोग और विनियमन पर एक प्रयोगशाला कार्यक्रम भी आई. आई. टी. मद्रास में शुरू किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत एक "बहु प्रयोज्य तरंग रेगुलेटर प्रणाली" की कल्पना की गई है।

अन्तर्देशीय पत्र कार्ड पर हिन्दी से अंग्रेजी में गलत अनुवाद

1244. **श्री ई. बालानन्दन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्देशीय पत्र कार्ड पर हिन्दी में "अस्पृश्यता मानवता के प्रति अपराध है" शब्दों के अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हिन्दी शब्द "मानवता" के लिये अंग्रेजी में "ह्यूमेनिटी" शब्द की बजाय गलत अनुवाद करते हुए "गौड एण्ड मैन" शब्द का उपयोग किये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) इस सूक्ति का अंग्रेजी पाठ "द कलेक्टिड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी" खंड-70 (पृष्ठ 184) से लिया गया था।

पालघाट में इण्डियन में टेलीफोन इंडस्ट्रीज यूनिट की विस्तार परियोजना

1245. **श्री मूल चन्द डागा** :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट में इलेक्ट्रोनिक डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज का निर्माण करने के लिए इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज यूनिट की 20 करोड़ रुपये की परियोजना के विस्तार में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ख) उपरोक्त परियोजना में सहयोग सम्बन्धी समझौते पर कब हस्ताक्षर हुये थे और किस देश के साथ समझौता किया गया था;

(ग) क्या डाक-तार विभाग में इलेक्ट्रोनिक्स की ऐसी ही कुछ और परियोजनाएं भी हैं जिनके सम्बन्ध में उपरोक्त (क) में उल्लिखित परियोजना की तरह का विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक का ब्योरा क्या है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन पाटिल) : (क) और (ख) पालघाट एकक के विस्तार की परियोजना की पूंजीगत का अनुमान 33.72 करोड़ रुपये आंका गया है न कि 20 करोड़ रुपये। इस परियोजना में देरी इसलिये हुई क्योंकि मूल निविदा में ऊंची बोली दी गई थी, दुबारा निविदा मंगाने और फ्रांस की मैसर्ज सी. आई. टी. अल्केटल के द्विपक्षीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये निर्णय लेने में समय लगा था। इस कम्पनी के साथ इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज ने तकनीकी सहयोग और मशीनरी आदि की आपूर्ति के लिए नवम्बर, 1983 में एक करार किया था। इलेक्ट्रानिकी विभाग में इस करार की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्रवाई हो रही है। इस बीच इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज ने विस्तार परियोजना का प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया है और वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि उत्पादन वर्ष 1984-85 के अन्त तक शुरू हो जाएगा। आशा है 1987-88 के दौरान इस एकक में पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगेगा।

(ग) और (च) केवल एक अन्य इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली परियोजना, जिसमें देरी हुई है, मनकापुर की इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली परियोजना है। इस परियोजना के लिये बनी व्यवहार्यता रिपोर्ट फैक्ट्री को बंगलौर में स्थापित करने के आधार पर तैयार की गई थी और यह परिकल्पना की गई थी कि यह परियोजना 1987-88 में पूरी हो जाएगी। बाद में सरकार ने इस कारखाने को उत्तर प्रदेश में मनकापुर, गोण्डा में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके

परिणामस्वरूप व्यवहार्यता रिपोर्ट को पुन: तैयार करना पड़ा क्योंकि कारखाने को नया स्थान औद्योगिक आधार रहित क्षेत्र है जहां पर आधार भूत संरचना सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है। संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना 1988-89 के दौरान पूरी क्षमता प्राप्त करेगी।

न्यायालय फीस समाप्त करना और वकीलों की फीस की अधिकतम सीमा नियत करना

1246. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विधि मंत्रियों की बैठक में, समाज के निर्धन वर्गों के लिए न्यायालय फीस समाप्त करने और वकीलों के लिये फीस की अधिकतम सीमा नियत करने का सर्वसम्मति से विनिश्चय किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जून, 1982 में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायालय फीस समाप्त करने की बजाये उसके सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मंत्रियों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया गया था। यह समिति, अपनी रिपोर्ट की, अभी अन्तिम रूप नहीं दे सकी है।

वकीलों की फीस की अधिकतम सीमा नियत करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध कुकिंग गैस कनैक्शन

1247. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री चिंता मणि जेना : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपभोक्ताओं को कुल कितने कुकिंग गैस कनैक्शन उपलब्ध है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गैस कनैक्शनों के लिए बुकिंग की गई और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने कुकिंग गैस कनैक्शन जारी किए जाने हैं; और

(घ) गैस कनैक्शन के प्रत्येक आवेदक की मांग को किस अवधि तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 31-3-84 को यथास्थिति को एल. पी. जी. के ग्राहकों की कुल संख्या 73.6 लाख थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 40 लाख कनेक्शन जारी किये गये हैं और 31-3-84 को प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 34 लाख थी।

(ग) नामांकन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों को नये कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रतिमाह औसतन एक लाख कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(घ) इस समय प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज व्यक्तियों को 2-3 वर्षों में नामांकित किए जाने की आशा है।

राजधानी में टेलीफोनों में रेडियो पेजिंग प्रणाली को लागू करना

1248. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में टेलीफोनों में रेडियो में पेजिंग प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में इस प्रणाली को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रारम्भ में इस प्रणाली में कितने व्यक्तियों को लाभ होने की सम्भावना है तथा इस प्रणाली को लागू किये जाने पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। यह प्रणाली प्रायोगिक आधार पर दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) यह प्रणाली छठी योजना के अन्त तक चालू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रायोगिक प्रणाली के अन्तर्गत यह सेवा अधिक से अधिक 400 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकती है। इस प्रणाली को चालू करने पर अनुमानित लागत लगभग 28.9 रुपये आएगी।

रोजगार कार्यालयों में उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिये नई पद्धति शुरू किया जाना

1249. **श्री अमर राम प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के रोजगार कार्यालयों में उम्मीदवारों के पंजीकरण तथा उन्हें नियोक्ताओं के पास भेजने के लिए एक नई पद्धति शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार कार्यालयों में 1-7-1984 से नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश रोजगार कार्यालयों के लिये जिम्मेवार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी कर दिए गए हैं।

(ख) इस प्रकार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के पंजीकरण के बारे में तीन नये कार्डों को शुरू करना; नवीकरण अवधि को एक वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाना; और वरिष्ठता आधार पर नियोजकों को सम्प्रेषण के लिए उम्मीदवारों की अग्रिम वार्षिक सूचियां तैयार करना।

सातवीं योजना में पुन: प्रयोग में लाये जा सकने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग

1250. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजना के दौरान घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव है पुन: प्रयोग में लाये जा सकने वाले ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार कर ली गई है और योजना आयोग के समक्ष रखी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इस योजना को सातवीं योजना के दौरान क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो गया है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय नए और पुन: प्रयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा संसाधनों से संबंधित प्रमुख जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। उनमें ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की खाना बनाने की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के कुशल, बड़े पैमाने के, अधिक प्रभावशाली उपयोग, दूर-दराज और बिखरे हुए गांवों/क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं, उद्योगों और प्रत्येक घर के लिए तथा कृषि की कम ग्रेड की सौर-तापीय आवश्यकताओं, वे गाँव जहां विद्युतीकरण कठिन हैं जहां परंपरागत ऊर्जा लागत प्रभावी आधार पर नहीं दी जा सकती है; गांवों में ऊर्जा का प्रावधान अथवा

विकेन्द्रीकृत तरीके से गांवों का समूह; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई अन्य अनुप्रयोगों के लिए नए और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग घटती लागतों और उद्गामी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की ओर अनुसंधान और विकास के प्रयास का प्रबलीकरण; पूर्ण विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की ओर अनुसंधान और विकास के प्रयास का प्रबलीकरण; पूर्ण विकसित प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण करना है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के विषय में सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्यकारी दल को अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना है। इसलिए, कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तावित योजना के सही रूप को बताना संभव नहीं है।

(घ) रिपोर्ट योजना आयोग को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है और इसलिए इस स्तर ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है।

तेल की खोज के लिए उपकरण और सेवाओं के लिए देश के आपूर्तिकर्ता

1251. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के लिए उपकरण और सेवाओं के लिए देश के आपूर्तिकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ख) उपकरणों के देश में ही बनाने से उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) देशी निर्माताओं को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क से छूट, निर्यात माने जाने के लाभ और घरेलू मूल्य जोड़ें जाने की सीमा के आधार हर 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान्यता जैसे कई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

(ख) जबकि उद्योग पर इनके प्रभावों का इतना शीघ्र मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भारतीय उद्यमियों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साह जनक रही है।

निर्वाचनों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने को रोकने के लिए किए गए उपाय

1252. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **विधि और न्याय कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने को रोकने, संवेदनशील क्षेत्रों का पहले से ही पता लगाने और एक हजार से अधिक मतदाताओं वाले विशेषतया जनजातीय क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के लिए अतिरिक्त मतदान आफिसरों की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष उपाय करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) संसद और राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचनों के संचालन की जिम्मेदारी, संविधान के अधीन निर्वाचन आयोग की है आयोग ने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की बुराई को समाप्त करने के लिए समय-समय पर सभी रिटर्निंग आफिसरों और निर्वाचन प्राधिकारियों को निदेश जारी किए हैं। हाल ही में हुए उप-निर्वाचनों से प्राप्त अनुभव और हाल ही में आयोजित मुख्य निर्वाचन आफिसरों के सम्मेलन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ और निदेश जारी करने का प्रस्ताव किया है। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, संवेदनशील क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान किए जाने का उपबंध है। रिटर्निंग आफिसरों की हैण्ड बुक में पहले ही इस बात का उपबंध है कि किए मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है। जहां अतिरिक्त मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाए। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी भी, आवश्यकतानुसार मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम है।

क्रोमाइट, अभ्रक मैग्नेसाइट और जिप्सम खानों में ठेका श्रम प्रणाली का उन्मूलन

1253. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ने क्रोमाइट, अभ्रक, मैग्नेसाइड और जिप्सम खानों के कतिपय कार्यों में ठेका प्रणाली के उन्मूलन की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में नियोक्ताओं और श्रमिकों से सहयोग प्राप्त करने के सुझाव/निर्देश दिए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

मराठवाड़ा क्षेत्र में एस. ए. एक्स एक्सचेंजों का कार्यकरण

1254. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सेनगांव अखेडा बालापुर बोडहाडी, मांडवी और उमरी तथा हड़गांव स्थिति एस. ए. एक्स. एक्सचेंज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां तो उनका ठीक प्रकार से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी छः एक्सचेंज सतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं सिवाय उस अल्प अवधि के जब कर्मचारियों की भारी और संभावित गैर-हाजिरी के कारण ये एक्सचेंज ठीक ढंग से काम नहीं कर सके ।

(ख) इन एक्सचेंजों में अनिवार्य स्टाफ भेजने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई तथा सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी गई थीं ।

कनैक्टर और रिले का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग से कारखाने चलाने की योजना

1255. **श्री जार्ज जोसेफ मुन्डाकल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग के पार कनेक्टरों और रिले के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग से कारखाने चलाने की कोई योजना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में विदेशी सहयोग से कनेक्टरों और रिले का निर्माण करने के लिए तीन से ज्यादा कारखाने चल रहे हैं जिनकी क्षमता का उपयोग 30 प्रतिशत से कम होता है ;

(ग) यदि हमारे कारखाने पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो "रिपीटिव टैक्नालाजी के आयात" पर इतना अधिक खर्च क्यों किया जा रहा है ; और

(घ) स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनके उत्पाद उच्चकोटि के होते हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (घ) जनकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बोदरा, पश्चिम बंगाल में गैस के भंडार

1256. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बोदरा में परीक्षण बोरिंग से वहां गैस के भारी भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोदरा में इस संबंध में और आगे कार्य किया जा रहा है; और

(ग) बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाये जाने की क्या संभावनाएं हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) हाइड्रोकार्बनों का पता लगाने के लिये और खोज कार्य किया जा रहा है।

गांवों में सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

1257. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य के लिए छठी योजना के दौरान राज्यों को क्या मार्गनिदेशों तथा वित्तीय सहायता दी है;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिक संख्या में सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए इन मार्गनिदेशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जिन ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में गोबर उपलब्ध है और ग्राम की परिस्थितियां भी अनुकूल हैं वहां परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए, बायोगैस की सामुदायिक परियोजना के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों (सी. बी. पी.) की भी स्थापना की जा रही है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों और अन्त एजेन्सियों से अनुरोध किया गया है कि वे सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का प्रस्ताव करें। इस प्रयोजन के लिए जहां ग्राम पंचायत द्वारा मूल्य-रहित भूमि प्रदान की जाती है वहां उक्त स्थान संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार पूरी लागत-पूंजी के लिए वित्तीय सहायता देती है। सार्वजनिक संस्थानों के लिए लागत पूंजी का 75 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है जबकि प्राइवेट निकायों के लिए लागत-पूंजी का एक तिहाई (1/3) भाग केन्द्रीय सरकार राजसहायता के रूप में दिया जाता है।

अब तक 198 संयंत्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है और राज्यों में 34 संयंत्रों को चालू कर दिया गया है।

तमिलनाडु के दक्षिणी छोर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

1258. **श्री एम अरुणाचलम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्रों के चयन के लिए केवल राज्य के उत्तरी भाग पर ही ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु के दक्षिणी छोर में भी दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में श्रीलंका के दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) कोडकैनाल में स्थापित किए जा रहे 10 किलोवाट के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से समूचे दक्षिण तमिलनाडु में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। त्रिवेंद्रम में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू वर्ष के दौरान 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जाने पर इससे भी दक्षिण तमिलनाडु के भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कोडैकनाल और त्रिवेंद्रम में 10 किलोवाट के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर चालू हो जाने पर समूचे दक्षिण तमिलनाडु में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

बरौनी उर्वरक कारखाना (बिहार)

1259. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** :

श्री छोटे सिंह यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का बरौनी उर्वरक कारखाना (बिहार) बन्द होने वाला है और यदि हां, तो इस कारखाने को बन्द होने से बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

(ख) क्या इस कारखाने की खराब हालत में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों के लिये यूरिया उर्वरकों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के बरौनी एकक में उत्पादन को मुख्यत: विद्युत खराबी, राज्य ग्रिडस वोल्टेज में उतार-चढ़ाव तथा उपकरण खराबी के कारण नुकसान पहुंचा है। अमोनिया संयंत्र के अनुभाग की सुरक्षा हेतु एक 2.5 मेगावाट गैस टरबाईन की स्थापना की कर दी गई है। सरकार ने एक 16 मेघावाट कैप्टिव पावर संयंत्र के लिए भी अनुमति दे दी है जो दिसम्बर, 85 तक प्रारम्भ हो जाएगा। वार्षिक प्रत्यावर्तन (अप्रैल 84 से जून 84 तक) के दौरान संयंत्र के प्रत्येक भाग का निरीक्षण और मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया।

(ग) एच. एफ. सी अपने अन्य एककों और सरकारी क्षेत्र की अन्य उर्वरक कंपनियों से यूरिया का निर्माण करते हैं। किसानों को अपेक्षित उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उनका एक विस्तृत विपणन प्रभाग है।

यूरिया के उत्पादन में वृद्धि

1260. **श्री दौलत राम सारन :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे कुल कितने संयंत्र यूरिया उर्वरक का उत्पादन करते हैं और संयंत्रवार उनका मासिक उत्पादन कितना है तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है,

(ख) इन संयंत्रों पर कितना वार्षिक व्यय होता है, और

(ग) क्या इन संयंत्रों में हो रहा उत्पादन किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है और यदि नहीं, तो यूरिया उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) यूरिया उत्पादित करने वाले प्रत्येक उर्वरक संयंत्र के स्थान तथा मासिक उत्पादन क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अनुमान है कि इस प्रश्न का संदर्भ यूरिया उर्वरक की उत्पादन लागत की ओर

है। यूरिया के उत्पादन की औसत मासिक लागत (मूल्यह्रास, ब्याज और भाड़ा सहित) इस इस समय 2680/रु. बैठती है।

(2) यूरिया और अन्य उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन अभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को काफी बड़ी मात्रा में बढ़ाने के लिए एक वृहत कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

विवरण

संयंत्र का नाम	यूरिया की मासिक उत्पादन क्षमता (नाइट्रोजन हजार टनों में)
1	2
सिन्द्री	12.6
गोरखपुर	11.0
रामागुण्डम	19.0
तालचर	19.0
नांगल-11	12.6
भटिण्डा	19.6
पानीपत	19.6
नामरूप-1	2.0
नामरूप-2	12 6
बरौनी	12.6
कोचिन-1	12.6
ट्राम्बे-4	3.7
ट्राम्बे-5	12.6
मद्रास	8.1
नवेली	5.8
बड़ौदा	14.1

1	2
कोटा	12.6
कानपुर	25.8
गोवा	10.7
टुटिकोरिन	19.6
मंगलौर	13.00
मारुम	22.7
कलोल	15.2
फुलपुर	19.0

कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी घाटियों में तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए समन्वेषण

1261. **श्री जी भूपति :**

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी घाटियों में तेल एवं प्राकृतिक गैस समन्वेषण के लिये जांच प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इन नदी घाटयों में कितनी मात्रा में तेल एवं प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ग) इन संसाधनों के उपयोग के लिये क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या कृष्णा नदी घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस के समन्वेषण और उपयोग के लिये अमेरिका से सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कृष्णा, गोदावरी और कावेरी थालों में विस्तृत भूगर्भीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों के किये जाने के फलस्वरूप, बड़ी संख्या में संरचनाओं का पता चला है। कई संरचनाओं में खुदाई की गई है और अभी तक करीब तीस मिलीयन मी० टन हाईड्रोकार्बन भण्डार स्थापित किये गये हैं। इन थालों में आगे और सर्वेक्षण और खुदाई कार्य चल रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डी०एल०-2/डी०-2 एमीनोबुटानोल के आयात पर तकनीकी दल के निष्कर्ष

1262. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इथाम्बूटोल के छः बड़े निर्माताओं का निरीक्षण करने के लिए भेजे गये तकनीकी दल ने डी० एल०-2 एमीनोबुटानोल के नाम पर डी-2 एमीनोबुटानोल का आयात करने के आरोप में कुछ तार पाया है,

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है,

(ग) दल के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है,

(घ) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने भी ऐसे आयातों का पता लगाया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या दल ने सीमा शुल्क अधिकारियों से सत्यापन करने के लिये सम्बन्धित पत्तनों का दौरा किया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) इथमैबुटाल के छः मुख्य उत्पादकों का निरीक्षण करने के लिये मेरे मंत्रालय द्वारा भेजे गये तकनीकी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सरकार रिपोर्ट की जांच कर रही है

(घ) इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था और उन्होंने डी. एल-2 अमीनोबुटानोल के नाम से डी-2 अमीनोबुटानोल के आयात किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

(ङ) जी, नहीं ।

पन-बिजली परियोजनाओं को लगाने के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की लागत

1263. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों में से पन-बिजली परियोजनाओं को लगाने के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के व्यय को परियोजना लागत के एक-एक हिस्सा मानने और उन योजनाओं को उस परियोजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित मार्गविदेशों का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने अब तक इन नीति संबंधी मार्गनिर्देशों को अपनाया है :

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं ने भी उसी नीति को अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति को कब से अपनाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में परियोजना-वार क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) केन्द्रीय तथा राज्य दोनों क्षेत्रों की नल विद्युत और बहु-उद्देश्य परियोजनाओं के लिये पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों की लागत परियोजना अनुमानों का भाग होती है तथा जिसका आधार सिंचाई तथा बहु-उद्देश्य परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के बारे में सिंचाई मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मागदर्शी सिद्धान्त है ।

स्कीम को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किये जाने से पूर्व विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों की पर्याप्तता की भी जांच की जाती है ।

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की अन्तिम बार 1980 में समीक्षा की गई थी ।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

1264. **श्री गुलाम मोहम्मद खाँ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में शतप्रति शत विद्युतीकरण हो गया है और राज्य के शेष गांवों में विद्युतीकरण कब तक कर दिये जाने का विचार है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण के लिए यदि कोई योजना तैयार की है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सातवीं योजना के लिये इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है है और उस पर कितने परिव्यय का आकलन किया गया है तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में गणना किये गये कुल 1,12,561 आबाद गांव हैं । इनमें से जून, 1984 के अन्त तक 58,566 गांव विद्युतीकृत कर दिये गये हैं । जो 52% बैठते हैं । 2 जिलों, नामश: रायबरेली और मेरठ में 100% ग्राम विद्युतकरण कार्य पूरा हो गया है । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य के बाद लखनऊ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जिलों में 100% ग्राम विद्युतीकरण पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं ।

सातवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । लगभग 50,000

गांवों को विद्युतीकरण करने और 5 लाख सिंचाई पम्प सैटों/ट्यूबवैलों को अर्जित करने के लिये उत्तर प्रदेश के लिये अनुमानित परिव्यय 1070 करोड़ रु० हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली पन-बिजली परियोजनाएं

1265. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यान्वित की जाने वाली पनबिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू होने के लिये तैयार बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये क्रियान्वित की जाने वाली बिजली विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन वृहत-तथा मध्यम जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही बृहत् तथा मध्यम जल-विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम	क्षमता	चालू करने की संभावित तारीख
करबी लंगपी (लोअर ब्रोरपानी	2 × 50 मेगावाट	1986-98, 19[illegible]-88
उमियाम-उमतरू चरण-4	2 × 30 मेगावाट	1988-89
कोपिली	2 × 50 मेगावाट	1985-86

कच्चे तेल की मांग, उत्पादन और आयात

1266. **प्रो. अजित कुमार मेहता** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आगामी 4/5 वर्षों में कच्चे तेल की बढ़ने वाली सम्भावित मांग का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के भीतर ही मांग को पूरी करने के लिये कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन कितना बढ़ जाने की आशा है;

(घ) चालू वर्ष और आगामी चार-पांच वर्षों में मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये अनुमानत: कितने कच्चे तेल का (मूल्य सहित) पायात किये जाने की संभावना है; और

(ड.) सरकार ने देश के भीतर ज्ञात क्षेत्रों से अधिकतम उत्पादन करने और रूग्ण तेल कुओं को फिर से चालू करने के अलावा नये तेल क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात आगामी 4 से 5 वर्षों के दौरान कच्चे तेल की आवश्यकताओं, उसकी स्वदेशी उपलब्ध तथा आपातों के बारे में अनुमान उपलब्ध होंगे । चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान खनिज तेल के आयात का अनुमान 6.587 मिलियन मी. टन का लगाया गया है जिसका मूल्य लगभग 1511 करोड़ रुपये है ।

(ङ) प्रस्तावित कदमों में कुछ ये हैं :

1) अधिक मात्रा में तेल प्राप्त करने की प्रणालियां

2) वर्क-ओवर संचालनों में तीव्रता लाना

3) अच्छी प्रकार से न जाने गये भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में आवेषण कार्य में तीव्रता लाना, और

4) उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रारम्भ करना

राज्य की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1267. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न राज्यों की राजधानियों को पर्याप्त दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों की राजधानियों में अब तक पूर्ण रूप से सुसज्जित दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का छठी योजना के दौरान अन्य राज्यों की राजधानियों को भी दूरदर्शन मानचित्र के अन्तर्गत लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों की राजधानियों को अपर्याप्त दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ङ) भुवनेश्वर को पर्याप्त दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, श्रीनगर, कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद और बंगलौर में पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

(ग) और (घ) छठी योजना के दौरान संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादर नगर हवेली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों को दूरदर्शन मानचित्र पर होंगी अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, गोहाटी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में निर्माण सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम प्रस्तावित योजना के अंग के रूप में हाथ में लिया गया है । त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद तथा गोहाटी में सीमित निर्माण सुविधाओं द्वारा छठी योजना की समाप्ति से पहले काम शुरू कर दिये जाने की संभावना है ।

(ङ) भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की व्यवस्था करने का काम संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में हाथ में लिया जायेगा ।

बस्तर पन बिजली परियोजना

1268. कुमारी पुष्पा देवीसिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय बस्तर पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य दल बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केन्द्र द्वारा लागत का कितना-कितना हिस्सा वहन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस परियोजना के चालू होने पर उपर्युक्त दो राज्यों को इसका कितना लाभ उपलब्ध किया जायेगा; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) ऐसा अनुमान है कि प्रश्न में उल्लिखित जल-विद्युत परियोजना इन्द्रासागर परियोजना है (जिसे पहले भोपाल पतनम् परियोजना के नाम से जाना जाता था) जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर

गोदावरी बेसिन में स्थिति है। गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण की अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच परियोजना की लागत और लाभों का बटवारा क्रमश: 55 : 45 के अनुपात में किया जायेगा।

मध्य प्रदेश प्राधिकारियों से प्राप्त 402'94 करोड़ रु. की लागत की इन्द्रासागर परियोजना (8X125 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है और टिप्पणियां परियोजना अधिकारियों को भेज दी गई हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों से परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने के लिए अनुरोध किया गया है, और उसकी अभी प्रतीक्षा है। स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने तथा निवेश संबंधी निर्णय ले लिये जाने के बाद क्रियान्वयन हेतु स्कीम पर विचार किया जायेगा। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये गठित किए गए कृतिक बल के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को जानकारी नही है।

दिल्ली में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू किया जाना

1269. **श्री मनमोहन दुडु : क्या सचार मंत्री** येह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने संघ शासित प्रदेश दिल्लीमें एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) यदि हां, तो यह कब चालू किया गया था और पूरी परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) ईदगाह दिल्ली में 26 जून, 1984 को एक स्थानीय इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू किया गया था। इस एक्सचेंज परियोजना की लागत लगभग 11.13 करोड़ रुपये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) लगभग 215 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का एक कार्यक्रम पहले ही तैयार किया गया है जिनमें से 56 एक्सचेंज चार महानगरीय टेलीफोन जिलों अर्थात् दिल्ली बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में होंगे तथा शेष एक्सचेंज देश के विभिन्न अन्य शहरों एवं कस्बों में स्थापित किए जाएगे। इनमें वे 30 इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज भी शामिल है जो देश में सहयोग से स्थापित की जा रही एक फैक्टरी द्वारा सप्लाई किए जाने हैं।

देश के विभिन्न भागों में कार्यरत उड़ीसा के बंधुआ श्रमिक

1270 **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में कार्यरत उड़ीसा के कितने बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया ; और

(ख) उनके पुनर्वास हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) देश के विभिन्न भागों उड़ीसा के उन श्रमिकों का, जो बंधुआ श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं, कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में मिट्टी के तेल के डिपुओं को रद्द किया जाना

1271. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तेल के कुछ डिपुओं को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो सम्बन्धित डीलरों के नाम क्या हैं तथा ऐसा करने के क्या विशेष कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन डीलरों को सर्किल संख्या 22. नारायणा के अन्तर्गत रमेश नगर में तेल के कुछ डिपों आबंटित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे डीलरों के नाम और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल के किसी डिपु को रद्द नहीं किया है ।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने गुणावगुणों के आधार पर रमेश नगर क्षेत्र में मैसर्स भारत कैरोसिन आयल डिपो को मिट्टी के तेल का एक डिपो दिया है ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अनुचित व्यापारिक कार्यों का रोका जाना

1272. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का गठन अनुचित व्यापारिक कार्यों और कुछ ही लोगों के पास धन के इकट्ठा होने को रोकने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयोग उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित करता है और व्यापारियों/एजेन्टों और अन्य अवांछित लोगों द्वारा वस्तुओं के अनुचित वितरण पर किस प्रकार रोक लगाता है;

(ग) क्या आयोग का विचार निर्माताओं/उत्पादकों को यह आदेश देने का है कि वे अपने द्वारा नियुक्त व्यापारियों/एजेंटों पर लागू उन शर्तों पर किसी अन्य को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मना न करें; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी प्रस्थापना मे यथा उल्लिखित अधिनियम के उद्देश्य,, यह व्यवस्था करना है कि आर्थिक पद्धति का संचालन एकाधिकार के नियंत्रण, एकाधिकारिक और अवरोधक व्यापार प्रथाओं और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए सार्व अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेद्रण का परिणामी नहीं होता अनुचित व्यापारिक प्रथा के सम्बन्ध में उपबन्धों को, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 जो 1-8-1984 से प्रवृत्त होगा, द्वारा अधिनियम में सम्मिलित कर दिया गया है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एकाधिकारिक व्यापारिक व्यवहारों के सम्बन्ध में जांच करने की शक्ति है, क्योंकि अधिनियम से सम्बन्धित उपबन्धों में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। आयोग को अवरोधक व्यापारिक प्रथा के सम्बन्ध में यदि जांच के बाद, आयोग का यह मत हो कि इस प्रकार की प्रक्रिया लोकहित के विपरीत हो तो आवश्यक आदेश पारित करने की भी शक्ति है। एकाधिकारिक व्यापारिक प्रथाओं के मामले में, आयोग को अपने निष्कर्षों को केन्द्रीय सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है। एकाधिकर तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के वर्तमान उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा एकाधिकारिक एवं अवरोधक व्यापारिक प्रथाओं के नियन्त्रण से उपभोक्ताओं को उत्पादनों के सरलता से उपलब्ध होने और सुनिश्चित करने तथा विक्रेताओं/एजेन्टों के द्वारा अनुचित वितरण और अन्य अवांछित गति विधियों को रोकने में सहायता मिलती है।

(ग) तथा (घ) आयोग का प्रस्ताव विनिर्माताओं/उत्पादकों को इस प्रकार के सामान्य

निर्देश देना नहीं है क्योंकि यह उसकी अधिकार शक्ति के अन्दर नहीं है । विक्रेताओं ऐजेन्टों की नियुक्ति विनिर्माताओं उत्पादकों का परमाधिकार है और आयोग इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है ।

"द्रुतगामी डाक सेवा" के अन्तर्गत पत्रों के प्रेषक में विलम्ब होना

1273. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में "हाउ क्विक इज दी क्यू. एम. एस. शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो द्रुतगामी डाक सेवा (क्यू. एम. एस.) के अन्तर्गत पत्रों की डिलीवरी में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस बिलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां, ।

(ख) सामान्यत: दिल्ली में डाक में डाले गए तुरत डाक सेवा वाले पत्र अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय के भीतर ही पहुंच जाते हैं । यह आवश्यक है कि तुरत डाक सेवा वाले पत्रों पर, वितरण डाकघर का पिन कोड नम्बर दिया गया हो, अन्यथा पिन कोड नम्बर न होने पर डाक वस्तु तुरत डाक सेवा के अन्तर्गत भेजने योग्य नहीं मानी जाएगी । ऐसे पत्र अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय के भीतर पहुंच जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, परन्तु कभी कभी हवाई रेल सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने और बाढ़ आदि जैसी अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसे पत्रों के पहुंचने में विलंब हो जाता है । तुरत डाक सेवा वाले पत्रों द्वारा पारगमन में लिए गए समय का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच-पत्र पोस्ट किए जाते हैं और जहाँ कहीं भी विलंब का पता चलता है, उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण एंथम्बुटैनोल के मूल्य में वृद्धि

1274. **श्री छोटे सिंह यादव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने "एथम्बुटैनोल" के निर्माताओं के फायदे के लिए तपेदिक की इस एक महत्वपूर्ण औषधि के वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण इस औषधि का मूल्य बढ़ जायेगा और निर्माताओं के लाभ में वृद्धि होगी, और

(ग) यदि हां तो इसके वर्गीकरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस औषधि के मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा उसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त लाभ होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) सरकार ने 19 जुलाई, 1984 से इथम्बूटोल का मूल्य 750 रु. प्रति कि. ग्रा. से घटा कर 681 रु. प्रति कि. ग्रा. कर दिया है। मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ होगा न कि निर्माताओं को।

गुजरात में मानसा टेलीफोन एक्सचेंज को अहमदाबाद और बीजापुर टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ जोड़ना

1275. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मानसा टेलीफोन एक्सचेंज और मेहसाणा टेलीफोन एक्सचेंज के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई थी तथा इन एक्सचेंजों के बीच अभी तक सीधी सम्पर्क स्थापित न करने के क्या कारण हैं और यह सम्पर्क कितने समय में स्थापित कर दिया जायेगा;

(ख) क्या बढ़ते हुये कार्य-भार को देखते हुए मानसा एक्सचेंज को अहमदाबाद और बीजापुर एक्सचेंजों के साथ जोड़ने के लिये अधिक लाइनें प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसकी कि कई वर्षों से मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो आवश्यकतानुसार इस एक्सचेंज को और अधिक लाइनों के साथ जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक लाइनें मुहैया करके इस एक्सचेंज को अहमदाबाद और बीजापुर एक्सचेंज के साथ कितने समय में जोड़ दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बिजय एन. पाटिल) : (क) मानसा एवं मेहसाना एक्सचेंजों के बीच सीधी टेलीफोन लाइन प्रदान करने के लिए प्राक्कलन 1.7.1983 को मंजूर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण भंडार की कमी के कारण कार्य रुका हुआ है। यह मार्च, 1985 तक पूरा करने की संभावना है बशर्ते कि आवश्यक मदें उपलब्ध हो जाए।

(ख) जी हां। इस समय मानसा एवं अहमदाबाद के बीच दो ट्रंक सर्किट तथा सर्किट तथा मानसा एवं बीजापुर के बीच एक ट्रंक सर्किट कार्य कर रहा है केवल मानसा एवं बीजापुर के बीच दूसरे सर्किट का औचित्य बनता है।

(ग) भंडार की आवश्यक मदें उपलब्ध न होने के कारण मानसा एवं बीजापुर के बीच दूसरा ट्रंक सर्किट अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) अतिरिक्त ट्रंक सर्किट मार्च, 1985 तक प्रदान किये जाने की संभावना है।

राजधानी को बिजली की आवश्यकता

1276. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावी योजना तैयार करते समय भारत की राजधानी दिल्ली की बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजधानी में बिजली बार-बार जाती रही है और बिजली के काफी खम्बों पर बल्ब/ट्यूबलाइट नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सड़कों पर रोशनी के इतने खराब रख-रखाव के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली की विद्युत आवश्यकताएं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अपने विद्युत उत्पादन, बदरपुर में होने वाले विद्युत उत्पादन तथा सिंगरौली बैरासूल और सलाल स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों में दिल्ली के हिस्से से पूरा करने का प्रस्ताव है। नरौरा में परमाणु विद्युत केन्द्र तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी दिल्ली को हिस्सा मिलेगा इसके अतिरिक्त दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने राजघाट पर 67.5 मेगावाट की दो यूनिटें तथा 3 × 60 मेगावाट की गैस टरबाइन यूनिटें प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मुरादनगर में 840 मेगावाट क्षमता के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत केन्द्र को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। पारेषण और वितरण प्रणाली को भी और सुदृढ़ किया जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा बेसिन में तेल का मिलना

1277. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा बेसिन में पहली बार तेल मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गंगा बेसिन में तेल तथा गैस मिलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) विस्तृत सर्वेक्षण किये गये हैं और इस क्षेत्र में अब तक 6 कुओं की खुदाई की गई है। गंडक में सातवें कुएं की खुदाई की जा रही है।

मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर के एकाधिकार व्यापारिक व्यवहारों की जाँच

1278. **श्री रेणुपद दास :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स मोटर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के विरुद्ध सप्लाई में भेद-भाव बरतने, सप्लाई करने से इन्कार करने अथवा सौदा पूरा न करने तथा कीमतों आदि में हेराफेरी करने आदि जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार में संलग्न रहने के आरोपों की जांच शुरू की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की जांच के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थगत आदेश प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग जांच पूरी करने के उद्देश्य से इस संबध में जारी स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए क्या कदम उठा रहा है ?

विधि, न्याय औरकम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग यथाशीघ्र जारी स्थगन आदेश को रद्द कराने का प्रयास कर रहा है।

सांविधानिक तथा संसदीय अध्यक्ष संस्थान को दिया गया सहायता अनुदान

1279. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 से अब तक सांविधानिक तथा संसदीय अध्यक्ष संस्थान को वर्षवार कुल कितना सहायता-अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) चालू वर्ष में संस्थान द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उन कार्यक्रमों से कितने व्यक्ति प्रशिक्षत अथवा लाभान्वित हो रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक का बजट कितना है;

(ग) संस्थान के कार्यक्रम के अंतर्गत संसदीय अध्यतावृत्ति, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पुस्तकालय तथा निर्देश सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्थान का निकट भविष्य में पश्चिमी बंगाल में कहीं अपनी शाखा खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा 1965-66 से प्राप्त सहायता अनुदान की विशिष्टियां संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) संस्थान दो कार्यक्रमों का संचालन करता है, अर्थात् (1) संसदीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, और (2) सांविधानिक विधि और संसदीय संस्थाएं और प्रक्रिया में डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ चालू वर्ष (अर्थात् 1984-85 सत्र) के लिए कार्यक्रम अक्तूबर, 1984 से प्रारम्भ होगा जिसके लिये आवेदनों के प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31-8-1984 है । इन कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के बजट में 8000/-रुपये की व्यवस्था की गई है ।

पिछले सत्र (1983-84) में, 20 अभ्यर्थियों को संसदीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम में, 14 को सांविधानिक विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में और 12 को संसदीय संस्थाएं और प्रक्रिया में प्रवेश दिया गया था ।

(ग) संसदीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम और सांविधानिक विधि और ससदीय संस्थान और प्रक्रिया में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कालावधि छह मास है और दोनों का सचालन साथ-साथ किया जाता है । किन्तु, डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और व्याख्यान सायंकाल होते हैं ।

संस्थान के पुस्तकालय में संसद, विभिन्न राज्य विधान-मंडलों और सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त वाद-विवादों, रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों के अतरिक्त 8000 पुस्तकों से अधिक का संग्रह है । पुस्तकालय 25 भारतीय और विदेशी नियतकालिक पत्रिकाएं खरीदता है और आदान-प्रदान के आधार पर तथा अन्यथा भी लगभग 60 नियतकालिक पत्रिकाएं प्राप्त करता है । सांविधानिक विधि और संसदीय संस्थाओं तथा प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर ग्रंथ-सूचियां तैयार की गई हैं और इन्हें पुस्तकालय में रखा गया है । पुस्तकालय और निर्देश सुविधाओं का संस्थान, संसदीय अध्येताओं, डिप्लोमा के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालयों तथा सहयोगी संस्थाओं के अनुसंधान विद्वानों द्वारा उपयोग किया जाता है ।

(घ) और (ङ) निकट भविष्य में पश्चिमी बंगाल के किसी स्थान में संस्थान की कोई शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान

सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का वर्षवार विवरण

वर्ष	रकम	कहां से प्राप्त हुई
1965-66	86,200.00	लोक सभा सचिवालय
1966-67	1,73,078 66	—यथोक्त—
1967-68	2,00,000.00	—यथोक्त—
1968-69	2,00,000.00	—यथोक्त—
1969-70	2,00.000.00	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय
1970-71	2,00,000.00	—यथोक्त—
1971-72	2,00,000.00	—यथोक्त—
1972-73	2,00,000.00	—यथोक्त—
1973-74	2,00,000.00	—यथोक्त—
1974-75	2,00,000.00	—यथोक्त—
1975-76	2,00,000.00	—यथोक्त—
1976-77	4,00,000.00	—यथोक्त—
1977-78	4,00,000.00	—यथोक्त—
1978-79	4,00,000.00	—यथोक्त—
1979-80	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1980-81	4,00,000.00	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय
1981-82	6,00,000.00	—यथोक्त—
1982-83	6,00,000-00	—यथोक्त—
1983-84	6,70,000.00	—यथोक्त—

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र

1280. **श्री शिबु सोरन : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उर्वरक संयंत्रों को चला रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक संयंत्रों के नाम क्या है; उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है तथा वर्ष 1983-84 की लाभ/हानि का बिवरण क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 7 सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक कंपनियां हैं। इन कम्पनियों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

सार्वजनिक उर्वरक कम्पनी का नाम	31.3.84 को कर्मचारियों की संख्या	निवेश की गई पूंजी 31.3.84 तक प्रदत्त पूंजी	1983-84 के दौरान लाभ लाभ(+)-(कम) (अस्थाई)
1	2	3	4
1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	13.544	549.69	(—)75.10
2. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	4,853	501.69	(+)41.00
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	1, 305	13.65	(+)9.27
4. नेशनल फर्टि. लि.	6,614	274.28	(+)34.99
5. फर्टि. एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि.	7.764	140.27	(+)0.11
6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	10,038	463.31	(—)70.0

1	2	3	4
7. पारादीप फास्फेट लि.	124	72.17	निर्माण की स्थिति में है

केरल में डिस्टीलरी की स्थापना

1281. **श्री ए. नीलालोहितदसन-नाडार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पहले ही 'टापियोका' से रेक्टीफाईड स्प्रिट का निर्माण करने के लिए एक डिस्टीलरी की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिये केन्द्र सरकार से आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी हां।

(ख) आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया था क्योंकि वर्तमान नीति के अधीन पेय अल्कोहल के निर्माण हेतु अतिरिक्त क्षमता के सृजन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। कम्पनी को सलाह दी गई थी कि अगर वे केवल औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में रुचि रखते हैं तो अलग से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

हिमालय प्रदेश में गैस एजेंसियों के लिए विज्ञापन/मंजूरी दिया जाना

1282. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1983-84 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी जिले के लिये किसी गैस एजेंसियों के लिये विज्ञापन दिया गया है/मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पार्टियों के जिला-वार नाम क्या हैं जिन्हें गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गैस एजेंसियों की मंजूरी कौन सी तारीख तक दे दी जायेगी और उनका आवंटन कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। तेल उद्योग ने 1983-84 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए 12 एल. पी. जी. डिस्ट्री ब्यूटर्स विज्ञापित की हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

स्थान	जिला	विज्ञापन का माह	डिस्ट्री ब्यूटर शिप की स्थिति
1. बिलासपुर	बिलासपुर	मई 83	29.9.83 को श्री टेकचंद सेनी को आशय-पत्रजारी कर दिया गया है।
2. धरमशाला	धरमशाला	जून 83	अप्रैल, 84 में कु०रीता भारद्वाज को आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।
3. हमीरपुर	हमीरपुर	जून 83	डिस्ट्री ब्यूटर का चयन प्रगति पर है
4. पालमपुर	कांगडा	मई 83	
5. डलहौजी	चम्बा	जुलाई 83	
6. शिमला	शिमला	मई 83	
7. पाओंटा साहिब	सिरमौर	मई 83	
8. ऊना	ऊना	मई 83	
9. परवानू	सोलन	सितंबर, 83	
10. कुल्लू	कुल्लू	नवंबर, 83	
11. कसौली	सोलन	दिसंबर, 83	
12. सुन्दरनगर	मण्डी	फरवरी, 84	

25 लाइन के एस. ए. एक्स. एकक का निर्माण

1284. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 लाइन एस. ए. एक्स. एककों का निर्माण वर्ष 1983-84 के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं हुआ है और उनका अत्यधिक अभाव रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिये इस मद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में कितने एककों का उत्पादन किया गया;

(ग) विभिन्न दूरसंचार मंडलों को प्रत्येक मंडल की मांग की अपेक्षा कितना आबंटन किया गया और निर्माण में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस कमी को दूर करने तथा मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल): (क) 25 लाइनों को एस. ए.

एक्स यूनिट के उत्पादन में अत्यधिक अभाव नहीं है। 1983-84 के दौरान, निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 423 यूनिटों का था परन्तु 377 यूनिटों की ही सप्लाई की जा सकी।

(ख) 25 लाइन यूनिट के 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की तुलना में सप्लाई की गई यूनिटों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	निर्धारित उत्पादन लक्ष्य	सप्लाई की गई यूनिटों की वास्तविक स्थिति
1982-83	392	425
1983-84	423	377
1984-85	480	123 (30-6-84 तक)

(ग) दूरसंचार सर्किलों के लिए एस. ए. एक्स यूनिटों का आबंटन उनके लिये स्वीकृत कार्य के आधार पर किया जाता है। 1983-84 के दौरान प्रत्येक सर्किल के लिये स्वीकृत कार्य के अंतर्गत की गई मांग, किया गया आबंटन और सप्लाई की गई यूनिटों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मेसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग से 25 लाइनों के एन. ए. एक्स के उत्पादन में वृद्धि के लिये कहा गया है।

विवरण

1983-84 -25 लाइन एस. ए. एक्स.

सर्किल का नाम	स्वीकृत कार्य के अनुसार प्रक्षेपित मांग	आवंटित	31.3.1984 तक की गई सप्लाई
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	12	12	12
2. बिहार	10	10	10
3. गुजरात	14	14	14
4. जम्मू एवं कश्मीर	4	4	4
5. कर्नाटक	74	58	58
6. केरल	5	5	5

1	2	3	4
7. मध्य प्रदेश	51	51	51
8. महाराष्ट्र	21	31	23
9. उत्तर प्रदेश	20	20	20
10. उत्तर पश्चिम	52	52	39
11. उड़ीसा	19	19	19
12. राजस्थान	50	50	37
13. तमिलनाडु	22	22	22
14. उत्तर प्रदेश	50	50	46
15. पश्चिम बंगाल	25	25	27
		423	377

आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र के विकास की योजना

1285. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेन्ट्रल माइन प्लेनिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड" द्वारा आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कार्य प्रणाली और दिशा निर्धारण करने सम्बन्धी कोई "मास्टर प्लान" तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं तथा तत्सम्बन्धी पूंजीगत परिव्यय क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में इससे कोयले का उत्पादन कितना बढ़ जाएगा; और

(घ) इसके कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड ने एक प्रलेख तैयार किया है जिसका शीर्षक है "ऐन अप्रोच टु मास्टर प्लान फार रानीगंज कोलफील्ड"। यह प्रलेख शीघ्रता से किए गए आरम्भिक अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें इन बातों की केवल व्यापक रूप-रेखा दी गई है—कोयला भंडारों के अन्तिरम अनुमान, उत्पादन का निर्धारण, खनन प्रौद्योगिकी, आयोजन और समन्वेषण की आवश्यकताएं और अन्य आधारभूत सुविधाए जो इस कोयला क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए वास्तविक मास्टर प्लान अभी तैयार किया जाना है और उसके लिए काम शुरू हो गया है।

तेल कुओं और संयंत्रों में गैस में आग लग जाना

1286. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक तेल कुएं और संयंत्र में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की गैस में आग लग जाती है;

(ख) गैस के बेकार जल जाने को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) उर्वरक "फीडस्टाक" के रूप में प्रतिवर्ष कितनी गैस का प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या खाना बनाने के प्रयोजन के लिए आम जनता को यह गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (गार्गी शंकर मिश्र) : (क) प्रत्येक कुएं तथा संयंत्र पर जलायी गई गैस की मात्रा के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले चार वर्षों के दौरान जलाई गई गैस की मात्रा तथा उसके मूल्य के आंकड़े उपलब्ध हैं जो नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	जलायी गयी गैस की मात्रा	जलाई गई गैस का सांकेतिक मूल्य
	(मि० घन मीटर)	(करोड़ रुपयों में)
1979-80	955	39.90
1980-81	760	37.15
1981-82	1520	65.40
1982-83	1895	82.75

(ख) अपतटीय गैस के जलाये जाने को कम से कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं जैसे कि सम्पीडन सुविधाओं में वृद्धि तथा 1985 में थाल में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र को पूरा करना। विद्यमान उपयोगकर्ताओं द्वारा गैस का और अधिक उठान करने की सम्भावनाओं का आध्यापन करने, नये उपयोगकर्ताओं का पता लगाने के लिये, असम में एक गैस ग्रिड की स्थापना करने के लिये तथा दबाव को बनाये रखने के लिये फालतु गैस को उपयुक्त अंतरालों (गैप) में पुन: अन्त: क्षेपण के लिए तथा ऊर्जा संरक्षण के लिये एक दल का गठन किया गया है।

(ग) 1983-84 के दौरान लगभग 285 मी० घन मीटर गैस उर्वरक फ्रीड स्टाक के रूप में प्रयोग की गई।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक गैस को इसी रूप में एल.पी.जी. सिलेंडरों में नहीं भरा जा सकता है।

मै० टाटा कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा सोडा ऐश की बढ़ाई गई क्षमता का उपयोग

1287. **श्री रेणुपद दास :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मै. टाटा कैमिकल्स को अपनी संस्थापित क्षमता में 1.40 लाख टन की वृद्धि करके 5 लाख टन की क्षमता करने के लिए दिसम्बर, 1973 में लाइसेंस मंजूर किया गया था;

(ख) क्या कम्पनी ने बढ़ी हुई क्षमता को चालू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो कम्पनी ने 1983 में 4.48 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन किस प्रकार कर लिया; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ने यह दलील दी है कि जब तक हाप्पा से मीठापुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में नहीं बदला जाता तब तक बढ़ी हुई क्षमता के लिये कच्चे माल को लाने-ले जाने का काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां। तथापि, मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करना पूर्ण हो गया है।

सोडा ऐश सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की उप समितियां

1288. **श्री रेणुपद दास :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 19 जुलाई, 1983 को हुई अपनी बैठक में दो उप-समितियां गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों उप समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता संघों ने इन दो उप समितियों के गठन में विलम्ब के बारे में बार-बार सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है;

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (घ) अखिल भारत सिलिकेट निर्माता एसोसिएशन ने दो उप-समितियों के शीघ्र गठन के लिये अभ्यावेदन

दिया था। सोडा ऐश सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दो उप-समितियों का गठन मार्च, 1914 को उनके गठन और विचारार्थ विषयों के बारे में प्रर्याप्त विचार करने के पश्चात्, कर लिया गया है।

संयुक्त क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत 360 मेगावाट बिजली घर की स्थापना

1290. **श्री के प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार 360 मेगावाट के बिजली केन्द्र को स्थापित करने को एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, जो राज्य में अधिक बिजली खपत वाले बहुत से उद्योगों के लिए बिजली के रक्षित स्रोत के रूप में कार्य करेगी;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ग) परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी;

(घ) क्या कुछ अमरीकी फर्मों ने इस परियोजना में अपनी रूचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा तकनीकी सहायता, संयंत्र तथा मशीनों तथा साम्य पूंजी के रूप में परियोजना में उनके द्वारा कितने निवेश किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उड़ीसा ने विद्युत उत्पादन संयुक्त क्षेत्र में करने का प्रस्ताव किया है ताकि विद्युत की मांग और इसकी उपलब्धता के बीच अन्तर को कम किया जा सके। प्रस्ताव में इस घाटी में 360 मेगा० ताप विद्युत क्षमता प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अब तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा द्वारा तैयार किये गये संयुक्त क्षेत्र के प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इब नदी घाटी मे कोयला भंडारों की खोज

1291. **श्री के. प्रधानी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोल इन्डिया लिमिटेड से राज्य की इब घाटी में कोयले के विशाल भंडारों की खोज करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था में है और उड़ीसा में बनाई जाने वाली प्रस्तावित रक्षित बिजली घर परियोजनाओं के प्रयोग के लिए कोयला उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा क्योंकि इस समय इस राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोयले के समन्वेषण और विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए, कोयले के वास्तविक समन्वेषण और विकास का काम केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों और उपक्रमों के ज़रिये शुरू किया जाता है इसलिये किसी राज्य सरकार के कहने पर—जिसमें उड़ीसा सरकार भी शामिल है—कोयले का दोहन कार्य शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ताप बिजली घरों को—जिनमें ग्रहीत बिजली घर शामिल हैं—कोयले के संयुजन के प्रश्न पर एक विशेष संयुजन समिति निर्णय लेती है। इस समिति में कोयला विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग के प्रतिनिधि रहते हैं। यह समिति संयुजन के प्रस्तावों पर मंजूरी देते समय अन्य बातों के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखती है— बिजली की जरूरत, कोयले की उपलब्धता और खानो से बिजली घरों तक कोयले के परिवहन का साधन।

इब घाटी कोयला क्षेत्र में दोहन के लिए कोयला भंडारों का निर्धारण करने की दृष्टि से समन्वेषण कार्य चल रहा है। इस कोयला क्षेत्र में लाजकुरा नामक एक नई कोयला खान का विकास किया जा रहा है जिसकी क्षमता एक मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या

1292. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 तक टेलीफोन के नये कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने कनेक्शन रिलीज किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि सरीन समिति ने सिफारिश की है कि 1985 तक प्रतीक्षा सूची निपटा दी जानी चाहिए और सरकार ने उसे स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) 31 मार्च, 1984 को नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 7.37 लाख थी।

(ख) 1984-85 के दौरान 2.5 लाख कनेक्शन प्रदान किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) 1990 तक की प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

कच्चे तेल का निर्यात

1293. **श्री नवीन रावणी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अन्य देशों को कच्चे तेल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान किस-किस देश को किस किस्म का कितना-कितना तेल निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कच्चे तेल का निर्यात एक गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल का निर्यात करने के लिए गैर-सरकारी एजेन्सी को लाइसेंस प्रदान करने का क्या ढंग अपनाया गया है तथा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान कौन-कौन सी एजेन्सियों को कच्चे तेल के निर्यात की अनुमति दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 1982-83 और 1983-84 के दौरान बी.एच. कच्चे तेल की निम्नलिखत मात्राओं का निर्यात किया गया था :—

वर्ष	मात्रा मिलियन मी० टनों में
1982-83	4.351
1983-84	6.986

उन पार्टियों के नाम जिन्होंने भारत से 1982-83 और 1983-84 के दौरान बम्बई हाई फूड तेल खरीदा था, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

1982-83

पार्टी का नाम	मात्रा ("000 मी० टनों में)
1. टी. डब्ल्यू. ओ, बरमूदा	2938
2. ट्रडीनेफ्ट, स्विटजरलैंड	1016
3. एस. आई. टी. सी. ओ. लंदन	96
4. पेट्रोनोर, स्पेन	170
5. पी. आर. आई., सिंगापुर	35
7. गल्फ, सिंगापुर	123
	योग 4351

1983-84

पार्टी का नाम	मात्रा ('000 मी. टनों में)
1. एस. आई. टी. सी. ओ. लन्दन	813
2. गल्फ, सिंगापुर	208
3. टी. डब्ल्यू. ओ. बरमूदा	612
4. भीबरे, स्विटरजरलैंड	530
5. चम्पालिन, यू. एस. ए.	418
6. एटोक, लन्दन	1099
7. सी. इटोह, जापान	320
8. कोस्टल, बरमूदा	922
9. रेक आयल, सिंगापुर	64
	योग 4986

कोयले की कम सप्लाई के कारण गाड़ियों का रद्द किया जाना

1294. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को कोयले की कम सप्लाई के कारण देश में, विशेषरूप से पश्चिम जोन में जब तक अनेक गाड़ियां रद्द की जाती है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कोयले की कम सप्लाई के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) रेलवे को कोयले की सप्लाई में सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं से आमदनी

1295. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में वाणिज्यिक प्रसारणों के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन से हुई आमदनी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवाओं के माध्यम से आमदनी को और बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इन स्रोतों से वर्ष 1984-85 में कितनी आमदनी होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन में प्रायोजित कार्यक्रम के लिए एक अन्य चैनल शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और यह कब से शुरू होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उप मन्त्री (श्री गुलाब नबी आजाद):(क) इस अवधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है—

(करोड़ों रुपयों में सकल राजस्व)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1981-82	15.12	11.27
1982-83	16.23	15.89
1983-84	16.49	19.79

(ख) **आकशवाणी** : पणजी में एक नए विज्ञापन प्रसारण केन्द्र के 1984 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। नए विज्ञापन सेवा प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करना और मुख्य चैनल सजाल में अलग-अलग केन्द्रों पर विज्ञापनों की बुकिंगों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य चैनल पर विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि करना आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण के मुख्य चैनल पर विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि करने हेतु किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों में से है।

दूरदर्शन : दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए प्रायोजिकत प्राप्त करने के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार की गई है। बाहर की निर्माण ऐजेन्सियों को भी कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें दूरदर्शन से प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। वाणिज्यिक विज्ञापन स्पाटों तथा प्रायोजिकताओं को अब राष्ट्रीय कार्यक्रम चन्क में स्वीकार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बुकिंगों, जिनसे दूरदर्शन के लिए तेजी से राजस्व सुनिश्चित होता है, को प्रोत्साहन दिया जाता है। नए ट्रांसमीटरों की स्थापना तथा सेवा क्षेत्र में परिणामी वृद्धि होने पर, वाणिज्यिक विज्ञापनों की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 50,000 करोड़ रुपए का सकल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) सरकार महानगरों में अतिरिक्त चैनल के प्रस्तावों पर विचार कर रही

है। अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। इस प्रकार का चैनल अनन्य रूप से प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए नहीं होगा।

मथुरा तेल शोधक्कारखाने की स्थापना से विस्थापित हुए किसान और श्रमिक

1296. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने की स्थापना से किसान और श्रमिक विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने परिवार हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन सभी परिवारों के सदस्यों को उस तेल शोधक कारखाने में नौकरियां नहीं दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे परिवारों का ब्यौरा है; और

(ङ) उनको जीविका के साधन मुहैया करने लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 410

(ग) और (घ) 410 विस्थापित परिवारों में से, 287 व्यक्तियों को जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, एक सदस्य प्रति परिवार की दर से इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी में लिया जा चुका है। शेष 123 परिवार में से, 70 परिवारों में नौकरी में रखे जाने के योग्य कोई सदस्य नही है क्योंकि इन परिवारों में से कोई भी भूमि अधिग्रहण के लिए छूट दी गई शैक्षणिक तथा आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। शेष 53 परिवारों में से प्रत्येक से एक सदस्य को अभी मथुरा तेल शोधक कारखाने में नौकरी दी जानी है।

(ङ) शेष 53 परिवारों के सम्बन्ध में, जब कभी रिक्तियां होती हैं, और यदि उनके नाम रोजगार केन्द्र द्वारा भेजे जाते हैं, तब इन रिक्तियों के प्रति इण्डियन आयल कारपोरेशन में नौकरी के लिए इन परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य पर उचित रूप से विचार किया जायेगा 70 परिवारों में से, कोई भी सदस्य नौकरी पर लगाये जाने के योग्य नहीं है। तथापि, इण्डियन आयल कारपोरेशन ने जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें श्रमिक सहकारी समितियां स्थापित करने में लगाया जाये जिससे छोटे ठेके के कार्य संभव सीमा तक इन समितियों को दिए जा सकें।

औषधियों और फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों का पंजीकरण

1297. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों के कितने मामले पंजीकरण हेतु सरकार के पास लम्बित है और कम्पनियों के नाम और प्रार्थना पत्र की तिथि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) नई औषध नीति लागू होने के पश्चात औषध कम्पनियों के कितने पंजीकरण आवेदन-पत्र रद्द कर दिये गए हैं, और फर्म अनुसार उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन आवेदन पत्रों को रद्द करने के कारणों का ब्यौरा है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जैसा कि डी. जी. टी. डी. द्वारा सूचित किया गया है, कंपनियों के नाम तथा जिस तारीख से उनके पंजीरकण आवेदन पत्र डी. जी. टी. डी. के पास लंबित हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य सभी आवेदन पत्र डी. जी. टी. डी. द्वारा या तो अनुमोदित किए गए या रद्द/बन्द कर दिए गए।

(ख) और (ग) 30. 3. 78 से 30. 6. 84 तक, डी. जी. टी. डी. के पंजीकरण के लिए प्राप्त 444 आवेदनपत्र डी. जी. टी. डी. के औषध एवं भेषज निदेशालय द्वारा औषध नीति के अनुरूप न होने, पंजीकरणों के मानदण्डों को पूरा करने, मांगे गए अतिरिक्त आंकड़े प्रस्तुत करने में बिलम्बता जैसे विभिन्न कारणों के कारण रद्द बन्द कर दिए गए।

विवरण

कंपनी का नाम	उत्पादन की मद	डी. जी. टी. डी. में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख
1. मै. सिपला	सिनीडानोल एवं रेमी टिडाइन एच. सी. एल.	3. 2. 84
2. मै. एंगलो फ्रेंच	ट्रिमोजिन फार्मू.	28.4.84
3. मै. रिचर्डसन हिन्दुस्तान	आर्युवेदिक प्राडक्टस	25. 4. 84
4. मै. पार्क डेविस	क्लोरोकार्ट इयर ड्राप्स, ग्रिपोनाइल ओर	7. 3. 84
5. मै. बगाल इम्युनिटी	को ट्राइमेक्साजोल गोलियां मिथाइल डोपा	5. 4. 84
6. मै. आन्ध्रा सिट्रेट	रिफेम्पिसिन	27.2.84
7. मै. सुनीता लेवोरेट्रीज	प्रोवेनेसिड	23.6.84
8. मै. पी. रामचन्द्र राव	विटामिन बी 6	8. 6. 84

औषध तथा फार्मास्युटिकल्स एककों का पंजीकरण

1298. **श्री सज्जन कुमार:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग (विकास और विनयमन) अधिनियम के अन्तर्गत तथा वर्ष 1977 के नियमों के अनुसार औषधियों और फार्मास्युटिकल्स का पजीकरण स्वत: हो जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि जहां तक औषधियों तथा फार्मास्युटिकल्स के पंजीकरण का सम्बन्ध है तकनीकी विकास का महानिदेशालय इसके लिये प्रशासनिक विभाग है;

(ग) औषधियों और फार्मास्युटिकल्स एककों के पंजीकरण के मामलों में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय द्वारा हस्तपक्षेप किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन नीतियों और नियमों तथा विनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत औषध तथा फार्मास्युटिकल्स एककों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्रों का अनुमोदन किया जाता है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) डी. जी. टी. डी. पंजीकरण सामान्यत: संगठित क्षेत्र के एककों को स्वीकृत किया जाता है, यदि वे समय-समय पर घोषित सरकार की नीतियों के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त हों, । औषध उद्योग के मामले में मार्च 1978 की औषधि नीति के अंग के रूप में यह निर्णय किया गया कि डी. जी. टी. डी. पंजीकरण योजना समाप्त कर दी जाएगी । तथापि, बाद में इस मामले पर उद्यो। मंत्रालय के परामर्श से डी. जी. टी. डी. पंजीकरण योजना को और समग्र रूप के उदारीकृत करने के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया था । यह निर्णय किया गया था कि डी. जी. टी. डी. पजीकरण योजना औषध क्षेत्र के लिए भी जारी रहेगी बशर्ते कि (i) 1970 की औषध नीति अनुपात मान दण्डों को पूरा किया जाए और (ii) प्रत्येक आवेदन-पत्र की रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जांच की जाए ।

भारतीय चलचित्र संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

1299. **श्रीरामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 14 जून, 1984 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हां तो प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) 1. श्री डी० रामानुजम, अध्यक्ष, फिल्म फैडरेशन आफ इण्डिया।

2. श्री जी. पी. सिप्पी, आल इंडिया फिल्म प्रोड्युसर्स काऊंसिल।

3. श्री एन. बी. थामत, निर्माता प्रोड्यूसर।

4. श्री बी. आर. चोपड़ा, प्रोड्यूसर।

5. श्री रामानन्द सागर, प्रोड्यूसर।

6. श्री डी. वी. एस. राजु, प्रोड्पूसर।

7. श्री टी. सी. दीवान, कोषाध्यक्ष, फिल्म फैडरेशर आफ इंडिया।

8. श्री पी. रामस्वामी, अध्यक्ष, तमिल नाडु फिल्म चैम्बर।

9. श्री जैप्पीयार, अवैतनिक सचिव, तमिलनाडु फिल्म चैम्बर।

10. श्री परमशिवम् फिल्ल एक्सपोर्टर, मद्रास।

11. श्री ए. आर. राजु, भूतपूर्व अध्यक्ष, साउथ इंडियन फिल्म चैम्बर।

12. श्री. एस. एस. जैन, अध्यक्ष, सैन्ट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन।

13. श्री खजान्ची, भूतपूर्व अध्यक्ष, सैन्ट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन।

14. श्री बी. जी. दवे अध्यक्ष, एग्जीबिशन सेक्टर, फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया, बम्बई।

(ग) जी, हां।

(घ) ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे इन मामलों से संबंधित हैं (1) वीडियो पाइरेसी को रोकने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 और कापीराइट अधिनियम, 1957 में, अध्यादेश के जरिए, संशोधन करना; (2) बिना लाइसेंस के वीडियो फिल्में दिखाने पर रोक लगाने के लिए लाइसेंस संबंधी स्थानीय कानून में संशोधन करना; (3) फिल्मों की प्रिन्टों पर उत्पाद शुल्क कम करना; (4) फिल्मों से सम्बन्धित सरकारी संगठनों में फिल्म उद्योग को फिल्मी हस्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व देना और (5) संस्थागत वित्त की उपलब्धता के लिए फिल्म उद्योग का एक उद्योग के रूप में घोषित करना।

(ङ) कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन करने संबंधी मुद्दे को छोड़कर अन्य शेष सभी मुद्दों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में या तो पहले ही विचार किया जा चुका है या उन पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। जहां तक कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के संबंध है, इस पर शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से औद्योगिक स्वास्थ्यकर प्रयोगशालाओं की स्थापना

1300. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत में वायु प्रदूषण और देश के औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यचालन वातावरण की घटनाओं को कम से कम करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्यकर प्रयोगशालाओं का जाल बिछाने में सहायता करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बिछाए जाने वाले जाल का ब्यौरा क्या है और इन प्रयोगशालाओं को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और इन प्रयोग शालाओं के माध्यम से किस प्रकार के प्रदूषण-विरोधी उपाय किए जाएंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कारखाना निरीक्षण और कारखाना सलाह सेवा को मजबूत बनाने के लिए भारत में औद्योगिक स्वास्थ्यकर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में सहायता देना स्वीकार कर लिया है ताकि औद्योगिक प्रबंधकों को प्रदूषण के कारण होने वाले सम्भावी जोखिमों की जानकारी दी जा सके । ऐसे प्रयोगशालाओं की सैम्पलिंग और मेंजरिंग उपकरण के सैट के साथ निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना निरीक्षणालयों में स्थापित करने का विचार है ताकि कारखानों में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मानकों को मानिटर करने के संबंध में प्रशिक्षण और प्रदर्शन किया जा सके :—

बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, गोवा और पांडिचेरी ।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

1301. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों के केवल 41.2 प्रतिशत का ही पुनर्वास किया गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) मुक्त कराये गये शेष 58.8 प्रतिशत श्रमिकों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है;

(घ) उनमें से कितने पुन: बंधुआ मजदूर हो गए है; और

(ङ) अनुमानत: कुल कितने लोगों को अभी भी मुक्त कराया जाना हैं ?

श्रम और पूनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : मुक्त कराए गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये केन्द्र द्वारा संचालित योजना के मूल्यांकन सम्बन्धी योजना आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, 30-6-1981 की स्थिति के अनुसार मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों में से केवल 41 2 प्रतिशत श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है। तथापि राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोटों के अनुसार, पता लगाये गये और मुक्त कराये गये 166,266 बंधुआ श्रमिकों में से 3.-5-.984 की स्थिति के अनुसार 1,26,395 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया गया है तथा पुनर्वास की प्रतिशतता लगभग 76 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष (1984-85) के दौरान शेष 39,891 (1,66,266—1,26,395) में से 30,633 मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और शेष को अगले वर्ष में पुनर्वासित किया जाएगा।

(घ) उन राज्यों, जो बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं, में से किसी भी राज्य ने मुक्त कराये गये बन्धुआ श्रमिकों द्वारा पुन: दासता स्वीकार करने की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

(ङ) बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना और उन्हें मुक्त कराने के बाद उन्हें पुनर्वासित करना एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकारों, जो इस प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हैं, से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे गहन सर्वेक्षण सहित तत्काल कदम उठाएं और जहां कहीं भी बन्धुआ श्रमिक पाये जायें, उन्हें शीघ्र मुक्त कराना और पुनर्वासित करना सुनिश्चित करें। इस बारे में राज्य सरकारों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किये गये हैं। अत:, मुक्त कराये जाने वाले शेष बन्धुआ श्रमिकों की सही अनुमानित संख्या बताना संभव नहीं है।

उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा

1302. **श्री माधव राव सिन्धिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ पिछड़े जिलों तथा पूर्वी राज्यों में अन्य ऐसे क्षेत्रों को भारत-ब्रिटेन उर्वक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक रीति से उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने सम्बन्धी 5 वर्षीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन बढ़ानें तथा किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये उर्वरकों तथा रसायनों के प्रयोग को बढावा देने के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा ब्रिटेन की सरकार द्वारा इसमें कितना योगदान किया जाएगा और परियोजनाओं पर कितना धनराशि खर्च की गई है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचद्रथ) : (क) जी, हां।

(ख) रवी ऋतु 1901-02 के दौरान असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के पांच राज्यों में तथा खरीव ऋतु 1902 से उत्तर प्रदेश में परियोजना पर क्षेत्रीय कार्य कलाप आरम्भ कर दिये गये थे। की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यू०के० सरकार परियोजना के लिये 13 मिलिन स्टरलिंग पौंड अनुदान के रूप में देगी जो लगभग 22 करोड़ रुपये के बराबर होगी। परियोजना की कुल लागत उसी अनुदान से पूरी की जाएगी। अब तक परियोजना पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

	(रुपये लाखों में)
1981-82	63.64
1982-83	270.40
1983-84	446.54
1984-85 (बजटवद्ध)	500.00

विवरण

रवी 1981-82 से खरीफ 1983 तक विस्तार कार्यकलापों की प्रगति

मद	राज्य					
	मध्य प्रदेश	आसाम	बिहार	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल
1. कुल क्षेत्र	4288	4639	4637	5258	3216	4550
2. भाग लेने वाले किसानों की संख्या	5587	9844	18882	11928	6744	11910
3. छोटे तथा सीमावर्ती किसान (%)	60	70·2	91.8	79.8	92.8	87.7
4. समूह विचार-विमर्श	1933	1601	1350	1495	600	1410
5. कार्य दिवस	180	209	220	190	160	190
6. किसानों का शिक्षण	219	215	221	198	156	265
7. फसल परिसंवाद	3	5	4	3	3	4
8. फसल तथा मिट्टी परीक्षण पर पुस्तकाएं (000 में)	61.6	45.43	36.44	35.71	125.5	29.43
9. पुस्तक कलैण्डरों का वितरण (000 में)	9.8	8.1	9.3	9.0	8.9	9.0
10. मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण	24307	30487	51200	23597	11590	37203

उर्वरक एककों का पुनर्गठन

1303. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :**

श्री वी. वी. देसाई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक एककों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठन कब किया जायेगा,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसत साठे) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक एककों को पुनर्गठित करना और कुछ उर्वरक संयंत्रों का सम्भावित पुन: वर्गीकरण करना सरकार के समक्ष उपायों में से एक है। यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रशासनिक उपायों का प्रारम्भ अथवा कार्यान्वयन किस समयावधि के अन्दर होगा।

1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का पूरा न होना

1304. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में देश में विद्युत उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 7.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 3.4 प्रतिशत की कमी रहने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों में विद्युत की कमी बढ़ रही है; और

(घ) देश कब तक विद्युत की आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में आ जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) ताप विद्युत उत्पादन में कमी सामानयत: कुछ यूनिटों के पुराने हो या अन्य किसी प्रकार की कमी होने कारण कोयले की घटिया सुव्यवस्था,और प्रणाली में बाधाओं आदि कारणों से थी। देश के भागों में अनियमित मानसून पारस्थितियों के कारण जल विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा था।

(ग) और (घ) विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्दर को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत की कमी जो कि छठी योजना के आरम्भ होने से पूर्व 1979-80 में 16.2. से अधिक थी, 1983-84 में घाटकर 10.8.% रह गई विद्युत की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए आयोजना की गई है ताकि विद्युत की आवश्यकता को पूरा किया जा सके लेकिन समयबद्ध कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विभिन्न औद्योगिक एककों द्वारा "पावर कनजरवेशन और 'एनर्जी आडिट' कक्षों की स्थापना

1305. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न औद्योगिक एककों द्वारा "पावर कनजरवेशन" और एनर्जी आडिट" कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या ताप घरों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए उनकी उपयोग क्षमता के संबंध में मान दंड तैयार कर लिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ माहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना का विद्युत कार्यक्रम तैयार करने के लिये विद्युत पर कार्यकारी दल ने ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन के मानदंडों पर विचार किया है ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले

1306. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) उस न्यायालय में मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है।

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तारीख 31-12-83 को 33, 285 मामले लंबित थे।

(ख) सामान्यत: उच्च न्यायालयों में, जिनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, लंबित मामलों की कम करने के लिए उठाए गये कदम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की कम करने के लिये उठाए गये कदम

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लैटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिये धारा 100क)।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और 1978 और 1980 में उसका संशोधन किया गया ।

3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च 1977 में 351 से बढ़ाकर 1 जुलाई, 1984 में 423 कर दी गई है ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिये मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ।

5. सरकार ने उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों नियुक्ति पर विचार किया जाए ।

6. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधार भूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने,बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और बिलबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबंद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिये;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

7. विधि आयोग की 79 वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की की जानी है, इसलिये, वे सिफारिशें, सघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी हैं, और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

8. सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक आप्ररूपिक समिति गठित की है।

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठकों और सम्मेलनों की कार्यवाही प्रसारण

1307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठकों और सम्मेलनों की कार्यवाहियों का प्रसारण करना है;

(ख) यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों का क्या ब्योरा है जिनकी बैठकों और सम्मेलनों को गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन से प्रसारित किया गया;

(ग) क्या इस मामले में कोई समान नीति नहीं अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बैठक और सम्मेलनों की कार्यवाहियों को दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में कवर किया जाता है तथा इस प्रकार की घटनाओं के समाचारिक महत्व पर निर्भर करते हुए इनको विभिन्न केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित राजनीतिक दलों की बैठकों तथा सम्मेलनों की कार्यवाही को दूरदर्शन के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में कवर किया गया था :—

1. अकाली दल
2. भारतीय जनता पार्टी
3. भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
4. भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
5. कांग्रेस (आई)
6. कांग्रेस (जे)
7. कांग्रेस (एस)
8. डेमोक्रेटिक सोशलिष्ट पार्टी
9. फार्वड ब्लाक
10. इण्यिन मुस्लिम लीग
11. जनता पार्टी
12. लोकदल
13. राष्ट्रीय संजय मंच
14. राष्ट्रीय सोशलिष्ट पार्टी

इस संबंध में समान नीति न अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बम्बई के पूर्वी उप-नगरों में एल. पी. जी. के नये डीलरों की नियुक्ति

1308. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन का बम्बई के पूर्वी उपनगरों में एल. पी. जी. (खाना बनाने की गैस) के नये डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर किन-किन स्थानों में नियुक्त किये जायेंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री ((श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने मुलुन्द में डिस्ट्रीब्यूटरशिप

खोलने का प्रस्ताव दिया है, जबकि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने उन्हें बम्बई के पूर्वी उपनगरों मटुंगा, कंजुरमार्ग और घाटकोपर में खोलने का प्रस्ताव दिया है।

(ग)	स्थान	श्रेणी	टिप्पणी
	1. मुलुन्द	बेरोजगार स्नातक	डीलर का चयन प्रगति पर है।
	2. मटुंगा	सर्वसाधारण के लिए	9-5-84 को आशय-पत्र जारी किया गया।
	3. कंजुरमार्ग	बेरोजगार स्नातक	16-4-84 का आशय-पत्र जारी किया गया।
	4. घाटकोपर	सर्वसाधारण के लिए	शीघ्र ही विज्ञापित की जा रही है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. में घाटे को कम करने की योजना

1369. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

श्री बी. वी. देसाई : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. ने घाटे को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि करना और औषधियों को गरीब आदमी को पहुंच से बाहर करना इस नीति का एक भाग है;

(ग) क्या सरकार का विचार पहले कदम के रूप में यह सुनिश्चित करेंगी कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. प्राथमिक चरण से ही ऐरीयोमाईसिन जैसे औषधियों का निर्माण शुरू करे जिसके लिए टैकनोलौजी पहले से ही उपलब्ध है/प्राप्त कर ली गई; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है तथा क्या सरकार का विचार बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को नकारात्मक भूमिका से समाप्त करने अथवा उसको कम से कम करने का है और इसकी शुरूआत वैलकम फाउंडेशन की एफ. एण्ड एम. डी. टीके के क्षेत्र में गतिविधियों पर रोक लगाने से की जाये जिसके लिये वी. ए. आई. एफ. और आई. वी. आर. आई. के पास पहले से ही देशी टैक्नोलोजी उपलब्ध थी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जी, हां।

(ख) जी, नहीं। आई. डी. पी. एल. द्वारा विपणन किये जाने वाले औषध फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किये जाते हैं।

(ग) आई. डी. पी. एल. एरिथ्रोमाइसिन सहित विभिन्न संयंत्रों की विपणन माँग तथा लागत तर्कों के आधार पर क्षमता उपयोगिता बढ़ाने के लिये कदम उठा रही है।

(घ) विभिन्न आर्थिक तथा तकनीकी मदों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान औषध नीति सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की ओर उन्मुख है। इण्डियन डेयरी कार्पोरेशन ने एफ. एम. डी. वैक्सीन के लिये प्रौद्योगिकी वैल्कम फाउन्डेशन से प्राप्त की थी क्योंकि यह बेहतर पाई गई थी।

उद्योगों और बैंकिंग संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों की सयुक्त एसोसिएशनें

1310. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई उद्योगों और बैंकिंग संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों की संयुक्त एसोसिएशनें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पहले संसद को यह जानकारी दी गई थी कि कर्मचारी संघों अथवा औद्योगिक विवादों संबधी अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी संयुक्त एसोसिएशनों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इस प्रकार की एसोसिएशनों को मान्यता नहीं दी जा रही हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ बैंकिंग संस्थानों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संयुक्त संघ है। व्यवसाय संघ अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संयुक्त संघों के पजीकरण पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में व्यवसाय संघों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योग में अनुशासन संहिता में, जो कि स्वैच्छिक किस्म की है, केवल कर्मकारों से सम्बन्धित संघों को मान्यता देने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अनुशासन संहिता को स्वीकार किया है उनके मामले में अधिकारियों और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त संघों को मान्यता नहीं दी जा सकती।

सातवीं योजना के दौरान गांवों को विद्युतीकरण और पम्पसेटों को बिजली से चलाने के लिए निश्चित लक्ष्य

1311. **डा. वसंत कुमार पंडित :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांवों का विद्युतीकरण करने और कृषि पम्पसेटों को बिजली से चलाने का लक्ष्य निश्चित किये गए हैं तथा मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में पृथक् रूप से तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि यदि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं का राज्यों पर छोड़ दिया जाता है तो इन लक्ष्यों की पूर्ति संभव नहीं है और उपलब्धी तथा कारगर निगरानी के लिये पृथक् बिंग आवश्यक है; और

(ग) यदि हाँ, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के इस सुझाव पर यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) सातवीं योजना के लिए विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रम के स्वरूप को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और यह संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे घटकों पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ के साथ चलचित्रों तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का आदान प्रदान

1312. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ चलचित्र और दूरदर्शन के क्षेत्र में भावी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और दोनों देशों के बीच चलचित्रों का आदान-प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ताशकन्द में आयोजित आठवें फिल्मोत्सव में भाग लेने के लिए सोवियत संघ का दौरा करने वाले भारतीय शिष्ट मंडल का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच फिल्मों और दूरदर्शन कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए समकक्ष सोवियत अधिकारियों के साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) फिल्मोत्सव में सोवियत संघ को भारतीय फिल्में आदि के निर्यात के लिए भारत द्वारा प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (घ) भारत और सोवियत संघ की सरकारों के बीच हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान करार और प्रोतोकाल के अन्तर्गत, फिल्मों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान बढ़ाना, दोनों सरकारों का निरन्तर प्रयास रहा है। सूचना और प्रसारण उपमन्त्री श्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने ताशकंद में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया और इस यात्रा का सोवियत संघ की सरकार के साथ और विचार-विमर्श करने के लिए उपयोग किया। शिष्टमंडल के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे :—

1. श्री आर. डी. जोशी, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
2. श्री ए. एम. वर्टी, महाप्रबंधक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बम्बई।
3. श्रीमती मालती सहाय, संयुक्त निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नई दिल्ली।
4. श्री एन. पी. कुकाने, उप प्रबंधक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बम्बई।

विचार-विमर्श अन्वेषी स्वरूप का था।

देश में डिजिटल दूर संचार स्विचिंग प्रणाली लागू करना

1313. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में डिजिटल दूरसंचार स्विचिंग प्रणाली लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन नगरों के नाम क्या है, जहां यह प्रणाली लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय. एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1. 89 अंकीय स्थानीय एवं टी ए एक्स एक्सचेंज उत्तरोत्तर रूप से स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इनमें से 59 का आयात करने का कार्यक्रम है जबकि शेष देश में विदेशी सहयोग से स्थापित की जा रही फैक्ट्री द्वारा सप्लाई किए जायेंगे।

2. इसके अलावा, 20 जिलों में ग्रामीण इलाकों में संगठित अंकीय परिपथ जाल की भी योजना बनाई गई है।

(ग) 1. आरम्भ में इलेक्ट्रानिक अंकीय एक्सचेंजों को निम्नलिखित शहरों में स्थापित करने का प्रस्ताव है :

बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, पठानकोट, श्री गंगानगर, आगरा, बंगलूर, भोपाल, कटक, जालधर, जोधपुर, लुधियाना, पूणे, रायपुर, राची, राजकोट, विशाखापटनम, लखनऊ, अमृतसर, पन वैल (नई बंबई), नौएडा, (उ. प्र.) भुवनेश्वर जयपुर, पटना, नागपुर, एर्नाकुलम, सूरत, त्रिची, वाराणसी।

अन्य शहरों में भी ये एक्सचेंज उत्तरोत्तर रूप से स्थापित किए जाएंगे क्योंकि अब इस प्रणाली का देश में ही विनिर्माण किया जाएगा।

2. निम्नलिखित जिलों में संगठित अंकीय परिपथ जाल स्थापित करने का प्रस्ताव है :—आगरा, मथुरा, नैनीताल, बाड़मेर, बेलगांव, भोपाल, सौहौर, जलपाईगुदड़ी, कटिहार-पुर्णिया, कोहिमा-सोकोकचुंग' क्वीलोन, कोलावा, कोरापुट, कृष्णा, मेहसाना, मुर्शीदाबाद, नडियाड, उत्तरी लखमीपुर, संगरूर, दक्षिण अरकोट एवं पाडिचेरी और अल्लेपी।

(घ) 1984-85 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 66-00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

देश में एस. टी. डी. प्रणाली

1314. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने नेश में विभिन्न नगरों की एस. टी. डी. प्रणाली का हाल ही में निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन शहरों की एस. टी. डी. प्रणाली में दोष पावा गया है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) देश में एस. टी. डी. प्रणाली में दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। फिर भी देश के सभी चार दूरसंचार अनुरक्षण क्षेत्रों में क्षेत्रीय परियात अधोक्षक द्वारा आवधिक सेवा गुणता करके एस. टीं. डी. सेवा की गुपता को मानीटर किया जाता है।

पिछले तीन महीनों के दौरान 120 एस. टी. डी. मार्गों पर सेवा गुणता परीक्षण किए गए।

(ख) जिन एस. टी. डी. मार्गों का परीक्षण किया गया, उनमें से 30 मार्गों पर (सूची संलग्न है) टेलीफोन से टेलीफोन का काल कम्प्लीशन रेट असंतोषजनक (25 प्रतिशत से कम) पाया गया। ऐसा नहीं माना जा सकता कि इन शहरों में एस टी डी प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक शहर में अनेक एस टीं डी मार्ग होते हैं तथा एक समय में एक ही मार्ग का परीक्षण किया जाता है न कि सभी मार्गों का अथवा समूची प्रणाली का।

(ग) एस टी डी सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) एस टी डी सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यवाही करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है जिसे समूचे देश में कार्यान्वित करने का कार्य विभिन्न चरणों में है। इस योजना में स्थानीय एक्सचेंज, एस टी डी कौर संचारण उपस्करों में सुधार लाने के लिए व्यापक परीक्षण एवं तकनीकी उपाय करना भी शामिल है।

(2) कार्यनिष्पादन स्तरों को नियमित रूप से नियंत्रित करने तथा सुधार के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स:वधिक सेवा गुणता परीक्षण किए जाते हैं।

(3) ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों (टी ए एक्स) के कार्यनिष्पादन को नियमित रूप से नियंत्रित किया जाता है जिसमें उसके कार्य-निष्पादन के क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है।

(4) सर्किटों की पर्याप्तता पर नियमित निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो उसकी वृद्धि के आदेश जारी किए जाते हैं।

(5) एस टी डी सेवाओं को लाइन पर ही नियन्त्रित करने तथा कार्यनिष्पादन रिपोर्ट की व्यवस्था करने के लिए चार महानगरीय केन्द्रों पर स्वचल परियात रिकार्डिंग एवं विश्लेषण कम्पलेक्स (ओट्रैक्स) प्रणाली संस्थापित की गई है।

(6) पेंटा कोंटा किस्म के पुराने क्रासवार ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों (टी ए एक्स) के स्थान पर इलेक्ट्रानिक स्टोर प्रोग्राम के कंट्रोल टी ए एक्स उत्तरोत्तर संस्थापित किये जाएंगे।

विवरण

संतोषजनक सीमा से नीचे पाए गए मार्गों की सूची

1. शिलांग, नई दिल्ली
2. भुवनेश्वर नई दिल्ली आई टी एक्स टी
3. कलकत्ता-बेंगलूर
4. बेंगलूर-हैदराबाद
5. कलकत्ता-नई दिल्ली टी ए एक्स (आगरा)
6. कलकत्ता-बड़ौदा
7. पटना-कानपुर
8. पटना-आरा
9. कलकत्ता एसपीसी टीएएक्स जंक्शन-हैदराबाद
10. कलकत्ता-पुणे (कलकत्ता पी.सी.टी एएक्स होकर)
11. राउरकेला-कलकत्ता
12. पटना-नई दिल्ली टी एक्स (अम्बाला)
13. भोपाल-नई दिल्ली (प्वाइंट टू प्वाइंट)
14. भोपाल-जबलपुर (इन्दौर टीएएक्स होकर)
15. बम्बई पी.सी. टीएएक्स-कोयमबटूर
16. नई दिल्ली बम्बई
17. नई दिल्ली-कलकत्ता
18. नई दिल्ली-शिलांग

19.	नई दिल्ली-गुवाहाटी
20.	नई दिल्ली-अहमदाबाद
21.	नई दिल्ली-भुवनेश्वर
22.	रोंहतक-नई दिल्ली
23.	नई दिल्ली-रोहतक
24.	नई दिल्ली-अम्बाला
25.	अम्बाला-नई दिल्ली
26.	नई दिल्ली-विशाखापतनम
27.	नई दिल्ली-भोपाल
28.	नई दिल्ली-हैदराबाद
29.	आगरा-जयपुर
30.	कोटा-नई दिल्ली

कीटनाशक दवाओं और कृमिनाशक दवाओं का निर्माण

1315. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) कीटनाशक दवाओं और कृमिनाशक दवाओं के निर्माण के लिए जारी किए गए ऐसे आशय पत्रों और लाइसेंसों की संख्या और ब्यौरा क्या है और उन आशय पत्रों लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्धारित समय समाप्त हो गया है, और उन्हें उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) इन आशय पत्रों और लाइसेंसों को रद्द करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कीटनाशक दवाओं और कृमिनाशक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने हुतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) तकनीकी ग्रेड इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के निर्माण के लिए जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों, जिनका कार्यान्वयन उनकी प्रारम्भिक वैद्यता अवधि के भीतर नहीं किया गया, के ब्यौरे दर्शाने वाले दो विवरण और के संलग्न हैं।

प्रारम्भिक वैद्यता अवधि आशय पत्र के मामले में एक वर्ष और औद्योगिक लाइसेंस के

मामले में दो वर्ष है। तथापि प्रस्ताव के कार्यान्वयन की प्रगति और विलम्ब के कारणों की यथार्थता जिनके कारण अधिक समय की आवश्यकता पड़ी, को ध्यान में रखते हुए पार्टी के अनुरोध पर सरकार समय-समय पर समय में वृद्धि प्रदान करती है। जिन मामलों में असन्तोष प्रगति पाई जाती है, उनमें आशय पत्र को रद्द करने/औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की जाती है, जैसा भी मामला हो।

हाल ही में सरकार ने ऐसे 6 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस रद्द/समाप्त किए हैं।

(ग) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तकनीकी ग्रेड इन्सेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से स्थापित क्षमता को 1979-80 में 70765 से वर्तमान में 95090 टन तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के माध्यम से निम्नलिखित क्षमताएं कार्यान्वयनाधीन है :—

आशयपत्र : 12062 टन

औद्योगिक लाइसेंस : 5320 टन

विवरण-1

कीटनाशकों के निर्माण के लिए कार्यान्वयनाधीन आशय पत्र दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम तथा स्थान	निर्माण के मद	क्षमता	टिप्पणियां
1.	2.	3	4.	5.
1.	मै, सदर्न पेस्टीसाइड्स कार्पोरेशन लि., हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	वी. एच. सी.	3300 टन प्रतिवर्ष	सैन्ट्रल इन्सैक्टीसाइड्स बोर्ड के साथ पजीकरण प्रतीक्षित
2.	मै. रेलिस इण्डिया लि., बम्बई (महाराष्ट्र)	कार्बोफयूरेन	400 टन प्रतिवर्ष	विदेशी सहयोग प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
3.	मै. देवीदयाल (सेल्स) प्रा. लि., बम्बई (पंचमहल, गुजरात)	मिथाइल पेराथियोन	500 टन प्रतिवर्ष	कानूनी सलाह ली जा रही है।
4.	मै. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि., नई दिल्ली (रसानी)	कार्बोक्सिन टैक्नीकल	50 टन प्रतिवर्ष	औद्योगिकी में वृद्धि की जा रही है।
5.	मै. पेस्टीसाइड्स इण्डिया, उदयपुर (राजस्थान)	किटाजाइन	200 टन प्रतिवर्ष	सैन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स के साथ पंजीकरण प्रतीक्षित है।
6.	मै. नेशनल रेयन कार्पोरेशन लि. बम्बई, (महाराष्ट्र)	जिराम, थिराम, फरबाम' जिनेब, मेनेब, मेन्कोजेब	1000 टन प्रतिवर्ष	औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
7.	मै. क्रेय कैमिल्स लि., बंगलौर (कर्नाटक)	बेटाक्लोर, सिमाजाइत/एट्राजाइन डियोजीन ट्राईफ्लूरालिन	300 टन प्रतिवर्ष 50 टन प्रतिवर्ष 40/10 टन प्रतिवर्ष	सैन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड के पास पंजीकरण प्रतीक्षित है।
8.	मै. मोतीलाल पेस्टीसाइड्स, नई दिल्ली (मथुरा) उत्तर प्रदेश	क्लोरपाइरीफोस	100 टन प्रतिवर्ष	—वही—
9.	मै. अतुल प्रोडक्ट्स लि., अतुल, जिला बुलेसार (गुजरात)	मेट्राडिफोन	50 ,,	—वही—
10.	मै. रेलिसु इण्डिया लि., बम्बई (अकलेश्वर, गुजरात)	एट्राजाइन और सिमाजाइन	प्रत्येक 50 टन ,,	—वही—
11.	मे· अर्चना पेस्टीसाइडस लि., कलकत्ता	वी. एच. सी· 26% गामा	3000 टन प्रतिवर्ष	प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है
12.	मे. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स, लि. नई दिल्ली।	बूटाक्लोर टेक्नीकल	1000 ,,	—वही—
13.	मे. सुदर्शन कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज, पूना	इथेफोन	50 ,,	सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड के साथा पंजीकरण के लिए आंकड़े बनाए जा रहे हैं
14.	मे. रेलिस इण्डिया लि.	फोसालोन मैथामिडोफोस एसीफेट	200 ,, 100 ,, 100 ,,	सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड में पंजीकरण प्रतीक्षित है

1	2	3	4	5
15.	मे. भारत पुलवर्जिंग मिल्स प्रा. लि, बम्बई (थाने महाराष्ट्र)	साइपरमेथिन और पेरमेथिन	100 टन प्रतिवर्ष	औद्योगिक लाईसेंस में परिवर्तन विचाराधीन है।
16.	मै. मैं एण्ड बेकर (आई) लि., बम्बई)	आइसोप्रोटारोन	400 ,,	—वही—
17.	मे. वर्धन लि., कलकत्ता (वेरूच, गुजरात)	मोनोक्रोटोफोस	150 ,,	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा रही है।
18.	मे. सुदर्शन कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि., पूना।	अट्राजाइन और प्रत्येक सिमाजाइन	50 ,,	सेन्ट्रल इंसेक्ट्रीसाइड्स बोर्ड में पंजीकरण तैयार किए जा रहे हैं।
19.	नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि., बम्बई (महाराष्ट्र)	साइपरमेद्रिन	100 ,,	औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन करने हेतु विचार किया जा रहा है।
20.	मे. अल्कुली एण्ड कैमिकल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि., कलकत्ता	परमेथिन और साइपरमेथ्रिन	100 ,,	—वही—
21.	मे. रेलिस इण्डिया लि., बम्बई, (पंजाब का पिछड़ी क्षेत्र)	फेनवेलेरेट	100 ,,	—वही—
22.	मे. वी. एस. एफ इण्डिया लि., बम्बई (महाराष्ट्र)	साइपरमेथ्रिन	40 ,,	सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड्स बोर्ड में पंजीकरण प्रतिशत है।
23.	मे. डेकावेम, लि., श्री एस. जेम्स फ्रेडारक मद्रास (उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र)	डेकामेथ्रिन	20 ,,	—वही—

विवरण—2

कार्यान्वयनाधीन औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम, पता तथा स्थान	मदों/लाइसेंस शुदा क्षमता का विवरण			टिप्पणी
1.	2.	3.			4.
1.	मे. यूनियन कार्बाइड इंडिया लि., नई दिल्ली (भोपाल, मध्यप्रदेश)	*कारबेरिल (एम.आई.सी. आधारित)	5000	टन प्रतिवर्ष	अल्फो नेफथोल की क्षमता को अभी सक्रिय करना है।
2.	मे. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि., नई दिल्ली (अल्वाय, केरल)	इण्डोसल्फान	1600	,,	परियोजना तांत्रिक रूप से पूरी हो गई है। प्रक्रिया समस्याओं का पता लगाया जा रहा है :
3.	मे. सावालेस एण्ड कम्पनी लि., कलकत्ता-1 (हल्दिया, पश्चिमी बंगाल)	डाएमेथएट	150	,,	इथियोन और डाइमेथोएट का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। फेनिट्रोथियोन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है।
		फेनीट्रोथियोन	300	,,	
		इथियोन	100	,,	
4.	मे. सुदर्शन कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि., पूना (रोहा, जिला कोलवा)	मोनोक्रोटोफोस	150	,,	ट्राइमिश्राइल फास्फाइट को छोड़ कर सभी उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ट्राइमिथाइल फास्फोईट को समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
		फोस्फामिडीन	200	,,	
		डियाजिनोन	50	,,	
		क्वीनलफोस	200	,,	
		ट्राइमिवाइन फस्फावाइट	270		

1	2	3		4
5.	मे. ओरिएटल स्पेशिलिटी केमिकल्स लि., बम्बई	क्वीनलफोस	100 टन	वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।
6.	मे इण्डो वेरोलाइन इण्ड. लि., बम्बई, (महाराष्ट्र)	क्वीनलफोस	100 ,,	—वही—
7.	मे. साबलेस एण्ड कं. लि. कलकत्ता, प. बंगाल (हल्दिया)	मेलाथियोन	300 ,,	उनके द्वारा 1984 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

*कारबेरिल के लिए क्षमता स्थापित तथा सक्रिय है किन्तु मध्यवर्ती अल्फा नैफथोल की क्षमता को अभी सक्रिय करना है।

फार्म मजदूरों को खेसरी दाल के रूप में अदायगी

1316. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मजदूरों को मजूरी की अदायगी खेसरी दाल के रूप में किये जाने पर और इसकी खेती पर भी रोक लगाने के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की क्या प्रतिक्रिया हैं,

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि कुछ राज्यों में कृषि मजदूरों को खेसरी दाल के रूप में मजूरी की अदायगी पर रोक लगाने हेतु संवैधानिक उपाय किये गये हैं परन्तु कानून को लागू किये जाने के लिये अभी भी कदम उठाए जाने हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार की नुकसान देह खेती पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्य सरकारों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के नियम 44 क के अधीन 'खेसरी दाल'' के प्रयोग को मनुष्यों द्वारा उपभोग करने से प्रतिषिद्ध कर दिया हैं। बिहार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने क्रमशः अपनी 13 अप्रैल, 1982 और 19 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना द्वारा "खेसरी दाल" को मजदूरी के रूप में भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। खेसरी दाल की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेसरी दाल की खेती करना प्रतिषिद्ध कर दिया है।

मेत्तूर और उत्तर मद्रास में ताप बिजली संयंत्र

1317. **श्री आर० प्रभु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मेत्तूर उत्तरी मद्रास में ताप बिजली संयंत्र की स्थापना के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक संयंत्र के लिये कितनी क्षमता की स्वीकृति दी गई है;

(ग) इन संयंत्रों को लगाने में अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इन संयंत्रों को कब तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) से (घ) मेत्तूर में ताप विद्युत परियोजना के चरण-एक और चरण-दो को अनुमोदित कर दिया गया है। प्रत्येक चरण में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें हैं। चरण-एक 89.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तथा चरण-दो 238.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई थी। दो यूनिटों के 1986-87 तथा 1987-88 में चालू होने की आशा है जबकि तीसरा यूनिट (चरण-दो) 1988-89 में चालू होने की आशा है। कोयला लिंकेज और बायलर तथा टरबाइन जेनरेटरों के आर्डरों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद चौथे यूनिट को चालू करने के कार्यक्रम को निर्धारित किया जा सकता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नार्थ मद्रास ताप विद्युत परियोजना (3 × 210 मेगावाट) को 547.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है। योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय किये जाने के बाद चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है।

ऊटी और कोयम्बतूर जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखा जाना

1318. **श्री आर० प्रभु :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊटी और कयम्बतूर जिलों के समूचे क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख तक; और

(ग) क्या सरकार नीलगिरी पर्वतमाला की चोटियों का लाभ उठाते हुए दूरदर्शन के लिए "माइक्रोवेव टावर" स्थापित करने के बारे में बिचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच के.एल. भगत) : (क) और (ख) जी हां। नीलगिरी और कोयम्बतूर के समूचे जिलों को कोडे के नाल में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से चालू वर्ष के अन्त तक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1 अप्रैल, 1983 से 30 जून, 1984 तक बिजली का उत्पादन और इसमें वृद्धि के लिए कदम

1319. **श्री एन. के. इ.जबलकर :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च 1984 तक और इसके बाद 30 जून 1984 तक कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य (योजना के अनुसार) के आस-पास है या बहुत कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) 144325 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 1983-84 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 139896 मिलियन यूनिट हुआ था। अप्रैल-जून, 1984 के दौरान कुल विद्युत उत्पादन 37316 मिलियन यूनिट हुआ था, जो अप्रैल-जून, 1983-84 के उत्पादन की तुलना में 1[illegible].7% अधिक है और अप्रैल-जून, 1984 के 35829 मिलियन यूनिट के कार्यक्रम की तुलना में 3.[illegible]% अधिक है।

1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन में कमी के मुख्य कारण हैं; ताप विद्युत उत्पादन में कमी, जो सामान्यत: कुछ यूनिटों के पुराने हो जाने या अन्य किसी प्रकार की कमी हो जाने के कारण, कोयले की घटिया गुणवत्ता और प्रणाली में बाधाओं आदि कारणों से थी। देश के कुछ भागों में अनियमित मानसून परिस्थितियों के कारण जल विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा था।

(ग) देश में विद्युत उत्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से, कई उपाय किये जा रहे हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्रतापूर्वक चालू करना, और

(2) मौजूदा ताप-विद्युत केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यों द्वारा क्षमता के उपयोग में सुधार करना :-

(एक) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और प्रारम्भ करने में राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(दो) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण तकनीक अपनाना।

(तीन) स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से उपस्कर तथा फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करना।

(चार) यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों का गठन करना।

(पांच) प्रचालन प्रणालियों की मानीटरिंग करने और परामर्श देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञयों के भ्रमणशील दलों के दौरों की व्यवस्था करना।

(छः) राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

उर्वरक संयंत्रों का काम-काज

1320. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे अधिकांश उर्वरक संयंत्र क्षमता से कम काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) क्या आगामी दो वर्षों के दौरान संयत्र क्षमता स्तर तक करना शुरू कर देंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा मानदण्डों के अनुसार उर्वरक उद्योग के लिए 80 प्रतिशत की क्षमता उपयोगिता पर्याप्त मानी जाती है। काफी उर्वरक संयंत्र क्षमता के इस स्तर के आस-पास अथवा उपर कार्य कर रहे हैं। तथापि कुछ उर्वरक संयंत्र विभिन्न कठिनाइयों के कारण अपने उत्पादन को संन्तोषजनक स्तर तक नहीं बड़ा सके हैं। उपकरण/डिजाईन त्रुटियां तथा पावर समस्या इन सयंत्रों में अवरोध उत्पन्न करने वाली मुख्य रुकावटें हैं। उत्पादन की कठिनाइयों को हटाने तथा इन उर्वरके संयत्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए नवीकरण/कठिनाइयों को दूर करने/आधुनिकीकरण, कैप्टिव पावर सुविधाओं को स्थापना, संतुलन उपकरणों की वृद्धि आदि उपचारी उपाय प्रारम्भ कर दिये गये हैं या आयोजित किये गये हैं।

(ग) उपचारी उपायों के कार्यान्वयन के पश्चात उक्त कठिनाइयों से ग्रस्त उर्वरक संयंत्रों के अधिक अच्छा निष्पादन करने की आशा है।

उर्वरकों की ढुलाई के लिए माल-भाड़े में राज्य सहायता

1321. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उर्वरकों की ढुलाई के लिए माल-भाड़े में राज सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे): (क) जी, हां।

(ख) उर्वरक उत्पादकों के लिए समान अधिकतम खुदरा मूल्य (केवल स्थानीय करों को छोड़ कर) पर अपने उत्पाद बेचने अपेक्षित हैं। उत्पादकों द्वारा उर्वरकों का वितरण सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार किया जाता है। उत्पादकों द्वारा परिवहन पर व्यय किया गया भाड़ा, संयंत्र-संयंत्र तथा उत्पाद उत्पादन में भिन्न होता है।

जो आपूर्ति योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है। अतः आपूर्ति योजना के आधार पर प्रत्येक उत्पादन के लिए विशिष्ट भाड़ा निर्धारित किया जाता है और इसी प्रकार उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

सरकार द्वारा लागू न किए गए कानूनों का ब्यौरा

1322. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पारित उन अधिनियमों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है और क्या उसकी एक पूरी सूची सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) संसद द्वारा इन अधिनियमों को किन तारीखों में पारित किया गया और उन पर राष्ट्रपति ने किन तारीखों को सहमति दी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्मों का आयात और निर्यात

1323. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों से सिनेमा फिल्मों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इन सभी देशों से फिल्मों का आयात करने संबंधी हमारी शर्तें एक जैसी हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान फिल्मों का आयात करने के लिए बाहरी देशों को कितनी धनराशि दी है तथा उसका देश-वार ब्यौरा और वार्षिक आंकड़े क्या हैं ? और

(घ) उक्त अवधि के दौरान फिल्मों में निर्यात से कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई और उसका देश-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) हाल ही के भूतकाल में फीचर फिल्में आस्ट्रेलिया, बुलगारिया कनाडा, चीन, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया इथोपिया, फ्रांस, हांगकांग, हंगरी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, माली, मोरक्को, न्यूजीलैंड, सेनेगल, स्वीडन, त्रिनिडाड, ट्यूनिशिया, टर्की, अपर बोल्टा, इंगलैंड, अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मन युगोस्लाविया, इत्यादि से आयात की गई है।

(ख) फीचर फिल्मों का आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है। सिवाय उस सीमा के जिसकी व्यवस्था सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा बनाई गई फिल्मों

की आयात नीति में है। नीति में निहित अपवादों के अनुसार, गैर सरकारी भारतीय आयातक सरकार द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अधीन रहते हुये सरकार और सोवियत संघ के सोवेक्सपोर्ट फिल्म द्वारा मंजूर राशि के भीतर भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के बाजार विभाग में प्रतिष्ठ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अनुमोदित फिल्मों में से फिल्मों का आयात कर सकते हैं। 30 सितम्बर, 1983 तक मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एशोसिएशन आफ अमरीका को भी उसके द्वारा सरकार के साथ किए गए करार में निर्धारित सीमाओं के अधीन फिल्मों के आयात की अनुमति दी गई थी। आमतौर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्मों का आयात सीधे खरीद आधार पर या लाभ-हिस्सा आधार पर करता है। गैर-सरकारी आयातक फिल्मों का आयात केवल सीधे खरीद आधार पर ही कर सकते हैं। सोवेक्सपोर्ट फिल्म/एम. पी. ई. ए. ए. कम्पनियों के मामले में भारत में उनकी शाखायें भारत में वितरण के लिए फिल्मों की प्रिंटों का आयात उनके प्रिंसिपलों से करती है किया गैर सरकारी आयातक सोवेक्सपोर्ट फिल्म और एम. पी. ई. ए. ए. कम्पनियां राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सरकारी केनेलाइजिंग एजेंसी है, को केनेलाइजिंग शुल्क का भुगतान करती है/किया।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत का उत्पादन और उसकी सस्ती दरों पर पूर्ति

1324. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पन बिजली और ताप विद्युत का अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में और किस अनुपात में उत्पादन होता है;

(ग) ताप और पन बिजली के उत्पादन की प्रति यूनिट लागत क्या है और इन लागतों में क्या अन्तर है; और

(घ) सस्ती दरों पर बिजली की पूर्ति किए आने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान देश में ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से उत्पादित विद्युत और उनका अनुपात नीचे दिया गया है :-

वर्ष	उत्पादन का स्वरूप	उत्पादन मेगावाट आवर	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1981-82	ताप विद्युत	70346	57.2
	जल विद्युत	49558	40.3
	न्युक्लीय	3021	2.5
	जोड़:	122925	
1982-83	ताप विद्युत	81261	61.8
	जल विद्युत	48273	36.7
	न्युक्लीय	2024	1.5
	जोड़	131558	
1983-84	ताप विद्युत	86335	61.9
	जल विद्युत	49867	35.6
	न्युक्लीय	3494	2.5
	जोड़	139896	

(ग) और (घ) विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की लागत एक परियोजना में दूसरी परियोजना पर अलग-अलग होती है जो परियोजना की लागतों परियोजना के आकार, स्थल की परिस्थितियों, प्रचलित मूल्योंके स्तर और ब्याज की दरों, ईंधन और अन्य विदेशों की लागत तथा प्रचालन संबंधी पैरामीटरों आदि पर निर्भर करती है। हाल ही में अनुमोदित की गई जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाली विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत 25 से 65 पैसे प्रति यूनिट भिन्न-भिन्न है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में मूल्यांकित की गई ताप विद्युत उत्पादन की लागत 36 पैसे से 75 प्रति यूनिट तक भिन्न-भिन्न है। जल विद्युत ताप विद्युत उत्पादन के उपयुक्त मिश्रण की आयोजना की जाती है परन्तु उत्पादन की लागतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत सस्ती दरों पर दे पाना व्यवहार्य होगा।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1325. **प्रो. मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और वर्ष 1984 के अंत तक इनकी संख्या कितनी हो जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : इस समय, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का कोई पद रिक्त नहीं है। सेवानिवृत्ति के कारण 1984 के दौरान कोई पद रिक्त नहीं होगा ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन

1326. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अब तक कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) आयोग द्वारा अब तक क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21,22,23,27 और 31 के अन्तर्गत निर्दिष्ट मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 30-6-84 तक 68 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

(ख) तथा (ग) आयोग द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट जो समय समय पर लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, में सूचित किया गया है। 31-12-1982 को समाप्त वर्ष से सम्बधित अन्तिम इस प्रकार की रिपोर्ट को सदन के पटल पर 13-3-1984 को प्रस्तुत किया गया था। 31-2-1982 के पश्चात् आयोग की रिपोर्टों के सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्रमसंख्या	आवेदक कम्पनी का नाम	आयोग रिपोर्ट को प्राप्त करने की तारीख	आयोग के मुख्य सुझाव	सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मै. सिन्थेटिक्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड	17-11-80	अनुमोदन का सुझाव दिया	31-1-83 को अनुमोदित

1	2	3	4	5
2.	मै. अल्कली एण्ड कैमीकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	2-9-81	···यथोपरि···	27-6-83 को
3.	मै. नैशनल आर्गेनिक कैमीकल इन्डस्ट्रीज लि.	2-9-81	···यथोपरि···	30-6-83 को अनुमोदित
4.	मै. रैलिस इण्डियां लि.	2-9-81	···यथोपरि···	30-6-83 को अनुमोदित
5.	मै. हायचस्ट फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड	2-9-81	आंशिक अनुमोदन का सुझाव दिया	विचाराधीन
6.	मै. मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी लि.	3-11.81	रद्द करने का सुझाव दिया	विचाराधीन
7.	मै. किलोस्कर आयल इंजिन्स लि.	3-11-81	अनुमोदन का सुझाव दिया	विचाराधीन
8.	मै. लुकास टी. वी. एए लि.	3-11-81	···यथोपरि···	31-3-83 को अनुमोदित
9.	मै. मोदी इन्डस्ट्रीज लि.	14-7-82	···यथोपरि···	19-6-84 को अनुमोदित
10.	मै. नेशनल स्टैन्डर्ड डंकन लि.	14-7-82	·· यथोपरि···	19-6-84 को अनुमोदित
11.	मै. वोल्टास लिमिटेड	23-8-82	सुद्ध करने का सुझाव दिया	30-3-84 क रद्द किया
12.	मै. पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि.	30-8-82	अनुमोदन का सुझाव दिया	विचाराधीन
13.	मै. सीबा गेगी आफ इंडिया लि.	24-11-82	···यथोपरि···	विचाराधीन
14.	मै. सीमैन्स इंडिया लि.	28-6-83	रद्द करने का सुझाव दिया	विचाराधीन
15.	मै. पो लि.	24-8-83	···तथोपरि···	विचाराधीन
16.	मै. क्लोराइड इंडिया लि.	13-12-83	···यथोपरि···	···यथोपरि···

1	2	3	4	5
17.	मै. ओरियन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	13-12-83	···यथोपरि···	···यथोपरि···

अखबारी कागज की कमी

1327. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले देश में अखबारी काज की कमी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे। और क्या सरकार अखबारी कागज की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सभी समाचार पत्रों की अखबारी कागज की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) मुख्यतया पोत और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वर्ष के शुरू में अखबारी कागज की मांग को अपेक्षित हद तक स्देशी उत्पादन तथा आयातों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में रेगिस्तानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा

1328. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में देश में पर्वतीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जाने वाले ठोस कदमों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) पहाड़ी तथा

रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी लाने की सरकार की नीति के अनुसरण में बिजली के विस्तार को अपेक्षित प्राथमिकता दी जा रही है। क्षेत्रीय बिषमताओं को कम करने तथा इन क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से तथा राज्यों के प्रयासों की पूर्ति करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सहायता के लिए मानदन्डों को उदार बनाने के साथ व्यापक रूप में नीतियाँ तैयार की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थलाकृति और स्थानीय परिस्थितियों आदि के कारण जिन क्षेत्रों में परम्परागत पारेषण प्रणालियों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण करना व्यवहार्य नहीं है, तब इन क्षेत्रों की भार मांगों को पूरा करने के लिए माइक्रो/मिनी जल-विद्युत जेनरेटरों के साथ-साथ डीजल जेनरेटिंग सैट प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। तथापि इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कारणों की वजह से विद्युतीकरण में कुछ कठिनाईयां हैं जैसे कम आधारभूत सुविधाओं का होना, विद्युतीकरण की अधिक लागत होना तथा सर्विस कनेक्शन प्रभार अधिक होना आदि है। इन बाधाओं को जहां तक सम्भव है, उपलब्ध साधनों से ही दूर करने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान के जैसलमेर, बाडमेर और जोधपुर जिलों में चल रहे पैट्रोल पम्प

1329. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पम्प चल रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जैसलमेर जिले मोहनगढ़, नचाना और रामगढ़ जैसे स्थानों के जो राजस्थान नहर के वहां पर पहुंचने से महत्वपूर्ण स्थान बन गये हैं के लोगों को पैट्रोल पम्पों के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) तेल उद्योग को इन तीन स्थानों पर फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के न होने के कारण लोगों द्वारा झेली जा रही किसी प्रकार की कठिनाइयों की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। इन स्थानों की मौजूदा क्षमता के अनुसार वहां फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के विकास करने का कोई औचित्य नहीं है। क्षमता का पुन: मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में उन स्थानों के नाम जहां तेल उद्योग इस समय फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) चला रही है।

क्रम.सं.	जैसलमेर	बाडमेर	जोधपुर
1	2	3	4
1.	जैसलमेर (3)	1. चोहातन	1. जोधपुर सिटी (15)
2.	पोकरन (2)	2. वलोतराह (3)	2. पालवा
			3. बवारी
			4. तिवारी (2)
			5. फलोदी (2)
			6. भीमल
			7. रानीवारा
			8. रोहत
		3. वाडमेर (3)	9. ग्रसोप
		4. सीवानी	10. भोपालसागर
		5. कल्याणपुर	11. कुरी
		6. गन्धाव	12. मुगरा
			13. बलेसर
			14. रौत की नदी
			15. नथानिया
			16. उसीन
			17. वाप
			18. बरूणडा
			19. मलोती
			20. मावी

1	2	3	4
			21. दंगीवास
			22. खारीया मिथापुर
		7. गंगा	23. बाधरी
		8. सामादानी	24. पिचायक
			25. पीपार सिटी (2)
			26. सूर सागर
			27. ककानी
			28. अगोलाई
			29. भंदुकलां
			30. वीलारा (2)
			31. वरनार

फरक्का ताप संयंत्र की उत्पादक क्षमता को 1000 मेगावाट बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से ऋण

1330. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने फरक्का सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादक क्षमता में 1000 मेगावाट की वृद्धि करने के लिए ऋण देने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक कितनी धन-राशि का ऋण देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के विस्तार चरण (2×500 मेगा०) का आंशिक रूप से वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक ने 300.8 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के लिए स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जून, 1984 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कोयला खानों में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त किया जाना

1331. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिशों पर कोयला खानों में ठेका श्रम पद्धति को, समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 488 दिनांक 1-2-1975 द्वारा कोयला खानों की निम्नलिखित संक्रियाओं/प्रक्रियाओं/कार्यों में ठेका श्रम के रोजगार प्रतिषिद्ध किए हैं :—

(i) कोयला निकालना या कोयला निकालना व बेचना;

(ii) कोयला लादना और उतारना;

(iii) अधिभार हटाना और भूमि काटना;

(iv) साफ्ट कोक का विनिर्माण; और

(v) भूमि के नीचे स्टोन ड्रिफ्टों की ड्राइविंग और विविध प्रकार के पत्थर की कटाई।

तृतीय राष्ट्रीय कोयला लघु मजदूरी समझौता की सिफारिशों को लागू न करना

1332. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेयजल सुविधाओं, आवास निर्माण, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं, पेंशन योजना तथा सुरक्षा उपबंधों के सम्बन्ध में तृतीय राष्ट्रीय मजूरी समझौते की सिफारिशों को अधिकतर लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) तृतीय राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता में कोयला खान कामगारों को 4 वर्ष की अवधि में अर्थात्—1983 से 1987 के दौरान यह विभिन्न सुविधाएं देने की व्यवस्था है—मकान, जलपूर्ति, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाएं। समझौते पर नवम्बर, 1983 में हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के अनुसरण में, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता—III में कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान नहीं है। परन्तु, उसमें अन्य प्रावधान हैं जिनमें सेवा-निवृत्ति लाभों की व्यवस्था है जिसके लिए कार्यविधि अभी "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" को तय करना है।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, इस बारे में और प्रशासनिक—दोनों व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं ताकि कोयला खानों में सुरक्षा के स्तरों में सुधार लाया जा सके। इन उपायों के

कार्यान्वयन की कोल इन्डिया लिमिटेड और सरकार द्वारा क्रमश: "को. इं. लि. सुरक्षा बोर्ड" और "कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति" के जरिये नियमित निगरानी रखी जाती है।

तेल में आत्मनिर्भरता

1333. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निर्भरता क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के लिए लक्ष्य 93.4 मि.मी. टन है जिसकी तुलना में 103.4 मि. मी. टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की आशा है। 1984-85 के लिए प्रत्याशित उत्पादन और अनुमानित मांग के आधार पर कच्चे तेल में लगभग 67 प्रतिशत तक आत्म निर्भरता प्राप्त होने की आशा है।

देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

1334. **श्री के. लकप्पा** :

श्री राम लाल राही :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों में राज्य-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) टेलीफोन व्यवस्था का विस्तार करने और प्रतीक्षा सूची को जल्द निपटाने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं; और

(ग) उपर्युक्त "क" में उल्लिखित व्यक्तियों में से कितनों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन के दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री वीजय एन. पाटिल) : (क) 31-3-1984 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिये राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1984-85 के दौरान उपस्कर क्षमता की लगभग 4 लाख लाइनें जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 2.5 लाख कनेक्शन प्रदान किए जाने की आशा है।

विवरण

क्र. सं.	दूरसंचार सर्किलों के नाम जिनके अन्तर्गत राज्य और टेलीफोन जिले आते हैं :	31-3-1984 को श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची		
		ओवाईटी	गैर-ओवाईटी	योग
1.	आंध्र प्रदेश	3,434	39,953	43,387
2.	बिहार	408	6,968	7,376
3.	गुजरात	4,242	64,509	68,751
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1,020	4,161	5,181
5.	कर्नाटक	2,003	30,507	32,510
6.	केरल (माहे एवं लक्षद्वीप सहित)	1,754	38,769	40,523
7.	मध्य प्रदेश	1,699	19,322	21,021
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	20,358	2,04,620	2,24,978
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल करके)	664	4,803	5,467
10.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, एव हिमाचल प्रदेश ब केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को शामिल करके)	1,537	38,730	40,267
11.	उड़ीसा	450	3,076	3,526
12.	राजस्थान	692	18,956	19,648
13.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	4,776	48,653	53,429
14.	उत्तर प्रदेश	944	26,428	27,372
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार सहित)	2,175	30,107	32,282
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	8,899	1,02,974	1,11,873
	कुल योग	55,055	6,82,536	7,37,591

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में स्वीडन से सहयोग

1335. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन ने विद्युत पारेषण पन बिजली और ताप बिजली आदि के क्षेत्रों में सहयोग के बहुत से क्षेत्रों का सुनिश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस प्रकार के सहयोग के लिये दोनों देश सहमत हो गए है;

(ग) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या विद्युत के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुत से निर्णय लिये गये है; और

(ङ) विद्युत के संबंध में स्वीडन, भारत सरकार के साथ किस हद तक सहयोग करने में समर्थ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) भारत सरकार और स्वीडन ने 1 अक्तूबर, 1983 में 30 जून, 1985 तक की अवधि के लिये, 1983 में एक विकास सयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके अन्तर्गत स्वीडन से सामग्री और सेवाओं की खरीद करके समौते की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग करने के लिए स्वीडन भारत को 100 मिलियन एल. के. आर. की राशि सहयोग के रूप में उपलब्ध करायेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-स्वीडिश सहयोग के लिए निर्धारित किये गये क्षेत्रों में ये शामिल है; धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना के अन्वेषण कार्यों के लिये परामर्श देना, केन्द्रीय विद्युत-अनुसंधान संस्थान के लिए एच.वी. सी. सिमुलेटर प्रदान करना तथा निदर्शन आधार पर माइक्रमे जल-विद्युत संयंत्र स्थापित करना।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा "भेल" से उसकी 210 मेगावाट क्षमता वाले एककों के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के एवज में मुआवजे की मांग

1336. **श्री बी.वी. देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन की हानि और "भेल" के 210 मेगावाट के एककों के असतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विद्युत उत्पादन में हुई हानि के लिये उक्त कम्पनी से मुआवजा मांग रहा है;

(ख) क्या मुआवजे की राशि करोड़ों रुपयों में है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने यह मांग की है कि हाइड्रोजन के रिसने (लीकेज) और "बेंट शार्टस" जिनकी वजह से ताप विद्युत एकक अवसर बन्द हो जाते हैं, संबंधी मरम्मत का काम रूसी विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के आंकड़ों से यह पता चलता है कि

इस निगम ने अप्रैल, दिसम्बर 1983 के दौरान हाइड्रोजन के रिसने और रोटरों के मुड़ जाने के कारण 252 मशीन-दिवस गवाएं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन में हुई हानि के लिए संविदात्मक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार मामले का विश्लेषण करने के पश्चात् दावा किया जा सकता है। मुआवजे की राशि, यदि कोई हो तो उसके बारे में अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने रूसी विशेषज्ञों की देख-रेख में हाइड्रोजन लिकेज की समस्या का समाधान करने के लिये प्रस्ताव किया है। बेन्टरोटर के सम्बन्ध में समस्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के केवल यूनिट-4 (210 मेगावाट) के टर्बाइन में पाई गई है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा बेन्ट रोटर के स्थान पर एक नया रोटर बदल दिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस कार्य के लिए रुसी विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण के लिए अनुरोध नहीं किया था।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान हाइड्रोजन लिकेज और बेन्ट रोटर के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को हुई हानियां क्रमश: 292 और 148 मशीन दिवस थी।

(ङ) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

10 बड़े औद्योगिक ग्रहों की उनकी अपनी परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों में साम्य शेयर पूंजी

1337. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार 10 बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित विभिन्न कम्पनियों और उनकी परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों में (एक) व्यक्ति समूहों (दो) वित्तीय संस्थानों और (तीन) अन्यों की साम्य शेयर धारित कितनी है;

(ख) 26 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर में दिए गए आंकड़ों और इन आंकड़ों की तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों में वित्तीय संस्थानों द्वारा नियुक्त निदेशकों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जैसा कि, कंपनी

अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में, समूह-अनुसार या परिवार-सदस्य के अनुसार शेयरधारण के विवरण सम्मिलित नहीं होते हैं इसलिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

उड़ीसा में और अधिक निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्रों का खोला जाना

1338. **श्री हरिहर सोरन** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर कितने निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए गए गये हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उडीसा में इन केन्द्रों से अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के निर्धन वर्गों के कितने लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी गई।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में उच्च न्यायालय स्तर पर एक विधिक सहायता समिति और उड़ीसा के बारह जिलों में प्रत्येक में दो या अधिक समितियां हैं। इनका विवरण उपाबंधक में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 851/84**]

(ग) अपेक्षित जानकारी उपाबंध-ख में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 8501/84**]

क्योंझर जिले में दूर संचार प्रणाली में अनियमितताएं

1339. **श्री हरिहरन सोरन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्योंझर जिले के टेलीग्राफ उपमंडल में दूरसंचार प्रणाली में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बिजय एन. पाटिल) : (क) क्योंझर जिला उप तार मंडल में कोई अनियमितता देखने में नहीं आई है। क्योंझर जिला उप तार मंडल का कार्यकरण आम तौर पर संतोषजनक है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेट्रो-रसायन एककों को स्थापित करने का प्रस्ताव

1340. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री आर.पी. गायकवाड़ : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अधिक पेट्रो-रसायन एककों को स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में अब तक ऐसे कितने पैट्रो-रसायन एकक स्थापित किए गये हैं;

(ग) क्या पेट्रो-रसायन एककों को स्थापित करने के लिए कुछ नये प्रस्तावों का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य वार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर इस प्रकार अनुमोदित पेट्रो-रसायन एककों को स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) सातवीं योजना के दौरान पैट्रो-रसायन एककों को स्थापित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) देश के विभिन्न भागों में कई पेट्रोकेमिकल्स एकक स्थापित किए गये हैं। मुख्य एककों में हैं :—

महाराष्ट्र	—दो नेफ्था क्रेकर और डाउन स्ट्रीम एकक।
	—एक एच.डी.पी.ई. एकक।
	—छः पोलिएस्टर एकक।
	—छः नायलान एकक।
गुजरात	—एक नेफ्था क्रेकर और इसके डाउन स्ट्रीम एकक।
	—तीन पोलिएस्टर एकक।
	—दो नायलान एकक।
	—एक केप्रोलेक्टम एकक

उत्तर प्रदेश	—एक संश्लिष्ट रबर संयंत्र
	—दो पोलिएस्टर एकक
	—एक नायलान एकक
राजस्थान	—दो पोलिएस्टर एकक
	—दो नायनान एकक
	—एक पी.वी.सी. एकक
	—एक एक्रिलिक फाइबर एकक
पंजाब	—एक नायनान एकक
तमिलनाडु	—एक पोलिएस्टर एकक
	—एक नायनान एकक
	—दो पी.वी.सी. एकक
पश्चिम बंगाल	—एक एल.डी.पी.ई. एकक
मध्य प्रदेश	—एक पोलिएस्टर एकक
	—एक नायनान एकक

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य पेट्रोकेमिकल्स एककों की स्थापना के लिये निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है :—

1. केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की केप्रोलेक्टम प्रायोजना
2. महाराष्ट्र में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की बेंजीन प्रायोजना
3. गुजरात में आई.पी.सी.एल. की विस्तार प्रायोजना (जाईलीन, डी. एम. टी. पोलीप्रोपिलीन, एक्रिलिक फाइबर और एल.ए.बी.)
4. असम में बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की पेट्रोकेमिकल्स कम्पलैक्स ।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

उड़ीसा के कस्बों और जिला मुख्यालयों में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन की सुविधाएं

1341. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के उन कस्बों और जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें मूलत: छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीधे डाइल घुमाकर टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने की योजना बनाई गई थी;

(ख) उन कस्बों में इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उड़ीसा में जिन कस्बों एवं जिला मुख्यालयों में छठी योजना के अंत तक एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान करने की प्रारंभ में योजना बनाई गई थी उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) बारीपाडा
(2) बोलागीर
(3) बारगढ़
(4) बालासोर
(5) धेंकनाल
(6) झारसुगुडा
(7) पारादीप
(8) पुरी
(9) सम्बलपुर,

(ख) पारादीप से भुवनेश्वर के लिए एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई है। पुरी के संबंध में कार्य चल रहा है।

(ग) जहां तक शेष सात कस्बों के लिए एस. टी. डी. सुविधा का प्रश्न है, कटक में प्रस्तावित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करने की योजना है। इन सात कस्बों को कटक स्थित ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिये विश्वसनीय संचारण माध्यम का भी प्रस्ताव है। शेष सात कस्बों में एस.टी.डी. सुविधा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उपलब्ध कराई जाने की संभावना है।

संदिग्ध वैद्यता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

1342. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही है, संदिग्ध वैद्यता वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिये एक दल का गठन किया है;

(ख) इस दल द्वारा इस प्रकार की पता लगाई गई वस्तुओं के नाम क्या हैं और इस दल द्वारा विनियमन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है;

(ग) ऐसे दल की स्थापना की आवश्यकता क्या थी जबकि 1978 के औषध नीति वक्तव्य में उल्लिखित निर्णय सुस्पष्ट और असंदिग्ध हैं; और

(घ) ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों के विरुद्ध औषध नीति के वर्तमान उपबंधों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) औषध नीति के अन्तर्गत विनियमन के लिये प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह सरकार के ध्यान में आया है कि कई औद्योगिक उपक्रम कुछ ऐसे मदों के निर्माण का दावा कर रहे थे जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक अनुमोदनों की वैधता को कंपनियां सिद्ध नहीं कर पाई। इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा संभव कार्यवाही का सुझाव देने तथा प्रक्रिया के अनुसार की दृष्टि से सरकार ने एक अन्तर-मन्त्रालय कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल द्वारा ऐसी मदों का अलग-अलग आधार पर पता लगाना अपेक्षित नहीं था। उक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट राष्ट्रीय औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स विकास परिषद को भेज दी गई है। ऐसे संदिग्ध प्रकृति वाले मामलों में आगामी कार्यवाही राष्ट्रीय औषध एवं फार्मास्युटिकल्स विकास परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

फार्मूलेशन्स के लीडर मूल्य को अधिसूचित करने के लाभ

1343. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मूलेशन्स के लीडर मूल्यों को अधिसूचित करने के क्या लाभ हैं; और लीडर्स मूल्यों के चयन का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या सभी फार्मूलेशन्स पैकेट जिनका लीडर्स के रूप में चयन किया गया है और जिनके लिये लीडर्स मूल्य अधिसूचित किये गए हैं, उपर्युक्त मानदण्ड के अनुरूप हैं; और

(ग) लीडर मूल्यों के अधिसूचित करने से उपभोक्ताओं को हुंने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है और क्या भविष्य में भी इस काम को जारी रखने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मार्च, 1978 में नई औषध नीति की घोषणा की। नई औषध नीति, 1978 के अनुच्छेद 51 तथा 52 तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अनुसरण में जहां भी संभव था लीडर मूल्य अधिसूचित कर दिये गए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित लीडर मूल्यों के उल्लंघन की कोई घटनाएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। राष्ट्रीय औषध तथा फार्मास्युटिकल्स विकास परिषद औषध नीति में परिवर्तन, यदि कोई हो, से अवगत है।

आदिवासी खंडों तथा विद्युतीकरण से छूटे रह गए उड़ीसा के गाँवों का विद्युतीकरण करने की योजनाएं

1344. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आदिवासी खंडों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

और विद्युतीकरण से छूटे रहे गावों के लिये मिनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं अनुमोदन और मंजूरी के लिये भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं और मिनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में उस राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी और शिथिर रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उस राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और प्राथमिकता के आधार पर अब तक कितनी धनराशि रिलीज की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 31 मई, 1984 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त निम्नलिखित सात आदिवासी स्कीमों पर कार्रवाई ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न चरणों में की जा रही है :—

क्रम सं.	स्कीम/जिले का नाम	श्रेणी	ऋण की राशि (लाख रुपये में)
1.	कोरापुत में कालीनाला और पोडिया ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	70.361
2.	कोरापुत में खेरापुत ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	53.684
3.	कोरापुत में कोडुमालगुडा ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	24.553
4.	सुन्दरगढ़ में बारनूह ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	34.191
5.	कोरापुत में खोदरा ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	40.441
6.	सुन्दरगड़ में मुआगोन ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	62.084
7.	सुन्दरगढ़ जिले में सोबडोगा और बालीशंकर ब्लाक	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	49.452

31-5-1984 की स्थिति के अनुसार शेष गावों के लिये ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास कोई मिनी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम रुकी नहीं पड़ी थी ।

(ग) और (घ) मार्च 1984 के अंत तक उड़ीसा राज्य के 18,683 आदिवासी गांवों में से 5,907 गावों का विद्युतीकरण कर दिया गया था । जो कि 31.6% बैठते हैं । अखिल भारतीय आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्धि में हुई प्रगति 30.9% बैठती है । इन क्षेत्रों में धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में ये शामिल हैं; आधारभूत सुविधाओं की कमी, लाइनों के विस्तार की लागत अधिक होना, भार विकास कम होना तथा लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन प्रभारों, प्रतिभूति राशियों और ऊर्जा उपभोग प्रभारों का भुगतान करने में बहुधा असमर्थ होना ।

(ङ) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत परिव्यय में आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अलग से निधियां प्रारक्षित नहीं रखी जाती हैं । उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 100 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई कुल 52.84 करोड़ रुपए की ऋण सहायता में से 31 मार्च, 1984 तक निगम ने 33.63 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी थी ।

डीजल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की विशेष योजना

1345. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने देश में छठी पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान डीजल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना के अन्तर्गत 18 जिलों को लाने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उस योजना के अंतर्गत लाया जा चुका है जिन्हें छठी योजना की समाप्ति से पहले लाया जाना है;

(ग) विशेषकर आदिवासी जिलों में अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अगली पंचवर्षीय योजना में अन्य जिलों के साथ-साथ इन शेष रहे जिलों को भी उक्त सुविधा प्रदान की जाएगी अथवा कि वहां बेहतर टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने हेतु उन्हें किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कोई जिला नहीं आ सका है। छठी योजना के अंत तक 5 जिलों में इस योजना के लागू करने की संभावना है ।

(ग) उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण ।

(घ) जी हां । यह योजना शेष जिलों में लागू की जाएगी, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध रहें :

दूरदर्शन फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए सहायता

1346. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बनाई गई पूरी लम्बाई की दूरदर्शन फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ख) फिल्मों के निर्माण के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या सहायता उपलब्ध करायी गयी;

(ग) क्या फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन की उत्पादन यूनिटें भी दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिये फीचर फिल्में बना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन पूरी लम्बाई की फीचर फिल्मों का निर्माण नहीं करता, किन्तु एक घन्टे तक की अवधि की टी०वी० फिल्मों का निर्माण करता है। तथापि, "स्मृति चित्र" नामक एक टी०वी० फीचर फिल्म का निर्माण दूरदर्शन द्वारा स्वयं किया गया था। दूरदर्शन ने "स्टुडियो बराड आफ प्राग," चेकोस्लोवाकिया तथा एक स्विस फर्म के साथ "ए बिटर आट्म विद ए सेंट आफ मेंगो" नामक एक फीचर फिल्म का सह-निर्माण भी किया है जिस पर दूरदर्शन ने केवल 7.00 लाख रुपये खर्च किए थे।

(ग) और (घ) फिल्म प्रभाग विशिष्ट रूप से दूरदर्शन के लिये फिल्में नहीं बनाता। तथापि, फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई फिल्मों को उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा टी०वी० फिल्में/कार्यक्रम बनाने का काम निरंतर चलता रहता है।

बड़ौदा जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाना

1347. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का 1984 और 1985 के दौरान बड़ौदा जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो 1985 के अन्त तक कितने नये टेलोफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और प्रतीक्षा सूची के समाप्त करने के लिए कोई सापेक्ष योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो 10-वर्षीय सापेक्ष योजना के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां,।

(ख) जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक 5,000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी हां।

(घ) सापेक्ष योजना अवधि 1980-1990 के दौरान 30,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

गैस विस्फोटक परियोजनाओं और नेप्था विस्फोटक एककों की स्थापना

1348 **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में दो गैस विस्फोटक परियोजनाओं और दो नेप्था विस्फोटक एककों को स्थापित करने के प्रस्तावों की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक गैस विस्फोटक परियोजना को गुजरात में स्थापित किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की लागत क्या है;

(घ) क्या गुजरात में प्रस्तावित गैस विस्फोटक परियोजना को स्थापित करने के लिए किसी स्थल का चुनाव किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थल का नाम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र में केंद्रीय क्षेत्र में एक गैस क्रेकर संयंत्र और दो नेप्था पर आधारित संयंत्र जिनमें से एक सलीमपुर, उत्तर प्रदेश में और दूसरा कोचीन में केरल में स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं।

वेस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को हल्दिया में नेप्था क्रेकर की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

गुजरात राज्य सरकार ने केवास में एक गैस क्रेकर कम्पलेक्स की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इस संयंत्र की अनुमानित पूंजीगत लागत 804 करोड़ रुपये हैं।

विशाखापत्तनम को माइक्रोवेव प्रणाली से कोरापुट, जैपुर रायगडा से जोड़ना

1349. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मन्त्रालय से विशाखापत्तनम को कोरापुट, जैपुर और रायगढ़ से जोड़ने वाले मार्गों पर अधिष्ठापित किए जा रहे माइक्रोवेव लिंक के काम को

शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है जैसा कि उड़ीसा में कटक से अनुगुल और तेल्चर के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त माइक्रोवेव लिंक के काम को शीघ्र पूरा करने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। विशाखापटनम-कोरापुट और कोरापुर-जैपोर लंगपट्टी माइक्रोवेव प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। रायगडा को माइक्रोवेव के साथ जोड़ने का औचित्य नहीं बनाता है।

(ख) इस योजना का निष्पादन कार्य चल रहा है तथा सभी संघटकों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

(ग) इमारत का निर्माण, टावर की नींव रखने जैसे सिविल कार्य चल रहा है। उपस्कर और टावर की साज सामग्री की सप्लाई अभी मिलनी है।

कोरब सुपर ताप बिजली घर के तीसरे एकक का चालू होना

1350. कुमारी पुष्पा देवी सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्तर्गत कोरबा सुपर ताप बिजलीघर के 200 मेगावाट वाले तीसरे एकक को चालू करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोरबा सुपर ताप बिजली घर से इसके तीसरे एकक का काम पूरा हो जाने और उसमें विद्युत उत्पादन शुरू हो जाने के बाद कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की आशा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की तीसरी यूनिट (200 मेगावाट) मार्च, 1984 में चालू कर दी गई है। इस यूनिट के चालू हो जाने से कोरबा की प्रतिष्ठापित क्षमता 600 मेगावाट (अर्थात् 200-200 मेगावाट की 3 यूनिटें) हो जाएगी। पहली 2 यूनिटें क्रमश: मार्च, 1983 और अक्तूबर, 1983 में चालू कर दी गई थी।

उड़ीसा के पारादीप में तेल टर्मिनल की स्थापना का प्रस्ताव

1351 **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पारादीप में एक तेल टर्मिनल की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वित होने की आशा है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से इस प्रायोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस गैस इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव

1352. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** :

श्रीमती विद्याचेन्नूपति : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस इस्तेमाल किये जाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के विरुद्ध है, जिसने प्राकृतिक गैस संस्थानों को उर्वरक संयंत्रों, पैट्रो-रसायन संयंत्रों आदि के लिए आरक्षित रखने के लिए सिफारिश की थी तथा नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रमुख रूप से उर्वरकों और पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्राथमिकता देने के संबंध में दिए गए वचनों के संदर्भ में तथा गैस की उपलब्धता के वर्तमान मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता की जांच की जा रही है। इस मामले की जांच करने के लिए एक अन्त: मंत्रालयीय दल गठित किया गया था। प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

हरियाणा में फरीदाबाद के समीप खानों के मजदूरों की भुखमरी की स्थिति और छंटनी

1353. **मंगल राम प्रेमी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 1984 के "जनसत्ता" में "यूं धोखा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि फरीदाबाद के समीप अंखीर, मेवला, महाराजपुर, बड़खल, गुरुकुल, कटन, लकड़पुर, अनंगपुर तथा अन्य खानों के हजारों मजदूर छंटनी के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लक्ष्मीधर मिश्र आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि इन खानों में हजारों बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं और यदि हां, तो, सरकार ने उन्हें नियमित करने और उन्हें भूखों मरने से बचाने तथा उन्हें बंधुआ मजदूर न बनने देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें खानों के कार्यकरण के लिए परमिट जारी करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई नयी नीति के परिणाम स्वरूप, फरीदाबाद (हरियाणा) के पास पत्थर खदानों के अधिकांश श्रमिकों की छंटनी की सम्भावना का आरोप लगाया गया है।

(ग) और (घ) श्री लक्ष्मीधर मिश्र महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) ने जिन्हें हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पत्थर खदानों में काम कर रहे श्रमिकों की दशाओं की जांच करने के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा दायर की गई रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, अब अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने जांच रिपोर्टों के आधार पर अपना निर्णय अभी देना है। अत: यह मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है और न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी।

विदेश सेवाओं की अरबी भाषी एकक में नैमित्तिक बुकिंग

1354. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश सेवाओं का अरबी भाषी एकक में नैमित्तिक बुकिंग पर गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1982-1983 और 1984 (30-6-84 तक) प्रति मास, कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) अरबी भाषा एकक में 30 जून, 1984 को स्टाफ आर्टिस्टों सहित कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और वास्तविक सख्या कितनी थी तथा कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 30.6.84 के दिन की स्थिति के अनुसार विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग की अरबी यूनिट में विभिन्न ग्रेडों/श्रेणियों के कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या नीचे दी गई है :—

पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	खाली पदों की संख्या
पर्यवेक्षक	1100=1600 रुपये	1	1	—
अनुवादक-व-उद्घोषक	700-1300 रुपये	8	6	2
सहायक	425-640 रुपये	1	—	1
कापीस्टक	425-640 रुपये	1	1	—

ये सभी पद स्टाफ आर्टिस्ट श्रेणी के हैं। मौजूदा खाली पदों पर दो अनुवादक-व-उद्घोषक तथा एक सहायक की भर्ती करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

वर्ष 1982	मास	राशि
	जनवरी	5263.00 रु.
	फरवरी	4800.00 रु.
	मार्च	5825.00 रु.
	अप्रैल	6100.00 रु.
	मई	3510.00 रु.
	जून	5245.00 रु.
	जुलाई	4190.00 रु.
	अगस्त	5280.00 रु.
	सितम्बर	3380.00 रु.
	अक्तूबर	5430.00 रु.
	नवम्बर	4360.00 रु.
	दिसम्बर	4740.00 रु.
	कुल	58123.00 रु.

वर्ष 1983	मास	राशि
	जनवरी	4770.00 रु.
	फरवरी	2132.50 रु.
	मार्च	2295.00 रु.
	अप्रैल	2695.00 रु.
	मई	2795.00 रु.
	जून	4545.00 रु.
	जुलाई	4335.00 रु.
	अगस्त	6312.95 रु.
	सितम्बर	4791.35 रु.
	अक्तूबर	3590.00 रु.
	नवम्बर	2960.00 रु.
	दिसम्बर	3310.00 रु.
	कुल	44531.80 रु.

वर्ष 1984

	जनवरी	2995.00 रु.
	फरवरी	3175.00 रु.
	मार्च	4115.00 रु.
	अप्रैल	4705.00 रु.
	मई	4800.00 रु.
	जून	4675.00 रु.
	कुल	28865.00 रु.

1982, 1983 तथा 1984 (30-6-84 तक) के दौरान कुल व्यय: 126719.80 रुपये।

सोडा ऐश के मूल्यों का अधिक होना

1355. **श्री मोतीभाई आर चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोडियम सिलिकेट उद्योग की इस शिकायत के सम्बन्ध में, कि भारी आयात शुल्क के कारण आयात बंद कर दिए जाने का फायदा उठाते हुए सोडा ऐश के उत्पादक बहुत अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है और सोडा ऐश किफायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : सरकार ने सोडा ऐश के उत्पादन, आयात, वितरण, मूल्य निर्धारण आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं के ब्यौरों की जांच करने के लिए पहले ही एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी है।

तालचर और इब घाटी कोयला खदानें

1356. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में तालचर कोयला खदानें और इब घाटी कोयला खदान को कोल इण्डिया लि०, की एक अधीनस्थ कपनी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाने का है;

(ख) क्या कोल इण्डिया लि०, की नई अधीनस्थ कंपनी का मुख्यालय उड़ीसा में बनाए जाने का विचार है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में डाक और दूरसंचार विकास कार्यक्रम

1357. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू किये गये विभिन्न डाक और दूरसंचार विकास कार्यक्रम कौन से हैं;

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए कौन सा प्रमुख विकास कार्यक्रम शामिल किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) (एक) डाक :

खोले गए डाकघर	: 123
(विभागीय उप डाकघर सहित	

गांवों में उपलब्ध कराई गई : 126
काउन्टर सेवा

स्थापित किये गये लेटर बाक्स : 63

(दो) **दूर संचार :**

जानकारी संलग्न विवरण एक में दी गई हैं।

(ख) (एक) **डाक :** 1984-85 के लिये निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:—

डाकघर खोलना : 90
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर
औचित्य पाया जाएगा विभागीय
उप डाकघर खोले जायेंगे जो एक योजनाबद्ध
विस्तार कार्यक्रम नहीं है।

लेटर बाक्स लगाना : 30

गांवों में काउन्टर सेवा उपलब्ध करना : 60

(दो) **दूरसंचार :**
जानकारी संलग्न विवरण दो में दी गई है।

(ग) (एक) **डाक :** जानकारी संलग्न विवरण तीन में दी गई है।
(दो) **दूरसंचार :** जानकारी संलग्न विवरण चार में दी गई है।

विवरण-एक

1983-84 के दौरान किया गया दूरसंचार विकास परियोजनाओं का कार्य :—

1. 25 लाइनों के 26 नये एम. ए. एक्स. III का संस्थापन कार्य पूर्ण करना।
2. खोले गये नये लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर : 55
3. खोले गये ट्रंक एक्सचेंज : 03
4. खोले गए मंडल तार घर : 02
5. सज्जित क्षमता में वृद्धि : 4480 लाइनें
6. हस्तचल एक्सचेंजों को स्वचल बनाना : 03
7. स्थापित की गई ओपेन वायर कैरियर प्रणाली : 09
8. चालू की गई वी. एफ. टी. सर्किटें : 03
9. चालू की गई ट्रंक सर्किटें : 18

10· चालू किया गया प्वाईट-टू-प्वाईट एस. टी. डी. रूट : 01

11. टेलेक्स क्षमता में वृद्धि : 50 लाइनें

12. उपलब्ध कराये गये डी· ई. एल. : 3000 लाइनें ।

उपरोक्त के अतिरिक्त 1983-84 में 5 माइक्रोवेव. 3 यू. एच. एफ. और एक को एक्सिग्रल योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया।

विवरण-दो

वर्ष 1984-85 के लिये शामिल किये गये प्रमुख विकास कार्यक्रम :—

1. 25 लाइनों (प्रत्येक) के 25 नये एम. ए एक्स-III एक्सचेंज खोलना।

2. लंबी दूरी 130 टेलीप्रिंटर खोलना।

3. दो ट्रंक एक्सचेंज चालू करना।

4. 20 लाइनों (प्रत्येक) के दो टेलेक्स एक्सचेंज चालू करना।

5. 15 नये ओपन वायर कैरियर-प्रणालियां।

6. संस्थापित की जाने वाली 5 नई वी. एफ टी· प्रणालियां।

7. टेलीफोन एक्सचेंजों की सज्जित क्षमता में 5690 लाइनों की वृद्धि करना।

8. टेलेक्स एक्सचेंजों की सज्जित क्षमता में 90 लाइनों की वृद्धि करना।

9. एक हस्तचल एक्सचेंज को स्वचल बनाना।

10. दो प्वाईट-टू-प्वाईट एस• टी• डी• रूट चालू किये जाने की संभावना है।

11. 3900 डी. ई. ऐल. उपलब्ध कराये जायेंगे।

विवरण-तीन

योजना लक्ष्य 1984-85 (मंडलवार)

क्रम सं•	मंडल का नाम	डाक घर खोलना	लेटर बाक्स संस्थापित करना	काउन्टर सेवा सुविधायें
1	2	3	4	5
1.	बोलनगीर	13	3	6
2.	बालासोर	5	1	2

1 2	3	4	5
3. बेरहामपुर (पूर्व)	5	1	3
4. बेरहामपुर (पश्चिम)	3	1	3
5. भद्रक	4	1	4
6. भुवनेश्वर	2	1	2
7. कटक (उत्तर)	6	1	4
8. कटक नगर	2	1	2
9. कटक (दक्षिण)	5	1	2
10. घनेनकनाल	4	1	4
11. क्योझंर	8	2	4
12. कोटापुट	4	3	4
13. मयूरमंज	4	3	4
14. फुलबनी	12	3	4
15. पुरी	5	3	8
16. संबलपुर	4	3	6
17. सुन्दरगड़	4	3	4
योग	90	30	60

विवरण—चार

वर्ष 1984-85 के लिए शामिल किये गये विकास कार्यक्रम का ब्योरा

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रस्तावत ऐम. ऐ. ऐक्स-III	प्रस्तावित लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर
1	2	3	4
1.	बालासौर	2	5
2.	बोलनगीर	2	2

1 2	3	4
3. कटक	6	25
4, धेनकनाल	2	4
5. गंजम	2	20
6. कालाहांडी	—	2
7. क्योझर	1	8
8. कोरापुट	1	8
9. फुलबनी	2	3
10. म्यूरभंज	1	8
11. पुरी	3	20
12. संबलपुर	3	20
13. सुन्दरगढ़	—	5
	25	130

1984-85 के दौरान विकास कार्य की विशिष्टतायें जिन पर कार्य किये जाने की आशा है :—

1. बालासोर सी. बी. ऐस. एक्सचेंज का 900 लाइन ऐम. ऐ. ऐक्स-II द्वारा स्वचल बनाना।
2. भुवनेश्वर ऐम. ऐ. ऐक्स-1 का 5000 से 7000 लाइनों तक विस्तार करना (27-6-84 को 1000 लाइन पहले ही चालू की जा चुकी है)
3. राउरकेला प्लांट एम. ए. ऐक्स-1 का 2700 से 3000 लाइनों तक विस्तार करना।
4. राउरकेला ऐम. ऐ. ऐक्स-1 का 1200 से 1500 लाइनों तक विस्तार करना।
5. संबलपुर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण।
6. भुवनेश्वर यूनिट-11 में टेलीफोन ऐक्सचेंज भवन का निर्माण। विस्तार
7. कटक यूनिट-11 के. टी. ई. भवन का निमाण। विस्तार
8. पुरी-भुवनेश्वर और पुरी-कटक प्वाइंट-टू-प्वांइंट एस. ट. डी. रूट चालू करना।

निर्दिष्ट वेव लेंथ के बहुत कम दूरी के क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले वायरलैस उपकरण

1358. **श्री एन. के. शेजबलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू प्रयोग कतिपय व्यवसायिक जैसे डाक्टर, चिकित्सा तथा टैक्सी सेवाओं, कारखानों और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट वेवलेंथ के बहुत कम दूरी के क्षेत्र में प्रयोग में किये जाने वाले वाकी-टॉकी और इसी प्रकार के अन्य वायरलैस उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देने के मामले में सरकार की नीति क्या है, और

(ख) क्या ऐसे यंत्रों के प्रयोग सम्बन्धी वर्तमान कानून में आवश्यक संशोधन करके जनता को ऐसी बचतपूर्ण तथा सुविधाजनक संचार साधन उपलब्ध कराने का उचित समय नहीं आ गया है;

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन ,पाटिल) : (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 के अधीन बाकी-टॉकी और इसी प्रकार के अन्य बेतार उपकरणों के प्रयोग के लिए जनता और सरकारी अभिकरणों को लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली उपग्रह और आकाशवाणी में दिहाड़ी पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

1359. श्री रामलाल राही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उपग्रह दूरदर्शन और आकाशवाणी में चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी दिहाड़ी के आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 240 दिन पूरा हो जाने के बाद उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाना होता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है परन्तु जिन्हें नियमित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पानी पिलाने, कुली, श्रम, इत्यादि जैसे नैमित्तिक स्वरूप के कार्य के लिए दिहाड़ी पर कुछ व्यक्ति लगाये जाते हैं।

(ख) गृह मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार, दिहाड़ी वाले जिस व्यक्ति ने गत दो वर्षों में प्रत्येक के दौरान सेवा के 240 दिन पूरे कर लिये हो, वह समूह "घ" के खाली पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के लिये पात्र है बशर्ते कि वह आयु, शैक्षणिक अर्हता इत्यादि से संबंधित कतिपय शर्तों को पूरा करता हो।

(ग) और (घ) उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में किसी भी नैमित्ति श्रमिक ने उक्त

फार्मूला के अन्तर्गत दो लगातार वर्षों में सेवा के 240 दिन पूरे नहीं किये हैं। तथापि, आकाशवाणी में 5 नैमित्तिक श्रमिक समूह "घ" के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र हैं। समूह "घ" में नियमित रिक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार की नियुक्ति के लिए उन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है।

देश में डोरी रहित (कार्डलैस) टेलीफोनों की शुरूआत

1360. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों में वर्षा के कारण टेलीविजन व्यवस्था काफी खराब हो जाती है;

(ख) क्या डोरी रहित टेलीफोनों की व्यवस्था से यह समस्या बहुत बड़ी सीमा तक कम हो जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस प्रकार के टेलीफोनों का निर्माण करने के लिए योजनायें तैयार की हैं और क्या इनका निर्माण होने तक सरकार जरूरत-मन्द प्रयोक्ताओं को इनका आयात करने की अनुमति देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। केबिल में खराबी आजाने के कारण ऐसा होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) देश के परिपथ जाल में बगैर कार्ड वाले टेलीफोन के बारे में जांच की जा रही है। इस प्रकार का प्रस्ताव है कि लगभग 100 मीटरों अथवा इससे कुछ अधिक की परिधि के भीतर बगैर कार्ड वाले टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमद नगर में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचैंज की स्थापना

1361. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदनगर जिले में दूरसंचार व्यवस्था को सुधारने के लिए वहां एक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचैंज की स्थापना की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब विचार करेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सीमित मात्रा में इलैक्ट्रानिक स्विचन उपकरण उपलब्ध होने के कारण छठी योजना अवधि में, टेलीफोन जिलों को छोड़कर अन्य शहरों में अंकिय इलैक्ट्रानिक एक्सचैंज प्रदान किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। सातवीं योजना अवधि में जब देश में, पर्याप्त मात्रा में इलैक्ट्रानिक स्विचन उपकरण का उत्पादन होने लगेगा, तो जिला वाले शहरों में इस प्रकार के एक्सचेंज प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-परम्परागत ऊर्जा एककों की स्थापना

1362. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण कारीगरों की सहायता करने और सिंचाई के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-परम्परागत ऊर्जा एकक स्थापित करने का कोई कार्यक्रम प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो अहमदनगर (महाराष्ट्र) में इस प्रकार के कितने एकक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में खासतौर पर बायोगैस, पवन चक्की आदि के जरिये पैदा की गई ऊर्जा के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) अहमदनगर जिले में पानी खींचने के लिए पांच पवन पम्पों व दो सौर प्रकाश वोल्टीय पम्पों को स्थापित किया गया है। आगे एक सौर जल तापन प्रणाली तथा एक संस्थागत बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। परिवार आकाश के बायोगैस संयंत्रों तथा उन्नत प्रकार के चूल्हों को भी स्थापित किया जा रहा है। अहमदनगर जिले सहित महाराष्ट्र में अतिरिक्त गैर-पारम्परिक ऊर्जा यूनिटों की स्थापना करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विचार विमर्श प्रगति पर है।

(ग) और (घ) बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्रों उन्नत प्रकार के चूल्हों, सौर कुकरों तथा अन्य सौर तापीय ऊर्जा युक्तियों की स्थापना के लिये योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं में राजसहायता व अन्य प्रोत्साहनों, प्रशिक्षण एवं स्थापना के बाद रख-रखाव का प्रावधान सम्मिलित है। जल पम्पों, पवन, बिजली, टेलीविजन व रेडियो के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों, सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों तथा ऊर्जा बागवानी के लिए प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय परीक्षण कार्यक्रम जारी हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान के जालौर जिले में भीनमल में स्थान "डाकघर" भवन का निर्माण

1363. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला जालौर (राजस्थान) के भीनमल में मंजूर 'डाकघर' भवन का निर्माण कार्य स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जालौर जिले में भीनमल में डाकघर की इमारत का निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक परियोजना है और इसका निर्माण कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) के दौरान प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान में गैस एजेंसियां आवंटित किए जाने का विचार

1364. **श्री विरंदाराम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान में कितनी गैस एजेंसियां आवंटित किये जाने का विचार है;

(ख) इस प्रकार की एजेंसियों के वितरण की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से नाम आयेंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) तेल उद्योग ने अपनी 1984-85 की विपणन योजना में राजस्थान राज्य में एल पी. जी. की एजेंसियों का आबंटन करने के लिए 27 स्थान निश्चित कर रखे हैं; जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	
स्थान	नई/विद्यमान बाजार	स्थान	नई/विद्यमान बाजार	स्थान	नई/विद्यमान बाजार
1. जोधपुर	विद्यमान बाजार	1. अजमेर	विद्यमान बाजार	1. करौली	नया बाजार
2. अजमेर	—वही—	2. कोटा	—वही—	2. जयपुर	विद्यमान बाजार
3. निंबाहेरा	नया बाजार	3. जोधपुर	—वही—	3. जयपुर	—वही—
4. डीग	—वही—	4. जयपुर	—वही—	4. अजमेर	—वही—
5. जयपुर	विद्यमान बाजार	5. जयपुर	—वही—	5. जयपुर	—वही—
		6. भरतपुर	—वही—	6. लछमणगढ	नया बाजार
		7. सवाई माधोपुर	—वही—	7. राजगढ	—वही—
		8. उदयपुर	—वही—	8. डुंगरगढ	—वही—
		9. रामगढ	नया बाजार	9. जोधपुर	विद्यमान बाजार
		10. नाखा	—वही—	10. बलोत्रा	नया बाजार
		11. चिरावा	—वही—	11. अजमेर	विद्यमान बाजार

सरकारी उपक्रमों में नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में आदर्श स्थायी आदेश, 1971 का संशोधन

1365 **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नैमित्तिक श्रमिकों के लिए नवम्बर, 1971 में जारी किए गए आदर्श स्थायी आदेशों के प्रतिस्थापन में सभी नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में आदर्श स्थायी आदेशों का एक सामान्य सैट तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और नैमित्तिक श्रमिकों के सम्बन्ध में 1971 के आदर्श स्थायी आदेशों को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागीय उपक्रमों द्वारा अपनाने और उन्हें लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1971 में जारी किए गए "माडल स्थायी आदेश" बिलकुल परामर्शी प्रकार के हैं । फिर भी, श्रम मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों के विभागीय उपक्रमों द्वारा इन "माडल आदेशों" को अपनाने और उन्हें लागू करने के प्रश्न की पैरवी करता आ रहा है । इन "माडल स्थायी आदेशों" को लागू करवाने के लिए कुछ नियोक्ता मंत्रालयों द्वारा अपने विभागीय उपक्रमों को व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं और इस बारे में हुई प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रहीं हैं ।

फार्मास्युटिकल्स का निर्यात

1366. **श्री बनवरी लाल बेख** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधिय आरंडी के तेल को छोड़कर शेष फार्मास्यूटिकल्स का भारी निर्यात फैरा औषध कम्पनी द्वारा ही किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से औषधियों का निर्यात करने वाले दस प्रमुख निर्यातकों और "फैरा" औषद कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) भारतीय कम्पनियों द्वारा फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भेषजों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय पहले ही कर चुकी है :—

1. राज्य व्यापार निगम और चैमेसिल ने निर्यातों में वृद्धि करने और उत्तम किस्म के उत्पाद उपलब्ध करने हेतु विख्यात औषध और फार्मूलेशन निर्यताओं के एक संघ का गठन किया है।

2. भारतीय भेषज उत्पादों की बुनियाद को बढ़ाने की उनकी गुणवता तथा विविधता के बारे में अधिक से अधिक देशों को जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों के बारे, दृष्य और श्रव्य प्रदर्शन, प्रदर्शनियों आदि जैसे प्रवर्धन कार्य कलापों का आयोजन किया जाता है। इस सम्बन्ध में विकासशील देशों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए क्षमता का उपयोग

1367. **श्री रेणुपद दास :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी, गैर सरकारी और विदेशी औषधि कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए कितनी क्षमता का उपयोग किया;

(ख) क्या दमा, मिर्गी और पेचिश के इलाज के लिए आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए इन कम्पनियों को साधारण घरेलु उपचार की दवाओं और विटामिनों की अपेक्षा आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में अधिक क्षमता का उपयोग करने के बारे में आदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या लोगों के स्वास्थ्य की जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों का उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम सिद्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बहु प्रयोजन संयंत्रों में अनेक बल्क औषधों का उत्पादन किया जाता है जहां वास्तविक क्षमता उपयोग उत्पाद मिश्रण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। इसलिए क्षेत्रवार सम्पूर्ण क्षमता उपयोग निकालना कठिन है।

(ख) मेरा मंत्रालय अनिवार्य और जीवन-रक्षक औषधों की उपलब्धता पर निगरानी रखता है। जब कभी औषधों की कमी ध्यान में आती है, वह मुख्यत: स्थानीय प्रकृति की होती है अथवा ब्रांड औषधों की, जिनके लिए अन्य समकक्ष औषधें उपलब्ध होती हैं।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एन्टीबायोटिक्स, सल्फा औषधों, टी. बी.

निरोधी औषधों, कुष्ठ निरोधी औषधों, उक्त रक्तचाप निरोधी औषधों, सेरा और वैक्सीन जैसी जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

औषधों और फार्मूलेशनों का उत्पादन और आयात

1368. **श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान औषधी और फार्मूलेशन का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान बल्क औषधों के उत्पादन के लिए आवश्यक बल्क औषधों, फार्मूलेशनों और इंटरमीएिटों का कुल कितना आयात किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 की तुलना में प्राथमिक चरणों से स्थानी उत्पादन में कमी आई है तथा बल्क औषधों और इन्टरमीडिएटों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि बल्क औषधों का उत्पादन करने के लाइसेंस वाली बहुत सी कम्पनियां इनका उत्पादन नहीं कर रही है बल्कि इनका आयात कर रही है; यदि हां, तो इन कम्पनियों तथा बल्क औषधों के नाम क्या हैं और इनके आयात के स्त्रोत कौन से हैं; और

(ङ) इस प्रकार की अवैध गति विधियों को रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष, 1983-84 के दौरान क्रमश: 345 करोड़ रु. और 1660 करोड़ रु. के बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का अनुमानित उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) वर्ष, 1983-84 के दौरान बल्क औषधें, तैयार फार्मूलेशनों और मध्यवर्तियों रसायनों और घोलकों सहित के आयात के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	आयात (रु. में)
बल्क औषधें	123.00 करोड़
तैयार फार्मूलेशन्स	3.43 करोड़
मध्यवर्ति (रसायनों और घोलको सहित)	35.67 करोड़

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान रसायनों और घोलकों सहित औषध मध्यवर्तियों के आयात के बल्क औषधों के कुल स्वदेशी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय संगठित क्षेत्र में 86 बल्क औषधों के उत्पादन पर निगरानी रखता है। औद्योगिकी लाइसेन्स के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जाती है। विभिन्न बल्क औषधों के आयात की देख रेख आयात और निर्यात नीति के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

जब कभी भी आयात में अनियमितातएं ध्यान में आती है, तो कानून के सम्बद्ध प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

अन्य जीवन रक्षक औषधियों के लिए पाइलोकार्पिन आई(आंख) ड्राप्स की कमी और औषधियों का आयात

1369. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाइलोकार्पिन आई ड्राप्स की भारी कमी की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं,

(ख) क्या सरकार का ध्यान कई अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों की कमी की ओर दिलाया गया है और यदि हां तो उक्त कमी का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है,

(ग) क्या यह सच है कि इन में से कुछ औषधियों की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है जिससे इनका कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वास्तविक प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए ऐसी सभी महत्वपूर्ण औषधियों के विपणन और बोतलों में भरने का कार्य केन्द्र और राज्य में केवल सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को देने का है;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों की बाजार उपलब्धता पर मेरे मंत्रालय के निगरीनी सैल द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। जब कभी औषधों की कमी ध्यान में आती है, वह मुख्यत: पूर्ण रूप से स्थानीय प्रकृति की होती है अथवा ब्रांड औषधों की, जिनके लिए समकक्ष औषधें उपलब्ध हों जहां भी ऐसी कमी ध्याय में आती है, सम्बन्धित निर्माताओं और समकक्ष औषधों के निर्माताओं को कमी वाले क्षेत्रों में सप्लाई भेजने के लिए तार द्वारा सलाह दी जाती है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर निगरानी रखी जाती है।

पिलोकार्पिन आई ड्रग्स (विभिन्न शक्ति की) की कुछ स्थानों में कमी की सूचना दी गई थी। मेरे मन्त्रालय द्वारा सलाह दिये जाने पर मैसर्स फेयरडील कार्पोरेशन ने कमी वाले स्थानों में सप्लाई भेज दी है और किसी भावी कमी से बचने की दृष्टि से इस मद के उत्पादन में वृद्धि भी कर दी है।

कुछ स्थानों पर एल्डोमेट गोलियों की कमी की सूचना दी गई है। एल्डोमेट गोलियों के लिए आई.डी.पी.एल. द्वारा निर्मित एमडोपा गोलियों सहित अन्य विकल्प प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

मिट्टी के तेल का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

1370. **श्री ए. नीलालोहित दसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि मिट्टी के तेल का मासिक कोटा बढ़ाये जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) केरल सरकार ने हाल ही में राज्य के मिट्टी के तेल के मासिक कोटे की 13390 मी.टन से बढ़ाकर 15000 मी.टन करने का अनुरोध किया है।

केरल राज्य को जुलाई तथा अगस्त, 1984 में क्रमश: 500 मी.टन तथा 1000 मी.टन का अतिरिक्त आंबटन किया गया है।

कोयला-खानों का राष्ट्रीयकरण

1371. **श्री शिबू सोरन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला-खानों के नाम क्या हैं, तथा वर्ष 1983-84 तक उनमें सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) उनमें कुल कितनी हानि हुई तथा वहां कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और II में उल्लिखित 214 कोककर कोयला खानों तथा 12 कोक ओवेन संयंत्रों का और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की अनुसूची में उल्लिखित 711 कोयला खानों का क्रमश: 1972 और 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीयकृत कोलियरियों और साथ ही राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोलियरियों का पुनर्गठन किया गया था और यह कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कम्पनियों के प्रबन्ध में हैं। ईक्विटी पूंजी और दिनांक 31.3-1984 को देय दीर्घकालीन कर्ज के अनुसार कोल इण्डिया लि. में सरकार का न्विेश लगभग रु. 4088 करोड़ था।

(ग) वर्ष 1982-83 की कोल इण्डियां लि. और उसकी सहायक कम्पनियों की वार्षिक

रिपोर्ट और खातों के अनुसार को.इं.लि. और उसकी सहायक कम्पनियों को दिनांक 31.3.83 तक हुआ कुल घाटा रु. 841.88 करोड़ है। वर्ष 1983-84 के खातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अन्तिम आँकड़े उसके बाद उपलब्ध होंगें।

दिनांक 31.3.1984 की स्थिति के अनुसार को.इं.लि. और उसकी सहायक कंपनियों में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या 6,58,955 थी।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों के लिए विज्ञापन दिया जाना/मंजूर किया जाना

1372. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1983-84 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी जिले के लिए पेट्रोल डीजल बिक्री केन्द्र के लिए विज्ञापन दिया गया है उनके लिए मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पार्टियों के जिला-वार नाम क्या हैं जिनसे बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त बिक्री केन्द्रों को संभवत: कौन सी तारीख तक मंजूर और आबंटित कर दिया जाएगा।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में 1983-84 के वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30-6-84 तक रिलीज किए गए विज्ञापनों और दिए गए जिलावार फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जिले का नाम	स्थान जिसके लिए विज्ञापन दिया गया	दिए गए स्थान	पार्टियों के नाम	एजेंसियां दिए जाने की संभावित तिथि
शिमला	ढाली	अभी तक सहीं दी गई	—	वचन किया जा रहा है
मंडी	पनरासा	,,	—	-वही-
	सिरकघाट	,,	—	,,
	करसोग	,,	—	,,
सोलन	रामशहर	,,	—	(इन दोनों स्थानों की संभावना पुनः
	बरारी	,,	—	(परीक्षाधीन है।
हमीरपुर	भोटा	,,	—	चयन किया जा रहा है।
	बनसार	,,	—	,,
चम्बा	बानीखेत	,,	—	,,
सिरमौरी	राजगढ़	,,	—	,,
बिलासपुर	गागल एन. एच. (बरनामा)	बिलासपुर	श्री सुकुमारसिंह चन्देल	पहले ही दी जा चुकी है
	स्वारघाट	घुमारविन	श्री राजेन्द्र पाल	-वही-

संयुक्त क्षेत्र में नेवेली लिग्नाइट का प्रयोग करने वाले बिजली घरों की स्थापना का प्रस्ताव

1373. **श्री आर. प्रधु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में ऐसे बिजली घरों को स्थापित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. जहां नेवेली लिग्माइट का प्रयोग किया जायेगा;

(ख) यदि, हां तो उक्त योजना के प्रायोजकों का ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित परियोजना में उनके शेयरों की क्या संख्या है; और

(ग) क्या सरकार संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर भी उसी तरह के बिजली घर स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालयके कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम (पाइप लाइन्स डिवीजन) नई दिल्ली के चौकीदारों द्वारा आय कर की अदायगी न किया जाना

1374. **श्री केयूर भूषण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम (पाइप लाइन्स डिवीजन), नई दिल्ली के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे चौकीदारों आदि को बिना आय-कर काटे 2,000/ और 3,000/ मासिक वेतन की अदायगी की जा रही है। जब कि इतना ही वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार अपने बेतन में से आय-कर देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां तो उक्त कर्मचारियों के बेतन से आय-कर न काटने के मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (पाइप लाइन प्रभाग). नई दिल्ली के किसी चौकीदार को अनियमित तरीके से वेतन की अदायगी नहीं की जा रही है। सभी चौकीदारों के बेतन से अन्य कर्मचारियों की तरह आयकर नियमों के अनुसार देय आयकर की कटौती की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता

1375. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1984 के "जैन्टलमैन" में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण के संबध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार चन्दा समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगी और आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करेगी; और

(ग) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों को प्रचार मांध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के के लिए चुनाव आयोग द्वारा निगरानी-कक्ष स्थापित करने संबधी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस पर विचार किया और इसे स्वीकार नहीं किया। माध्यमों को सभी व्यावसायिक मामलो में कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।

(ग) इस बात को कि माध्यमों का दुरुप्रयोग किया जाता है स्वीकार नहीं किया जाता। निर्वाचन आयोग में एक निगरानी कक्ष स्थापित करने के प्रश्न पर निर्णय उस निकाय द्वारा किया जाना है।

मै. तोयो जोजों, जापान से तकनीकी जानकारी का आयात

1376. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै. तोयो जोजो, जापान से आयात की गई प्रौद्योगिकियों, विदेशी मुद्रा के वहिर्गमन तथा औषधियों और औषध इण्टरमीडिएटों के निर्माण के लिए अलग-अलग तकनीकी विभिन्न कंपनियों द्वारा जानकारी प्राप्त करके मूल्यवार की गई नकद बचत सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) औषधों और औषध इण्टरमीडिएटों के निर्माण के लिए देश में क्रियान्वयनाधीन अद्यतन प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मै. तोयोजोजों द्वारा सप्लाई की गई प्रौद्योगिकियों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन प्रौद्योगिकियों का और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो प्रत्येक मामले में आर्थिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) मै. टोयों जोजो से प्रौद्यो-

प्रौद्योगिकी का आयात करने हेतु केवल दो कम्पनियों को अनुमति दी गई है। एक सरकारी क्षेत्र में मै. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि. (एच. ए. एल.) और दूसरे मै. मैक्स इन्डिया गैर सरकारी क्षेत्र में है एच. ए.एल. ने पैंसिलिन के लिए विकसित स्टेन और जानकारी से संबंधित प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिये 41.85 लाख रु. अदा किये हैं। यह मूल्यांकन किया गया है कि प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अदा की गई फीस, दक्षता और उत्पादन में सुधार के माध्यम से प्राप्ति की तुलना में अधिक है।

जहां तक मै. मैक्स इण्डिया का सम्बन्ध है, 6 ऐ. पी. ऐ. के लिये 1.23 मिलियन ग्रेट की लागत पर प्रौद्योगिकी का आयात करने हेतु उन्हें 1983 के पूर्वार्द्ध में अनुमति दी गई थी, जिसकी 1/5 राशि मै. टोयों जोजों को भेजी जा चुकी है।

चूंकि परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, इस अवस्था में प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

औषधियों के लिए तकनीकी दल का गठन

1377. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय में औषधियों के लिये तकनीकी दल का गठन किया है;

(ख) क्या तकनीकी विकास के महानिदेशालय में भी औषधि विभाग है और क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन उसे आवेदन प्रस्तुत करने होते हैं;

(ग) क्या सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सलाहकार (औषध) के पद को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस मंत्रालय के औषध प्रभाग में चार तकनीकी अधिकारी है जिनमें सलाहकार, परियोजना अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, शामिल हैं।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र, औद्योगिक विकास मंत्रालय में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन आवेदनपत्रों पर अन्य बात के साथ-साथ सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय और डी. जी. टी. डी. के परामर्श से कार्यवाही की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में विभागोत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार

1378. **श्री पी. जे. कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभागोत्तर ऐजेन्टों की संख्या क्या है;

(ख) उनकी मासिक परिलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें उनके वेतन और सेवा शर्तों में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) 31. 3. 1983 को डाक तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों (ई. डी. ऐ.) की कुल संख्या 2, 94, 451 थी।

(ख) अतिरिक्त विभागीय ऐजेन्टों की विभिन्न श्रेणियां हैं और उन्हें अन्य मामूली भत्तों के अलावा 137/-रुपये से 283/-रुपये के बीच एक मुश्त मासिक भत्ता दिया जाता है।

(ग) एवं (घ) अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों के वेतन एवं सेवा शर्तों के बारे में विभिन्न माध्यमों से निरन्तर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों के भत्तों, सेवा शर्तों एवं अन्य संबद्ध मामलों की जांच करने के लिये सरकार एक ई. डी. जांच समिति गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

कोयम्बतूर पोस्टल डिविजन, तमिलनाडु से बीमाकृत वस्तुओं की चोरी

1379. **श्री एम. अरूणाचलम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कोयम्बतूर पोस्टल डिविजन से बीमाकृत कीमती वस्तुओं (आभूषणों) की चोरी की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जिस पार्टी ने वस्तुओं (आभूषणों) का बीमा कराया था उसे उसका मुआवजा दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मुआवजे के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला पहले रेलवे पुलिस कोयम्बतूर में दर्ज कराया गया और बाद में सी. आई. डी. शाखा को दे दिया गया था जहां इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) इस विषय से संबंधित नियमों के अनुसार दावों की जांच की जा रही है।

सिखों द्वारा की गई खालिस्तान की मांग के संबंध में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण

1381. **श्रीमती प्रमीला दंडवते :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपने इकतरफा प्रचार और समाचारों से देश भर में लोगों के मन में यह धारणा पैदा करने में सहायता दी है कि सभी सिख अपने लिए एक पृथक राष्ट्र खालिस्तान की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अकाली दल के नेताओं ने बार-बार सरकार से यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की अथवा "खालिस्तान" का समर्थन नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो अकाली दल के नेताओं के दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी से अपने रूख को स्पष्ट करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार के साथ बातचीत के दौरान अकाली दल के नेताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों को माध्यमों द्वारा प्रसारित बुलेटिनों में विधिवत कवर किया गया था। इसके अलावा, सरकार द्वारा पंजाब की स्थिति पर जारी किये गये "श्वेत पत्र" में अकाली दल की मांगों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित पूरी सूचना शामिल है माध्यमों द्वारा "श्वेत पत्र" के विषयों का समुचित रूप से प्रचार किया गया है।

स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेश संबंधी रिपोर्ट का पाकिस्तान दूरदर्शन पर प्रसारण

1382. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उग्रवादियों को निकालने के लिये स्वर्ण मन्दिर में सेना के प्रवेश के बारे में पाकिस्तानी दूरदर्शन और रेडियो द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता रहा है और देश में सिखों और गैर-सिखों में मनमुटाव को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने एक प्रसारण में कहा गया बताया जाता है है कि भिंडरवाला अभी जीवित है और वे उसे पर्दे पर दिखाएंगे;

(ग) क्या ऐसे आधारहीन, विद्वेषपूर्ण और गलत प्रचार से काफी मनमुटाव फैला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसका मुकाबला करने और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यद्यपि, प्रसारित सामग्री हमेशा तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ नहीं होती और कभी-कभी प्रस्तुतीकरण झुकाव वाला होता है, यह कहना सही नहीं है कि इस प्रकार के प्रसारण से मनमुटाव हुआ या उसको प्रोत्साहन मिला ।

(ख) इस प्रकार का कोई कथन आकाशवाणी के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार द्वारा पंजाब की स्थिति पर जारी किये गये "श्वेत पत्र" में अकाली दल की मांगों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित पूरी सूचना शामिल है । "श्वेत पत्र" के विषयों का समुचित रूप से प्रचार किया गया है ।

उर्वरक एककों का पुनर्गठन

1383. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :**

श्री वी. वी. देसाई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक एककों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्गठन कब किया जायेगा,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक एककों को पुनर्गठित करना और कुछ उर्वरक संयंत्रों का सम्भावित पुनः वर्गीकरण करना सरकार के समक्ष उपायों में से एक है । यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रशासनिक उपायों का प्रारम्भ अथवा कार्यान्वयन किस समयावधि के अन्दर होगा ।

"एशियाड 82" फिल्म को रिलीज किया जाना

1384. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्मित "एशियाड 82" नामक पूरी लम्बाई की फीचर फिल्म अभी वाणिज्यिक और प्रदर्शन के लिए रिलीज नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त फिल्म के निर्माण में कुल कितनी लागत आई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) से (ग) तक फिल्म प्रभाग द्वारा एशियाई खेलों पर "एशियाड 82" नामक पूरी लम्बाई की एक रंगीन डाकुमेन्ट्री फिल्म अगस्त, 1983 में मुकम्मल की गई थी। इस फिल्म की निर्माण लागत 38,59,351.00 रुपये (अनतिम) है। इस फिल्म की अवधि 160 मिनट है। पूरी लम्बाई की इस फिल्म के अतिरिक्त फिल्म प्रभाग ने "एशियाड 82" (भाग 1, भाग 2, भाग 3 भाग 4 और भाग 5) शीर्षक के अन्तर्गत बीस-बीस मिनट की अवधि की पांच लघु फिल्में भी बनाई हैं।

पांच लघु डाकुमेंट्री फिल्में पहले ही रिलीज की जा चुकी हैं। इन फिल्मों की प्रिन्टों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की यूनिटों तथा राज्य सरकारों को भी सप्लाई किया गया है।

"एशियाड 82" नामक पूरी लम्बाई की डाकुमेन्ट्री फिल्म को वाणिज्यिक आधार पर अभी रिलीज नहीं किया गया है। तथापि, फिल्म प्रभाग ने इस फिल्म के वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन, विदेशों में इसके टेलीकास्ट सहित, के लिये कार्रवाई शुरू कर दी है। फिल्म प्रभाग द्वारा इस प्रकार की लम्बी फिल्म को अनिवार्य प्रदर्शन योजना के अन्तर्गत सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जा सकता इसे पूरी लम्बाई की स्वतन्त्र फिल्म के रूप में रिलीज किया जाना है।

पंजाब में समाचार-पत्रों पर लगाये गए प्रतिबन्ध

1385. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हाल में समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने सरकार से इन प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच· के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार ने पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

जलंधर और पटियाला के दैनिकों के संपादक/मुद्रक/प्रकाशक को संबोधित एक आदेश दिनांक 11.6.1984 को जारी किया है। जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि पंजाब में वर्तमान आन्दोलन और सुरक्षाबलों की कार्रवाई से संबंधित किसी भी सामग्री को, रिपोर्ट करने या टेलेक्स, तार, टेली-विजन से प्रेषित करने या प्रकाशन करने से पहले, छानबीन के लिए निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और उसको उक्त प्राधिकारी के लिए लिखित निर्देश के अनुसार ही प्रकाशित या प्रेषित किया जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में निर्णय लेना आवश्यक रूप से राज्य सरकार का काम है।

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/विभागों में दिहाडी श्रमिकों के लिए संशोधित /मंजूरी

1386. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/विभागों में काम करने वाले दिहाड़ी के श्रमिकों के लिए मजूरी की संशोधित दरों को अब तक लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

———

12.00

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, कान्सटीट्यूशन के मुताबिक बिहार सर्विस कमीशन सबसे निष्पक्ष माना जाता है। लेकिन आज वहां पर यह हाल है कि खुलेआम डी. एफ. ओ. के लिए 65 हजार रुपया मांगा जा रहा है।

सभापति महोदय : आप वहां एम. एल. एज. को बोलिये क्योंकि यह मामला वहां की स्टेट असैम्बली से सम्बन्ध रखता है। वहां असैम्बली है।

श्री राम विलास पासवान : सर पंजाब में भी यही हालत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। यह राज्य सरकारों पर निर्भर है और उनकी निर्वाचित विधान सभा है।

श्री राम विलास पासवान : स्टेट गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है तभी मैं यहां आपके नोटिस में ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे उस मामले में फंसाया नहीं जा सकता। मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। वे लोग बड़े जिम्मेदार हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : सर, आप कुछ व्यवस्था करिये। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, वह कैसे वहां जा सकता है, क्या कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे किन्हीं कदाचारों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना उनका कर्त्तव्य है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा करना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, ओलम्पिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों का अपमान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार कर रहे हैं। हम उस पर विचार कर चुके हैं और हम उस पर एक ध्यानाकर्षण की अनुमति देने जा रहे हैं ··। मैं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : महोदय, आज समाचार-पत्रों में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। कल हमने अमेरिका में खालिस्तान का समर्थन कर रहे कुछ गुमराह तत्वों और इसमें भाग ले रहे कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस-जनों का मामला उठाया था··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इसे ले रहे हैं। हम इसे लेंगे··· **(व्यवधान)**

प्रो के. के. तिवारी : हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है, इसके टुकड़े किये गए हैं···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इसे ले रहे हैं। मैंने आपको कह दिया,

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वांइन्ट आफ आर्डर है। कल आपने सदन को विश्वास दिलाया था कि अमेरिका में खालिस्तान के बारे में जो जिक्र था, उस पर आप बहस करवायेंगे···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने तो मुझे कल शाम के बाद बताया था। कल मैं इस विषय पर एक कालिंग अटेंशन ले रहा हूँ।

श्री मनी राम बागड़ी : यह बड़ा गंभीर मामला है।

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शेवरान आयल कंपनी आॅफ इंडिया के साथ किया गया ठेका

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर): मैं सौराष्ट्र खंड-दो में तेल की खोज के लिए शेवरान आयल कंपनी आफ इण्डिया के साथ किये गए ठेके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 848/84]**

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण पर चर्चा आरंभ करूंगा···हम ध्यानाकर्षण आरंभ करेंगे। मेरी विपक्ष के सदस्यों तथा सभी के साथ बात हुई। हम कुछ करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आप कार्य मंत्रणा समिति में इस मामले पर निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : समझता हूं हमने इस पर सहमति दे दी है। ऐसा है कि दुनिया में बहुत से फ्रेक-पीटस हर जगह होते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल के लिए ध्यानाकर्षण की अनुमति दूंगा।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : हमें यह स्वीकार है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री कल बहुत उत्साहित थे। अब वह महसूस करते हैं कि किसी देश का ब्रिक करना परेशानी की एक बात है···(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह बात बिलकुल गलत है और यह प्रो. दंडवते की गढ़ी हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम तथ्य एकत्र कर रहे हैं। जैसे ही तथ्य एकत्र हो जायेंगे, मैं सदन में पेश करूंगा। यह सब कहने का क्या अभिप्राय है? सरकार को इसमें परेशानी क्यों आनी चाहिये? यह सभा का सर्वसम्मति से दिया गया मत था··· (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के जमशेदपुर में कोलहन स्टेट के नाम से एक सैपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा तथा सदन का समय क्यों बर्बाद करते हैं? यह सब क्या है?

श्री रामावतार शास्त्री : राज्य सभा में इस विषय पर बहस हो चुकी है। इसलिये यहां पर भी उस पर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

वह एक पृथकतावादी आन्दोलन है···

अध्यक्ष महोदय : यह असम्बद्ध बात है। यह कुछ नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे। यह ध्यानाकर्षण है। आपने मुझे यह प्रस्ताव दिया है, यह मेरे विचाराधीन है·····(व्यवधान) पृथकतावादी आन्दोलन चलते रहेंगे कुछ नहीं हो रहा, इसकी अनुमति नहीं दी गई।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सर अंग्रेजी दवाइयों के विक्रेता सारे देश में कई दिनों से हड़ताल किये हुए हैं जिसके कारण मरीजों को समय पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको देख लूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मरीज बेचारे तड़प रहे हैं।

सभापटल पर रखे गये/जारी

चल-चित्र (प्रमाणीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के एल. के. भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत, चलचित्र (प्रमाणीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 29 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 413(अ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8488/84]**

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 8489/84]

भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1984

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम,

1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1984, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 679 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 8490/84]

अध्यक्ष महोदय : आपको गलत इत्तला मिल गई है और आपने गलत कानून पढ़े हैं। यहां कालिंग अटेंशन डिस्कस नहीं होता।

यदि आपको कुछ और कहना है तो मेरे पास आइये···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं अपने लिए कानून बनाये हैं। मैंने उनको नहीं बनाया है और न वे अकेले मेरे लिए बने हैं।

वह मेरे विचाराधीन है। मैं उसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सर बड़ा गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों सम्बन्धी पुस्तके क्यों नहीं पढ़ते ?

आप एक बात को बार-बार कह रहे हैं।

यदि आप उन्हें पढ़ेंगे नहीं तो उनका पालन कैसे करेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं सदन की शब्दश: कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसा कि नियमों तथा आपके द्वारा दिये गए निर्देशों में उल्लेख किया गया है। मान लीजिए, मुझे कुछ कहने की अनुमति दी गई है और मैं कुछ कहता हू जो कि अपमानजनक या असंसदीय नहीं है और एक क्षण के पश्चात आप कहते हैं कि "इसकी अनुमति नहीं है", तो इसका अर्थ है कि मुझे आगे बोलने की अनुमति नहीं है। यह कैसे···है (व्यवधान) हमें इसे समझना चाहिए, रिपोर्टर्स को तथा समाचार पत्रों को भी इसे समझना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भ्रम हो जाता है। मान लीजिए मैं कुछ कहता हूं या प्रो. तिवारी कुछ कहते हैं, आप हमें आधा मिनट या अधिक बोलने की अनुमति देते हैं और फिर आप कहते हैं "श्री हरिकेश बहादुर, इसकी अनुमति नहीं दी गई।"

अध्यक्ष महोदय : उसके पश्चात इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री सतीश अग्रवाल : कल मैंने हाजी मस्तान तथा लाला के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया था और थोड़ी देर तक मेरी बात सुनने के बाद आपने कहा था "इसकी अनुमति नही है।" मैंने देखा कि कार्यवाही में इस सम्बन्ध में पंक्ति भी नहीं दी गई है। क्या यह असंसदीय है ? इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। आप 20 आदमी एक साथ बोलोगे तो कभी नहीं आयेगा रिकार्ड पर।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उस ओर के सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। हमने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यबाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उधर से भी तो एक साथ लोग बोल रहे थे, उनका कैसे आ गया रिकार्ड पर ?

श्री हरिकेश बहादुर : हमारी बात कुछ रिकार्ड नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे है ?

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : रिकार्ड करने लायक ही नहीं होनी तो कैसे की जाए।

श्री हरिकेश बहादुर : अब यह देखिये।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप इसकी अनुमति नहीं देंगे तो यह कार्यवाही का सही रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों की दृष्टि एक बहुत ही दुःखद बात उठाने जा रहा हूं। कश्मीर विधान सभा में अध्यक्ष को शारीरिक रूप से···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मेरा काम नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान अपने तर्क दे शकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। यहां तर्क नहीं रखे जा सकते हैं। आप अपनी चर्चा के दौरान इस बात को उठा सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आपको इजाजत है, आप इसको कर सकते हैं। इस पर डिस्कशन चल रहा है और आप बोल सकते हैं। (व्यवधान) **

12.08 म. प.

पश्चिमी बंगाल को बैरकपुर नगरपालिका को रक्षा विभाग की भूमि के अन्तरण के संबंध में याचिकायें

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं बैरकपुर नगरपालिका (पश्चिमी बंगाल) को रक्षा विभाग को भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में बैरकपुर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री डी. रे तथा अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.08½ म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं वर्ष 1984-85 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

———

विधेयक

12.09 म.प.

(एक) बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण के हित में मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के हित में मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वसंत साठे : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

———

12.9½ म.प.

(दो) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, बैंककारी कम्पनी, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंक कारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, बैंककारी कम्पनी, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

12.10 म.प.

(तीन) हुगली डाकिंग एण्ड एंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से श्री पट्टामि राम राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत के आधुनिकीरण के लिये और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये जिससे पोतों, जलयानों और यानों का आयात कम किया जा सके तथा उक्त उपक्रमों द्वारा धूसर लौह, अलौह और मिश्रधातु की ढालकर बनाई गई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जिससे उक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण है, प्रदाय जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिये हुगली डॉकिंग एंड एंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, के उपक्रमों के आधारभूत ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक, को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत के आधुनिकीकरण के लिये और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये जिससे पोतों, जलयानों और यानों का आयात कम किया जा सके तथा उक्त उपक्रमों द्वारा धूसर लौह, अलौह और मिश्रधातु की ढालकर बनाई गई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जिससे उक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण है, प्रदाय जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिये हुगली डॉकिंग एण्ड एंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, के उपक्रमों के आधारभूत ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पट्टामि राम राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.11½ म.प.

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं श्री हुगली डॉकिंग एण्ड एंजिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8491/84]

12.12 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के उन किसानों को जिनकी फसलें भाखड़ा नहर में दरार पड़ने और ट्यूब वैलों के लिए बिजली न मिलने के कारण नष्ट हो गई हैं, क्षतिपूर्ति देना।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस दफा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यू. पी. में खास तौर से और समूचे देश के किसानों के साथ आम तौर से विशेष दुर्घटनाएं और दुर्व्यवहार हुए हैं। खरीफ की बुवाई के वक्त जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नहर भाखड़ा का काट देना, ट्यूबवैलों को बिजली न मिलना और फिर अगर थोड़ी बहुत फसल बुवाई की जाए, तो बाजरे के बीज से लेकर नर्म और कपास का बीज मिलावटी मिलना और न मिलना। इसी तरह खाद का न मिलना और मिलावटी मिलना। जो फसल बोई गई, वक्त पर पानी न मिलने की बिना पर, तेज धूप की बिना पर, रद्दी किस्म के खाद और बीज की बिना पर फसल तकरीबन सूख गई। किसान भयंकर अकाल की चपेट में है और अगली फसल तक किसान अपनी जीविका नहीं चला सकता।

यह ठीक है कि ऐसा कोई कानून या व्यवस्था अभी तक देश में नहीं बनाई गई, जिससे कि किसान को मदद मिले। लेकिन कभी न कभी तो यह परम्परा बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई गई, तो देश तबाह हो जाएगा। खास तौर से हरियाणा को समूचे देश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरह से किसान बर्बाद हो गए हैं। केन्द्र सरकार से अपील है कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये मुआवजा अगर दे सके, तो किसानों को मुआवजा दे, और अगर मुआवजा न दे सके, तो बगैर ब्याज के किसानों को कर्जा दिया जाए, ताकि किसान जिन्दा रह सकें और अगली फसल उगा सकें। नहर भाखड़ा के काटने की जिम्मेदारी जिस प्रान्त में कटे, उसीकी हो और जितना नुकसान आगे के किसानों का हो, उसका मुआवजा उस प्रान्तीय सरकार से लेकर दूसरे प्रान्तों के किसानों को दे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.13 म० प०

(दो) महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : यह दुर्भाग्य की बात है कि आर्थिक और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में महिलाओं के दर्जे की परिभाषा ठीक तरह से नहीं दी गई है। साक्षरता और मृत्यु दो मुख्य सूचकांक हैं। जहां तक साक्षरता के सूचकांक की बात है, प्रत्येक दस साक्षर पुरुषों के लिए केवल सात साक्षर महिलाएं हैं और जहां तक मृत्यु के सूचकांक की बात है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संभावित आयु पांच वर्ष कम है। वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मानना पड़ेगा। सामाजिक परिवार के ढांचे पर जो प्रगति का धीरे-धीरे प्रभाव पड़ा है, उससे महिलाओं को जो अपने पतियों से वित्तीय सहायता मिलती, उस पर उनकी निर्भरता की स्थिति को निरन्तर खतरा पैदा हो रहा है।

आर्थिक और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में भारतीय महिलाओं को वेतन और वित्तीय अवसरों के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चाहे यह सार्वजनिक क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन मिलता है। चाय बगानों में महिलाओं का वेतन, पुरुषों के वेतन का 60 प्रतिशत होता है। अधिकांश महिलाओं को नौकरी के अवसर नहीं दिये जाते परन्तु प्रत्येक वर्ष हजारों महिलाओं में से कुछ ही स्नातक उपाधि प्राप्त कर रही है। अत: मेरे विचार से बहुत से उपाय करने की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि महिलाओं को इतनी आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए कि वे, पूर्ण आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ हमारे समाज में, अपने आपको पुन: स्थापित कर सकें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजना के अंग के रूप में बैंकों को महिला उद्यमियों को ब्याज की विभिन्न दरों पर ऋण प्रदान करना चाहिए। इसी तरह 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना की स्कीमों के अधीन 25 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन कार्यों में निपुणता की आवश्यकता है न कि केवल शारीरिक श्रम की, ऐसे सभी क्षेत्रों में समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एक विधान बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, पुरुषों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पहले ही प्राप्त कर ली गई है। पुरुषों को पहले ही आर्थिक स्वतन्त्रता मिल गई है। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महिला सदस्यों को यह मामला उठाना चाहिए था। चूंकि महिला सदस्यों ने यह मामला नहीं उठाया, मुझे मजबूरन यह मामला उठाना पड़ा।

(तीन) देश के मरुस्थली क्षेत्रों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ :

पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर गया है परन्तु केन्द्र सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास में जो अभिरुचि दिखानी चाहिए, नहीं दिखाई।

योजना मन्त्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में मापदण्डों को यदि परिवर्त्तन किया गया तो स्थिति में डिस्टाशन पैदा होगी और यह आश्वासन दिया था कि जब सातवीं पंचवर्षीय योजना बनेगी तब इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया जा रहा है। अतः मैंने योजना मन्त्री, ग्रामीण विकास मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री तक का भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया।

प्रधान मन्त्री जी ने भी प्लानिंग कमीशन का ध्यान आकर्षित किया कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों को अधिक राशि प्रदान करने पर गौर करें।

छठी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जब कि उनका क्षेत्रफल 2 लाख 31 हजार वर्ग किलो मीटर और जनसंख्या सन् 1971 की जनसंख्या के अनुसार करीब 4 करोड़ है, 560 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की थी जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन था जब कि उसके मुकाबले रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जबकि उसका क्षेत्रफल 2 लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीब 2 करोड़ थी, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं 50 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा था।

अतः केन्द्रीय सरकार से पुरजोर आग्रह एवं निवेदन है कि उक्त विषमता को मिटाने के लिए केन्द्रीय सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के समकक्ष मरु क्षेत्रों के विकास में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करे जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन हो।

(चार) भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर की मरम्मत

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उड़ीसा में भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर एक पुराना स्मारक है और उक्त राज्य में यह पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह उड़ीसा के युग पुराने रीत रिवाजों का प्रतीक है। ट्रस्ट बोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार इसकी मरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया जा चुका हैं। दुर्भाग्य से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोई न कोई बहाना बनाकर मरम्मत के कार्य की उपेक्षा करता आया है। वे मन्दिर के अधिकारियों को परिसर के अन्दर किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं देते हैं। मन्दिर में हजारों तीर्थ यात्री और पर्यटक आते हैं। अतः सबसे पहली आवश्यकता

मन्दिर परिसर में सफाई रखने की है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की लगातार बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप महाप्रसाद की मांग भी उसी अनुसार बढ़ गई है। परन्तु मन्दिर परिसर में क्योंकि खाने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तीर्थ यात्री परिसर के अन्दर किसी भी खाली स्थान पर महाप्रसाद खाने के लिए मजबूर हो जाते है और इसे गन्दा तथा अस्वास्थ्यकर बना देते हैं। बहुत से भवनों विशेषरूप से भुवनेश्वरी मन्दिर, दक्षिणा चारा, गणेश मन्दिर, भोग मण्डप आदि की मरम्मत नहीं की गई है। भगवान लिंगराज के मन्दिर तथा देवी पार्वती के मन्दिर की मरम्मत तत्काल होनी चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आनन्द बाजार के निर्माण के लिये तथा महाप्रसाद के बेचने और खाने के बारे में मन्दिर के प्रबन्धकों को अनुमति दी जाए बिना किसी और देरी के भुवनेश्वर के नए पुरातत्व मण्डल द्वारा मरम्मत का कार्य आरम्भ किया जाए।

(पांच) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को और अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (सेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाती हूं;

डाक्टरों की शिक्षा पर सरकार लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च करती है परन्तु डाक्टर बन जाने पर वे सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि उनकी नियुक्ति बड़े-बड़े शहरों में हो। वे लोग बेकार रहना पसंद करते हैं परन्तु गाँवों में जाकर काम करना पसन्द नहीं करते। उसका कारण यह है कि गांव में उनके न रहने के लिए मकानों की सुविधाएं हैं न उनके नीचे काम करने के लिए कम्पाउन्डर और न नर्स ही होते हैं। दवाइयों की बात हीं क्या है ?

यह स्थिति केवल हमारे प्रान्त उ. प्र. या मेरी कांस्टीट्यूएंसी की ही नहीं बल्कि सारे देश की है। ग्रामों में कोई भी डाक्टर जाना नहीं चाहता और डाक्टरों के अभाव में रोगी असमय पर बिना दवाई के मर जाते हैं। डाक्टर गांवों में जा सकते हैं परन्तु जाते नहीं क्योंकि शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं। यदि शहरों की भांति क्षेत्रों में भी डाक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायें तो डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से नहीं कतराएंगे।

अतः सरकार से निवेदन है कि शहरों की भांति ग्रामों में भी उनके लिये सुविधायें दी जाएं तथा हर डाक्टर के लिये ग्रामों में कुछ साल नौकरी करना आवश्यक कर दिया जाये।

(छः) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का विकास करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है, औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। केन्द्रीय सरकार का कोई उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लगा है। पीलीभीत जिला व शाहजहांपुर की पुवायां तहसील प्रदेश के सबसे अधिक गेहूँ व धान के उत्पादन क्षेत्र हैं। इसके बाद भी उद्योग रहित होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत निर्धन है और नौजवान बेकार हैं।

पीलीभीत जिला नेपाल और उनके द्वारा चीन की सीमा से लगा होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व का है। रेल की बड़ी लाइन न होने से आवश्यकता के समय सुरक्षा से संबंधित मदद पहुचाने में भी कठिनाई रहती है। 1962 के चीन के आक्रमण के समय इस जिले में चीनी लोग घुस आए और जानकारी प्राप्त कर लौट भी गए। शारदा नदी पर घनारा घाट के पास पुल बनने के बिनाहम सुरक्षा की दृष्टि से नियल रहेंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हू कि इस जिले को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण विशेष महत्व देकर विकास के लिए पूरा काम करें तथा उद्योग-धन्धे, बड़ी रेल लाइन, घनारा घाट पर पुल व पुवायां में चीनी की स्थापना आदि मांगों को पूरा करें।

(सात) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के आई. एस. टी. आर. ए. सी. एकांश को श्री हरिकोटा से बंगलौर ले जाये जाने को रोकने की आवश्यकता

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया (नेल्लोर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं;

भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के आई. एस. टी. आर. ए. सी. एकांश को श्री हरिकोटा से हटाकर बंगलौर ले जाने का निर्णय लिया है। जैसा कि यह बहुत प्रसिद्ध है. श्री हरिकोटा हमारे देश के अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख केन्द्र है। अन्तरिक्ष अनुसंधान जारी रखने हेतु श्री हरिकोटा को राकेटों को छोड़ने के लिए चुना गया था। निकट भविष्य में अपने एक विशाल अन्तरिक्ष कार्यक्रम के अंग के रूप में उपग्रह छोड़ने का भी हमारा प्रस्ताव है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्री हरिकोटा को इसके गुणों के आधार पर चुना गया था और अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए यह बहुत ही आदर्श स्थान है।

परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि अन्तरिक्ष प्रशासन ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के टेली मीटरी ट्रेकिंग एण्ड कमांड नेटवर्क एकांश को श्री हरिकोटा से बंगलौर ले जाने का निर्णय कैसे ले लिया। श्री हरिकोटा केन्द्र प्रक्षेषण कार्य के लिए एक आदर्श स्थान है। यहां पर टेलीमीटरी ट्रैकिंग और कमांडिंग के तन्त्र को सुदृढ़ करने की बजाए; अन्तरिक्ष प्रशासन ने अपनी ओर से इसे बंगलौर ले जाने का निर्णय लिया है जहां पहले से ही इसके कई स्कन्धों की भीड़-भाड़ तथा उनके निर्माण कार्य से अनुसंधान के कार्य में बाधा पड़ रही है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित स्थानांतरण से हमारे कई वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और कर्मचारियों को बहुत कठिनाई होगी। वहां पर मकान, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं।

इसके कारण 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भी होगा। देश, वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति में इतना अधिक व्यय बर्दाशत नहीं कर सकता।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि आई. एस. टी. आर. ए. सी. एकांश को को श्री हरिकोटा से बंगलौर ले जाने के लिये तत्काल रोका जाये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी अनुरोध है कि अन्तरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित सभी एकांशों को हरिकोटा में लाया जाये और उन्हें सुदृढ़ किया जाये।

(आठ) भारी इंजीनियरी निगम रांची के मजदूरों की प्रस्तावित अनिश्चित कालीन हड़ताल में केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : (कोडरमा) उपाध्यक्ष महोदय, अभियंत्रण निगम (एच. ई. सी.) राँची के श्रमिकों ने भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध हटिया श्रमिक संघ एवं अन्य पांच यूनियनों के नेतृत्व में आवश्यकता पर आधारित प्रोन्नति नीति (नीड बेसड प्रोमोशन पालिसी) के बदले शंकरन समिति के अनुसार डेट लाइन प्रोमोशन पालिसी लागू करने सरकारी घोषणानुसार रांची को बी-2 ग्रेड सिटी घोषित होने के कारण 1.8 82 से ही नगर क्षतिपूर्ति भत्ता) (सी. सी. ए.) एवं 15 प्रतिशत मकान भाड़ा भत्ता (एच. आर. ए.) देने तथा दो श्रमिक नेताओं को 16.7.84 को बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेने एवं अन्य 19 सूची मांगों को लेकर दिनांक 23.7.84 को अभूतपूर्व शांतिपूर्ण लगभग शत-प्रतिशत हड़ताल हुई जिससे निगम को लगभग 75 लाख का अनुमानित घाटा हुआ। श्रमिकों की यूनियनों ने घोषणा की है कि अगर मजदूरों की उपर्युक्त माँगें नहीं मानी गई तो निगम के लगभग 25 हजार कर्मचारी 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे, जिससे निगम को करोड़ों रुपये की क्षति होने की संभावना है। अत: मजदूरों की मांगों पर विचार कर 9 अगस्त, 1984 से प्रस्तावित हड़ताल को टाल कर निगम को क्षति से बचाया जाये।

(नौ) लोगों की असुविधाओं को दूर करने हेतु बर्दवान की स्थानीय रेल डाक सेवा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बर्दवान लोगों को आजकल अपनी डाक देरी से प्राप्त होने के कारण ऐसी असुविधा हो रही है जिससे बचा जा सकता है। कुछ वर्ष पहले प्रथम और द्वितीय श्रेणी की डाक छांटने वाला कार्यालय दुर्गापुर में इसलिए स्थानांतरित किया गया था क्योंकि उस समय पर उसके लिए स्थान की कमी थी। दुर्गापुर को डाक भेजने और बर्दवान में छपी पत्रिकाओं को भी भेजने की इस व्यवस्था से पत्रिकाओं के बांटने में बहुत देरी हुई और जिसके फलस्वरूप लोगों को बहुत असंतोष हुआ। संचार मंत्रालय को बार-बार अभ्यावेदन भेजने के बाद जब बर्दवान में छपी पत्रिकाओं को दुर्गापुर भेजने में छूट दी गई तब कुछ स्थिति में सुधार हुआ। फिर भी दुर्गापुर को छटनी के लिये डाक भेजने का कोई तुक नहीं है क्यों कि अब स्थानीय रेल डाक सेवा के कार्यालय के पास छटनी कार्यालय के लिये स्थान सहज उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार इस स्थान का और भी विस्तार किया जा सकता है यदि यहां के शौचालय को जिसकी गन्दगी बहने से असुविधा होती है, कहीं और हटा दिया जाये और कर्मचारियों के लिये बने साथ वाले साईकिल स्टैंड को कमरे में बदल दिया जाये।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बर्दवान के रेल-डाक सेवा कार्यालय को अधिक सार्थक से पुनर्गठन करके, बर्दवान के लोगों की भारी असुविधा तथा अति असंतोष का अन्त किया जाये।

———

12.27 म०प०

जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा, जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 1984 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी। प्रो. सैफुद्दीन सोज बोल रहे थे। उन्होंने पहले भी 27 मिनट ले लिये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : परन्तु उन्हें कई बार टोका गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : मैं नहीं जानता। 15 मिनट बोलने के बाद मैं यह निर्णय लूंगा।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : हम देखते हैं, वे कितना समय ले पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल बता रहा था कि जम्मू और काश्मीर में कांग्रेस-इ किस प्रकार कार्य कर रही थी। कांग्रेस-इ ने सरकार गिराने में भाग लिया मैं उसका क्रमवार विवरण दे रहा था। अब आप ध्यान दें कि आज सुबह 10 बजे क्या हुआ। विधान सभा के अध्यक्ष श्री इटू ..

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी अन्य विधान सभा में क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मामले का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। उन्होने केवल बताया है कि...

श्री पी. वी. नरसिंह राव : वह मामले का विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात से बचना होगा। किसी अन्य विधान सभा में क्या होता है उसका उल्लेख यहां नहीं होना चाहिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उसका चर्चा से सम्बन्ध है। मैं, जम्मू और काश्मीर राज्य में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपके लोगों ने भी इसका उल्लेख किया था। इसमें गलती क्या है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य तक सीमित है। आपका भाषण वहीं तक सीमित होना चाहिये। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यत:, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम किसी और विधान सभा में क्या हो रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते क्योंकि वह स्वतंत्र है। श्री सोज, हमें इससे बचना चाहिए।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, कल, दोनों पक्षों की ओर से कई सदस्यों ने इसका उल्लेख किया कि किसी तरह से दल बदल हुआ, विधान सभा में क्या हुआ, मतदान किस प्रकार हुआ। इन सब बातों का उल्लेख किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु राज्य विधान मंडल के कार्यवाही संचालन तथा वहां के अध्यक्ष के बारे में नहीं। हम आपके बारे में यहां चर्चा नहीं करते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : वे अध्यक्ष के व्यवहार के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वह अध्यक्ष को निष्कासित करने वाले मार्शल का व्यवहार है... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। इससे आपको लाभ हो सकता है कृपया यहां पर ऐसी बातें मत कीजिए। आप केवल गृह मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : कृपया मेरी बात सुनिये, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष को आज बलपूर्वक हटाना और राज्य विधान सभा में जो ताजा घटनाएं हुई हैं... (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं इस बात का विरोध करता हूं। पिछले सत्र में जबहम पश्चिम बंगाल की विधान सभा में हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करना चाहते थे, तो अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया था कि राज्य विधान सभा में जो कुछ भी होता है, उसके बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी ने पहले ही यह विनिर्णय दे दिया है। आपको यहां पर वह मामला फिर से नहीं उठना चाहिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं मामले का विवृत ब्यौरा दे रहा हूं (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रश्न काल के आरम्भ में ही हममें से कुछ ने जम्मू और काश्मीर का मामला उठाया था

और हम माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उच्च न्यायालय के बीच टकराव के कारण आये संवैधानिक संकट के बारे में चर्चा करना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें यह राय दी कि यह मामला चर्चा के दौरान उठाया जाए। अब आप हमें जम्मू और काश्मीर राज्य विधान सभा में हुई घटना का उल्लेख करने के लिए भी मना कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका कोई पूर्वोदाहरण है कि किसी राज्य विधान सभा में जो भी घटना हुई हो, उसके बारे में सदन में चर्चा की गई हो ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : जी हां। कल ही ऐसा हुआ था। डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने कल उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा में जो घटना हुई थी, उसके बारे में उल्लेख किया था.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं सही हूँ, हम यहां पर इसकी चर्चा नहीं करते। यदि कोई पूर्वोदाहरण है तो आप कृपया मुझे यह बताएं कि क्या हमने इस सदन में किसी राज्य विधान मंडल के कार्य संचालन के बारे में अथवा किसी भी राज्य विधान मंडल में विधायक के आचरण के बारे में चर्चा की है। क्या हमने इस बारे में चर्चा की है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कल डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का उल्लेख किया था ..(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस सभा में यह पुरानी परम्परा है कि हम राज्यों की अन्य विधान सभाओं में क्या होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। इतना ही नहीं, हम राज्य सभा का नाम तक नहीं लेते और राज्य सभा में सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का उल्लेख भी नहीं करते। संसदीय लोकतंत्र में यह परम्परा स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है। हमें इस परम्परा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं आपको सुझाव देता हूं कि माननीय सदस्य ने राज्य विधान सभा के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य विधान सभा के कार्यवाही संचालन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख न करे। इसके बावजूद भी यदि आप बोलते हैं तो वह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कौन से नियम का उल्लंघन हो गया है ?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : आपने कहा था कि इस सभा में राज्य

विधान मंडलों के कार्यवाही संचालन के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती । परन्तु यदि राज्य विधान मंडल में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो क्या सभा में इसके बारे में चर्चा की जा सकता है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका अलग से नोटिस दीजिये । इस समय मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैं इस सदन में किसी भी राज्य विधान मंडल के कार्यवाही संचालन के बारे में चर्चा करने के लिए अनुमति नहीं दे सकता (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा " आप कृपया कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां किसी भी राज्य-विधान सभा में हुई किसी घटना के बारे में इस सभा में चर्चा की गई थी ।"

मैं लोक सभा के बाद-विवाद से उद्धृत्त कर रहा हूं । ये लोक सभा में हुआ कल का बाद विवाद है ।

यह डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, सीतापुर का भाषण है :-

"मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं । उत्तर प्रदेश की एक घटना आपके सामने रखना चाहती हूं । एक अप्रैल, 1967 की बात है । हम सब एसेम्बली में बैठे हुये थे । माननीय चौधरी चरण सिंह, उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे । माननीय स्वर्गीय श्री चन्द्र भानु गुप्ता जी उस समय के हमारे मुख्य मन्त्री थे, वहां बैठे हुए थे । चौधरी साहब सदन के अन्दर ही अपने 17 साथियों के साथ, इधर से उठकर दूसरी तरफ चले गये । गुप्ता जी ने एक मिनट नहीं लगाया, न इधर देखा, न उधर देखा और तुरन्त" (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर दूंगा । मैं आपकी बात समझ गया हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने पहले कई अवसरों पर विधान सभा के मामलों पर सभा में चर्चा की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे वाक्य पूरा करने दीजिये ।

और तुरन्त स्पीकर साहब के सामने खड़े हो कर कहा कि अध्यक्ष जी, मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदन की प्रोसीडिंग्स बन्द कर दी जांए और मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ । उसके बाद वे सीधे उठ कर गवर्नर साहब के पास गए ..

उपाध्यक्ष महोदय : बस ठीक है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दिया है कि देश की किसी भी विधान सभा के कार्य

संचालन पर अन्य किसी विधान सभा में और विशेषरूप से इस सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैं अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप यह सब कार्यवाही-वृतान्त से निकाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। मैं कह चुका हूं कि देश की किसी भी विधान सभा की कार्यवाही अथवा कार्य-संचालन पर यहां इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप काश्मीर विधान सभा की कार्यवाही अथवा कार्य-संचालन का उल्लेख किए बिना अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है। यदि एक सरकार अथवा मंत्रि मंडल एक विधान सभा में अविश्वास मत के कारण गिर जाता है तो क्या हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते ? "हम इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं" ऐसा कहने का आपका क्या अभिप्राय है ? हम वही घटित घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। अन्यथा भी आप समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार पर चर्चा करने से नहीं रोक सकते।

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : आप किस प्रकार का पूर्वोदहारण कायम करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इसके अतिरिक्त यह औचित्य का भी प्रश्न है और हमें इस पर निर्णय लेना चाहिए। मैं 20 वर्षों तक राज्य विधान मंडल में रहा हूं। ऐसे कई अवसर आये जब राज्य विधान मंडल के सदस्य उन विषयों पर चर्चा करना चाहते थे जो उस समय लोकसभा या राज्य सभा में उठाये जाते थे। हमने निर्णय लिया कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। यदि आप राज्य विधान मंडल में जो कुछ हो रहा है उस पर यहां चर्चा करेंगे तो राज्य विधान मंडल उन पर चर्चा करेगी जो कुछ यहां हो रहा है। (व्यवधान)

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह मूल भूत सिद्धान्त है। हमें इस बारे में पक्का निर्णय लेना है। अन्यथा राज्य विधान मंडल और संसद तथा परस्पर राज्य विधान मंडलों के बीच अत्यधिक भ्रान्ति पैदा हो जाएगी। यह होगी।

प्रो. मधु मंडवते : इसके बारे में फैसला क्यों नहीं कर लिया गया ? क्या आप कस्टोडियन बन रहे हैं ? आप कल कस्टोडियन क्यों नहीं बन गये ? क्या आप इस मामले को अब इस लिए उठा रहे हैं क्योंकि अब आपके लिए इसे उठाना सुविधाजनक है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कस्टोडियन होने का कोई प्रश्न नहीं है। हम सब कस्टोडियन हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : कल उस समय औचित्य कहां गया था जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के मामले यहां इस सभा में उठाए जा रहे थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय अन्तिम है । किसी भी राज्य विधान मंडल के कार्य-संचालन पर देश की अन्य किसी विधान सभा में और विशेष रूप से संसद में चर्चा नहीं की जाएगी । यह अन्तिम है ।

कई सदस्य : नहीं, नहीं । इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती । मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । यह मेरा विनिर्णय है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस विनिर्णय को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस विनिर्णय के अनुरूप...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय पर किसी प्रकार की चर्चा पसंद नहीं करता ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं आपके विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं । आपके विनिर्णय के अनुरूप कृपया उन पंक्तियों को, जो कल डा. राजेन्द्र कुमार वाजपेयी ने बोली थी, कार्यवाही वृतान्त से निकालने का आदेश दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे टिप्पणियां पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कहीगई थीं । मुझे उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । मेरा विनिर्णय अन्तिम है । **(व्यवधान)**

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कृपया कार्यवाही-वृतान्त को देखिए यह सदा के लिए लाभकर रहेगा और यदि आपके विनिर्णय के अनुरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में कुछ किया जाना है तो मैं प्रसन्न हूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज कृपया अपना भाषण जारी रखें । मेरा विनिर्णय स्पष्ट है ।

प्रो. मधु दण्डवते : माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसके प्रकाश में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपने विनिर्णय के अनुरूप आप अध्यक्ष के कल के विनिर्णय को रद्द कर सकते हैं । आप अध्यक्ष के विनिर्णय को रद्द कर सकते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को रद्द कर सकते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय यहीं समाप्त होता है । प्रो. सोज अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मैं अपने विनिर्णय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। केवल प्रो. सोज अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक स्पष्टी करण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टी करण नहीं दिया जाएगा। मेरा विनिर्णय अन्तिम है। इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता मेरे विनिर्णय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा और न ही कोई चर्चा होगी। मेरा विनिर्णय अन्तिम है। प्रो. सोज अपना भाषण जारी रखेंगे। केवल प्रो. सोज के भाषण को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। मैं अन्य किसी को अनुमति नहीं देता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे मेरी अनुमति से नहीं बोल रहे हैं। इसे कार्यवाही-वृतान्त में में सम्मिलत न कीजिए। (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय पर कोई चर्चा अथवा वाद-विवाद नहीं चाहता हूं। मेरे विनिर्णय पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

12.43 **म० प०**

(**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**)

प्रो. मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूं।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय ने, एक विनिर्णय दिया है। उस विनिर्णय के सम्बन्ध में वह चाहते हैं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न न उठाया जाए।

प्रो. मधु दंडवते : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। महोदय मैं प्रक्रिया के सम्बन्ध में कल आपके द्वारा कार्यवाही के किए गए मार्ग दर्शन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी एक काननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सचिवालय द्वारा जारी लोक सभा की कल की कार्यवाही में से डा. राजेन्द्र कुकार वाजपेयी के भाषण में से कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाई हैं जिसमें उन्होंने विस्तृत उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्या हुआ। वह वर्णन है और वर्णन से पष्ट होता है कि उस समय हर क्षण क्या हुआ, श्री गुप्ता जी ने क्या किया, श्री चरणसिंह जी ने क्या किया, किसने क्या कहा और बताया गया कि श्री गुप्ता जी ने कहा कि "मैं राज्यपाल के पास तत्काल जाना चाहता हूं।" ये सब बातें कही गईं और उन्हें कहने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार किसी पर लांछन लगाए बिना नेशनल कान्फ्रेंस के एक माननीय सदस्य ने कुछ घटनाओं का मात्र उल्लेख करना चाहा जिनका संबंध सभा में की गई चर्चा से था। माननीय

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया कि इस पर चर्चा नहीं की जायेगी और इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

प्रो. मधुदंडवते : मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मैं अभी बोल रहा हूं। इसी बीच माननीय गृहमन्त्री ने हस्तक्षेप किया और निस्संदेह उन्होने औचित्य की सही बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उपाध्यक्ष महोदय के दिये गये विनिर्णय के अनुरूप कुछ परिवर्तन करना पड़े तो मैं "इसके पक्ष में हूँ।" इसका अर्थ है कि कल जो कुछ कहा गया था संभवतः उसे कार्यवाही वृतान्त से निकालना पड़ेगा। परन्तु उसे कार्यवापी वृतान्त से नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने जब यह कहने का प्रयास किया···

श्री जार्जफर्नान्डीस**

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन चुका हूं। मुझे अपना विर्णय देना है। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस को अनुमति नहीं दे रहा हूँ·· मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मुझे प्रो. दंडवते के व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनर्णय देना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं व्यवस्था का यही प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी टिप्पणी के सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं सुनूंगा। प्रो. दंडवते ने जो कुछ कहा है, मुझे उस पर विनिर्णय देना है। मुझे इसके समर्थन में कुछ नहीं सुनना है। मैं इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं सुनना चाहता हूं। मुझे विनिर्णय देना है।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते। जम्मू और कश्मीर में विधान सभा अध्यक्ष ने जो कुछ किया उसका उल्लेख कल माननीय गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य में किया था। उसमें अध्यक्ष का उल्लेख किया गया था यह उल्लेख लोक सभा अध्यक्ष का नहीं बल्कि जम्मू और काश्मीर विधान सभा अध्यक्ष का था। इस सभा में इसका उल्लेख किया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गृह मंत्री ने जम्मू और काश्मीर बिधान सभा के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय देना चाहता हूँ। आप सामान्य उल्लेख कर सकते हैं। आपको ऐसा करने की मनाही नहीं है। केवल सामान्य उल्लेख में यह भी देखूंगा कि डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने क्या कहा था। यदि उन्होंने सामान्य उल्लेख किया था, तो उसकी अनुमति है। परन्तु हम उन सदस्यों के आचरण की आलोचना इस सभा में नहीं कर सकते। उसकी अनुमति नहीं है। आप उसका उल्लेख तो कर सकते हैं परन्तु आप इस

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा में उन सदस्यों के आचरण की आलोचना या आरोप नहीं लगा सकते। इसकी अनुमति नहीं है। मैं इस पर प्रतिबन्ध लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : डा. वाजपेयी ने कल जो कुछ कहा है, आप उसकी भी जाँच करेंगे कि क्या यह सामान्य उल्लेख है अथवा उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो कुछ हुआ उसका विस्तृत ब्योरा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप किसी के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते अथवा आप अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हम यह देखेंगे।

श्री राजेन्द्र पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय का स्थान अग्रिम पंक्ति में है परन्तु वह पीछे बैंच पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका स्थान है। वह देख सकते हैं।

श्री बूटासिंह : मुझे प्रसन्नता है कि आपने बड़े जोरदार शब्दों में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कही गई। इस बात को दोहराया कि वह एक अन्य सभा के एक माननीय सदस्य के आचरण पर इस सभा में चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे। अत: मैं आप से अनुरोध करता हूं कि पिछले सत्र में, आपको स्मरण होगा कि जब हमारे एक माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में हुई किसी बात पर चर्चा करनी चाही थी तो आपने अनुमति नहीं दी थी। परन्तु श्री सोज जम्मू और काश्मीर विधान सभा के बारे में बोलते हुए सभी प्रकार के आरोप लगा रहे थे···

अध्यक्ष महोदय : यहां जो कुछ कहा गया है मैं उसकी छानबीन करूंगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि मैंने आरोप लगाये हैं। परन्तु मैं तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला हूं।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, श्रीमती वाजपेयी ने जो कुछ कहा है वह इतिहास का एक अंग है। पूर्व घटित घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। आज एक विशेष विधान सभा में जो हो रहा है और दस या बीस वर्ष पूर्व जो हुआ था, उसमें अन्तर है। वर्तमान की घटना एक भिन्न श्रेणी में आती है। उसे नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब कोई मामला उठाया जाएगा तब हम उस पर निर्णय देंगे। मैं पुल तक पहुंचने से पहले उसे पार नहीं कर सकता। पुल तक पहुंच कर ही मैं उसे पार कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : इन लोगों ने क्वेश्चन आवर में और बारह बजे एडजार्नमेंट मोशन के तहत नोटिस दिया था कि जम्मू काश्मीर के स्पीकर के संबंध में कांस्टी-

न्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। आपने कहा था कि जब डिस्कशन होगा तो, इस पर डिस्कशन हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि मैं देखूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने वचन और विनिर्णय से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने यह कहा था कि आप आम तौर पर उल्लेख तो कर सकते हैं परन्तु आप एक अन्य सभा की कार्यवाही के बारे में आरोप नहीं लगा सकते।

श्री पी. नागयाल (लद्दाख) : महोदय, आपको अवश्य स्मरण होगा कि पहले दो अवसरों पर जब मैंने इस प्रकार के मामले उठाने का प्रयास किया था तो मुझे अनुमति नहीं दी गई थी। पहला मामला शेख अब्दुल्ला सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष मलिक मोहिउद्दीन को हटाये जाने के बारे में था। दूसरे मामले में कांग्रेस (ई) के 23 सदस्यों को विधान सभा से निकाल दिया गया था और सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया गया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा दृष्टिकोण अब भी वही है। विधान सभा स्वयं में सर्वप्रभुता सम्पन्न है और हम उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, कल जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी वहीं से आरम्भ करता हूं कि कांग्रेस (इ) ने किस प्रकार विधिवत निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश की·····(व्यवधान) और इस संबंध में महोदय, जम्मू और काश्मीर विधान सभा में आज जब विधान सभा अध्यक्ष श्री इट्टू को बल पूर्वक अध्यक्ष पीठ से हटाया गया और कांग्रेस (इ) के श्री मंगत राम को उस पर बिठाया गया तो उस समय जो कुछ हुआ उसका उल्लेख कर चुका हूँ···(व्यवधान)

श्री बूटासिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह आरोप नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि कैसे हटाया गया और क्यों हटाया गया, यह तो असेम्बली ही जानती है। आप फोर्सीबली क्यों कहते हैं ? वह जाने, उनका काम जाने !···(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरी जो टार्पलिंग गैम की कहानी है, उसकी आखिरी कड़ी यह थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं

"दी कैट इज आऊट आफ दी बैग।"

कांग्रेस "आइ" के मंगत राम साहब को फोर्सीबली कुर्सी पर बैठाया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात तो है, किसी को फोर्सिबली कहा तो जा सकता है, मगर बिठाया नहीं जा सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने सिलेसिलेवार घटना क्रम रखा है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, श्री मंगत राम को बल पूर्वक अध्यक्ष पीठ पर बिठाया गया यह कहकर श्री सोज ने जो इस बात की पुष्टि है कि वहां सरकार हटाने में कांग्रेस (इ) का हाथ नहीं था, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कांग्रेस (इ) द्वारा बलपूर्वक सरकार गिराने की कार्यवाही का एक अंग है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज जी, कृपया शीघ्र समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस (इ) ने प्रयास किया। निस्संदेह, उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी की बात उठायी थी। वह नाटक दो महीने चला। तत्पश्चात, उन्होंने वहां हिंसा प्रारम्भ कर दी और हम स्पष्ट कर चुके हैं कि वहां 300 हिंसक प्रदर्शनकारी थे। उन्होंने सरकारी इमारतों को आग लगाई। इन लोगों की यहां कानून और व्यवस्था कायम करने और वहां सड़क अवरुद्ध करने की जिम्मेवारी है **(व्यवधान)** और अन्त में नाटक के तीसरे अंक में उन्होंने राज्य में पृथकतावाद की बात उठा दी **(व्यवधान)** मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से देशवासियों को यह सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप ग्राफ खींचे, में श्री अरूण नेहरू और श्री गांधी को भी चुनौती दे सकता हूं कि यदि वे मेरे साथ बैठें और जम्मू और काश्मीर राज्य में पृथकतावादी आन्दोलन का ग्राफ खींचें तो मैं उन्हें सिद्ध करके दिखा दूंगा कि डा. फारूक के समय में यह लगातार गिरा है।

अध्यक्ष महोदय : हमारा संबध केवल जम्मू और काश्मीर राज्य से है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और काश्मीर के लोग जानते हैं कि भारत में साम्प्रदायिक सिद्धांतों का कोई भविष्य नहीं है और वे जानते हैं कि भारत धर्म निरपेक्षता और समाजवाद की ओर अग्रेसर हो रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आपस में बात करते रहेंगे।

श्री राजीव गांधी : प्रो. सोज ने कहा है कि वह मेरे साथ बैठकर बात करना चाहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि गतिविधियों में निरन्तर गिरावट आई है। परन्तु यह निरन्तर गिरावट तब आई है जब वहां सरकार बदली है। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप लोगों की आखों में धूल नहीं झोंक सकते। गतिविधियों में कमी आने का श्रेय डा. फारूक अब्दुल्ला को जाता है जो लगातार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए है। उनके नेतृत्व में जम्मू और काश्मीर राज्य पहले किसी भी समय से अधिक मुख्य राष्ट्रीय मुख्य धारा में सम्मिलित हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह बात कल भी कही थी। कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं एक अपील के रूप में यह नहीं कह रहा हूं । मैं उन्हें तथ्य बता रहा हूं ··

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त नहीं कर रहे हैं । मैं श्री बी.आर. भगत को भाषण देने के लिए बुला रहा हूँ ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैंने अभी समाप्त नहीं किया है । अभी मैंने आरम्भ ही नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : दल-वार समय आबंटन के अनुसार, मैं आप को 35 मिनट से अधिक समय दे चुका हूं । आप मुझ से और क्या आशा करते हैं । कल आप अन्य दलों के सहयोग से अपना भाषण समाप्त कर सकते थे । मैं आपको कुल उपलब्ध समय को देखते हुए ही समय दे सकता हूं । मैंने आपको 35 मिनट का समय दिया है जो आपके दल के आकार को देखते हुए अधिक है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आपने मुझे केवल 15 मिनट दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दो मिनट और दे सकता हूँ । यदि आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो कृपया कीजिए । यह मैं आपको अन्तिम अवसर दे रहा हूं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : पांच मिनट में क्या कर सकता हूं ? मैं नहीं जानता कि पांच मिनटों में मैं यह गाथा कैसे समाप्त करूंगा/परन्तु मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब तक श्री बी. के. नेहरू वहां थे, हमने उन्हें सरकार गिराने का खेल कभी नहीं खेलने दिया ।

1.00 म. प.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल दो मिनट शेष हैं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : 2 जुलाई को उन्होंने जो कुछ किया उसे इतिहास में बहुत ही असंवैधानिक माना जायगा । श्री जगमोहन ने अपने कृत्यों के बारे जम्मू और काश्मीर से सम्बद्ध संविधान के केवल उन भागों पर परामर्श किया और उन्हें मुख्य मंत्री की सिफारिश पर विधान सभा को भंग करना पड़ा जो कि अनुच्छेद 35 के अनुसार है । यहां तक कि ऐसा करने से पूर्व श्री डा. फारूक ने उन्हें सुझाव दिया था : "मैं आपका इस दलील से सहमत नहीं हूं कि मेरा बहुमत नहीं रहा है, बहुमत का परीक्षण विधान सभा में किया जायेगा । यदि आज इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते, तो आप विधान सभा भंग कर दे, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत मुझे उसका अधिकार प्राप्त है ।" उन्होंने इस सलाह को नहीं माना ।

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल के आचरण के बारे में आज चर्चा नहीं कर सकते हैं ?·····

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्यों नहीं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नही कर सकते हैं; आप नियमों का अध्ययन करें। आप उसके बारे में तभी चर्चा कर सकते हैं जबकि उसके बारे में कोई मूल प्रस्ताव हो।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं संविधान के बारे में चर्चा करना चाहता हूं न कि राज्यपाल के बारे में। संवैधानिक स्थिति की चर्चा करते समय ही मैंने राज्यपाल का नाम लिया था।

(**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त, पूर्वोदाहरण भी हैं। श्री शेख अब्दुल्ला ने जब सिफारिश की तो क्या आपने विधान सभा भंग नहीं की थी ?··· (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जिस कांस्टीटयूशन का उन्होंने हलफ लिया उसी का वायोलेट किया··· (**व्यवधान**)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : डा. फारूक की सरकार को असंवैधानिक बर्खास्तगी करने के साथ एक मुद्दा और भी है। वहां की सरकार की बर्खास्तगी से पहले राज्यपाल श्री जगमोहन 20 घंटे तक कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग किस प्रकार कर सकते थे ? उनका कहना है कि 1 जुलाई को साढ़े ग्यारह बजे उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया गया कि दल बदल ने वाले 12 सदस्य उनके पास आयेंगे। यह केवल पुष्टि थी। अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि गणना करके उन्होंने केन्द्रीय सरकार को और केन्द्रीय सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया और पुलिस की मांग की। उस समय शाम के 7 बजे थे। सात बजे सायंकाल से लेकर लगभग अगले दिन 4 बजे सायंकाल तक 20 घन्टे तक उन्होंने कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग किया। उसके अतिरिक्त 'इण्डियन एक्सप्रेस' के एक संपादकीय लेख के अनुसार राजभवन ने उपयुक्त लोगों से परामर्श किया। जिनसे राज्यपाल ने परामर्श किया था वे उपयुक्त लोग कौन से थे ?··· (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब समाप्त करें। अब श्री बी. आर. भगत बोलेंगे। नियमों के विरुद्ध कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री बी.आर. भगत (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय,·····

अध्यक्ष महोदय : मध्याहन भोजन के पश्चात भी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

1.03 **म. प.**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया।

2.05 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० आर० भगत।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री सोज। आप अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। श्री भगत को बोलने के लिए कहा जा चुका है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष से ही आ रहा हूं।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : डा० फारुक अब्दुल्ला के डींग हांकने के बावजूद, इस सदन के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं उससे यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि डा० फारुक अब्दुल्ला तथा उसके प्रशासन ने राष्ट्र विरोधी, समाज-विरोधी, साम्प्रदायिक और अलगाव वादी समर्थक तत्वों को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई ठोस कदम तो उठाए ही नहीं बल्कि उनको घृणास्पद गतिविधियों को पूरा और खुला संरक्षण प्रदान किया। और डा० फारुक अब्दुल्ला, मौलवी फारुक, जम्मू-काश्मीर पीपुल्स कांफ्रेन्स के अध्यक्ष श्री ए० जी० लोने का गठ-बन्धन और अन्य पाकिस्तान-समर्थक तथा विद्रोही तत्व डा० फारुक अब्दुल्ला सरकार द्वारा अनियन्त्रित तथा बेरोक-टोक होकर अपने राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां जारी रखे रहे।

(व्यवधान)

जम्मू और काश्मीर के इतिहास में इससे पहले राष्ट्र-विरोधी और भारत-विरोधी भावना का ऐसा जहरीला और नग्न प्रदर्शन नहीं हुआ था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस स्थिति का समर्थन करते हुए देख रहा हूं। भावुकतापूर्ण तत्वों का हवाला देकर कोई भी कह सकता है कि फारुक अब्दुल्ला की सरकार को अपदस्थ करके तथा बहुमत द्वारा दूसरी सरकार का गठन करके जम्मू और काश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की गई है। उनलोगों का कहना है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराना कांग्रेस की परम्परा रही है। किन्तु मैं विरोधी दल के इस कथन से सहमत नहीं हूं। क्या वे लोग ऐसा कोई भी उदाहरण दे सकते जबकि किसी भी गैर-कांग्रेसी सरकार को केन्द्रीय सरकार ने असंवैधानिक और गलत तरीके से गिराया हो ?

श्री सी. टी. दण्डपाणी (पोल्लाची) : पांडिचेरी में क्या हुआ था ?

श्री बी. आर. भगत : वहां ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसके विपरीत, मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि किसी सरकार का बहुमत समाप्त हो जाता है तब उसके लिये स्थापित परम्परायें हैं।...

श्री सी टी दण्डपाणी : खड़े हुए।

श्री बी. आर. भगत : मैं नहीं मानता। किन्तु एक मुद्दा है। सत्ता में आने के बाद

जनता सरकार ने निर्वाचित 7 या 8 राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने की एक बहुत ही गलत परम्परा कायम की थी जिसका आधार यह था, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि जिन राज्यों को विधानमंडलों में इन सरकारों का बहुमत था उनमें लोक सभा के चुनाव में जनता के सदस्य चुने गए हैं। उनका कहना था कि लोगों को विश्वास नहीं रहा है। इस बात को निश्चित करने के भी तरीके हैं कि लोगों को विश्वास है अथवा नहीं। लोक सभा के चुनाव पृथक हुए थे और विधान सभा के चुनाव पृथक। इसलिये आपने राज्यपाल से परामर्श नहीं किया। क्या आपने इस बात का पता लगाया था कि राज्य विधान मंडल में उनका बहुमत था अथवा नहीं। आपने इन सरकारों को एकदम बर्खास्त कर दिया। क्या यह सही परम्परा थी ? मैं विरोधी दल को चुनौती दे सकता हूँ कि इतने सारे वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार ने अवैध या असंवैधानिक रूप से किसी सरकार को गिराने का कोई कार्य कभी नहीं किया है ? यह कांग्रेस की सरकार ही है जो लोकतंत्र की परम्परा को कायम रखे हुए हैं और जो उस लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक है जो सबसे अत्यधिक सहयोग के रूप में सारे विश्व को विदित हैं और परिपक्व लोकतन्त्र है। किन्तु आपको जब भी अवसर मिला आपने प्रायः गलत परम्पराओं की शुरूआत की। इस मामले में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जब मैं देखता हूं कि विरोधी दल के सदस्य कांग्रेसी विरोधी निन्दापूर्ण लम्बे भाषणों, प्रधान मन्त्री विरोधी उत्तेजनापूर्ण भाषणों में केवल इसलिये एक जुट हो गये कि जम्मू और काश्मीर में कुछ हो गया है। जम्मू और काश्मीर में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर स्थिति अत्यन्त बिगड़ गई थी।

डा. फारुक अब्दुल्ला सत्तारूढ़ में इसलिये नहीं रह सके क्योंकि उनके अपने दल के सदस्यों ने उन्हें छोड़ दिया था। जब राज्यपाल ने उनको बुलाया और कहा कि तेरह सदस्यों ने लिखित रूप में यह दिया है कि उन्हें उनमें विश्वास नहीं है; तो० अब्दुल्ला ने इस बात का खंडन नहीं किया। इन तेरह सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर से भी उनसे यह कह दिया था कि उन्हें उनपर विश्वास नहीं है। पहली बात तो यह है कि विधान सभा में जो बहुमत में होता वही एक व्यक्ति सरकार बनाता है। विरोधी दल ने जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल की व्यर्थ में ही बदनाम कर दिया है। उन्होंने ठीक कार्य किया था। मेरे वरिष्ठ साथी श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने कहा कि यह राज्यपाल का कर्तव्य था कि वह जो चाहे करे। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो यह समझा जाता कि राज्य के प्रमुख होने के नाते उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। इस मामले में, जब राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री को सूचित किया कि वह बहुमत खो चुके हैं, तो मुख्य मन्त्री ने इस बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वहां या तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिये अथवा विधान सभा भंग कर देनी चाहिये अथवा इसी प्रकार का कोई कार्य होना चाहिये। इसलिये, इस मामले में राज्यपाल को दोष देना ठीक नहीं है। विरोधी दल के सदस्यों का राष्ट्रपति के पास जाना और यह कहना कि राज्यपाल ने ठीक काम नहीं किया है, ठीक नहीं है। उन्होंने ठीक कार्य किया है क्योंकि उन्हें मालूम था कि डा. अब्दुल्ला की सरकार का बहुमत खत्म हो चुका है। उसमें साथ ही, यदि वैकल्पिक सरकार बनाने के लिये किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त हैं; तो राज्यपाल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को आमन्त्रित करे और उसे वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कहे।

आपने यह दर्शाने के लिये कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कुछ मामलों में विधान

सभायें किस प्रकार भंग की गई और कुछ अन्य मामलों में मुख्य मंत्री की सलाह के अनुसार किस प्रकार कार्य किया गया, इत्यादि, यदि राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि कोई अन्य व्यक्ति वैकल्पिक सरकार बना सकता है; तो राज्यपाल का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस व्यक्ति को आमन्त्रित करे और वैकल्पिक सरकार बनाने को कहे। इस मामले में उन्होंने श्री शाह को वैकल्पिक सरकार बनाने को कहा और विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये एक महीने का समय दिया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उसी दिन क्यों नहीं ? अगले दिन क्यों नहीं ?

श्री बी. आर. भगत : यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह जो चाहे करे। आप उनको अगले दिन अथवा उसी दिन के लिये विवश नहीं कर सकते। विधान सभा आमन्त्रित करने आदि की भी एक प्रक्रिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह राज्यपाल होते तो वह भी वही करते।

श्री बी. आर. भगत : इस नाटक में, जिस प्रकार बहुमत न होने के कारण डा. अब्दुल्ला की सरकार की विघटन हुआ, जिस प्रकार नयी सरकार का गठन हुआ और जिस प्रकार विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दिया गया, मेरे विचार से राज्यपाल ने ठीक ही कार्य किया है।

संवैधानिक, वैधानिक और संसदीय औचित्य के अनुरूप सभी मुद्दों के विचार से राज्यपाल ने बिल्कुल ठीक कार्य किया था। और वे लोग इस बात को नहीं समझ सकते किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को जानते हुए भी विरोधी दल डा. फारुक अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे हैं कि राज्य में वह राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी साम्प्रदायिकतावादी तत्वों की सहायता कर रहे थे। यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्र विरोधी और अन्य गतिविधियों में उनका हाथ है और इतने पर भी उनका समर्थन कांग्रेस विरोधी अथवा इन्दिरा गांधी विरोधी होने के कारण किया जा रहा है। दूसरा कारण, चुनाव भी हो सकता हैं। दूसरा कारण चुनाव हो सकते हैं। शायद उनका सोचना गलत है। और विरोधी दल का यह विचार है कि उनका समर्थन करने से चुनाव में उन्हें लाभ हो सकता है किन्तु वह तथ्यों से अवगत हैं। डा. अब्दुल्ला ने जो कुछ किया है उसके बारे में भारत की जनता को पता है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : देखा जाएगा।

श्री बी. आर. भगत : यह विदित है कि डा. अब्दुल्ला ने अपने पिता की लब्धप्रतिष्ठित पैतृक सम्पत्ति को धोखा दिया है जो एक राष्ट्रीय नेता थे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : बिल्कुल गलत।

श्री बी. आर. भगत : उनकी पैतृक सम्पत्ति क्या थी ? यह बात बिल्कुल सत्य है और मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसके बारे में कोई सन्देह करता है; तो मैं उसको चुनौती देता हूं। क्या यह सच नहीं है कि···(**व्यवधान**) क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध

संघर्ष में स्वतंत्रता संघर्ष की शुरूआत से ही नेशनल कान्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक मूलभूत समझौता था। नेशनल कान्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक दल एक गठन अथवा अतिरिक्त अंग था और आजादी मिलने के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसी भावना, लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श नेशनल कान्फ्रेंस के आदर्श थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साम्राज्यवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनमें एक वचन बद्धता थी और उसके बाद भी धर्म-निरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के निर्माण की नींव साथ-साथ डा. फारूक अब्दुल्ला के पिता द्वारा रखी गई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महान नेता थे।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सरकार ने उन्हें जेल में क्यों बंद कर दिया था ? कृपया स्पष्ट करें।

श्री वी. आर. भगत : मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। मुझे बीच में मत टोकें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उन्हें इतने अर्से तक जेल में क्यों रखा गया ?

श्री बी. आर. भगत : कल एक बहुत ही प्रभावशाली सदस्य ··· (**व्यवधान**)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बी. आर. भगत : मैं अपनी बात पर अडिग हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज को अब हठ नहीं करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी उन्हें अपनी बात से हटने के लिए नहीं कह सकते। आपके पास जो भी मुद्दे हैं, अपनी बारी आने पर आप विरोध कर सकते हैं। सही तरीका यही है। प्रो. सोज आप उनसे पूछें कि क्या वह अपनी बात से हटने को तैयार हैं, अन्यथा आप उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। आपके साथ भी वही बात है।

श्री बी. आर. भगत : कल एक बहुत ही प्रतिभाशाली सदस्य ने प्रधान मंत्री के पत्र का हवाला देते सदन में कहा था और गलत निष्कर्ष निकाला था जैसा कि हुए और काश्मीर की घटनाओं के बारे में वे लोग एक गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं अथवा गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। गृह मन्त्री ने उन सदस्यों से इस वाद-विवाद को सही परिप्रेक्ष्य लेने का अनुरोध किया किया था। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि विरोधी दल के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से उसपर कोई ध्यान नहीं दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : अब आप स्थिति को यथावत बना लें।

श्री बी. आर. भगत : उन्होंने मीर कासिम को लिखे गए प्रधान मंत्री के पत्र का हवाला दिया है।

उन्होंने कहा है कि चूंकि स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान नेशनल

कांफ्रेंस तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सहयोग समान आदर्श पर आधारित था और स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्ष भारत, समाजवादी भारत, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना था, फारुक अब्बदुल्ला ने इसे तोड़ दिया। वह राज्य में पूर्ण प्रभुत्व चाहते थे। वह कांग्रेस पर प्रभुत्व करना चाहते थे, जिसका कि उनके पिता ने कभी प्रयत्न नहीं किया। क्योंकि यदि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दुर्बल करेंगे तो नेशनल कांफ्रेंस अकेले साम्प्रदायिकता के घातक खतरे का सामना नहीं कर सकती, आप पाकिस्तान समर्थित पृथकतावादी गतिविधियों का सामना नहीं कर सकते। यही सब कुछ हुआ है। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि यही समस्या की जड़ थी। उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा श्री मीर कासिम को लिखे गए पत्र का उद्धरण देते हुए कहा है कि यही समस्या की जड़ थी। हां, यही समस्या का मूल है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डा. अब्बदुल्ला या नेशनल कांफ्रेंस को समाप्त करना चाहती है। जब अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् डा. फारूक अब्बदुल्ला नेशनल कांफ्रेंस के नेता बने तो राहें अलग-अलग हो गई, उन्होंने भिन्न मार्ग अपनाया जिसके सम्बन्ध में अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं, और मैं उनमें कुछ और तथ्य जोड़ने जा रहा हूं। जो रास्ता उन्होंने अपनाया, वह साम्प्रदायिकता का रास्ता था।

कुछ माननीय सदस्य : कैसे ?

श्री बी. आर. भगत : आप किसी भी बात पर आपत्ति नहीं कर सकते। मैं उसी ओर आ रहा हूं। यदि विपक्ष के माननीय सदस्य अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उन्हें और तथ्य दूंगा। मैं किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह डा० फारुक अब्बदुल्ला की त्रासदी है और मैं डा० फारूक अबदुल्ला की त्रासदी की चर्चा स्वयं डा० अब्बदुल्ला के बारे में चर्चा किए बिना नहीं कर सकता। मैं 1962 से उनके इतिहास से आरम्भ करता हूं। डा० अब्बदुल्ला का उत्थान। उनके अतीत में झांकना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने 1962 से साम्प्रदायिक आधार पर अपनी राजनीतिक गतिविधि आरम्भ की जब वह जयपुर में मेडीकल कालेज के विद्यार्थी थे। यह 1962 की बात है। 1964 में वह अपने महान पिता के साथ पाकिस्तान गए जहां उन्होंने पाकिस्तान की सरकार तथा जनता को काश्मीर की की जनता को अपना रास्ता चुनने के संघर्ष में दी गई सहायता के लिये धन्यवाद दिया। जरा उनकी संदिग्धतापूर्ण दृष्टिकोण को देखिये। देखिये, वह अपने महान पिता से कैसे भिन्न रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेताओं को वचन दिया कि कश्मीरी अपने आत्म-निर्णय के संघर्ष को कमी नहीं छोड़ेंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारा मुल्जा) : आप कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं ?

श्री बी. आर. भगत : मैं किसी पत्र से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं उनके 1964 में पाकिस्तान में दिये गये बयान को पढ़ रहा हूं। यदि आप चाहें तो इसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कई बयान दिए हैं। (**व्यवधान**) मैं तथ्यों को बयान कर रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमें स्रोत का अवश्य पता चलना चाहिए।

श्री सी.टी. दंडपाणि : क्या किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाना, जो सदन में उपस्थित नहीं है और अपनी सफाई नहीं दे सकता, अनुज्ञेय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब अखबारों में कोई बात आती है, तो डा. अब्दुल्ला सदैव इसका विरोध कर सकते हैं या उसका खंडन कर सकते हैं। असंसदीय नहीं है।

श्री सी. टी. दंडपाणि : क्या कोई सदस्य किसी बाहरी आदमी पर आरोप लगा सकता है जो सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई आरोप नहीं है।

श्री सी. टी. दंडपाणि : यह एक आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं, वह उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

श्री सी. टी. दंडपाणि : लेकिन यह एक आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आरोप नहीं है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री सी. टी. दंडपाणि : क्या किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र हनन करना, जो इस सदन का सदस्य नहीं है और अपनी सफाई नहीं दे सकता, अनुज्ञेय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुज्ञेय है। उन्होंने डा० अब्बदुल्ला के बारे में कोई बात कहीं है। जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। जब बातें अखबारों में आयेंगी तो डा. फारूक अब्बदुल्ला इनका खंडन कर सकते हैं। हम जो भी भाषण दे रहे हैं, वे जनता को उपलब्ध होते हैं, और डा. फारूक अब्बदुल्ला सदैव इसका विरोध कर सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय मैं सूचना का स्रोत जानना चाहता हूं। यह कार्यवाही वृत्तांत में जा रहा है, उन्हें हमें सूचना का स्रोत अवश्य बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको बताने के लिये बाध्य नहीं हैं और आप भी नहीं पूछ सकते।

श्री बी. आर. भगत : जो मैं कह रहा हूँ वह इतिहास का तथ्य है·····(**व्यवधान**) मैं समय और परिस्थितियों का उल्लेख कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य के पास इसका खंडन करने के लिये कोई तथ्य हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वह कभी भी ऐसा कर सकते हैं, वह कल भी इसका खंडन कर सकते हैं।

श्री बी. आर. भगत : अब मैं 1969 पर आता हूं। जब वह 1969 में ब्रिटेन गए तो वहां वह ऐसे विभिन्न काश्मीर संघों से सम्बन्ध रखने वाले ब्रिटेन में कार्यरत आंतक वादी काश्मीर

नेताओं के सीधे सम्पर्क में आए जिनका गठन काश्मीर को भारत के कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। अब मैं उनके नाम बता रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि वह अब मुझसे स्रोत पूछेंगे। उनके अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सद्दीकी जैसे नेताओं से घनिष्ट सम्बन्ध थे, जिनकी अमानुल्ला खां द्वारा संस्थापित काश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रति निष्ठा थी। सदन ने डा. फारूक अब्बदुल्ला तथा अमानुल्ला खां का चित्र देखा है तथा यह भी देखा है कि शपथ दिलाई जा रही है·····(**व्यवधान**)

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : यह रहे कुछ चित्र·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। नामग्याल जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं···(**व्यवधान**)

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसको अनुमति नहीं है। चित्र दिखाने की आज्ञा नहीं है।

श्री बी. आर. भगत : यदि वह इस बात का प्रमाण चाहते हैं तो ये चित्र चाहे वे कैमरे की चालाकी हो या असली हों, सदन इसका निर्णय कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि जब गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही हो तो सदन को भी गम्भीर होना चाहिये।

श्री बी. आर. भगत : मैंने सदन को वचन दिया था कि मैं और तथ्य लाऊंगा, और मैं और तथ्य ला रहा हूँ। निर्णय करना सदन का कार्य है, देश का कार्य है। विपक्षी नेता राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी तथा अन्य तत्वों डा. फारूक अब्बदुल्ला द्वारा उनको समर्थन दिए जाने का समर्थन क्यों कर रहे हैं ? इसका निर्णय देश करेगा। आरोप आ रहे हैं, वे देखेंगे···(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस फारूक अब्बदुल्ला को कांग्रेस (इ) दल के कहने पर मुख्य मन्त्री बनाया गया था, उस समय वह राष्ट्रवादी तथा धर्मनिरपेक्ष थे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अपना मत हो सकता है···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उनके अवसरों पर इस सदन में अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिये फटकारा है, जो यहां उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है। यहां एक व्यक्ति के विरुद्ध बहुत ही गम्भीर किस्म के व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं और उसे राष्ट्र विरोधी, पृथकता वादी आदि कहा जा रहा है। वह इसका उत्तर देने के लिए वह यहां मौजूद नहीं है। आप इस सबकी अनुमति कैसे दे रहे हैं ?···(**व्यवधान**) इस सदन के सभी मानदंडों तथा परम्पराओं का नजर अन्दाज किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी वक्ता व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं चाहेंगे। यह एक आरोप नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह एक गलत बात कह रहे हैं, यह एक आरोप है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी कह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वह एक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के बारे में बोल रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसमें क्या आरोप है? (व्यवधान)

श्री दौलत राम सारण (चुरू) : यह एलीगेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वे मुसलमान चीफ मिनिस्टर थे। मुसलमान चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए राष्ट्र विरोधी थे।

श्री विलास मुत्तेवार (चिमूर) : श्री शाह भी मुसलमान है··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस बात के अतिरिक्त कैसे स्थापित परम्परा है, कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए जो इस सदन का सदस्य नहीं है, एक विशिष्ट नियम है, नियम 353; जिसमें कहा गया :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो, जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें : परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता है।"

यदि पूर्व-सूचना भी दी गई हो तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है। लेकिन जब पूर्व-सूचना न दी गई हो तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो सदन में मौजूद नहीं हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता·····(व्यवधान) मेरे विचार मे इससे अधिक मानहानि या अभियोग के आरोप नहीं हो सकते कि एक व्यक्ति जो सदन में किसी भी तरह अपनी सफाई नहीं दे सकता, उसे राष्ट्र-विरोधी या पृथकतावादी कहा जाए। यह न केवल मानहानि तथा अभियोग के आरोप हैं, बल्कि उन्हें बहुत गम्भीर रूप में लिया जाना चाहिए। यहां एक सदस्य एक व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी तथा पृथकतावादी कह रहे हैं, वह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसे बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और आप उसे संरक्षण दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा अनुरोध है कि यदि नोटिस दिये भी गए हैं तो उपबन्ध के अंतर्गत आपको उन्हें बोलने से रोकना चाहिए। हमें सुबह कहा गया था कि हमें सदन की छवि और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयत्न करना है। यहां एक मामला है जिसमें एक व्यक्ति को, जो कुछ दिन पहले मुख्य मन्त्री था, इस तरह से गालियां दी जा रही हैं जो कि नियम 353 के विरुद्ध है।

श्री ए के. सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : क्या मैं इसका उत्तर दूं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे इस पर विचार करने दीजिए। श्री भगत के भाषण पर आपत्ति की जा रही है। और एक मुद्दा उठाया गया है कि यह नियम 353 के अंतर्गत अपमानजनक है तथा अपराधारोपक है। ऐसे मामलों में जब कभी भी नियम 353 के अधीन मामला उठाया जाता है तो हमेशा अध्यक्षपीठ सदन को बताते हैं कि "हम रिकार्ड पढ़ेंगे।" शाम को हम रिकार्ड पढ़ते हैं और यदि अपमानजनक या दोषारोण की प्रकृति का कोई आरोप पाया जाता है तो हम उसे कार्यवाही से निकाल देते हैं। अब मैं आपको इस मामले पर अपना विनिर्णय दे सकता हूँ कि हम रिकार्ड पढ़ेंगे ····· (**व्यवधान**) उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। हम रिकार्ड पढ़ेंगे और जो कुछ उन्होंने कहा है यदि वह नियम 353 के विरूद्ध पाया गया तो हम उसका ध्यान रखेंगे। अब वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं····· (**व्यवधान**) यह अब समाप्त हुआ। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री नारायण चौबे : क्या इसका तात्पर्य यह है कि सदस्य अपमानजनक आरोप लगा सकते हैं और आप केवल रिकार्ड पढ़ेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यही प्रक्रिया है जिसका हम इस सभा में अनुसरण करते रहे हैं।

श्री ए. के. सेन : क्या मैं इस मुद्दे का यह जवाब दे सकता हूं, कि नियम 353 उस समय लागू नहीं होगा यदि उस समय सभा में वाद-विवाद का विषय यही हो। उदाहरण के लिये जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामनस में ये प्रश्न उठाए गये थे कि श्री स्कारगिक और उनके साथियों को गिरफ्तार क्यों किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा था कि वे हिंसात्मक गतिविधियों में लगे हुए थे अर्थात इस प्रकार से यदि, इस विषय पर सभा में चर्चा हो रही है तो इस पर नियम 353 लागू नहीं होगा। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, गृह मंत्री को यह बताने का अवसर दिया जाना चाहिए कि क्या वह राष्ट्र विरोधी आरोपों से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या वाद-विवाद कराने का यही तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और अध्यक्ष पीठ से हम जो कुछ करते है, वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक आप यह नहीं कहते कि राष्ट्र-विरोधी तथा पृथकतावादी मानहानिपरक तथा अपराधारोपक है तब तक इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में दिये गये सभी भाषण हमारे पास शाम को आते हैं चाहे उसमें 12 बजे या 1 बज जाये। अध्यक्ष महोदय सभी विषयों को देखते हैं। और यदि इस सभा

में किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई बात नियमों के विरूद्ध है और नियम 353 के अंतर्गत आती है, हम हमेशा उस पर ध्यान देते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। इसलिये, चिंता की बात नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अपने मार्गदर्शन के लिये मैं आपके द्वारा दिये गये विनिर्णय का स्पष्टी करण चाहता हूं। आपने कहा है कि यहां तक कि आप समूची प्रक्रिया को 12 बजे तक देखते हैं। जब किसी बात का पता लगाना हो बात मेरी समक्ष में आती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि प्रयुक्त किए गये शब्द पृथकतावादी या राष्ट्र विरोधी है, तो आपको निष्कर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा कि ये शब्द बहुत अनुचित और अपमानजनक हैं। उसका एक प्रत्यक्ष मामला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसी प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा हुं जिसका पालन उस समय किया गया जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में होते हैं। मैं नियम 353 के अंतर्गत तुरन्त अपना निर्णय इसी समय नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दंडवते : आपका विनिर्णय क्या है ? राष्ट्र विरोधी और पृथक्तावादी दलों के बारे में आपको यह निर्णय लेने में कितना समय लगता है कि यह अपमानजनक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, आप अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे आपकी सहज बुद्धि का पता है और कुछ ही मिनटों में आपको यह निर्णय ले लेना चाहिये कि क्या ये मानहानिकारक है अथवा अपराधारोपक।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि अपने यह मान लिया है कि मुझमें कुछ सहमजबुद्धि है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, आप कृपया अपना भाषण जारी रखिए। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अब उनके भाषण में हस्तक्षेप करे। अब समय नहीं है।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : मैं आपका विनिर्णय मानता हूं। मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निंदात्मक आरोप दिन में इसलिए लगाये जाते हैं कि उन्हें रात को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिए जाए। मैं केवल वही बात जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर पृथक रूप से चर्चा करेंगे। आप मेरे कक्ष में आइये, मैं आपको बताऊंगा।

श्री बी. आर. भगत : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को वाद-विवाद का विषय स्मरण कराना चाहता हूं। यह वाद-विवाद माननीय गृह राज्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से उत्पन्न हुआ है। और पहली पंक्ति में क्या कहा गया हैं ? इसमें कहा गया है कि जम्मू और काश्मीर

राज्य में कुछ तत्व 1983 के मध्य से राष्ट्र-विरोधी और पृथक्तावादी गतिविधियों में लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि हमारे विद्वान साथी श्री अशोक सेन ने क्या कहा। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और अपनी आरंभिक टिप्पणियां देते समय मैंने यह कहा। मैंने अपना वक्तव्य यह कहते हुए आरम्भ किया कि डा० फारुक अब्दुल्ला और उनके प्रशासन में इस घाटी में राष्ट्र-विरोधी, समाज विरोधी तत्वों साम्प्रदायिक और पृथक्तावादी समर्थक तत्वों के विरुद्ध न केवल कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया बल्कि उन्होंने सभी घृणित गतिविधियों को अपना पूरा संरक्षण दिया। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि आप आरोप लगा रहे है। क्या मैं आरोप लगा रहा हूं या 1983 के मध्य से जम्मू और काश्मीर की स्थिति तथा नाष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादियों गतिविधियों पर चर्चा कर रहा है। डा. फारुक अब्दुल्ला के मुख्य मंत्री होने के नाते तथा चूंकि उनकी ही बात हो रही थी, अतः जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है मैंने कहा कि क्या डा. फारुक अब्दुल्ला पर चर्चा किए बिना हम उनकी त्रासदी के बारे में कह सकते हैं ? क्या हम स्वयं डेनमार्क के राजकुमार, हेमलेट की चर्चा किए बिना हेमलेट की त्रासदी पर चर्चा कर सकते हैं ? मैं सदन से इस बारे में पूछता हूं।

तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी ने निमम 353 की बात उठायी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मुद्दा उठाया कि यह आरोप है। क्या मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे माननीय और विद्वान साथी द्वारा मुझे चुनौती दी गई है कि क्या मेरे पास कोई प्रमाण हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : महोदय, क्या दल-बदलू लोग दल-बदल पर बोल सकते हैं ?

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री सुधीर गिरि : नियम 353 के अन्तर्गत।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं। वह यह प्रश्न पहले ही उठा चुके हैं और मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 353 का पुनः प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। श्री भगत, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री बी. आर. भगत : मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन चूंकि विषय ही ऐसा है कि हमें डा. फारूक अब्दुल्ला···पर चर्चा करनी पड़ी (व्यवधान) आप सब ने हैमलेट की त्रासदी के बारे में पढ़ा है। लेकिन हमें हेमलेट पर चर्चा करनी पड़ी। मैंने केवल यही कहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह बोलते हैं, यदि कोई विपक्षी सदस्य कुछ और कहना

चाहता है तो अगला वक्ता उसे सदन के समक्ष रख सकता है। आप पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं, मुझे केवल यही कहना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लोकतंत्र में हम ऐसा ही कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं। आप को शांतिपूर्ण चर्चा होने देनी चाहिए। आपको भावुक नहीं होना चाहिए। अन्यथा आपके तर्क बेकार हो जाऐगें और मैं भी·····(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप जानते हैं कि जब प्रो. सैफुदीन सोज बोल रहे थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। वह एक भी वाक्य पूरा नहीं कर सके, हर वाक्य में व्यवधान डाला गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना ध्यान रख सकते थे। (व्यवधान)

श्री बी. आर. भगत : वाद विवाद के दौरान मैंने एक शब्द भी नहीं कहा (व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि सदन को मेरे साथ सहानुभूति होनी चाहिए। मैंने कुछ विवरण इसलिए दिए कि मुझे कश्मीर घाटी के माननीय सदस्य द्वारा यह चुनौती दी गई थी कि तथ्य कहां है ? मैंने तथ्य दे दिए हैं। लेकिन वे आरोप नहीं हैं और मैं बिषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने 1969 की बात कही। मुझे आगे बोलने दीजिए। अब मैं 1974 की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है और मेरे विचार से आप 1983 की बात कर रहे थे।

श्री बी. आर. भगत : मैं अमानुल्ला खां की बात कर रहा था जब उन्होंने डा. अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिष्ठा की शपथ दिलाई। वह फोटो दिखाई गई थी। मैंने वह बात कहीं थी। उसके बाद, ऐसे कथनों के बाद, डा. अब्दुल्ला ने स्वयं को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कार्यरत आंतकवादी कार्यों में लगा लिया है और उन्होंने इसका पूर्णतः लाभ उठाने का प्रयत्न किया और इसीलिए 1974 में मीरपुर (पाक अधिकृत कश्मीर) में जनमत संग्रह मोर्चे की वार्षिक बैठक में डा. फारूक अब्दुल्ला को आमंत्रित किया गया। क्या ऐसा नहीं है ? और इस यात्रा के दौरान डा. फारूक अब्दुल्ला अमानुल्ला खां, मकबूल भट्ट तथा अन्य प्रसिद्ध लोगों·· के सम्पर्क में आए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल इन बातों का खन्डन डा. फारूक अब्दुल्ला को करना है। न तो मैं जानता हूं और न ही आप जानते हैं। हमें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। कल वास्तविकता सामने आऐगी।

श्री बी. आर. भगत वह अमानुल्ला खां और मकबूल भट्ट, और एक और महत्वपूर्ण हस्ती के सम्पर्क में आए···उनकी तस्वीर भी है, वे उपलब्ध कराई गई हैं।

डा. अब्दुल्ला ने मीरपुर में भारी सभा को सम्बोधित करते हुए कश्मीर के लोगों से युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर कार्यरत जनमत-संग्रह मोर्चे का समर्थन करने की अपील की और स्पष्ट रूप में कहा कि कश्मीर के व्यक्तियों को अनका अनिष्ट निर्धारित करने के लिए

उनका मूल अधिकार का दृढ़ समर्थन करते हैं। इस वार्षिक अधिवेशन में डा. अब्दुल्ला का भी···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह एक निबंध है। यह निबन्ध जिसने लिखा है? मैं जानना चाहता हूँ।

श्री बी. आर. भगत : आप अपने स्वयं के निबंध को प्रस्तुत कीजिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या यह आपका अपना निबंध है? आपका स्त्रोत क्या है? आपकी सामग्री क्या है? यह सिर्फ कूड़ा है और कुछ नहीं। यह लेख श्री भगत ने लिखा है।

श्री बी. आर. भगत : जी हां, मुझे अपना वक्तव्य देने का अधिकार है। मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। यह मेरा अपना वक्तव्य है। आप इसे नहीं रोक सकते। आप अपनी सीमा को नहीं जानते। वह मुझे धमका नहीं सकते। मैं यह पूछता हूँ कि क्या एक सदस्य दूसरे सदस्य को धमका सकता है? वह मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं उन्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

श्री बी. आर. भगत : यह संसद है। मैंने यहां तीस साल से अधिक बिताये हैं। उनकी उम्र के बराबर—और अब वह मुझे धौंस दे रहे हैं।

मैं अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है। व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ कमजोर वर्ग को अधिक समय देता हूं। मैं शक्तिशाली वर्ग से कुछ समय चुराकर उसे कमजोर वर्ग को दे देता हूँ।

श्री बी. आर. भगत : अब मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं—कि माननीय सदस्य ने कल समस्या की मूल कारण के बारे में वाकपटुता से क्या कहा था। मैं आपको मूलकारण बता रहा हूँ। श्री फारुक अब्दुल्ला की यह पैतृक संम्पत्ति है। पिछले चुनाव में उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। वह कांग्रेस को घाटी में खत्म कर देना चाहते थे। उन्होंने इण्यिन नेशनल कांग्रेस से मित्रता तोड़ दी और मौलनी फारुख के साथ हो गये। उन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय साम्प्रदायिकता को चुना।

मौलवी फारुख कौन है? कल यह कहा गया था कि वह अपनी राष्ट्रीयता बताने में झिझक महसूस करते हैं, वे भारतीय हैं अलग नहीं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उन्होंने यह पहले ही घोषित कर दिया है।

श्री बी, आर. भगत : श्री फारुख अब्दुल्ला मौलनी के लिए बचाव का एक बहाना बन

रहा है श्री फारुख अब्दुल्ला ऐसा आधार बना सकते हैं परन्तु मौलनी फारुख को सभी जानते हैं।

इसके पश्चात क्या हुआ ? अब सीधे विषय की ओर आइये। जुलाई 1983 के पश्चात, सत्ता में आने पर उन्होंने क्या किया ? यह बहुत ही अलंकृत तरीके में कहा गया था। यह बताया गया है किस प्रकार से वह मोटा साइकल लेकर तफरी निकल पड़ते थे। यह था उनका मिजाज। तथ्य यह है कि जुलाई 1983 से, जब डा० फारुक अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आई विकास की दृष्टि से अर्थ-व्यवस्था तथा सभी कुछ पूर्णतः नष्ट हो गया। शायद ही वहां कोई उद्योग लगा होगा। शायद ही कोई विकास कार्य हुआ होगा। वह दूसरा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे विशेष रूप में केन्द्र सरकार पर यहां तक कि वह लद्दाख को आदिवासी अधिकार भी नहीं दे रहे थे और सम्पूर्ण क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे थे। लोग देश चाहते थे। दूसरी ओर जो भी बुराईयां पैदा हो रही थीं वह उसका आरोप केन्द्र सरकार पर लगा रहे थे। इस तरीके से वह काम कर रहे थे।

मैं एक धमाका करने वाला हूँ क्योंकि विरोधी पक्ष एक बात पर अत्यधिक निर्भर है—उनके लिये राज्यपाल श्री बी. के. नेहरु का कथित रोमा। यह कहा गया था कि चुनाव में गड़-बड़ी हुई है। यह एक स्पष्ट तथ्य है। उन्होंने घाटी से इण्डियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर देने की शपथ ली थी—किस प्रकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को चला दिया गया था और उसकी सभी बैठक नहीं होने दी गई थीं प्रधान मंत्री जी की बैठक को भंग करने में प्रयास किये गये थे। हर व्यक्ति को पीटा गया। इसके बाद उन्होंने साम्प्रदायिक रुख शुरु कर दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात से ही छोटे बच्चों की भांति कश्मीर हमारे लिए गौरव का स्थान था। हमने कश्मीर को हमेशा ही धर्मनिरपेक्षता की घाटी की तरह समझा। गांधी जी ने कहा है कि कश्मीर हिन्दू-मुस्लिम मित्रता का उज्जवल उदाहरण है। हमें कश्मीर पर गर्व है कि धर्मनिरपेक्षता की जड़े कश्मीर में ही मजबूत हुई थी इन्दिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला आपका इण्डियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के बीच सम्बन्ध टूटने का मुख्य कारण था कि उन्होंने उस मूल आधार को ही समाप्त कर दिया जिसके लिए हमें कश्मीर पर गर्व था। उन्होंने इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की और बाद में यह सब को मालूम है कि पंजाब में उग्रवादी तत्वों से उन्होने सम्बन्ध बनाये।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या यही धमकाना है ? आप छह महीने से इसे बोल रहे हैं।

श्री बी. आर भगत : मैं नहीं समझता कि आप **ढिलट्ज** को एक सरकारी अखबार कहेंगे। यह स्वतंत्र प्रगतिशील साप्ताहिक पत्र है। मेरे विचार में श्री उन्नतीकृष्णन भी इसका सम्मान करते हैं। यह साप्ताहिक अखबार क्या कहता है ?

प्रो. मधु दंडवते : अगर करोजिया को मालूम होता कि आप हमें उद्धृत करेंगे तो वह इसे कभी भी नहीं छापते।

श्री बी. आर. भगत : मैं जानती हू श्री करोजिया बम्बई के रहने वाले हैं। किन्तु मैं उन्हें

आपसे पहले जानता हूँ। वह पिछले 30 वर्षों से मेरे घनिष्ठ मित्र हैं जब श्री करोजिया आपको नहीं जानते थे। आप उन्हें 10 वर्षों से जानते होंगे। किन्तु करोजिया को मैं पिछले 30 वर्षों से जानता हूं। मैं जानता हूँ उन्होंने क्या किया होगा। कम से कम आप यही नहीं कह सकते कि यह सरकारी पत्रिका है अथवा सरकार का पक्ष लेती है। यह उन्नतिशील स्वतंत्र साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें कहा गया है कि उग्रवादियों के नेता संत भिंडरवाले के साथ 6 बैठकें हुईं। उन्होंने छह दफे उग्रवादियों के नेता भिंडरवाले के साथ पृथक् निजी बैठकें की। इनमें से एक बैठक में फारुख अब्दुल्ला का भिंडरवाले के साथ विचार-विमर्श करते हुये एक फोटो प्रकाशक ने दिया था। आमतौर पर यह विश्वास किया गया था कि जब कभी भी भिंडरवाले का प्रेस अथवा बाहर के व्यक्ति से साक्षात्कार किया गया वह अन्य लोगों के दबाव के कारण उनसे मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री बी. आर. भगत : बहुत-सा समय बीच में व्यवधान से खत्म हो गया। मुझे धमाका करना है। मैं अब आखिरी धमाके पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप धमाका करने जा रहे हैं अथवा नहीं। आप धमाके के बारे में तीन अथवा चार दफे कह चुके हैं।

श्री बी. आर. भगत : अतः उन्होंने सिख उग्रवादियों के साथ सम्बन्ध जोड़ लिये सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में कितने प्रशिक्षण केन्द्र तथा गुरुमट प्रशिक्षण शिविर चलाये गए थे : सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और किस प्रकार से पृथग्यवादी पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर होते हुये यहां आये थे। (**व्यवधान**) उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। किन्तु वह अपनी स्थिति देश की राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग बनाना चाहते थे। (**व्यवधान**) कृपया सुनिये। कश्मीर, भारतवासियों तथा उन सभी व्यक्तियों के लिये, जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखते हैं, एक गौरव का स्थान था। परन्तु जब डा. फारुख अब्दुल्ला प्रशासन में आये तो वर्षों पुरानी हिन्दू-मुसलमान मित्रता वहां से गायब हो गई। उन्होंने फास्टिवाद के तरीके को विकसित किया। उन्होंने राज्य में सभी विरोधी लोगों तथा श्रमिक को आतंकित किया और फिर उन्होंने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों, जनमत तत्वों तथा पृथकतावादी तत्वों से सम्बन्ध जोड़ लिए। उन्होंने पंजाब में उग्रवादियों से सम्बन्ध बना लिये और इसके द्वारा वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे।

और कल जब वर्तमान राज्यपाल की तस्वीर पर कालिख पोतने की कोशिश करते हुए उन्होंने विध्वंसकारी दस्ते के बारे में कहा और सभी तरह के नामों को लिया गया। उन्होंने भूत-पूर्व राज्यपाल श्री बी. के. नेहरू को बिना यह जाने कि वह क्या थे, तारीफ की। वह बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब उन्हें डा. फारुख अब्दुल्ला की गतिविधियों का पता चला, जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे, जमाहत-ए-इस्लामी व्यक्तियों तथा जमाहत-ए-तुल्बा तथा दूसरों के साथ उनके सम्बन्ध देखे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। क्योंकि यह एक गुप्त दस्तावेज हैं मैं मंत्री जी

से सिर्फ अनुरोध करूंगा। मेरे पास पत्र नहीं है। मैं सिर्फ इसके बारे में जानना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सम्भवत: वह इस पर कुछ प्रकाश डाल सकें। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार, जो कि मैं सदन तथा मेरे सम्मानीय विरोधी पक्ष के सदस्य, जो कि डा. फारुख अब्दुल्ला का गलत तरीके से समर्थन कर रहे हैं और जो कुछ भी राज्य में हुआ उसके लिए भ्रांतिपूर्ण तथा गलत तरीके से राज्यपाल तथा अन्य लोगों पर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं भूतपूर्व राज्यपाल ने जाने से पहले क्या कहा था ? वास्तव में भूतपूर्व राज्यपाल श्री बी. के. नेहरू ने डा. फ़ारुख अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि समाज के विविध वर्गों से तथा बहुत से लोगों से ऐसी बहुत-सी शिकायतें हैं कि वे विरोधियों को इस हद तक भयभीत कर रहे हैं कि अगर समय आया तो वह अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने का भी सोच सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं अगर समय आया, तो यहां तक कि वह अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने का भी सोच सकते। अपनी चूकों के कारण उन्होंने अपनी सरकार से इसकी चर्चा कर ली होगी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आपने उन्हें क्यों हटाया ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, क्या यही धमाका है जिसके बारे में आप कह रहे थे ?

श्री बी. आर. भगत : मैं पूरा कर रहा हूं। (**व्यपधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभी सुरक्षित हैं। मैं भी इससे डरा हुआ था जब आप कह रहे थे कि आप यहां धमाका करने वाले हैं। मेरे विचार से अब हम सभी सुरक्षित हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह फुलझड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभी सुरक्षित हैं।

श्री बी. आर. भगत : मैंने विरोधियों के लिए धमाका कहा। मुझे खुशी है कि श्री बी. के. नेहरू ने कहा कि उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। उसी कारण से राज्यपाल श्री जगमोहन ने सरकार को बर्खास्त नहीं किया। उन्होंने यह उचित किया जब उन्होंने देखा कि विधान-सभा में डा. फारुख अब्दुल्ला का बहुमत खो बैठे हैं और वह त्याग-पत्र नहीं दे रहे हैं तो उनके पास सरकार बर्खास्त करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था।

मैं आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूं। विधान सभा में लोगों ने, विधायकों ने, स्वयं ही इस खेल को देखा और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने उनको छोड़ दिया और बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त सरकार बन गई है और मैं समझता हूँ कि अत्यधित तर्क संगत, सुधारात्मक बात के लिए विरोधी पक्ष को अपना समय तथा ताकत बरबाद नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जब ये तथा देश में सभी लोगों मालूम हैं। यहां तक कि उन्हें इतने वोट भी नहीं मिलेंगे जितने उन्हें प्राप्त होने वाले थे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से श्री भगत की तकरार सुन रहा था। उन जैसे विद्वान व्यक्ति से मैं बहुत उम्मीद करता था।

2.59 **म. प.**

(श्री आर. एस. स्पैरो पीठासीन हुए)

उन्होंने अपनी तकरीर में इस समस्या के रुट काज की बात करते हुए एक पक्ष को जरूर उभारा है, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इस देश की लोकशाही का क्या होगा और देश का क्या होगा। उन्होंने भिंडरांवाले की चार्चा कर डाली और कम्युनलिज्म की चर्चा की। मैं भिंडरांवाले की चर्चा के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि सत्ताधारी पार्टी के महामंत्री ने उनको संत का खिताब किया था। श्री राजीव गांधी ने कहा था कि वह सन्त हैं। **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : कई दफा माननीय संसद सदस्य द्वारा क्लेरिफिकेशन हो चुका है। **(व्यवधान)** फिर भी आप अभी तक जहां थे वहीं हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : जहां तक कम्युनलिज्म का प्रश्न है हमने कल-परसों यह मामला उठाने की कोशिश की थी। **(व्यवधान)** कम्युलिज्म की बात कहने वालों के दिमांग में यह बात साफ होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में हाजी कुली मस्ताना और करीम लाला किसकी देन है।

3.00 **म. प.**

और भी लोगों को कम्यूनलिज्म के नाम पर बन्द किया, साम्प्रदायिकता के नाम पर बन्द किया मैं पूछना चाहता हूं अवैध रूप से हथियार रखने वाले व्यक्तियों को छोड़ने वाले कौन लोग हैं ? शिव-सेना के साथ समझौता करने वाले कौन लोग हैं ? ...**(व्यवधान)**... में इन बातों पर जाना नहीं चाहता। मैं काश्मीर पर आना चाहता हूं। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मुल्क की बात है, वतन की बात है, देश की बात है, पृथकतावादी ताकतें और राष्ट्र विरोधी लोग वहां सक्रिय थे। मैं आप से एक बात पूछना चाहूंगा, अपनी बात मैं उनके वक्तव्य से शुरू करना चाहूंगा,

भारत सरकार को इस बात की चिन्ता है कि संवेदनशील सीमान्त राज्य जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। जो लोग भारत अखण्डता और पवित्रता को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नापाक इरादों और गतिविधियों को कारगर ढंग से रोक जाय। अत: मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह जम्मू कश्मीर राज्य में हाल की घटनाओं को सही परिपेक्ष्य में देखें और सरकार के हाथ मजबूत करें।

यह आप ने अपील की है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या डिफेक्टर्स की बनाई हुई गवर्नमेंट इस राज्य की हिफाजत कर सकेगी।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) यह चौधरी साहब की पार्टी के ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं ? जरा याद कीजिये...

श्री राजेश कुमार सिंह : अभी आपका नम्बर नहीं आया है, आप बैठ जाइये ।

मैंने एक ही बात पूछी है कि डिफेक्टर्स के द्वारा बनाई हुई जो माइनारिटीज की सरकार है वे लोग क्या सही स्टेबल गवर्नमेंट वहां दे सकते हैं ? (**व्यवधान**) वह सरकार डिफेक्टर्स की सरकार है । और कांग्रेस की यह नीति रही है कि वह हमेशा गवर्नमेंटस को टापल करती रही है. आज से नहीं जब हमारी प्रधानमंत्री कांग्रेस की प्रसीडेंट थीं सन् 60 में तो सी. पी. एम. की गवर्नमेंट केरल में किस तरह तोड़ी गई ? कि तरह कैंआस वहां क्रियेट किया गया और किस तरह वहां के बातावरण को दूषित किया गया ? काश्मीर के अन्दर भी इन की साजिश थी, वहां की सरकार की पावर से हटाने के लिए इन्होंने वातावरण तैयार किया ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे । (**व्यवधान**)

श्री ए. के. सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । वह तथ्यों का उद्धरण नहीं दे रहे हैं । यदि अभिलेख देखे जाएं तो तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू ने उन दिनों कहा था, "जब दोनों मंत्री मुझे शिमला में मिले तो उन्हने मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र बर्खास्त किया जाए क्योंकि वे अब आगे अपना दायित्व निभाने की स्थिति में नहीं रहे" यह रिकार्ड में है और इसका खंडन भी नहीं किया गया है । जो कुछ वह कह रहे हैं वह सच नहीं हैं ।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ?

सभापति महोदय : यह एक व्यवधान है । मैंने उस पर गौर किया है ।

श्री पी· नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं

(**व्यववान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : कौन से नियम के अधीन ?

सभापति महोदय : नामग्याल जी, इसके बाद आप बोलेंगे, आप उन सभी बातों का उत्तर दे सकते हो । कृपया व्यवधान मत डालिए । कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

(**व्यवधान**) **

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई भी बोलने के लिये नहीं उठेगा । जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको कृपया सुनना चाहिये । व्यवहारिक तौर पर प्रत्येक वाक्य के बाद व्यवधान डाला जा रहा है । इसे मजाक मत बनाइये । आपमें से बहुतों पर दोष जाता है, आप सभी पर नहीं, आपमें से कइयों पर । प्रत्येक वाक्य के बाद व्यवधान पड़ रहा है : क्या आप इस ढंग से सदन की कार्यवाही चालाएंगे ? यह गलत है । ऐसी किसी भी चीज को जिसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा सकता, मैं गम्भीरता से लेता हूं । आप चिंता न करें ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कोई भी उचित व्यवधान चलेगा तथा अध्यक्ष पी० उसे नोट करता है। बस इतना ही निसन्देह उचित व्यवधान स्वीकार किये जा सकते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, मेरा कोई उपदेश हाईकोर्ट के बारे में नहीं है, यह सर्वोच्च संस्था है। ऐसी बात नहीं है।

मैं एक बात बड़ी गम्भीरता से लेना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसको गम्भीर रूप से लें। ऐसी सरकार क्या स्थायी सरकार होगी, यदि आपको सही मायनों में जम्मू-काश्मीर की चिन्ता है देश की अखण्डता व पवित्रता की चिन्ता है; तो क्या ऐसी सरकार निश्चित रूप से मजबूत सरकार होगी। आज जो वहां पर घटना घटी है, स्पीकर को कुर्सी से खेंच कर फेंक दिया गया और जबरदस्ती लोग बैठ गए। इस तरह की स्थिति जहां पैदा हो रही हो, वहां क्या आप उम्मीद करते हैं कि मजबूत सरकार काम करेगी। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं इनका वजन समझ गया हूं। आपके लब्जों से कुछ न कुछ बोलेंगे, इस बात का ख्याल रखें। अच्छे-शानदार लब्जों में बात करिए। (**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : न्यूज लाइब्रेरी के बाहर लगी हुई है। (**व्यवधान**) अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि फारूख अब्दुल्ला की गतिविधियाँ राष्ट्र विरोधी थीं, लेकिन आपने कहीं तारीख अब्बुल्ला की चर्चा नहीं की। 1962 और 1964 में राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की वकालत करते थे, पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन आपके साथ हैं। वे राष्ट्रभक्त हो गए। आप कभी अपने मन में जवाब टटोलने की कोशिश कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : पारस पत्थर हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप जब एक पक्ष को रखते हैं, तो आपको दूसरा पक्ष भी रखना चाहिए। फारूख अब्दुल्ला का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वह जम्मू-काश्मीर को वैली से निकलकर विरोध पक्ष के साथ आए। यही उनका रुट-काज था। श्री मफजी सयीद श्री बी,के. नेहरू गवर्नर साहब से बात कर रहे थे, उनकी न्यूज अखबार में हैं :—

जब श्री नेहरू ने मना कर दिया, तो प्रदेश कांगेस कमेटी (इ०) के अध्यक्ष ने कहा बताते हैं :—

> "हम आपको उसे बर्खास्त करने के लिए वाध्य कर देंगे। हम ऐसी परिस्थितयां पैदा कर देंगे जिसमें सरकार काम नहीं कर सकेगी। आप प्रतीज्ञा करें तथा देखें।"

ये शब्द मुफती सयीद साहब चीफ कांग्रेस-आई के हैं। उनके शब्द हैं, जो अखबारों में छपे हैं। जिस दिन गवर्नमेंट पावर में आई, फारूख अब्दुल्ला साहब से आपकी दोस्ती नहीं बन पाई, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, तो आपने रास्ता तैयार किया। मैं एक मिसाल आपको और देता हूं। ए. आई. सी. सी. के बम्बई सैशन 20 अक्टूबर के पहले जम्मू काश्मीर के अन्दर बन्द आहूँवान किसने किया, सरकारी दफ्तर खोलने नहीं दिए गये, मैं पूछना चाहता हूं कि यह

किसका क्रिएशन था ? डिमॉंसट्रेशन वहां पर कितने किया, आपकी पार्टी के लोगों ने किया। आपकी पार्टी के लोगों ने वहां पर ऐसा माहौल बनाया था। कलकत्ता सेशन के पहले वहां पर ऐसी हालत बना दी कि अनन्त नाग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को नहीं चलने दिया गया। कार्यवाही को रोक दिया गया डिप्टी कमीशन को किसने मारा और उसके आफिस में किसने आग लगाई यह सब आपके लोगों ने किया। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं कि यह आपने नहीं किया केवल यही एक रुट-कॉज था। (**व्यवधान**) मैं आपको हिन्दुस्तान टाइम्स से कोट करके बताना चाहता हूं :—

"डा० फारूख अब्दुल्ला को कांग्रेस (इ.) पसन्द नहीं करती लेकिन कुछ कांग्रेस जनों के लिए उसकी सरकार की बर्खास्तगी तथा जम्मू एव काश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन्होंने दल के कलकत्ता में हुए पूर्ण अधिवेशन मे यह मांग उठाई थी, लगता है उन्हें सांवैधानिक मर्यादा के आधार-भूत सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं है ...।"

यह हिन्दुस्तान टाइम्स की बात है और यह मेरा अखबार नहीं है और इसको अपोजिशन पार्टियां नहीं चलाती हैं। इस अखबार में आगे यह लिखा है :

"हो सकता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति संयोषजनक न हो लेकिन हाल ही में हुई गड़बड़ी की ओर देखें जिससे पता चलता है कि कांग्रेस (इ.) के कार्यकताओं का इन झड़यों में काफी हद तक था।"

कॉंग्रेस के लोगों का उतना ही हिस्ता था जो बायलेंस वहां पर हुई है। आपको उस पक्ष को थोड़ा साफ करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि आप कहते हैं कि हम तो लोकशाही और समाजवाद के पक्षधर हैं। क्या यह समाजवाद है और क्या यह लोकशाही है ? मैं माननीय सदस्यों से यह अनुराध करना चाहूंगा कि हमें लोकशाही को बचाने के लिए स्वस्थ परम्पराएं डालनी पड़ेंगी। हरियाणा में आप ने क्या किया। डिफेक्टर्स की सरकार बना दी और आप कहते हैं कि हमने कोई ऐसी सरकार नहीं बनाई।

अब मैं आपको जम्मू काश्मीर के कांस्टीट्यूशन की बात बताता हूं। जम्मू व काश्मीर के कांस्टीट्यूशन की आर्टीकिल 35 में लिखा है :

"राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी।"

"अनुच्छेद 36, 38 तथा 92 के अन्तर्गत आने वाले कार्यों को छोड़कर वह राज्यपाल के सभी कार्यों का निष्पादन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे।"

यह हो सकता है कि गवर्नर की राय उनसे जुदा हो लेकिन इसमें साफ लिखा है कि गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की, कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की बात को मानना चाहिये और उनकी एडवाइस के मुताबिक काम करना चाहिये। जम्मू व काश्मीर को आपने एक विशेष दर्जा दे रखा

है और इसलिए कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक काम करना चाहिये । मान्यवर, इसके दो पक्ष थे । एक पक्ष तो यह था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर की बात को मानकर कांस्टीट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिये लेकिन आपने कांस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी । एक गवर्नर कमेटी सैट-अप हुई थी । इसके बारे में साफ कहा गया है गवर्नर के बारे में जो कहा गया है, वह मैं सुनाता हूं :—

"यह निर्धारण करना कि मुख्य मंत्री को सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं किसी भी परिस्थिति में राज्यपाल पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि सदस्य लिखित रूप में भी राज्यपाल को अपनी बता दें, तो भी मामले का निर्णय करना विधान सभा का परमाधिकार है ।"

"चाहे किसी भी प्रक्रिया या साधन से जब राज्यपाल संतुष्ट हो जाए कि मन्त्रि परिषद को अब बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री को कम से कम समय के भीतर विधान सभा की बैठक बुलाने तथा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिये ।"

इतनी जल्दी क्या थी । आपको समय देकर एसेम्बली को बुलवा लेना चाहिये और डा० फारूख अब्दुल्ला से कहा जाता कि तुम यह साबित करो कि तुम मैजोरिटी में हो लेकिन आपने इस का मौका नहीं दिया । हमें इस बात का अनुभव है और आपने जो कार हरियाणा में किया था, वही काम अब जाकर यहां पर आपने किया है ।

अब गवर्नर का क्या फंक्शन होना चाहिये, इसके बारे में डॉ. अम्बेडकर की अपनी राय थी । उन्होंने एक जगह उल्लेख किया है कि उन्हें ऐसा होना चाहिये कि वह इम्पार्शल होकर काम करे जहां तक एसेम्बली का सम्बन्ध है; लेकिन ऐसा लगता है कि राज्यपाल जो है वह स्वतन्त्र नहीं रहा है उसको अपने आप निर्णय स्वतन्त्र रूप लेने का अधिकार नहीं रहा है क्योंकि इस बीच हमने देखा कि एक बार तो उन्होंने फारूख साहब से कहा कि प्रेसीडेंट रूल इम्पोज कर दें और आप लिख कर कन्फर्म कीजिये और इसी बीच में यहां आने और जाने बाद, वे अपनी राय बदल देते हैं । वह कौन आदमी था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दूसरी राय बना ली । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नर स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और यह लोकशाही और डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है और इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । इसलिए मैं रूट कांज की बात कह रहा था और आप को गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए । यदि गलत परम्पराएं डाल दी गई, तो यह सही नहीं होगा । आप कहते हैं कि जनता के जमाने में हमने 9 सरकारें तोड़ दी थी ।...(**व्यवधान**)...

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : आपने महाराष्ट्र में सुबह को दाद की सरकार थी और शाम को शरद पवार की सरकार बनवा दी, जब कि वहां कांग्रेस सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी थी । यह जनता पार्टी के जमाने में हुआ ।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप तो बहुत अच्छे लोग हैं जो कि अपने को लोकशाही में

यकीन करने वाले कहते हैं। अगर आप लोकशाही में यकीन करने वाले लोग हैं तो आप संविधान की धज्जियां मत उड़ाओ। इस पर आपको जरूर कुछ सोचना चाहिए।

सत्ताधारी पार्टी की शुरूआत यही नहीं है। और दूसरी भी जो गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनके खिलाफ भी आपकी साजिश चल रही है। आंध्र के बारे में आप कोशिश कर रहे हैं। बहर हाल और सभी के मामले में नही जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि यह परम्परा अच्छी नहीं है। इससे लोकशाही को धक्का लगेगा और निश्चित ही धक्का लगेगा और इसका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि हमरा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ालोकतंत्र है।(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह जो सब कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि आपको जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है वह स्वस्थ परम्पराओं पर चलाने वाली बात नहीं है, गलत रास्ते पर चलने वाली बात है। अगर वहां एक्सट्रीमिस्ट्स के केम्पस चल रहे थे तो वे हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे थे और उत्तर प्रदेश के कुछ अंचलों में भी चल रद्र थे। आप वहां पर उनकी गतिविधियों पर अब तक नियंत्रण नहीं कर पाए हैं जहां कि आपकी हुकूमतें हैं। अगर आपने एक्सट्रीमिस्टस की गतिविधियों की वजह से फारूक अबदुल्ला सरकार को हटाया है तो आपको उन सरकारों को भी हटा देना चाहिए।

आपका जो इस बारे में बयान हैं उसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो आप यह कहना चाहते हैं कि वहां राष्ट्र-विरोधी तत्व सक्रिय थे। अगर ऐसा था तो आप कांस्टीच्युशनल तरीके से उस सरकार को हटाते इसमें विरोधाभास से भरी बातें कही गई हैं जिनसे कोई बात साफ नहीं होती है। अगर वहां राष्ट्रविरोधी तत्व थे तो वहां प्रजीडेंट रूल कायम करते। लेकिन आपका इरादा तो सत्ता में जाने की कोशिश करना था। राष्ट्रविरोधी तत्वों से आप वैधानिक तरीके से निपट सकते थे। लेकिन आपकी वैधानिक कमजोरी थी आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आप वहां की असेम्बली को डिजाल्व करते और लोगों की राय जानते कि वह आपके पक्ष में है या नहीं। इससे साफ है कि सत्ताधारी पार्टी स्वस्थ परम्पराएं नहीं डाल रही है और लोकशाही की अवहेलना कर रही है जो कि लोकशाही के लिए खतरनाक चीज है। यह कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हुं।

श्री पी नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, अपने बुजुर्ग साथियों की तरफ से काफी नोंक-झोंक सुनने को मिली। ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब ने, भगत साहब ने और दूसरे साथियों ने काफी बातें हाउस के सामने रखी हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हुँ। कुछ बातों को हो सकता है मुझे रिपीट करना पड़े।

जहां तक हमारे बुजुर्ग साथी जार्ज फर्नान्डीस साहब का कांस्टीच्युशनल और प्रोप्राइटरी वाली बात का काल्लुक है जिनके बारे में उन्होंने दलीले भी पेश की हैं, मैं उनमें न जाते हुए जम्मू और काश्मीर के कांस्टीच्युशन के आर्टिकल 35 (2), 36 और 38 के बारे में आपसे कहना चाहता हूं मैं आर्टिकल 35 (2) से कोट करता हू-

"अनुच्छेद 36,38 तथा 92 के अंतर्गत आने वाले कार्यों को छोड़कर, वह राज्यपाल के सभी कार्यों का निष्पादन केवल मंत्रपरिषद की सलाह पर करेंगे।"

अब देखिए 36 में क्या दिया गया है पढ़िए-

' मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मन्त्री की सलाह पर करेंगे।"

अब जो आप कहते हैं कि गवर्नर को अख्तियार नहीं है तो सवाल पैदा होता है कि एक जगह कहते हैं कि आर्टिकल 36 जो है, काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइज के बगैर गवर्नर उस पर एक्शन नहीं कर सकता है लेकिन जहां इसमें आर्टिकल 36 में यह है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हो। अपाएंट कर सकता है। तो सवाल पैदा होता है कि जब नई मिनिस्ट्री फार्म करने जा रहे हैं तो काउंसिल आफ मिनिस्टर्स उस वक्त नहीं होती है। जब वह काउंसिल आफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो एडवाइस कैसे दे सकती है। गवर्नर ने जो कुछ किया है वह सही ढंग से किया है और आप लोगों की समझ में यह बात आई ही नहीं है, ऐसा लगता है।

समापति महोदय, मैं अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता। आर्टिकल 92 में उनको अख्तियार दिया गया है कि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो वे जो भी मुनासिब एक्शन लेना चाहें तो वे ले सकते हैं। तो गवर्नर ने जो मुनासिब एक्शन समझा है उसको उसने किया है। उसने देखा कि जब सामने एक पार्टी मेजारिटी में सपोर्ट लेकर गवर्नर के सामने आई है और गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को मौका दिया। तब भी उनकी तरफ से कोई तसल्लीबक्त जवाब नहीं आया तो उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन सोज : यह 92 में है ?

श्री पी. नामग्याल : मैं 92 की ही बात कर रहा हूं। आप उसको ठीक तरह से पढ़िए। मेरे ख्याल में आप कन्फ्यूज हो गए हैं।

समापति महोदय : जब आप बाहर गए थे तो मैंने एक बात कही थी कि किसी न किसी प्रकार का व्यवधान डालना हम सब की आदत बन गई है। हमें इस आदत पर अंकुश लगाना होगा। धीरज रखें और अपनी बारी पर अपने सभी विचार रखें।

श्री पी. नामग्याल : माननीय समापति जी, जहां तक डा. अब्दुल्ला के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उसके बारे में पहले भी बहुत सारे साथियों ने कह दिया है। शायद आपको याद होगा, इस सदन में मैंने एक दफा एक सवाल उठाया था। उस वक्त वे इस सदन के मेंबर थे। उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि मैं सिटीजन आफ कश्मीर हूं और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप सिटीजन आफ इंडिया हैं ? उन्होंने कहा, आई. एम. ए. सिटीजन आफ कश्मीर। यह इशू

मैंने यहां उठाया था और बनातवाला जी ने उस पर पाइंट आफ आर्डर भी उठाया था कि क्या एक शख्स जो इंडियन सिटिजन नहीं है क्या इस सदन में आ सकता है। मैंने जो कुछ सेंट्रल हाल में वाकायात हुआ, वह इस सदन में कहा था और इस पर आर्टिकल 222 के तहत प्रिवलेज इशू भी मेरे खिलाफ लाया गया। मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद शायद स्पीकर साहब ने उसकी इजाजत नहीं दी या उन्होंने स्वय ही उसको वापिस ले लिया। उसके बाद फिर वह नहीं आया। काश्मीर के इलैक्शन के बारे में उन्होंने कहा था कि हम काश्मीर में इलैक्शन रिट करेंगे और इलैक्शन हम ही जीतेंगे। यह भी कहा कि, युद्ध तथा प्रेम में सब कुछ उचित है।

यह, इलैक्शन से पहले की बात है। भगत जी ने डिटेल में सब बातें बता दी हैं, मैं दोबारा उनको बताना नहीं चाहता हूं। उनके कांट्रेक्ट किन-किन लोगों के साथ थे ? श्री म्हात्रे जो असिस्टेंट हाई कमीश्नर थे और जिनका कतल किया गया था, उनके साथ उनका फोटो भी मौजूद है। इसी प्रकार से जार्ज साहब ने 1953 की बातें कल की थीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि शेख साहब को जब उस समय अरेस्ट किया गया था तो उस वक्त राय हैन्डरसन नाम से एक एपीसोड हुआ था, जिसके बारे में डोगरा जी को ज्यादा जानकारी है। मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि 1975 में शेख साहब के साथ दोबारा दोस्ती क्यों की ? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम उसको भूला नहीं कहते। यह बात फारूक साहब पर भी अप्लाई होती है। यह ठीक है कि हमने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एन्टी सोशल एलीमेंट के साथ ताल्लुक बनाए रखे। उस सूरत में फारूक साहब की सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, उसको खतरे में नहीं डाला जा सकता। जुलाई 1983 के दिल्ली रिकार्डर में एक आर्टिकल पबलिश हुआ है, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं। इलैक्शन के दिनों की ही मैं बात कर रहा हूँ।

> "यह भारत के लिए गम्भीर चिन्ता की बात है कि अगले दिन तथा उससे एक दिन पहले भी रेडियो पाकिस्तान ने रावलपिंडी के अखबार "इंसाफ", के सम्पादक अब्दुल अजीज का यह भाषण बार-बार प्रसारित किया कि कश्मीरी मुसलमान नेशनल कांफ्रेंस को वोट दें। अजीज एक माह पहले काश्मीर गए थे और उन्होंने फारूक व्यक्तिगत अतिथि के लिए रूप में राज्य का दौरा किया था।"

आप कहते हैं कि उनका कनैक्शन नहीं है यह कनैक्शन नहीं है तो और क्या ? उन्होंने मौलाना फारूक जिनका अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक था, उनके साथ भी ताल्लुक रखे हैं। यह झगड़ा तो बकरे और शेर की तरह ही था। शेख साहब पचास साल तक काश्मीर में शेर थे। शेखसाहब ने मौलवी यूसुफ शाह, जो मौलाना फारूक के दादा थे, को पाकिस्तान भेज दिया था क्योंकि वे दो-नेशन थ्योरी में विश्वास रखते थे। मौलवी साहब ने यह भी कहा था कि काश्मीर में रायशुमारी होनी चाहिए। जून, 1983 में नेशनल कांफ्रेंस का एलाइ बनकर उन्होंने एक साथ इलैक्शन लड़ा था। यहां पर कल भी किसी साहब ने फरमाया था कि जिहाद के लिए कहा गया था, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता।

एक माननीय सदस्य : वह अखबार आपने खुद प्रिन्ट करवाया है.

श्री पी. नामग्याल : लेकिन मौलाना फारूक ने जो काल किया था, वह श्रीनगर के हर डेली पेपर में पब्लिश हुआ है, में उसी से कोट करना चाहता हूं। यह 9 जुलाई, 1983 'काश्मीर टाईम्स' में से हैं :

"आवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मीरवेज मौलवी मोहम्मद फारूक ने आज काश्मीर की जनता से अपनी रक्षा करने के लिए तैयार रहने की अपील की। पवित्र कुरान से एक पद का उद्धरण देते हुए मीरवेज ने कहा कि जेहाद' में मुसलमान अपने आप को शस्त्रों से लैस कर सकते हैं।"

"मीरवेज, जो जमायत-उल-विदा के अवसर पर मुख्य मंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति में जामा मस्जिद में एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे, ने कहा कि आत्म-रक्षा के लिए जनता को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।"

तदुपरांत आगे :

"मीरवेज ने नेशनल कांफ्रेंस की सरकार को हानि पहुंचाने के लिए कांग्रेस (इ) पर दोषारोपण किया और इस पर काश्मीर के इस्लामी स्वरूप को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया।"

इसके क्या माने हैं, क्या वे स्थिति को कम्युनलाइज नहीं करना चाहते हैं। जब मीर साहब सारी बात कह चुके तो फारूक साहब क्या कहते हैं :

"मुख्य मंत्री जो मीरवेज के बाद संक्षेप में बोले, ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि मीरवेज पहले ही जनता को सभी कुछ बता चुके हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है, उसमें वह कुछ नहीं जोड़ना चाहते।"

इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ मीरवेज ने कहा, उन्होंने उसका समर्थन किया।

इसी तरह का एक और वाकया हुआ है, जिसमें दोनों ने इकट्ठा होकर एड्रैस किया है, उसमें मीरवेज ने कहा था कि 1931 में जो मूवमैंट शुरू हुआ था, वह अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका मकसद कश्मीर को आजाद कश्मीर बनाने का था। जब तक वे उसको एचीव नहीं कर लेंगे, उसको जारी रखेंगे। फारूख साहब ने भी उस को एक ही प्लेटफार्म से एन्डोस किया। इसलिए कश्मीर में इलैक्शन्स पहले जो कुछ हुआ, उसका एक नक्शा और इलैक्शन्स के दौरान का वाकया सुनाना चाहता हूं। यदि श्रीनगर में उस दौरान जो कुछ हुआ, उसको बताने लगू तो शायद वह कभी न खत्म होने वाली बात हो जायेगी। लेकिन मैं उनसे चन्द एक उदाहरण ही यहां पेश करूंगा।

जहां तक ट्रेनिंग दिए जाने का प्रश्न है, यह बात सही है कि जम्मू और कश्मीर में सबसैशनिस्ट एलीमेंटस को ट्रेनिंग दी गई। उसके बारे में यहां पर भी जिक्र आया। जब वहां ट्रेनिंग खुले-आम दी जा रही थी तो पूंछ क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान एक कैजुअलटी भी हो गई।

जब वहां बन्दूक चलाना सिखाया जा रहा था तो किसी से एक्सीडैन्टल फायर हो गया और इस कारण एक ट्रेनी वहीं मारा गया जो कि जम्मू और कश्मीर सरकार का एक स्कूल टीचर था। वहां पर सरकारी अफसरों को बदस्तूर ट्रेनिंग देने के लिते छुट्टियां और दूसरी तमाम फैसिलिटीज मिलती थीं। पुंछ क्षेत्र में तो मेरी जानकारी के अनुसार रसम, पानी आदि भी सरकारी तौर पर बंदोबस्त किया गया था।

यहां एक और चीज आपके नोटिस में लाने लायक है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले एक और डेढ़ साल के दरम्यान जितने आर्म्स लाइसेंस ईश्यू किये गये, वह इनकी हकूमत आने से पहले जितने लाइसेंस ईश्यू हुए थे, उनसे कहीं ज्यादा है। आजादी के बाद से लेकर साल पहले उतने ईश्यू भी हुये जितने डेढ सालों में ईश्यू हो गए। अकेले पुंछ क्षेत्र में ही ढ़ाई हजार सेमी ऑटोमेटिक राइफलों, 303 राइफलों और पिस्टल्स आदि के लाइसेंस जारी हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि वे लाइसेंस कहाँ गये। इससे पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी आर्म्स जम्मू या पुंछ आदि में स्मगल होते हैं या राजौरी में पकड़े गये थे···तो थाने में जब पकड़े हुए हथियार लाये जाते थे, अगर उनकी तादाद 100 या 200 होती थी तो सीजर मीमी में उनका पूरा नम्बर नहीं लिखा जाता था, एक चौथाई भी नहीं दिखाये जाते थे मैं पूछता हूं कि वह हथियार कहां जाते थे ? इससे साफ जाहिर है कि फारूक साहब की की सरकार पूरी तरह उन ऐलीमेंटस के साथ मिली हुई थी जो नहीं चाहते थे कि हमारी सेक्यूलर पोलिसी चले, वहाँ स्टेबिलिटी हो। वहां ऐटी इंडिया जो जमायतें हैं जैसे मौलाना की ऐक्शन कमेटी, जमायते इस्लामी, जमायते तुलबा आदि आर्गेनाइजेशन्स के साथ उनका क्लोज कौआर्डिनेशन था। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने फारूक साहब को कहा कि ऐसे ऐलीमेंटस को कर्ब किया जाय, 14 अगस्त के बाद जो वाकया हुआ, क्रिकेट मैच का जो वाकया हुआ तो दिखावे के लिए 2, 4 आदमियों को पकड़ते थे और वहां जा कर कहते थे कि में मजबूर हूं सैन्ट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि तुमको पकड़ा जाय। 15 सितम्बर 1983 को कांग्रेस (आई) के वर्कर्स ने साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च किया श्रीनगर में जिसमें 30,000 के करीब लोग थे, कोई दफा 144 भी नहीं लगी थी, फिर भी सरकार के कहने पर पुलिस ने मारपिटाई की जिसमें वहाँ के पी.सी.सी. के प्रेसीडेंट, वाइस-प्रेसीडेंट, जनरल सेक्रेटरी को चोटें आयीं। 14 जनवरी, 1984 को 6 कांग्रेसी वर्कर्स पुलिस फायरिंग में मार दिये गये। 26 मई, 1984 को जब श्रीनगर में इनकी पार्टी में स्पिलिट हुआ तो 23 मई को बेगम खालिदा की पार्टी ने जो कन्वेंशन किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। 26 मई को जब फारूक ग्रुप ने जलूस निकाला और मुजाहिद मंजिल से जलूस बनाकर निकले और लाल चौक से होते हुए चौक में गए उसमें जो नारे लगाए गए वह सुनने लायक हैं। उसमें कहा गया पाकिस्तान जिन्दाबाद, खालिस्तान के नारे लगे, नूरे चश्म जियाउल हक के नारे लगे और कांग्रेस (आई०) तथा श्रीमती इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद 6 जून 1984 का यू. एन. ओ. हैडक्वार्टर और बाजारों में खुल्लम खुल्ला नारे लगाते हुए एन. सी. के वर्कर्स निकले, आल इंडिया सिख स्टूडेंटस फैडरेशन के मैम्बर जो थे वह भी बाजारों में पाकिस्तान और खालिस्तान के नारे लगाते फिरे ...

6 जून को बारामूला में 300 सिखों और मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जुलूस निकाला और उन्होंने भी इसी तरह की नारेबाजी की। 7 जून को श्रीनगर में जो वाकया हुआ, उसका आपको पता ही है।

गवर्नमेंट कहती है कि उस दिन फायरिंग में 9 लोग मारे गये, लेकिन अनआफिशल सोर्सिज का कहना है कि 12 लोग मारे गए थे। उसी दिन नैशनल कांफरेंस के वर्कर्ज और आल-इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक्टिविस्टस ने मिल कर आर्य समाज स्कूल, हुजूरीबाग में आग लगा दी, निरकारी भवन पर हमला किया, हनुमान मन्दिर में तोड़-फोड़ की और उसकी मूर्तियों को तोड कर दरिया में फेंक दिया। वहां पर नारे लगाए गए "खालिस्तान जिन्दाबाद" "सिख मुस्लिम भाई भाई, हिन्दू कौम कहां से आई" "नूरे-चश्म नूरे हक जिया-उल-हक जिय-उल-हक "पाकिस्तान जिन्दाबाद," "इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद"।

मैं समझता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है, वह उन एन्टी-नैशनल और एन्टी-इंडियन एलीमेंट्स की करतूतों की वजह से हो रहा है। बेगम खालिदा वाली जो नैशनल कांफरेंस है, उसका कहना है कि हम इन पालिसीज की वजह से अलग हो गए हैं, इस लिए नशनल कांफरेंस में स्पिलट हो गया है, उसने मैजारिटी गेन की है और गवर्नमेंट बनाई है। एसी कोई बात नही है कि गवर्नर ने कोई अनकांस्टीट्यूशनल काम किया है। मैं समझता हूं कि गवर्नर ने जो कुछ किया, वह सही किया, अंडर दि कांस्टीट्यूशन किया और उसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, जिस विषय पर सदन चर्चा कर रहा है, इससे कानून संविधान के गम्भीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं और हम दोनों से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है सार्वजनिक नैतिकता का महोदय मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी सदस्यों को व्यवधान न डालने तथा चर्चा को जारी रखने देने की सलाह दी (व्यवधान) मैंने सुन रहा है कि यहां कोई व्यक्ति नैतिकता की बाते से क्षुब्ध हुआ है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मारेलिटी की पूरी तस्वीर बोल रही है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : 'नैतिकता' शब्द से क्षुब्ध हैं।

श्री राम जेठमलानी : जब मैंने कहा कि कानून का प्रश्न उठता है, कानून को अन्तिम निर्णायक न्यायपालिका है, और न्यायायिक सर्वोच्चता का समर्थन करने को आजीवन बचन बद्धता के बाद मुझे आरम्भ में ही यह कहना हो कि उच्च न्यायालय ने आज एक निर्णय दिया है और वह निर्णय बंधनकारी माया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में हमारी राय चाहे जो भी हो, वह निर्णय आप मुझे कुछ बातें कहने के लिए रोकता है और इसलिए मैं इसे दुबारा नहीं कहूँगा कि वे 13 सज्जन व्यक्ति - मैं शिष्टाचार के नाते उन्हें सज्जन व्यक्ति कह रहा हूं क्या वह ...**... दर्जन एक हैं। वे दल-बदलू नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी (नरसापुर) : महोदय, क्या वह ऐसा बयान दे सकते हैं ?

श्री राम जेठमलानी : अभी-अभी हमने निर्णय लिया था कि हम हेमलेट का जिक्र किये बिना हेमलेट पर चर्चा नहीं कर सकते। हम हेमलेटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : इस पर विनिर्णय पहले ही दिया जा चुका है। अगर बाद में कुछ भी अनुचित पाया गया तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाल दिया जा सकता है। अतः मैंने इस पर ध्यान दिया है। **(व्यवधान)**

श्री बी. आर. भगत : क्या वे उच्च न्यायालय के निर्णय के गुप्त दोषों को देखेंगे और हम बताएंगे कि वे क्यों दल बदलू नहीं हैं ? वे पृथक् नहीं है। निर्णय यह है अगर ग्रुप में जायें तो वे दल-बदलू नहीं हैं। तो आपको उन्हें···** एक दर्जन नहीं कहना चाहिये।

श्री राम जेठमलानी : मैं नहीं जानता कि वे क्या कह रहे हैं। अगर उच्च न्यायालय सही था, तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है और मैं इसे फिलहाल एक ओर रखना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया वह गलत था। उच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेज देने के पश्चात् अध्यक्ष ने न तो उसे वापस ही लिया अथवा उच्च न्यायालय की अन्तिम निर्णय को स्वीकार करने के लिये ही मना कर सके। किन्तु जबकि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक अथवा दो मामलों पर चर्चा करना वर्जित है, बहुत से महत्वपूर्ण मामले अनिर्णित रहते है और जो कि इस देश के भविष्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। पहला और मुख्य मामला है उन सज्जन व्यक्तियों की राजनैतिक नैतिकता का मामला। **(व्यवधान)**

ऐसी धारणा मालूम पड़ती है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। जब कुछ व्यक्तियों का एक समूह दल को छोड़ता है अथवा दल के नेता का समर्थन करने से इन्कार करता है और अपनी निष्ठा विरोधी पक्ष अथवा किसी अन्य नेता के प्रति रखना है तो यह ग्रुप सभी राजनैतिक आरोपों से मुक्त है। यह एक ऐसी धारणा प्रतीत होती है जिसे देश के हित के लिये हमेशा ही समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि मात्र 10, 20 या 40 अनैतिक लोग एक साथ काम करते हैं और अनैतिकता नैतिकता में बदल जाती है। यह विवाद क्या यह दल-बदल है अथवा अलग होना, एक निरर्थक विवाद है। दल बदल सम्मानजनक हो सकता है और अलग होना अपमानजनक हो सकता है। दल-बदल भी अपमानजनक हो सकता है और अलग होना भी इसी तरह ही अपमानजनक हो सकता है और इसका उलटा भी हो सकता है। जो कुछ किया गया है वह अकेले अथवा समूह में किया गया है यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों तथा उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके कारण ऐसा किया गया।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : श्री चरण सिंह के अलग होने को आप किस श्रेणी में रखेंगे ?

श्री राम जेठमलानी : सामान्य विचार में, अपराध की जघन्यता बढ़ती है अगर अपराध में अधिक षडयंत्रकारी शामिल हैं। इसलिये, उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि ऐसा कोई दल-बदल नहीं है और विभाजन हुआ है चर्चा को नहीं रोकता है कि इस मामले में विभाजन भ्रष्ट तरीके से प्रेरित और कार्यान्वित किया गया है। यह मामला कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इस

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपातन, गैर-इस्लामी षडयन्त्र के क्रियान्वयन के लिये रमजान की पूर्वसंध्या को चुना गया था। यह जुलाई की पहली तारीख थी और ये प्रशंसनीय सज्जन व्यक्ति (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : और न्याय पालिका तथा लोकतन्त्र के लिये यह सम्मान है।

श्री राम जेठमलानी : क्या आप मुंह बनाना बन्द करेंगे ? और ये प्रशंसनीय सज्जन व्यक्ति मुख्य मंत्री के पास गये थे और उस दिन उन्होंने उन्हें ईद मुबारक दी। हर व्यक्ति आशा करता होगा कि रमजान के पूरे पवित्र महीने में वे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये व्रत कर रहे होंगे, प्रार्थनायें कर रहे होंगे परन्तु लोकतन्त्र पर पीछे से प्रहार के लिए वे पैशाचिक षड़यन्त्र की योजना बना रहे थे और अपने मित्र, कामरेड और नेता को हटाने की योजना बना रहे थे। चेहरे पर शैतान-सी मुस्कराहट और बगल में छुरा छुपाकर वह अपने सहयोगियों और नेता के पास गये और उनके प्रति शुभ कामनाएं अर्पित करने का बहाना किया। उन्होंने यह आभास नहीं होने दिया कि अर्ध-रात्रि के पहले वे सब राज्यपाल के पास जाकर यह कहेंगे कि "हम अपने नेता को छुरा भोंक रहे हैं और इस काम में हमारी सहायता कीजिये।"

इस आशय की रिपोर्ट मिली हैं जिनका खडन भी नहीं किया गया है और इनसे इस अपराध कितना घोर प्रतीत होता है कि उन्होंने राज्यपाल से यह प्रार्थना की, कि सबको रात राज-भवन में गुजारने की इजाजत दी जाये। इस घृणित अपराध में राज्यपाल जगमोहन ने भी सहयोग नहीं दिया। इन तेरह सदस्यों को मैं दल-बदलू नहीं बताऊंगा, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि वे दल-बदलू नही हैं। राज्यपाल इस बात के लिये सहमत नहीं थे कि वे राज-भवन में रात गुजारकर अपने नेता के प्रति प्रात: 5.30 गजे विश्वासघात करेंगे। प्रात:काल के समय तो बड़ा अपराध करने वाले भी अपना इरादा छोड़ दिया करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह सब चाय के समय हुआ।

श्री राम जेठमलानी : नेता को आमंत्रित किया गया और उनसे कहा गया कि वे सब महानुभाव जिन्होंने कल आपसे भेंट कर शुभ कामनाएं अभिव्यक्ति की थीं अब आपका अधोपतन करना चाहते हैं। आखिरकार साक्षात्कार के पश्चात् श्री फारुख अब्दुल्ला ने, जो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, इस बात को हमें विस्मृत नहीं कर देना चाहिये, पत्र लिखा कि गणित के अनुसार शायद बहुमत का समर्थन मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन मुझे अवसर चाहिये, विधान सभा का सत्र बुलाया जाये और मैं बहुमत सिद्ध करना चाहता हूँ, मुझे यह अवसर मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : यह कैसे हो सकता है ?

श्री के. ब्रह्मारेड्डी (नरसारावपेट) : वह इससे सहमत है।

श्री राम जेठमलानी : उन्होंने कहा, "विधान सभा बुलाइए अथवा···" यह कितना सरल है कायर पीठ में छुरा भोंकते हैं और स्थिति का सामना नहीं करते हैं।

"आंख से आंख नहीं मिलाते हैं पीछे से छुरा मारते हैं।" कभी-कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे का सामना होने पर बड़ा अपराधी भी छुरा भोंकने के लिए तैयार नहीं होता है। मुख्य मंत्री को अवसर चाहिए। वह चाहते थे कि विधान सभा बुलाई जाए और यह व्यक्ति इतना तो कह दे कि "यह देखो ब्रूटस' —किन्तु मुख्य मंत्री को यह अवसर नहीं दिया गया। मुख्य मत्री ने तत्पश्चात् कहा, "यदि आप विधान सभा का सत्र नहीं बुला सकते हैं तो इस विधान सभा को ही भंग कर दीजिए। यदि इस विधान-सभा में नैतिक दृष्टि से कायर लोग हैं जो मेरे आने के लिए तैयार नही हैं और यदि आपकी राय के अनुसार उन्हें मेरे सामने आने की आवश्यकता नहीं है तो इस विधान सभा को भंग करना ही बेहतर है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि जब यह पत्र उस व्यक्ति ने लिखा जो पत्र लिखते समय जम्मू और कश्मीर का मुख्य मंत्री था, ऐसी स्थिति में उस राज्यपाल का साधारण और संवैधानिक कर्त्तव्य क्या है जिन्हें कुछ दिन पहले ही वहाँ नियुक्त किया गया था।

यह बताया गया कि श्री वी. के. नेहरू जनवरी, 1984 में ही इस व्यक्ति से छुटकारा चाहते थे। इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह षड़यंत्र काफी समय पहले बनाया गया था। लेकिन मैं इस व्यक्ति की सराहना करता हूं कि नुकसान करने के लिए आमादा होते हुए भी वह इस काम के लिए वैध बहाना ढूंढना चाहते थे। यह उस व्यक्ति की नैतिकता ही है कि मुख्य मत्री से छुटकारा पाने का उपयुक्त अवसर उसे नहीं मिल सका। चूंकि इस काम को तत्काल और जल्दी करना था, मुख्य मत्री से यदि पीछा छुड़ाकर एक ऐसा व्यक्ति वहाँ भेज दिया गया जो अधिक चतुर और केन्द्र सरकार की अनैतिक कार्य में भागीदार बनने के लिए सहज इच्छुक था।

अब इस देश में प्रजातन्त्र के भविष्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राज्यपाल का संवैधानिक कर्त्तव्य क्या था। भारत में राज्यपाल का स्पष्ट संवैधानिक कर्त्तव्य और विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल का कर्त्तव्य यह था कि वह मुख्य मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करते। भारत में किसी अन्य राज्य की तुलना में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल पर नियंत्रण अधिक होता है। जम्मू और काश्मीर के संविधान में एक उपबन्ध है जिसे भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया है और उस अनुच्छेद में यह लिखा है कि धारा 36, 38 और 92 के अधीन कार्यों को छोडकर, राज्यपाल अपने सभी कार्य, केवल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से निष्पादित करेगा। धारा 36 मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है, धारा 37 उपमंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है और धारा 92 राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करने के बारे में है। चूंकि धारा 36, 38 और 92 का प्रश्न नहीं उठता था, इसलिए राज्यपाल संविधान के प्रति बाध्य था जिसकी मर्यादा रखने के लिए उसने पद की शपथ ली है।

जब मुख्य मंत्री ने उन्हें बता दिया था, उन्हें सलाह दे दी थी कि वे विधान सभा को अवश्य बुलाएं ताकि वह उसका सामाना कर सके तो धारा 35 के दूसरे खण्ड के अधीन राज्यपाल के पास उस सलाह को मानने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया था। उस सलाह को न मानकर उन्होंने अपने पद की नैतिकता के साथ विश्वासघात किया है और उस संविधान

के साथ धोखा किया है जिसकी उन्होंने शपथ ली थी और राज्यपाल के उस पद की प्रतिष्ठा को सदा के लिए आघात पहुंचाया है जो इस देश के संविधान के संचालन में, केन्द्र-राज्य संबंधों और भारत के संविधान द्वारा निर्मित अर्ध-संघीय ढांचे के सुचारू रूप से चालन करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

एक मिनट के लिए मुझे विषय से हटने के लिए क्षमा कीजिए। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि भारत को एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि भारत केवल तभी तरक्की कर सकता है जब केन्द्र सरकार मजबूत होगी। मेरे विश्वास से भारत विनाशकारी एकांशो का न टूट सकने वाला संगठन है। यह ऐसा दर्शन है जिसे कई राजनीतिक दल स्वीकार न करें, शायद श्रीमती इन्दिरा गांधी का दल तो स्वीकार नहीं करेगा।

परन्तु, मुझे यह कहने दीजिये। संविधान को उसके वर्तमान रूप में केवल तभी कार्य में लाया जा सकता है यदि हमारे राज्यपाल ईमानदार हैं और वे सरकार की कठपुतली नहीं बनते। मुझे यह कहने में खेद है कि जम्मू औ काश्मीर के राज्यपाल ने कुछ अच्छा नहीं किया है कि भावी पीढ़ी उनसे इसका जवाब मांगेगी। यह ऐसा देश है जहां आज भी कुछ ब्रह्मांड संबधी नियम कुछ नैतिक नियम आज भी प्रबल है। मुझे कोई सन्देह नहीं हैं कि उन्हें ईश्वर को हिसाब देना होगा और ईश्वर इन बातों को ध्यान में रखेगा। (व्यवधान)

4.00 म प.

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : महोदय, राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कुछ कह रहा था आपके खड़े होने से पहले जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप बैठ जाएं मैं कुछ कह रहा था कि पहले आपने बोलना शुरू कर दिया।

जिस शब्द को आपने प्रयुक्त किया है। मैं उस पर बाद में विचार करूंगा; कृपया इस बात पर ध्यान दें।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : महोदय, अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राज्यपाल के आचरण अथवा किसी विधान सभा के कार्य के बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : सभापति महोदय, आपको किसी और अधिक सुन्दर शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए मेरी पूरी सहमति प्राप्त होगी जिससे कि इसका कुछ अर्थ निकले।

महोदय, राज्यपाल विधान सभा को बुलाने के लिए बाध्य था अथवा वैकल्पिक रूप

में — इसलिए नहीं कि यह उसकी विवेकशीलता थी अपितु इसलिए कि यह विकल्प इसे स्वयं मुख्य मंत्री की सलाह से दिया गया था और मुख्य मंत्री की सलाह ही विकल्प था। और, इस लिए, यदि उन्होंने यह निर्णय लिया कि विधान सभा को न बुलाया जाए तो—वह विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य थे।

महोदय, अब विधान सभा को भंग करने के लिए संविधानिक दायित्व का प्रश्न उठता है। जम्मू और काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 53 के अधीन वहां की बिधान सभा को भंग किया जाता है "राज्यपाल समय-समय पर विधान सभा का सत्रावसान तथा उसको भंग कर सकता है" मैं अनुच्छेद 53 और इसकी संख्या का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद 53 एक ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें अनुच्छेद 35(2) वाली बात लिखी है कि विशेष परिस्थिति में राज्यपाल मत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नही है अत: महोदय, जम्मू और काश्मीर के संविधान के अधीन राज्यपाल विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य था। और यदि वह विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य था तो वह विधान सभा अथवा किसी अन्य संगठन का अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर सरकार नहीं बना सकता था। वह उसे सदा के लिए समाप्त करने के लिए बाध्य था। अत: महोदय, वह विकल्प अर्थात एवजी मुख्य मंत्री की नियुक्ति उतनी ही असंवैधानिक तथा अमान्य है।

महोदय, इस ओर बैठे हुए व्यक्ति हमें संविधान दिखा रहे हैं, वे हमें किताबें दिखा रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि वे हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हमें संविधान का ज्ञान नहीं है। यदि वे यह बात कहीं और कहते तो शायद कुछ लोग इस प्रकार झूठे दावे पर मुस्कराते और हंसते, परन्तु, चूंकि इस सभा में कोई कुछ भी कह सकता है, और ऐसा कहने के लिए केवल अनुभव की आवश्यकता है। आइये हम एक पूर्व उदाहरण की बात करे जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि :

> "किन्ही भी परिस्थितियों में इस बात का निर्णय कि मुख्य मंत्री को सदस्यों का बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, राज्यपाल पर नहीं छोड़ना चाहिये, चाहे सदस्य लिखित रूप से भी राज्यपाल को अपना मत प्रकट कर देते हैं, तब भी विधान सभा को ही इस बात का निर्णय करने का विशेषाधिकार है।"

महोदय, इंगलैंड में यह स्थिति संदेहपूर्ण हो सकती है क्योंकि वहां का संविधान अव्यवस्थित लिखित है। परन्तु भारत का संविधान जिसमें आप कहते हैं कि मन्त्री, केन्द्र में निचले सदन अर्थात लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और वे विधान सभा के प्रति भी उत्तरदायी हैं। जब तक विधान सभा में औपचारिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त न हों तब तक उनके पास अपने पदों पर टिके रहने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अन्य क्षेत्रों में कुछ भी हो पदावस्ती विभिन्न वाले अन्य संविधानों में कुछ भी किया जाये परन्तु भारत के संविधान के अधीन और इससे अधिक जम्मू और काश्मीर के संविधान के अधीन आपको इस संबंध में विधान सभा को यह कहना चाहिये कि मुख्य मंत्रियों में हमारा विश्वास नहीं है, विधान सभा द्वारा हीं व्यक्त करना चाहिये।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : नाम तो बताइये, किस ने कहा था।

श्री राम जेठमलानी : एक सेकिंड में बताता हूं। यह आपके लिये ही तो मैं भाषण कर रहा हूँ।

चाहे सदस्य राज्यपाल को लिखित रूप में अपना मत बता भी दें तब भी इस समस्या का निर्णय करने के लिए विधान सभा का ही विशेषाधिकार है। श्री नीलम संजीव रेड्डी ने लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन अधिकारियों के 33 वें आपात सम्मेलन में अध्यक्ष पद से अपने भाषण में, दिनांक 6 अप्रैल 1968 को जोरदार शब्दों में यही बात कही थी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कौन सी तिथि है ?

श्री राम जेठमलानी : 6 अप्रैल, 1968। अब हम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को लेते हैं जो संसद के समक्ष पेश की गई स्वीकृत की गई।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : राज्यपालों के सम्मेलन की भी। **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : मैं प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। यह सभापटल पर रखी गई थी और इसे सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात उस रिपोर्ट के अनुसार वैधानिक उपाय किये गये थे। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि

> "जब राज्यपाल के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सरकार ने विधान सभा में अपने दल का बहुमत खो दिया है तो वह इसका निश्चय करने के लिए विधान सभा को बुलायेगा और सरकार को कितना समर्थन प्राप्त है, इस बारे में उसका मत प्राप्त करेगा" और इस सम्मानित सभा द्वारा अनुमोदित उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
>
> "यदि किसी एक दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्य मन्त्री, जिसे स्पष्ट बहुमत से लोगों द्वारा चुना गया हो, के सम्बन्ध में यदि कोई सत्तारूढ़ दल, कुछ सदस्यों के दल बदलने के कारण अपना बहुमत खो देता है और मुख्य मन्त्री सभा भंग करने की सिफारिश करता है, ताकि वह मतदाताओं को फिर से अपील कर सके तो राज्यपाल सभा भंग कर सकता है।"

महोदय, भारत के महान् संविधानिक विशेषज्ञ श्री सीरवाई ने हुड और फिलिप का जो कि सांविधानिक कानून के जाने माने व्यक्ति हैं, उद्धरण देते हुए कहा कि यह सांविधानिक प्रथा बहुत ही पहले स्थापित की गई है कि मुख्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री, जिसने सभा में अपना बहुमत खो दिया है, वो सभा को भंग करने के लिए सिफारिश करने का अधिकार है और राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति सभा को भंग करने के लिए बाध्य हैं। **(व्यवधान)**

महोदय, अब हम इस देश से सम्बन्धित दो बहुत ही अच्छे पूर्व उदाहरणों को लेते हैं। सौभाग्य से एक पूर्व उदाहरण जम्मू और काश्मीर का ही है। नेशनल कांफ्रेंस के केवल एक सदस्य श्री मिर्जा अफजल बेग के और कांग्रेस दल के शेष सभी सदस्यों के समर्थन से शेख अब्दुल्ला सत्ता में थे और कांग्रेस दल ने जिसकी यह तकनीक बहुत प्रसिद्ध है, ने एक सुबह को निर्णय किया कि समर्थन वापस ले लिया जाये और शेख साहब का केवल एक ही समर्थक रह गया था और शेष सारी सभा उनके विरुद्ध थी। उन्होंने सभा भंग करने की मांग की। और वे ऐसे दिन थे जब ईमानदार राज्यपाल भी थे। उस समय भी इसी दल द्वारा राज्यपाल की फिर से नियुक्ति की गई थी। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उस प्रकार की स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है। उस राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की मांग के अनुसार सभा भंग कर दी जिसे केवल एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था और, जिसका सारी सभा ने विरोध किया था। महोदय, ऐसी स्थिति के बारे में बताते हुए दुःख हो रहा है।

दूसरा पूर्व उदाहरण चौधरी चरण सिंह के बारे में है यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि चौधरी चरणसिंह प्रधान मन्त्री तो बने किन्तु बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। किन्तु उन्होंने सभा भंग करने के लिये सलाह दी। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ जिसने यह कहा कि वह कभी भी पूर्ण रूप में प्रधान मन्त्री नहीं बने, इसलिये कानून का सामान्य सिद्धान्त उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। परन्तु ऐसा कहने पर भी मेरी बात नहीं मानी गई। इस देश के अल्पमत वाले प्रधान मन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने सभा भंग कर दी। अतः पाठ्य पुस्तक के लेखकों ने यह कहा है···

श्री चन्द्रपाल मणि तिवारी (बलरामपुर) : उनके प्रधान मन्त्री बनने के बाद, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। (**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरे अनुसार दो ही बातें हैं, जो मेरे विचार में संविधानिक प्राधिकारियों द्वारा तय की जाती हैं। निःसंदेह वे इस बात को मानते हैं कि राज्यपाल को विधान सभा बुलानी चाहिए थी, कि राज्यपाल को विधान सभा को भंग करना चाहिये था। और राज्यपाल का यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह दूसरा मुख्य मन्त्री नियुक्त करे और उससे कहें कि वह विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करें जबकि उस विधान सभा को अस्तित्व में रहने का अधिकार ही नहीं है।

अब हमलोग इसके नैतिक पक्ष पर विचार करें। कानून और संविधान पर ध्यान न देते हुए, हम दूसरे पहलू से विचार करें।

मैंने कहा था कि दलबदल तथा विभाजन किसी भी स्थिति में सम्माननीय बात नहीं हो सकती। निश्चित परिस्थितियों में तो ये इसी तरह से असम्माननीय हैं। इस सदन में इस बात का निर्णय लेना है कि इस मामले में परिस्थितियां सम्माननीय थी अथवा असम्माननीय। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इन तेरह महानुभावों की नीति पृथक् थी, सरकार की किसी भी राजनैतिक कार्य के बारे में उनका भिन्न रवैया था अथवा यों कहिए कि उनके सिद्धान्तों में अचानक बड़ा

भारी मतभेद हो गया था और उनकी अन्तःचेतना में यह चिन्ता विद्यमान हो गई थी कि वे लोग इस स्थिति में कैसे रह सकेंगे और हैमलेट के समान उनके सामने भी प्रश्न उठा रहा जाए अथवा न रहा जाय।' यदि विचारों में ऐसा कोई मतभेद हो गया था, सिद्धांत का कोई ऐसा मुद्दा उठ खड़ा था कि वे लोग श्री फारुक अब्दुल्ला का साथ छोड़कर श्री जी० एम० शाह या किसी और के साथ मिलना चाहते थे; तो इस बात का समर्थन करने को अब भी तैयार हूं कि वह कोई सम्माननीय बात थी। किन्तु इस मामले में परिस्थितियां इस बात की साक्षी हैं कि ऐसा कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं था। इन सवेदनशील महानुभावों ने जो कार्यवाही की उसमें सिद्धांत नैतिकता अथवा लोक हित और लोक रुचि की कोई बात नहीं थी। मुझे इस सदन की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए मैं संवेदनशील महानुभाव शब्द का उपयोग कर रहा हूं।

यदि किसी व्यक्ति का कोई सैद्धान्तिक मतभेद होता है अथवा मुख्य मन्त्री से उसका कोई मतभेद है, तो वह क्या करता है? सर्वप्रथम वह अपने दल की बैठक बुलाता है। वह समस्या रखता है, उस पर चर्चा करता है, कम-से-कम प्रस्तावों और अनुरोधों के माध्यम से अपनी बात रखता है अथवा लोकतंत्र और शालीनता बनाये रखने के लिए कम-से-कम कुछ-न-कुछ कहता है। होता क्या है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार के सैद्धान्तिक मतभेद की कोई चर्चा नहीं करता है और यहां तक कि इस कार्य के पूर्व भी किसी सैद्धान्तिक मतभेद का सुझाव नहीं दिया गया। यदि नीति और कार्यक्रम संबंधी कोई मतभेद होता है तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर लाया जाता है। उनपर खुले आम चर्चा होती है। अन्ततोगत्वा जब ऐसे महानुभाव अपनी अन्तः चेतना के अनुसार किसी दल को छोड़ने अथवा किसी के नेतृत्व से पृथक होने का निर्णय लेते हैं तो वे ऐसा खुले आम करते हैं। केवल काले धन्धे ही मध्य रात्रि में किए जाते हैं। कायरों की तरह ये महानुभाव मध्य रात्रि में राज्यपाल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि "आज की रात हमलोग राज भवन में रहना चाहते हैं और कृपया ध्यान रखिये जिससे कि हम जो कुछ कल करना चाहते, वह कर सकें।"

यदि सिद्धान्त के आधार पर कोई मतभेद था तो उसे खुले आम प्रकट किया जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इन महानुभावों के प्रयोजन पर कुछ प्रकाश डालने की उन सज्जन, व्यक्तियों से जो बोले हैं, आशा की थी। कोई प्रयोजन नहीं था। एक बात जो आपको पता चलती है वह यह है कि वे लोग राजनैतिक पद के इच्छुक थे और अगले दिन उन्होंने उसकी याचना की और उन्हें राजनैतिक पद प्राप्त हो गया।

भाग्यवश, मैं एक वकील हूं। बिना साक्ष्य के मैं कोई आरोप नहीं लगाता। इस मामले में मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि काश्मीर में विषम चमत्कार की आकृति हुई है। अतः मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। किन्तु सभी समझदार व्यक्ति निश्चित रूप से इन बातों पर कम से कम ध्यान तो देंगे ही और इस बात का पता लगा लेंगे कि उन व्यक्तियों को मंत्रिपद संबंधी वायदे और उपहार क्या मिले।

इसलिये, यदि सिद्धान्त की बात नहीं थी, तो इसे आप दलबदल कहें अथवा विभाजन तो वह बिल्कुल ही असम्माननीय था और जब वह असम्मामीय था तो इस सदन को उसकी

भर्त्सना करनी चाहिये थी। किन्तु, अपने दल की निष्ठा के साथ मुझे ऐसी आशा नहीं है कि इस प्रकार की बात कुछ होने वाली है।

महोदय, अब मैं सम्बद्ध मामले के बारे में कहता हूं जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ, अर्थात् क्या कोई सरकार केवल यह कहकर ही कार्यवाही को उचित ठहरा सकती है कि कुछ महानुभाव आए और उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए यहां तक कि उस स्थिति में भी जबकि राज्यपाल को पता था कि ये विधान सभा सदस्य हैं। उस मामले के सम्बन्ध में भी अन्य संविधानों में, उन संविधानों की भाषा में इस मामले में राज्यपाल को स्वविवेक से काम लेने की अनुमति है किन्तु जम्मू और काश्मीर के संविधान में इस प्रकार स्वविवेक से काम लेने की अनुमति नहीं है। मैं इस सदन से और गृह मत्रालय का कार्यभार सम्हालने वाले मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि सम्मानित प्रिवी कौंसिल में मतदान की अपेक्षा अन्य साधनों पर कार्य कर रही सरकारों के सम्बन्ध में होने वाले खतरों के बारे में क्या कहा गया है :—

"एक उल्लेखनीय बात है—किसी महत्वपूर्ण मामले पर किये गये मतदान के अविवादास्पद प्रमाण को छोड़कर सभा में प्रधान मन्त्री के समर्थन में किसी निर्णय पर पर पहुंचने में किसी राज्यपाल के लिये खतरे। वास्तव में ऐसे खतरे हैं। ऐसे नाजुक मामले में विचारों की अभिव्यक्ति, रुझान अथवा अभिप्राय भली-भांति भ्रामक सिद्ध हो सकती है वह स्थिति का गलत निर्णय ले सकता है और तब उसे पता चल सकता कि उसने ऐसी दिशा में ऐसा कठिन कदम उठा लिया है जो सदन के अधिकांश सदस्यों अथवा मतदाताओं के विरुद्ध हो सकता है। पुनः सदन में समर्थन के बारे में यदि वह प्रधान मन्त्री पर विश्वास नहीं करता है तो ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में विरोधी दल के नेताओं से परोक्ष रूप से परामर्श कर रहा है जो कि उस स्थिति में एक विरोधी दल से भी अधिक की भूमिका हो सकती है अथवा वह स्वयं प्रधान मन्त्री के राजनैतिक निर्णय के विरुद्ध अपने निजी सलाहकारों द्वारा बताये गये राजनैतिक निर्णयों का समर्थन करते पाये जायेंगे। हटाये जाने की अपनी शक्ति के अधीन कार्य करने का विचार करने वाले किसी भी राज्यपाल को इन वास्तविक खतरों को ध्यान में अवश्य रखना होगा।"

किन्तु, महोदय, ये शब्द नाइजीरिया के संविधान में कहे गये हैं जहां राज्यपाल का स्वविवेक ही इस मामले में अन्तिम होता है। उसे इस बात का निर्णय लेना होता है कि सदन में उसे समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। अपने देश के संविधान में तथा जम्मू-काश्मीर के संविधान इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इसलिये मैं अन्तिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता हूं महत्वपूर्ण यह यह है कि अपने डा० फारूक अब्बदुल्ला से छुटकारा पा लिया और आपने उनसे असंवैधानिक तरीकों से छुटकारा पाया किन्तु आप धुंये का पर्दा डाल रहे हैं। अब आप यह सुझाव देना चाहते है कि तथापि आपने संविधान के प्रतिकूल ही किया है, किन्तु आपने कम से कम तथाकथित लोक हित में ऐसा किया है। यह एक ऐसा गुब्बारा है जिसे आप पकड़े जाने की और अन्त में विस्फोट किए जाने की आवश्यकता है।

श्री बलिराम भगत ने डा० फारुक के जीवन की 1962, 1964, 1965, 1969 की व्यक्तिगत घटनाओं का उल्लेख किया है··· (**व्यवधान**) किन्तु आप भूलते हैं। सितम्बर 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को देखा था और वह जम्मू काश्मीर के मुख्य मन्त्री बन गये। वह उनके ही आशीर्वाद से जम्मू-काश्मीर के मुख्य मन्त्री बने थे। उस समय श्री जी० एम० शाह एक घृणित व्यक्ति थे। 1962, 64,68 की उनकी व्यक्तिगत घटनाओं का क्या हुआ और मेरा तो यह विचार है कि यह सब बातें बाद में सोची गई हैं। मैं और अधिक संसदीय शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। बाद में सोचे गये गये विचार बाद के विचार होते हैं। बाद में सोचे गये विचारों में सच्चाई नहीं होती है।

श्री बी. आर. भगत : क्या सचाई बाद में सोचे गये विचार हैं ?

श्री राम जेठमलानी : आप इसी समय विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री बी. आर. भगत : आप वकील हैं ? क्या तथ्य बाद में सोचे हुए विचार हो सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : अब श्री भगत अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, अर्थात यदि आप हैमलेट के बारे में कह रहे थे तो आप हेमलेट के बारे में ही चर्चा करें, यही ठीक होगा। किन्तुशेक्सपियर द्वारा उल्लिखित डेनमार्क के राजा, हैमलेट के पिता, रानी, हैमलेट की मां, हैमलेट की पत्नी ओफेलिया और उसकी मित्र लड़की का जिक्र किये बिना हैमलेट पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब, महोदय, यदि हैमलेट के बारे में उसकी माँ का जिक्र किये बिना कुछ नहीं कहा जा सकता है तो सभापति महोदय से मेरा सुझाव है कि फारुक की माँ का जिक्र करना युक्ति सगत नहीं होगा।

फरवरी 1983 में, चाहे श्री फारूक अब्दुल्ला में कितने भी दोष हो, चुनाव में आपका उनके साथ गठ-बन्धन था आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में श्री फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इस देश की एकता श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में सुरक्षित है और श्रीमती इन्दिरा गाँधी इस बात को प्रकट कर रही थी कि यह व्यक्ति टेलीफ़ोन पर जब उनसे बात करता है तब उन्हें 'मम्मी' कहता है। इसलिये उस व्यक्ति के प्रति यह एक बड़ा भारी धोखा है जो एक दत्तक राजनैतिक पुत्र था; यदि आप चाहे तो यह एक और दलबदल है कि अब मम्मी पुत्र के विरूद्ध हो गई है; जैसा कि वास्तव में दामाद, बहनोई और बहिन उनके विरूद्ध हो गई हैं। जब मम्मी ही विरूद्ध हो गई हैं तो फारूक अब्दुल्ला से और लोगों के विरूद्ध हो जाने से किसे दोषी ठहराया जा सकता है।

इस सदन में तथा दूसरे सदन में दिए गए वक्तव्य में यह दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि फारूक अब्दुल्ला राष्ट्र विरोधी तत्वों में मिले हुए थे और 1983 के मध्य से वह राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ थे। इस सदन में दिये गये वक्तव्य में वह समय जून, 1983 से बताया गया है। यह 1983 के मध्य का समय है। जून, 1983 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, यह वह महीने है, जिस महीने में श्रीमती गाँधी श्री फारूक अब्दुल्ला से चुनाव में हार गई थी। इसलिये ठीक उसी समय से जब श्री फारूक अब्दुल्ला विजयी हुए हैं, वह पथकतावादी, राष्ट्र-विरोधी हो गये हैं और राष्ट्रीय-हित विरोधी तत्वों के साथ गंठबधन कर रहे हैं।·····(**व्यवधान**) जून 1983 से पहले

भी श्री फारुक अब्दुल्ला के बारे में आपको सबकुछ पता था। या तो आपको पता था और उन अपराधों में आप भी साथ थे जिसकी तरफ से आपने अपनी आंखें बन्द कर ली थीं अथवा वे अपराध ये हैं जिन्हें आपने, अपने उन अत्यधिक दोषपूर्ण कार्यों का औचित्य ठहराने के लिए, बाद में पता लगाया है, जो इस देश के राजनैतिक इतिहास में कभी भी नहीं पाये जा सकते हैं।

मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि जून, 1983 के बाद श्री फारुक अब्दुल्ला के विरुद्ध जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह झूठ है। क्यों ? इसलिए कि श्रीनगर में विरोधी दलों की एक बैठक हुई थी; और मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी और जम्मू-काश्मीर में आपके दल के अध्यक्ष के वक्तव्यों का हवाला देना चाहता हूँ और उन दोनों ही वक्तव्यों में स्चरित्र के समान एक से ही आरोप लगाये गये हैं कि विरोधी दलों की यह बैठक ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमघट है जो राष्ट्र को बर्बाद करने पर तुली है। अब, यदि आप यह समझते हैं कि मैं राष्ट्र-विरोधी हूँ और श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्रवादी है, तो मुझे इसमें कोई सदेह नहीं है कि आप श्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं; तो आप श्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ भी झूठ बोल सकते हैं।

आपने सारे विरोधी दल के खिलाफ झूठ बोला है और आपने लोकतंत्र का निरादर किया है; क्योंकि विरोधी दल के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। श्रीमती इन्दिरा गांधी का यह दर्शन है कि विरोधी दल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र-विरोधी हैं··· (**व्यवधान**)। जब तक यह घातक दर्शन रहेगा, तब तक यह लोकतंत्र नहीं चल सकता। और कोई भी समझदार व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आपकी तो यह आदत रही है कि यदि आप पर कोई आरोप लगाता है, तो आप इसको उसी ब्रुश से रंग डालते है; इसलिये मैं आपके द्वारा लगाये गये आरोपों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपको मेरी ओर देखने तथा मुझे सम्बोधित करने की अच्छी सलाह दी गई है। आप मुझे पीठ दिखा रहे हैं। आप लोग मेरी ओर देखें, मुझे सम्बोधित करें और मेरे माध्यम से बोलें। आप मुझे अपनी पीठ न दिखायें। आप कृपया मुझे सम्बोधित करें।

श्री राम जेठमलानी : साप भले व्यक्ति हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे और अधिक अच्छी बात कहने को कह रहे हैं।

यदि आपने अब जम्मू और काश्मीर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी है तो·· (**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : मैं तीन बातें पूछना चाहता हूं। उस घृणित, क्रूर तथा राष्ट्र-विरोधी पुनर्वास विधेयक का क्या हुआ जिसे आपके राज्यपाल की सहमति से पारित किया गया था ? निस्सन्देह आपके राज्यपाल ने कागजों पर कुछ विरोध प्रकट किया था।

परन्तु, यदि अधिनियम असंवैधानिक और राष्ट्रविरोधीक्षा तो मुझे एक चरित्रवान और जनता के प्रति ईमानदार राज्यपाल से यह अपेक्षा थी कि वह इसे संवैधानिक संकट में परिवर्तित कर देता और अपने पद से त्यागपत्र दे देता।

परन्तु उन्होंने दब्बू बनकर हस्ताक्षर कर दिए और मैं विपक्षी दल ही थे जो उच्चतम न्यायालय में गए और मामला दायर किया। कृपया सरकार द्वारा दाखिल किए गए मामले के ब्योरे तथा विपक्षी दलों द्वारा दाखिल किए गए मामले के ब्यौरे को देखें। आप यह पाएंगे कि दोनों के बीच पूर्ण सांठ गांठ थी जिससे यह प्रतीत हो कि मानो आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हों। साथ ही ऐसा दिखावा किया गया कि मानो आप इसके विरुद्ध हैं।

मुझे आशा है कि वह अब इस राष्ट्र-विरोधी अधिनियम को पूर्णतया रद्द करके यह सिद्ध कर देंगे कि उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है।

आखिर, काश्मीर लगातार कई वर्षों तक हमसे अलग क्यों रहे ? हिन्दू और मुसलमान एक है। हिन्दू, मुसलमान सिख और पारसी सब एक हैं। जो हंसिनी के लिए अच्छा है वह हंस के लिए भी अच्छा है। हिन्दू अधिसंख्यक राज्य के लिए जो अच्छा है वह मुस्लिम अधिसंख्यक राज्य के लिए भी अच्छा है। अनुच्छेद 370 का बहाना क्यों ? इसने निकाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि जम्मू और काश्मीर में अब पहली बार राष्ट्रीय सरकार सत्ता में आई है और ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कटिबद्ध है तब अनुच्छेद 370 को रद्द कर दीजिए और हमें, भले ही देरी से, अपनी ईमानदारी का परिचय दीजिए

सभापति महोदय : आप 30 मिनट ले चुके हैं। आपको पीठासीन अधिकारी से सहयोग करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने सहयोग नहीं किया है। आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री राम जेठमलानी : मैं अपना भाषण समाप्त कर चुका हूं। मैं आपको अत्यधिक धैर्य दिखाने के लिए और आपके पक्ष की ओर देखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने हेमलेट का आमलेट बना दिया है।

श्री ए. के सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैंने अपने माननीय मित्र श्री जेठमलानी के जोशीले भाषण को अत्यन्त दिलचस्पी के साथ सुना है। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है।

एक माननीय सदस्य : वह किसी के मित्र नहीं हैं।

श्री ए. के. सेन : अपने भाषण के दौरान उन्होंने कुछ भावनाएं व्यक्त की हैं। यह उन्होंने स्वेच्छा से की हैं या नहीं। मेरे विचार में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे हम सब खुशी से सहमत हैं। मैं पहले उनका उल्लेख करता हूं और बाद में उनके भाषण के विवादास्पद भाग पर आता हूं। उन्होंने कहा है कि किसी भी लोकतन्त्र में एक विपक्षी दल का होना अनिवार्य है।

हम सब इससे सहमत है। मुझे याद है हमारे महान नेता श्री जवाहर लाल नेहरू जब इस सभा में आते थे तो वह वहां बैठते थे। मुझे याद है कि वह प्रतिदिन सभा का अभिवादन

करते थे और सर्वप्रथम विपक्ष का । हमारे देश में स्वस्थ विपक्ष की परम्परा स्थापित की गई है । परन्तु शेष विकासशील देश में लोकतन्त्र को अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है । हमारे पड़ौसी देश लोकतन्त्र खो चुके हैं । पाकिस्तान में लोकतन्त्र नहीं है । अन्य भागों में भी लोकतंत्र नहीं है । मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता । हमारे इस देश में लोकतन्त्र फल-फूल रहा है जिससे सभी स्वतंत्रता प्रेमी प्रसन्न हैं ।

अतः हम भी एक स्वरूप विपक्ष चाहते हैं । हम इसे किसी भी लोकतन्त्र के सफल कार्य-चालन हेतु एक आवश्यक उपाय के रूप में चाहते हैं । परन्तु कुछ मुद्दों पर न तो इंगलैण्ड में, जो संसदीय लोकतंत्र का जनक है, और न ही अमरीका में और न अन्य उन देशों में जहां लोक-तन्त्र की कदर की जाती है, राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूलभूत मामलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद नहीं हो सकता है । राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, देश के समुदायों में सौहाद बनाये रखने जैसे मामलों में कोई समझोता नहीं हो सकता है और न ही कोई विरोध हो सकता है ।

एक अन्य मुद्दा जिससे हम सब सहमत हैं और श्री जेठमलानी जी भी सहमत हैं वह यह कि ओछे बहानों पर दल-बदल नहीं होना चाहिए । वास्तव में दल-बदल शब्द की अभी सही परिभाषा की जानी है । श्री जेठमलानी ने श्री सीरवाई को देश के महानतम संवैधानिक विशेषज्ञों में से एक बताया है । मैं उनसे सहमत हूं । वह, निस्सन्देह एक महान संवैधानिक न्याविद है । और अपनी पुस्तक में, पुस्तक के तीसरे खण्ड में अन्तिम अध्याय 'एपी लाग' (उप सहार) में वह इस बात से सहमत हैं कि असहमत होने के अधिकार में और दल-बदल सम्बन्धी समय में कोई उचित समझौता होना चाहिए । अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को अपने राजनीतिक अथवा धार्मिक या अन्य विचार स्वन्त्रतापूर्वक व्यक्त करने की गारण्टी दी गयी है । इसमें पार्टी बनाने तथा अन्य देशवासियों के साथ एकत्रित होने का भी अधिकार दिया गया है । और उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध मामले में उच्चत्तम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि संसद सदन की सीमा में भी इस अधिकार को नहीं छीन सकती है या इसमें कटौती नहीं कर सकती है दल-बदल क्या है और दल-बदल की क्या बुराई है ? यदि कोई व्यक्ति धन के लालच में पार्टी छोड़ जाता है या राष्ट्र विरोधी किसी कार्य के लिये पार्टी छोड़ जाता है तो दल-बदल बुरा बन जाता है । परन्तु यदि वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिये अथवा ऐसे उद्देश्य के लिए जो उसे पसन्द हो पार्टी छोड़ता है तो यह दल-बदल नहीं कहा जा सकता । मुझे याद है वह घटना जब कन्जरवेटिव पार्टी के लगभग 100 सदस्यों ने नार्वे के पतन के बाद 1940 में श्री चेम्बरलिन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था । उन्होंने कहा "समय आ गया है, हमें अब दल-बदलना चाहिए ।" मुझे याद है उस दल-बदल करने वाले महान नेताओं में श्री एन्टनी एडन भी थे जो बाद में 'सर एन्टनी एडन' बने और एक समय इंगलैण्ड के प्रधान मन्त्री बने । एक समय उन्होंने कहा था "श्री चेम्बरलिन जी,

4.32 म. प.

(श्री एफ एच मॉहासिन पीठासीन हुए)

वह समय आ गया है जब राष्ट्रीय हित की यह मांग है कि हम आपको छोड़ दें और दल-बदल

करें और अपने साथियों से जा मिलें और एक नई सरकार का गठन करें।" चर्चिल को सत्तारूढ़ किया गया। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। क्या वह दल-बदल था ? परन्तु जब पार्टी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु अथवा स्वार्थ सिद्धि के लिए छोड़ी जाए···

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री एडन और अन्य व्यक्तियों ने पार्टी कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने कंजरवेरटिव पार्टी में रहते हुए विद्रोह किया केवल नेता बदल गया, श्री चेम्बरलिन के स्थान पर श्री चर्चिल नेता बन गए।

श्री ए. के. सेन : मेरे विचार में श्री जी० एम० शाह ने भी पार्टी को नहीं छोड़ा है। उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स का गठन कर लिया है। हमें तथ्य सुधार लेने चाहिये।

अतः जिस दिन श्री चरण सिंह ने पार्टी छोड़ी संवैधानिक विशेषज्ञ श्री सीरवाई कहते हैं, वह दिन भारतीय लोकतन्त्र के लिये एक अशुभ दिन था। सीरवाई के अनुसार, उनकी पुस्तक मेरे पास यहां है, श्री संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह को इस शर्त पर कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करें सरकार कठित करने का निमन्त्रण देना।

असंवैधानिक था। उन्होंने कहा है उस समय सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी थी जिसके 205 सदस्य थे। उन्होंने इस प्रकार लिखा है :—

> "श्री जगजीवन राम ने, जो उस समय लोक सभा में सबसे बड़ी पार्टी, जनता पार्टी के, जिसके लगभग 205 सदस्य थे, नेता थे और जो विपक्ष के नेता बन गये थे, दावा किया कि वह स्थायी सरकार बना सकते हैं परन्तु फिर भी चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने कानिमन्त्रण दिया गया और उन्हें बिना किसी संवैधानिक मिसाल के यहां तक कहा गया कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करें·····

उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये लोक सभा कभी नहीं बुलाई परन्तु कहा कि "मैं ऐसा नहीं कर सकता; कृपया लोक सभा भंग कर दीजिए।"

प्रो. मधु दंडवते : क्यों कि आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका। **(व्यवधान)**

श्री ए. के. सेन : श्री सीरवाई कहते हैं कि ऐसी अल्पमत सरकार द्वारा दी गई सलाह जिसका ससद में बहुमत नहीं था असंवैधानिक थी···**(व्यवधान)** अब यदि श्री जी. एम. शाह सभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते तो मैं तत्काल कहूंगा कि नए चुनाव होने चाहिए। इस सभा में इस पक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसे नेता का समर्थन करे जिसे सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है। इस सिद्धान्त से कोई सहमत नहीं है। परन्तु जब श्री जी० एम० शाह अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले को इस आधार पर उच्च न्यायालय में ले जाया जा रहा है कि बहुमत में जो लोग हैं वे दल-बदलू हैं और इस प्रकार उन्हें सभा का सदस्य बनने के अयोग्य करार दिया जाता है। अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना यह कह दिया कि वे सब दल-बदलू हैं।

"मैंने इसे राय जानने के लिये उच्च न्यायालय को भेज दिया है, परन्तु मैं इसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। क्यों ? क्योंकि जी.एम. शाह का सभा में बहुमत था। यदि सभा में उनका बहुमत होता तो उन्होंने कहा होता कि "हम मतदान करा लेते हैं।" श्री जी०एम० शाह अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये उत्सुक हैं।

यदि राज्यपाल की यह राय है कि राज्य के मुख्य मन्त्री ने बहुमत खो दिया है तो उन्हें अन्य किसी को सरकार बनाने के लिए कहने का अधिकार है। विधि तो यह है। पता नहीं श्री जेठमलानी किस विधि की बात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक मुख्य मामला स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल घोष को जिन्हें श्री दण्डवते अच्छी तरह जानते हैं—श्री अजय मुखर्जी के स्थान पर उस आधार पर नियुक्त किए जानेका है कि अजय मुखर्जी अपना बहुमत खो चुके थे। उस समय संयुक्त मोर्चे का विभाजन हो गया और मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने बहुत लम्बा निर्णय दिया और नाइजीरिया में प्रिवी कौंसिल निर्णय के अनुरूप यह निर्णय किया गया कि सभा में किसका बहुमत है, इसका फैसला करना राज्यपाल के हाथ में है और यदि उसके विचार से सत्ताधारी मुख्य मन्त्री में बहुमत का विश्वास नहीं रहा है तो उसे राज्यपाल द्वारा सत्ता में रखना असवैधानिक कार्य होगा क्योंकि सरकार के मामले में वह एसे मुख्यमन्त्री की सलाह क्यों ले ? सिद्धान्त यह है कि मुख्य मन्त्री सभा में बहुमत के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराता है इसलिए वह उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। किन्तु यदि वह मुख्य मन्त्री बिल्कुल अल्पमत का मुख्यमन्त्री ही रह जाता हैं तो उसके परामर्श की कोई सार्थकता नहीं रह जाती और राज्यपाल को उसकी सलाह न मानने का अधिकार है। नाइजीरिया में प्रिवी कौंसिल ने यही बात कही। वहां नाइजीरिया में राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री को बर्खास्त करके किसी अन्य को नियुक्त किये जाने क निर्णय दिया। कोई भी व्यक्ति इन दो निर्णयों को पढ़ सकता है ··

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्यपाल कुछ भी कह सकता है। कल वह कह दें कि श्री ज्योति बसु को बहुमत प्राप्त नहीं·· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह मानने वाले नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका तर्क है कि भारतीय संसद में राज्यपाल सर्वोच्च है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। वह मानने को तैयार नहीं हैं।···

श्री ए. के. सेन : यह मेरा मत नहीं है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय है जो नाइजीरिया के मामले में प्रिवी कौंसिल के निर्णय की पुष्टि करता है। मेरे विद्वान मित्र वकील हैं। वह खुशी से इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन श्री चटर्जी ठीक कहते हैं। क्या राज्यपाल सब कुछ कर सकता है। नहीं। क्योंकि राज्यपाल के निर्णय को सभा में कसौटी पर कसा जा सकता है और यदि सभा यह घोषित करती है कि उसका बहुमत है तो राज्यपाल इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। जम्मू और काश्मीर विधान परिषद में यह सिद्ध हो जाने दीजिये कि राज्यपाल ठीक हैं या नहीं।

यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वह ठीक नहीं है तो गलत निर्णय देने के लिए उन्हें अवश्य त्यागपत्र देना चाहिये। लेकिन विपक्ष के लिए यह कसौटी बहुत कष्टकारी है क्योंकि आज डा० फारूक विपक्ष के नेता बने हुए हैं। लेकिन मुझे याद है मैं जम्मू और काश्मीर में कई बार गया हूं—और मैंने श्री जेठमलानी पार्टी की नेताओं के भाषण सुने हैं, निजि तौर पर बात-चीत भी की है, मैं नहीं समझता कि पहले डा. फारूक अब्दुल्ला का समर्थन प्राप्त करने के प्रति उनमें इतना उत्साह था। डा. फारुक की अत्यन्त निंदात्मक आलोचना भी मैंने सुनी है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन नये गणित किये गये दल के प्रति मेरे मित्र श्री जेठमलानी ने जो 'घृणित' शब्द का प्रयोग किया है, उस पर मुझे आपत्ति है। (व्यवधान) ऐसी बातों से देश की एकता को बल नहीं मिलता।

महोदय जब मैंने अपनी क्रिकेट टीम पर प्रहार होते देखा, अत्यन्त घृणास्पद राष्ट्र विरोधी नारे लगाये गये और फिर भी उनका विरोध किसी भी रराष्ट्रीय हित के तथा कथित समर्थकों ने नहीं किया तो मुझे बहुत दुःख हुआ। आमतौर पर मैं किसी व्यक्ति को घृणित अपराधी तब तक नहीं मानता जब तक दोष सिद्ध न हो जाये लेकिन एक भारतीय होने के नाते मुझे निश्चय ही उस समय दुःख हुआ जब जम्मू और काश्मीर में हर जगह राष्ट्र विरोधी तत्वों की गूंज सुनाई पड़ने लगी और ठीक या गलत लोगों को यह विश्वास हो गया कि राज्य में सत्ताधारी दल का उनसे गठजोड़ है। अतः इन 13 सज्जनों ने डा. फारुक के नेतृत्व को छोड़ने के अपने अधिकार का ठीक ही प्रयोग किया। वे एक ऐसे व्यक्ति से अलग हो गये जिसने अलगाव वादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं किया।

महोदय, हमें जम्मू और काश्मीर पर गर्व है क्योंकि 1947 से पूर्व स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला ने कांग्रेस के सक्रिय सहयोग से घाटी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 1947 के बाद यह घोषित करके कि काश्मीर देश का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और घाटी के विभिन्न समुदायों के लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर शेष देश के लिये उदाहरण पेश किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उस संकट के समय जब पाकिस्तानियों ने इस उपजाऊ घाटी पर हमला किया, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। जब 1965 में घुसपैठिये आये तो मुझे याद है कि श्री भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खान को यह सलाह दी-यह बात सर्वविदित है-कि हमें काश्मीर पाठी में अपने घुसपैठिये तथा सैनिक भेजने चाहिये। वहां के लोग उसका समर्थन तथा मदद करेंगे। काश्मीर के लोगों ने क्या किया। हमें उन पर गर्व है। जब ये घुसपैठिये आये तो उन्होंने सरकार को सूचना दे दी और घुसपैठिये पकड़े गये। एक भी काश्मीरी ने उनका साथ नहीं दिया। अतः जब श्री जेठमलानी ने यह कहा कि हम भारतीय पहले हैं तथा हिन्दु, मुस्लिम या सिख बाद में तो हम सब उनसे सहमत थे।

महोदय, गत दिवस हमने इस सभा में पंजाब के मामले पर चर्चा की थी। हर छोटा-बड़ा नेता इस बात पर एकमत था कि यह देश एक है। उसके टुकड़े होने नहीं दिये जायेंगे और यह राष्ट्र जीवित रहेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां तक कि हमारे जैसे राष्ट्र-विरोधी तत्व भी इससे सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. के. सेन : किसने कहा कि आप राष्ट्र-विरोधी है।

कई माननीय सदस्य : आपके नेता ने।

श्री ए. के सेन : नहीं, कभी नहीं। हमारे नेता कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे। मुझे पता है कि वह प्रो० दण्डवते का कितना आदर करती हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं ? (**व्यवधान**) आप क्यों ऐसा करते हैं। मुझे पता है कि आप उनका आदर करते हैं। (**व्यवधान**) प्रो. दण्डवते, अनेक लोगों ने श्रीमती गांधी पर घृणित आरोप लगाये हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने प्रत्युत्तर में कभी आपको राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा। मैं अवश्य इस आरोप का खण्डन करूंगा (**व्यवधान**)।

अब हम सभी सहमत हैं कि काश्मीर सदा भारत का अभिन्न अंग रहा है और कोई भी समझदार भारतीय इसे जुदा नहीं होने देगा।

एक माननीय सदस्य : आपने जम्मू और काश्मीर के लिए अलग संविधान क्या रखा है ?

श्री ए. के. सेन : ऐसा इसलिए किया है कि लोग चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला की मांग थी कि काश्मीर को अलग दर्जा दिया जाये और इस संसद तथा संविधान सभा ने सर्व सम्मति से इसे मान लिया। आप वाद-विवाद पढ़िये। किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया था। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया साथ में अपनी टिप्पणियां मत करें।

श्री ए. के. सेन : संविधान सभा ने सर्वसम्पति अनुच्छेद 317 को स्वीकार किया था। इसलिए उसे शामिल किया था। यदि संविधान सभा इसके विरोध में निर्णय लेती है तो इसे हटा दिया जायेगा। लेकिन जब तक कश्मीर के लोग नहीं चाहते तब तक भारत के लोग अपनी बात उनपर नहीं थोपेंगे। वे लोग अनुच्छेद 317 को अपना सरक्षण मानने हैं तो हम उन्हें इस से वंचित नहीं करेंगे। प्रयोजन यही है कि देश के अल्पसंख्यकों को विश्वास रहे कि बहुसंख्यक कभी भी उनके वैध हितों या, इस देश में अल्पसंख्यकों के हित सम्बन्धी जाने वाली बातों की उपेक्षा नहीं करेंगे।

अब मैं इन 13 सज्जनों के मामले पर आता हूं। श्री जेठमलानी ने आज अपनी सामान्य व्यंग्यात्मक शैली में शेकस्पीयर को उदारतापूर्वक उद्धृत किया है। इस मामले पर बार-बार अपना नाम लिये जाने पर वह भी अपनी कब्र से उठकर देख रहा होगा। लेकिन शेकसपियर का पुनः नाम लेकर वह मार्क एंटली की तरह कर रहे हैं उसने कहा था कि सभी सज्जन हैं लेकिन पापी हैं। एंटनी ने यह कह कह कर रोम की भीड़ को उकसाया कि "ब्रूटस एक इज्जतदार आदमी है लेकिन देखिये उसने क्या किया ! यह सबसे निर्णय कार्य किया गया। माननीय सदस्य ने कहा कि यह अब तक किया गया सर्वाधिक घृणित कार्य हैं। उन्होंने शेकसपियर को फिर उद्धृत किया है। अब देखिये ईद के दिन क्या घृणित कार्य किया गया था ! लोगों ने सोचा कि अब समय आ गया है जब उन्हें ऐसे आदमी का साथ छोड़ देना चाहिये जिसने उनसे विश्वासघात किया है। 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन के

साम्राज्यवाद से अपने को स्वतंत्र घोषित करते समय 'अधिकारों' के घोषणापत्र, में सबसे पहले कहा था प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में एक समय आता है और जब वह आता है तो लोगों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे पुराने सम्बन्ध तोड़ दें।" उन्होंने मातृ देश (मदर कटरी) के साथ-साथ सम्बन्ध तोड़ने के 1,2,3,4 कारण बताये। इन 13 सज्जनों ने भी यही कहा है कि उन्होंने बाफी लम्बे समय तक सहन किया है। (**व्यवधान**) आशा है काश्मीर घाटी के अन्य सभी लोगों में भी साहस है। आपको पता है कि इस्लाम के नाम पर क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर वहां भी क्या हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हमें भी कुछ जानकारी है।

श्री ए.के सेन : मुझे उनका भी पूरा ख्याल है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जहां तक हमारी देशभक्ति का प्रश्न है, हमें उस का भी पूरा ख्याल है। हमें देश की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता का भी पूरा ख्याल है।

श्री ए. के. सेन : मुझे इसमें कोई शक नही। किसी ने भी शक नहीं किया। लेकिन आपको इन सज्जनों के बारे में शक है (**व्यवधान**)

श्री रामजेठमलानी : आप उन्हें अमरीका के निर्माताओं से मिला रहे हैं। कुछ तर्क-पूर्ण तरीका होना चाहिये...(**व्यवधान**)

श्री ए. के. सेन : हल्केपन की भी कोई सीमा होती है।

मैं समझता हूं, माननीय सदस्यगण बेतर जानते हैं, कि जब जनतापार्टी या अन्यों का विघटन हुआ तो लोग सामान्यत: यही महसूस करते थे कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों में से हैं बल्कि उनके दिलों में भी यह विचार था कि ऐसा समय आ गया है जब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इस तरह इस देश में और अन्य राष्ट्रों में कई पार्टियों का विघटन हुआ पिछले दिनों ही लेबर पार्टी का विघटन हुआ और उनके बहुत से सदस्यों ने एक नई पार्टी बना ली। चुनावों में उनके परिणाम अच्छे रहे, लेकिन यह अलग बात है.....(**व्यवधान**) मैं वर्तमान संगठन के बारे में जिक्र नही कर रहा; मौजूदा संगठन स्वीकार्य है; मैं तो सभा के बाहर के संगठन की बात कर रहा हूं।

जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसी भावनाएं पैदा होती जो लोगों को उन व्यक्तियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती हैं जिनके साथ वे लम्बे समय से जुड़े रहे हैं।

श्री जी. एम. शाह नेशनल कान्फ्रेंस के महान नेता थे। शेख अब्दुल्ला के समय मैंने खुद अपने कानों से सुना है—मैं नाम नहीं लेना चाहता—शेख अब्दुल्ला को अपने दमाद पर काफी भरोसा था, क्योंकि उस समय डा. फारुक लंदन में या लंदन के आस-पास प्रेक्टिस कर रहे थे और वह अभी वापस नहीं आये थे। काश्मीर के प्रति उनकी चिन्ता हाल ही में जागृत हुई है। यह शायद इसलिए है कि वह काश्मीर से काफी समय तक दूर रहे हैं। शायद उस समय श्री जी. एम. शाह को नेशनल कान्फ्रेंस का दूसरा बड़ा नेता माना जाता था और उनकी देशभक्ति और काश्मीर के लिए प्रेम कोई शक नहीं कर सकता।

श्री हरिकेष बहादूर (गोरखपुर) : प्रधान मन्त्री ने इन बातों पर पहले विचार नहीं किया ।

श्री ए के. सेन : मैं प्रधान मंत्री के अन्तःकरण की बात नहीं जानता हूं उन्हीं से यह बातें पूछिए । मैं किसी के अन्तःकरण का रखवाला नहीं हूं, मैं केवल अपनी इच्छा के बारे में बता सकता हूँ ।

जैसा कि मैंने कहा, किसी ने भी श्री जी. एम शाह पर शक की उंगली नहीं उठाई और उन्हें नेशनल कान्फ्रेंस का बड़ा नेता माना जाता था, क्योंकि उस समय शेख अब्दुल्ला की सेहत बिगड़ रही थी, और अचानक ही वे फारुक अब्दुल्ला के लिए महत्वहीन व्यक्ति हो गये, क्योंकि उनके अनुसार श्री शाह ही उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे सकते हैं । इसलिए अगर वह अलग हो जाते हैं तो उन्हें अवश्य ही घृणित व्यक्ति कहा जना चाहिए । मैं अवश्य विरोध करता हूं, जो लोग किसी कारण. किसी सिद्धान्त के लिए अलग होते हैं, उन्हें निश्चय ही सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है । हमें सभी को भारत के उस भाग के, जोकि भारत का अभिन्न अंग है, भविष्य के प्रति चिन्ता होनी चाहिए ।

इसलिए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन 13 व्यक्तियों को अलग होने का अधिकार था, यह अधिकार उन्हें संविधास के तहत मिला हुआ है और विरोध में मगर वे नई पार्टी बनाते हैं और सत्तापक्ष से अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या हैं ? और जब सत्तादल ने पाया कि उनके हाथ से स्थिति निकल गई है तो उन्होंने इस सहायता की मांग की और दल-बदल आदि के महान अपराध की बातें की । हम जानते हैं कि कैसे दल-बदल हुये हैं...(व्यवधान) हम जानते हैं कि सभा में यह कैसे हुआ है । हमें अन्य देशों का अनुसरण करका है, हमें पता होना चाहिए है, हम सबने भारी और सूक्ष्म परिवतन देखे हैं ।

इस तरह, जब लोगों ने अपना दल अलग बनाया तो, कश्मीर उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह दल-बदल का मामला नहीं है । उच्चन्यायालय ने अभी इस बात पर फैसला करना है कि काश्मीर विधान सभा द्वारा पारित दल-बदल विरोधी अधिनियम वैध भी है या नहीं । लेकिन अगर इसे वैध मान भी लिया जाता है तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि इसे दल-बदल का मामला नहीं माना जा सकता, यह विघटन का मामला है । जब पर्वत के ऊपर से कुछ पत्थर फैंके जाते हैं, यह कुछ पत्थरों का फेंकने का मामला होता है, लेकिन जब सारा पहाड़ ही गिर जाता है तो यह भू-स्खलन का मामला बन जाता । यह पत्थर फेंकने का मामला नहीं है, भू-स्खलन का मामला है । काश्मीर में जो कुछ हुआ है वह भू-स्खलन का मामला है, जिसने कि सत्ता-गुट को डरा दिया हैं.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मायने में यह सरकार परिवर्तन नहीं है, यह व्यक्तियों का परिवर्तन है । पहले भी नेशनल कान्फ्रेंस सत्ता दल था, अब आज भी वही सत्ता में है... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्या यह आपका विनिर्णय है ?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। कृपया उन्हें भाषण जारी रखने दिया जाये।

श्री ए. के. सेन : श्री जेठमलानी ने कहा है कि काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 38 के अधीन राज्यपाल का कर्त्तव्य था कि वह सभा को भंग करके नये चुनाव कराने का आदेश देते। क्यों ? क्या यह इसलिए कि एक अल्पमत सरकार ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी ? अगर उन्हें भरोसा हो गया था कि मुख्यमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं रहा। तो उन्हें सलाह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों कि यह सलाह विधान मण्डल में अल्पमत वाले ग्रुप की ओर से दी गई थी। अगर बहुमत को नहीं दर्शाता तो राज्यपाल को इस सलाह की अवहेलना करने का अधिकार है। श्रीमन, वहां का अनुच्छेद 35 हमारे संविधान के अनुच्छेद 166 के समान ही है।

सभापति महोदय : आप आधे घन्टे से ज्यादा भाषण कर रहे हैं।

श्री ए के. सेन : मैं अपना भाषण अभी समाप्त करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 166 के समान है। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही प्रतिवादित किया है कि अगर राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह मुख्यमंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं हैं। और अगर उनका यह मत है कि किसी अन्य व्यक्ति को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, तो उसे मुख्य मंत्री बनाया जाना, उनके द्वारा पूर्णतः वैद्य कार्य है और बाद में वह व्यक्ति सभा में अपने बहुमत का दावा कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काश्मीर विधान सभा में बहुमत का फैसला होगा।

श्री राम जेठमलानी : क्या आप कलकत्ता उच्च न्यायालय को यहां उद्धृत कर सकते हैं ?

श्री ए. के. सेन : मेरे पास यहां इस वक्त वह फैसला नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : कृपया हवाला दीजिए। कृपया इसे सभा में कहें।

श्री ए. के. सेन : इसे में कल आपके लिए ले आऊंगा।

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी आपने अपनी बात कह ली है। कृपया उन्हें भाषण करने दें। कृपया 5 मेरे साथ सहयोग करें।

श्री ए. के सेन : श्री संजीवा रेड्डी ने 6 अप्रैल, 1968 को भाषण दिया था। 1968 से अब तक काफी परिवर्तन आये हैं और भारत की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। दो वर्ष बाद 1970 में यह निर्णय दिया गया। उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और श्री जेठमलानी भी इसे पढ़ सकते हैं—राज्यपाल को यह अधिकार है कि अगर वह इस बात से

सन्तुष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वह बिना उससे सलाह किये किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य मंत्री नियुक्त कर सकता है। श्री जेठमलानी को यह तर्क है कि विधान सभा को विशेषाधिकार है कि वह यह निश्चित करें कि किसे बहुमत प्राप्त हैं और फिर राज्यपाल कार्यवाही कर सकता है। श्रीमन् मेरे यही मुद्दे हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि सभा मेरे साथ सहमत होगी कि जो कुछ वहां हुआ है वह पूर्णत: सविधानिक हुआ है और इन 13 व्यक्तियों द्वारा जो कुछ किया गया है वह उनकी अंतर्आत्मा की आवाज है और उन्होंने संविधानिकी पूरी तरह रक्षा की है।

श्री के. पी. उन्नी कृष्णन (बदागरा) : सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से सत्तादल की ओर से दिये गये भाषण सुनने में अच्छे लगते थे। इसके अलावा आज उन लोगों मे अच्छे भाषण दिये जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से, विषय को राजनैतिक रंग दिया और अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया जैसे कि मेरे मित्र श्री अशोक सेन, जिन्हें मैं काफी आदर..... (व्यवधान)

5.00 म. प.

जिन्होंने कि न केवल संविधान की व्याख्या ही की बल्कि कई अवसरों पर ऐतिहासिक हवाले भी दिये जो कि मैं कहना चाहता हूं अप्रासंगिक भी थे।

हमारे यहां श्री नामायाल जैसे कुछ अज्ञात संविधानिक पंडित भी हैं शायद वह यहां नहीं बैठे हुये हैं। उन्होंने जम्मू और काश्मीर के संविधान पर प्रकाश डाला है। इन एकता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के तथा कथिक संरक्षकों ने पिछले दिनों अकालियों द्वारा संविधान को जताये जाने के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। जिन्होंने संविधान को जलाया है। उनके प्रति यहां लेकिन देखिये तो सही कौन ऐसी बातें कर रहा है ? ये वो लोग हैं जोकि दिन-रात संविधान की भावना पर आघात पहुंचाते रहते हैं, उन्होंने यह फैसला दिया कि चाहे पंजाब, कश्मीर या सिक्किम हो, जिन्होंने इस संविधान को मजाक बना दिया है। जिसका कि कोई महत्व नहीं है, आज संविधानिक औचित्य की बात कर रहे हैं और परिभाषा ढूंढ रहे हैं—दल-बदल क्या है और दल-विभाजन क्या है।

हमें बहुत कुछ कहा गया है। मैं इन कहानियों में नहीं जाना चाहता क्यों कि आप जानते हैं कि मेरे और सभा के पास समय काफी सीमित है।

सभापति महोदय : केवल छह मिनट।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : श्रीमन्, अचानक ही आपने पता लगा लिया कि मेरे लिए केवल छह मिनट ही बचे हैं। दूसरों के लिए आपने कई घन्टों की अनुमति दी है। आपको मेरे साथ भी ऐसा ही उचित व्यवहार करना चाहिए।

सभापति महोदय : यदि श्री अशोक सेन ने अधिक समय लिया है तो उन्होंने अपने दल का समय लिया है। आपके पूरे दल को छः मिनट मिले हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं उन्हें अपना समय दे दूंगा।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं सभा का ध्यान पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरा कहना है कुछ वचन भंग किये गये हैं। विभाजन के समय सिखों को कुछ वचन दिये गये थे जिन्हें भंग किया गया है। आज जैसा श्री अशोक सेन ने स्मरण कराया है कि जम्मू और काश्मीर के लोगों और नेशनल कान्फ्रेंस के नेताओं को कुछ वचन दिये गये थे। इसी लिए अनुच्छेद 370 संविधान में शामिल किया गया है जिसे मेरे मित्र श्री राम जेठमलानी पसंद नहीं करते। यदि आप भारत के संविधान को मानते हैं तो उन संवैधानिक वचनों को भी मानना होगा जो अनुच्छेद 370 द्वारा संविधान में शामिल किये गये हैं। उस से बचाया नहीं जा सकता।

इस तरह से जम्मू और कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के इसी भाग का चुन कर उल्लंघन किया है और मेरा आरोप है कि यह केन्द्र के इशारे पर हुआ है।

मेरे मित्रों तथा अन्य अनेक सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ तत्यों को दोहराने की जरूरत है। जो बात अभी तक नहीं कही गई है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं अर्थात 1977 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल श्री एल. के. झा ने जिस बात पर जोर दिया था और मैं कहूँगा कि केन्द्रीय विधि मंत्री के साथ सलाह करने के बाद ही ऐसा किया गया था। गृह मन्त्री मेरी बात का चाहें तो प्रतिवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काश्मीर के संविधान के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री के परामर्श के बारे में संविधान का अनुच्छेद 35 (2) लागू होता है।

उनके विचार से जम्मू और काश्मीर के संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को मुख्य मन्त्री की सलाह माननीय होगी चाहे उसका बहुमत हो या न हो। इस बारे में संवैधानिक उदाहरण लागू नहीं होते। यहां जो उदधृत किया गया है, वह बिल्कुल अन्तर्गत है।

श्री ए. के. सेन ने 'असहमति, की महान भूमि का पर बड़ा अच्छा बोला है। उनका सम्बन्ध ऐसे दल से है जिसमें मुझे पता नहीं कि असहमति का कोई स्थान है। हमें पता है कि पिछले कुछ वर्षों में असहमति की भावना को किस प्रकार प्रोत्साहित किया गया है। वह अन्तश्चेतना के दबाव के बारे में भी बोले हैं। लेकिन 1 तथा 2 जुलाई की रात को श्रीनर में क्या हुआ ? मेरा निवेदन है कि इसका असहमति या अन्तश्चेतना के दबाव से कोई सम्बन्ध न था।

वहां तो ऐसा राज्यपाल था जो असामान्य आगंतुकों अर्थात दल-बदलुओं के एक ग्रुप के राजभवन में आंने तक रात भर जागता रहा। ये सज्जन कौन थे, आप उन्हें जिस प्रकार भी पुकारें, जो उस रात चुपके से राजभवन में प्रवेश कर गये ? क्या राज्यपाल को इस बारे में संदेह नहीं था कि वे जिस की मांग कर रहे थे क्या वह ठीक, उचित तथा विधिक या संवैधानिक था।

क्या उसे उस रात इस बत की स्वयं जांच नहीं करनी चाहिए थी। उसका पिछला इतिहास देखने से पता चलता है कि उन्होने विधि की शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने उस निर्णयकारी रात को परामर्श लेने के लिए किसी को बुलाया ताकि यह तो पता चल सके कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन 1967, जम्मू और काश्मीर विधान सभा द्वारा यथा संशोधित उपबंध क्या हैं। क्या मुख्य मंत्री ने या जम्मू और काश्मीर संविधान का उपबन्ध क्या है। उन्हें उसी रात बता दिया कि मतदान करने का अपना अधिकार खो दिया है और वे विधान-मंडल के सदस्य नहीं रहे। इस बात पर जम्मू और काश्मीर उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, मैं उस बात पर नही जना चाहता। लेकिन मैं एक संगत प्रश्न कर रहा हूं। क्या राज्यपाल ने ऐसा पूछा। यदि मुख्य मंत्री ने ऐसी बात कही ? क्या राज्यपाल ने यह अनुभव कि वह स्वयं या केन्द्रीय सरकार उनको यह अधिकार दे सकती है और क्या राज्यपाल के लिए यह सलाह माननी जरूरी थी ? क्या उन्होंने यह अर्थ निकाला कि इन 13 दल-बदलुओं को जिन्हें मेरे विद्वान मित्र श्री रामजेठमलानी ने 'गन्दे एक दर्जन तथा एक और (उर्टीडजन प्लस दन) कहा है, इस निर्णयकारी रात को यह अधिकर दिया जा सकता है। उन्होंने किस से सलाह की ? लेकिन

5.08 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यहां तो राज्यपाल ने, जो न केवल भारतीय संविधान बल्कि जम्मू और काश्मीर के संविधान का सम्मान करने और उनके अनुसार चलने, जो देश का विधि मान्यता प्राप्त कानून है तथा इस सम्बन्ध में पूर्वोदाहरण को मानने को बाध्य है, केन्द्र सरकार के इशारे पर इन उपबन्धों का खुल कर उल्लंघन किया। यह तो संविधान को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास है। राज्यपाल शायद समझते थे कि यह तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के लघु नियमों में से एक है, जिन से वह भली भांति परिचित हैं। ऐसा राज्यपाल तथा उसके द्वारा स्थापित अवैध सरकार राज्य के लोगों को स्वीकार नहीं।

1971 में राष्ट्रपति गिरि के अनुरोध पर राज्यपालों के सम्मेलन में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य ऐसी स्थितियों में, जिनका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के आचरण संबंधी प्रश्न पर विचार करना था। मैं एक विशेष सिफारिश, जिसे अभी तक उदधृत नहीं किया गया, उद्धृत करना चाहता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है।

> "केवल इस तथ्य से कि दल के कुछ सदस्यों ने दल बदल कर लिया है, यह सदा ही सिद्ध नहीं हो जाता कि उस दल ने मतदाताओं का विश्वास खो दिया है।"

महोदय, आपने भी अध्यक्षों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है और अध्यक्षों के सम्मेलन द्वारा पेश किये गये उदाहरण से आप परिचित हैं। पिछले 30 वर्षों में इस प्रश्न पर विचार करने के अनेक अवसर अध्यक्षों के सम्मेलन में आये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशों की बात तो छोड़ दीजिये जिन्हें इस सभा द्वार स्वीकार किया गया और यह भी आश्वासन दिया गया कि उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। मेरा कहना है कि उन्हें बेकार समझ कर फेंक दिया गया और सभी मार्ग दर्शी सिद्धान्त ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यहां लोगों को 90 से 100 मिनट तक दिए गए हैं। कृपया मेरे प्रति भी उदार बनिए क्योंकि यह ऐसा मामला है जिस के बारे में यह आभास नहीं मिलना चाहिए कि आप तर्क नहीं सुनते।

मैं फिर कहता हूं कि यदि राज्यपाल ने यह अनुभव भी किया कि मुख्य मन्त्री ने बहुमत खो दिया है तो भी वह किसी प्रकार भी विधान सभा का अधिवेशन बुलाने या उसे भंग करने और नये चुनाव सम्बन्धी मुख्य मंत्री की सलाह अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इस राज्यपाल को ही दोष क्यों दें। पहले हरियाना में इस पद का कैसे दुरुपयोग किया गया और भी कई उदाहरण हैं जिनमें सरकार की दोषपूर्ण नीति का पता चलता है और राज्यपाल को कठपुतली बनाकर उसकी संवैधानिक भूमिका और सत्ता को समाप्त करदिया गया है। इन राज्यपाल ने तो यही किया है कि उन्होंने आगे बढ़ कर दल-बदल को दोष मुक्त बना दिया और जम्मू और काश्मीर के संविधान को ही समाप्त कर दिया।

1984 में जम्मू और काश्मीर विधान सभा के लिए निर्वाचनों तक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री डा. फारूक अब्दुल्ला एक अच्छे लड़के की तरह थे लेकिन वह सत्ताधारी दल या सत्ताधारी परिवार को खुश नहीं कर सकते। इसे बफादारी का प्रश्न बना लिया गया। बफादारी भारतीय संविधान या राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि एक परिवार के प्रति 1 स्थिति बिगड़ गई और उसी दिन से तनाव पैदा हो गया जिस दिन डा. फारूक अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों के सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में किया और जिससे जम्मू और काश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की नीति का कायापलट ही हो गया। इस सम्मेलन के कारण जम्मू और काश्मीर के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में मिल गए। एक दीर्घ समय के अन्तराल के बाद अर्थात 1953 के बाद 1983 में नेशनल कांफ्रेंस तथा उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया में अन्तर आया। उन्हें प्रधान मन्त्री ने चेतावनी दी "इस सम्मेलन में आप अपने को लिप्त मत करो" और काश्मीर में उनके खुशामदी लोगों ने 6 अक्तूबर, 1983 को कहा "श्रीनगर में विपक्षी दलों का सम्मेलन राष्ट्र-विरोधी शक्तियों का जमघट है जो देशकी एकता और अखण्डता को नष्ट करना चाहते हैं।"

17 अक्तूबर, 1983 को जम्मू और काश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) के प्रधान मुफती मोहम्मद सईद ने कहा "अब राज्यपाल को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। और 19 अक्तूबर, 1983 को तत्कालीन गृह मन्त्री ने दुर्भाग्य से वह यहां नहीं हैं, चुपके से उठ कर चले गये हैं- केन्द्र मूक दर्शक नहीं रह सकता।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अब गृह विहीन हैं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : किस चीज के मूक दर्शन ? काश्मीर में सत्ताधारी दल द्वारा चलाया गया हिंसा का दौर ? उस समय इस घाटी में क्या हिंसा हुई थी। नहीं कह सकते।

और 11/12 नवम्बर को अमेठी से माननीय सदस्य कांग्रेस (इ) के महासचिव ने

महासचिव ने धारी में अपने अनुयायियों से कहा "आपके बलिदान व्यर्थ नहीं जायेंगे" इन हिंसक भीड़ों के बलिदान ? पता नहीं यह ठीक है, 11 नवम्बर, 1983 को हिन्दुतान टाइम्स ने लिखा "उन्होंने आगे कहा" दमनकारी उपाय करने होंगे।" यह नवम्बर, 1983 की बात है जब एक ओर डा. फारूक अब्दुल्ला राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए खुले रूप से कह रहे थे कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंश है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : दूसरी ओर वे हिंसा का दौर चलाए हुए थे और उन्होंने ये सब बाते कहीं और क्रिकेट मेच की घटना का जिक्र किया जब कि कुछ भड़काने वाले ऐजेंटों ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये। अब उन्होंने क्रिकेट मेच की घटना और इस राज्य में लगाये गये तथा कथित गुरमत शिविरों के कारण मुख्य मन्त्री को पद से हटा दिया है। क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि क्या गुरमत शिविर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाये गये। आप इस गुरमत शिविरों के बारे में बिवरण क्यों नहीं देते ?

श्री बूटा सिंह : वहां उनमें मुख्य मन्त्रियों ने भाग नहीं लिया।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आप अब यह अन्तर कर रहे हैं। आपने पंजाब पर श्वेत पत्र निकालते समय इन शिविरों का विवरण क्यों नहीं दिया ?

श्री बूटासिंह : हमने विवरण दिया है। आपने उसे नहीं पढ़ा।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं मानता हूं कि आपकी तरह मैं अत्यधिक अध्यता नहीं हूं। पर कई बार में पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : अभी कुछ सप्ताह पूर्व हमने देखा कि भिवड़ों, महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों के कुछ सदस्यों को कैसे शर्मनाक और दर्दनाक ढंग से जिन्दा जला दिया गया। राष्ट्र का मस्तक शर्म से झुका देने वाले और विदेशों में भारत के नाम को धब्बा लगाने वाले इस मुख्य मन्त्री को क्या आपने बदल दिया। देश के अन्य भागों में जब अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही थी, मेरठ अलीगढ़ और मुरादाबाद में उनके घरों को आग लगाई जा रही थी और लूटा जा रहा था तब आपकी प्रति क्रिया क्या थी ? क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को बदला ?

आप जमात-ए-इस्लामी की बात कर रहे हैं। धारी में इस संस्था का इतिहास क्या है ? उनके साथ गठजोड़ कौन कर रहा था ? नेशनल कांफ्रेंस अथवा कांग्रेस (इ) ?

आप तारीक अब्दुल्ला के नाम का उल्लेख करना भूल गये थे जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा में अपने पद को छोड़ दिया था और वह संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधि बन गए थे। चूंकि समय नहीं है, अतः मैं उनके भाषणों को उदधृत नहीं करना चाहता हूं।

जम्मू और काश्मीर विधान सभा में कांग्रेस (इ) के नेता मौलवी इफ्तिखार अंसारी का रिकार्ड क्या है ? क्या कोई व्यक्ति मेरे इस आरोप से इंकार कर सकता है और कह सकता है कि वह शिया धर्म में विश्वास रखते हैं और खुमैनी के अनुयायी हैं कुछ महीने पूर्व जम्मू और काश्मीर विधान सभा के हाल में हुए सत्र के दौरान यह रिकार्ड में है कि उन्होंने स्कूलों के लिए रखे गए अनुदान को समाज योजना कल्याण योजनाओं में आयोग में लाने के लिए डा. अब्दुल्ला पर प्रहार किया और उन्हें बुरा-भला कहा। उनके अनुसार इससे काश्मीर का युवा वर्ग भौतिकवादी हो गया। वर्ष 1968 में शेख अब्दुल्ला द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में जिसमें जयप्रकाश नारायण भी उपस्थित थे मौलवी इफ्तिरवार अंसारी नामक इसी व्यक्ति ने शेख अब्दुल्ला और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की उपस्थित में भाषण दिया और अपने भाषण को वितकिया यदि आप चाहते हैं तो मैं अवलोकन के लिए उनके भाषण की एक प्रति दे सकता हूं। उस भाषण में उन्होंने दावा किया कि काश्मीर के भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ गहरे सम्बन्ध थे। वह व्यक्ति अब वहां पर कांग्रेस (इ) दल के नेता हैं। इसी सम्मेलन में स्वयं शेख अब्दुल्ला ने उन्हें डांटा-फटकारा था। ये बातें रिकार्ड में हैं। वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और पाकिस्तानी समर्थक तत्वों के बारे में बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी तत्व कौन से हैं ? क्या आप इसके बारे में जांच-पड़ताल करेंगे ? अब आप एक ऐसे व्यक्ति की राष्ट्र-विरोधी भूमिका की बात करते हैं जिनके देश के अन्य भागों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया था और काश्मीर में धर्म-विरपेक्ष राजनीति को फिर से जीवित करने और काश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया था। सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रों में धार्मिक रुढ़िवादिता एक आम बात हो गई है चाहे वह सिख हो अथवा मुसलमान हों। लेकिन आप किस प्रकार की धार्मिक रुढ़िवादता का उल्लेख कर रहे हैं ? जिससे आपका प्रयोजन हल होता है तो आप शिया के विरुद्ध सुन्नी, हिन्दू के विरुद्ध सिख और एक जाति के विरुद्ध दूसरी जाति का उल्लेख कर सकते हैं।

एक मूल प्रश्न सामने है जिसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। आरोप है कि इस सरकार और पार्टी की नीति एक नए नारे 'अनेकता में एकता नहीं अपितु समानता में एकता और एक व्यक्ति तथा एक परिवार के प्रति निष्ठा के हित में राष्ट्र को अस्थिर करना है। इस प्रकार आजकल बहुसंख्यक समुदाय में औछे संदेहों की अपील करके तथा अशाँति का वातावरण उत्पन्त करके धार्मिक और भाषायी अल्पसख्यकों को मुख्यधारा से धकेला जा रहा है। अब मेरा गम्भीर आरोप है कि आप एकता और सुरक्षा के आधार का महत्व कम कर रहे हैं जिनकी सेवा करने का आपने दावा किया है। आपने इस देश को पीछे धकेल दिया है तथा धर्म-निरपेक्ष सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति और इसके संवैधानिक ढांचे के महत्व को कम कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से चाहुगा कि वह समय के मामले में मुझे सहयोग दें। मैं इसे किस प्रकार आगे ले जा सकता हूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पीठासीन अधिकारी से चर्चा के अंतिम चरणों के अन्त में इस प्रकार की अपील सुनने के अभ्यस्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी अपीलें हमेशा होती हैं। ये केवल नेताओं को ही हमेशा सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कम से कम आप हमें बता सकते हैं कि क्या यह वाद-विवाद आज पूरा होना है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसे आज पूरा किया जाना है । मैं इसे कल तक नहीं ले जा सकता ।

प्रो. मधु दण्डवते : अत: आपका आशय है कि हमें छह बजे के बाद बैठना है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हमें बैठना है और मेरे विचार से सदन की सर्वसम्पति मेरे साथ है । ताली दोनों हाथों से बजती है एक हाथ से नहीं ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, जहां तक इस मामले के संवैधानिक और कानून पहलुओं का संबंध है हमने बहुत से लम्बे और अच्छे भाषण सुने हैं । अत: यह मामला या तो उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जायेगा । स्वयं को बड़े कानूनी विद्वान मानने वाले सदस्यों ने भी संवैधानिक और कानूनी स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर इस सदन में लम्बे भाषण दिये हैं । मैं एक वकील नहीं हूं और नाही मेरा विचार अब इन पहलुओं की जांच करना है अथवा दोहराना है जो कि पहले कहा जा चुका है । लेकिन मैं श्री अशोक सेन की बात सुनकर हैरान हुआ हूँ जो कि वस्तुत: एक कानूनी विद्वान है । उन्होंने ऐसी दलील दी है जैसे कि उन्हें इस बातकी जानकारी नहीं है जो कि स्पष्टतया उन्हें नहीं है कि जम्मू और काश्मीर में पूरी तरह से पृथक संविधान और एक पृथक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है । पश्चिम बंगाल से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, इस बारे में हमें बताने का क्या लाभ है ? तथ्य यह है कि यह मामला किलकुल अलग है । हम यहां पर पूरी तरह से पृथक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के आधार पर बहस कर रहे हैं जो केवल जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू होता है । अत: मेरे विचार से वह जो कुछ कह रहे थे, वास्तव में तर्कसंगत नहीं है मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल अपना इरादा बनाकर हमें बतायें कि क्या दल-बदल करने वाले इन सदस्यों को वास्तव में नेशनल कांफ्रेंस से दल-बदल करने वाले सदस्य के रूप में माना जायेगा अथवा क्या वे एक अलग ग्रुप के रूप में नेशनल कॉंफ्रेंस में ही रहेंगे, क्या ऐसा है ?

गृह मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है आप उनसे पूछें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं किससे पूछूं, वे उत्तर देने के लिए यहां पर नहीं हैं । मैंने निर्णय नहीं देखा है लेकिन सदस्यों ने यहां पर इसका उल्लेख किया है और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने माना है कि वे दल-बदलू नहीं हैं क्यों कि यह पार्टी के अन्दर ही केवल विभाजन हैं और जिसका श्री सेन ने बड़े पैमाने पर कहा है यदि उन्होंने पूरी तरह से एक नई पार्टी का गठन किया होता अथवा इसकी स्थापना की घोषणा की होती तो वास्तव में वे इस दल विरोधी कानून की पकड़ में आ जाते । इस बारे में दो राय नहीं हो सकती । अत: शायद उनके सलाह-कारों ने उन्हें ठीक सलाह दी कि वे ऐसा न करें । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे अभी भी

नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य हैं। वास्तव में वे कह रहे हैं कि वे असली नेशनल कांफ्रेंस हैं डा. फारूक साहब की जो नेशनल कांफ्रेंस है, वह नकली नेशनल कांफ्रेंस है।

राज्य विधान मंडल की पार्टी में इसके अन्दर ही विभाजन होने पर और किसी के दल-बदल न करने तथा पूरी तरह से कोई अलग नई पार्टी न बनाए जाने पर क्या होता है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह 1979 में हुआ था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं 1979 में यहां पर नहीं था। आप हमेशा वर्ष 1978 और वर्ष 1979 का उल्लेख करते रहते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अन्य व्यक्ति तो थे। आप उनकी मौजूदगी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे क्या होता है ? नेशनल कांफ्रेंस की कोई विधान मंडल की पार्टी है अथवा नहीं ? और इसके बाद शुरू में क्या हुआ ? हम लगभग 12 सदस्यों की बात कर रहे हैं जिन्होंने सर्वप्रथम फारुक के नेतृत्व में छोड़ दिया था इन 12 सदस्यों से केवल 9 व्यक्ति ही राष्ट्रीय कांफ्रेंस के सदस्य थे ; दो मनोनीत सदस्य थे और एक निर्दलीय सदस्य था। शुरू में केवल 9 सदस्य थे। वास्तव में बाद में 3 अथवा 4 और आ गये थे। जिसे श्री सेन ने बड़े पैमाने पर कहा जब कि आज भी नेशनल कांफ्रेंस की विधान मंडल की पार्टी के अन्दर अधिकांश बहुमत श्री फारूक अब्दुल्ला के साथ है और न कि श्री जी. एम. शाह के साथ। यह केवल आपकी पार्टी है जो इसे बढ़ा-चढ़ा कर बता रही है। यह बड़े पैमाने पर है, मैं तो ऐसा नहीं देखता हूँ। अल्पसंख्यकों ने कहा है कि वह श्री फारूक अब्दुल्ला का समर्थन नहीं करते हैं जबकि भारी बहुमत राज्य विधान मंडल की पार्टी के साथ रहा है। वास्तव में इन स्थितियों में राज्य विधान मंडल पार्टी की बैठक करना और यह निर्णय लेना कि नेता कौन होना चाहिए, संभव नहीं था लेकिन बाहर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बढ़ावा दिया और इस प्रकार यह कृत्रिम बहुमत हुआ।

श्री बूटासिंह : पंजाब में क्या हुआ ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं तथा विभिन्न मामलों में किन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहते हैं। सिक्कम में आपने एक ऐसे मुख्य मन्त्री को बर्खास्त कर दिया जिसे अभी भी 28 कांग्रेस विधायकों में से 18 विधायकों का समर्थन मिल रहा था।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने बहुमत खो दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पंजाब में हांलाकि मुख्य मन्त्री का विधान सभा में बहुमत था, तो भी उन्हें हटा दिया गया।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उन्होंने त्याग-पत्र दिया है।

श्री इन्जीत गुप्त : यदि उन्होंने त्याग-पत्र दिया है तो आपका बहुमत होने पर एक नया मुख्य मन्त्री क्यों नहीं चुना जा सका ? हम यहां पर ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो अपना बहुमत खो चुके हैं।

श्री बूटासिंह : आपको मालूम है कि श्री गुरुनाम सिंह का क्या हुआ....(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ओह ! आप गुरुनाम सिंह पर पहुंच गये। मैं असहाय दरबारा सिंह की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी का विधान सभा में बहुमत था। पंजाब के राज्यपाल ने आपको कोई रिपोर्ट नहीं भेजी कि वहां कानून और व्यवस्था सत्म हो गई है और पंजाब में संविधान के अनुसार सरकार को चलाना समव नहीं है...(**व्यवधान**) आप किन सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं। कृपया हमें बतायें।

अब मैं श्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इसे निजी मामला नहीं बनाना चाहता हूँ। कुछ व्यक्ति पूरी चर्चा को एक विशेष व्यक्तित्व के मामले के रूप में बदलने पर तुले हुए हैं। मेरे विचार से यह एक कारण है कि समाचार-पत्रों के कुछ वर्गों ने जो मैं आज पढ़ रहा था इस सदन की कल की कार्यवाही को सारहीन बताया है जिसमें यह उल्लेख है कि सैर-तमाशे कौन करता था, कौन किसके साथ मोटर साइकिल पर सवारी करता रहा। उच्च स्तर और स्वरूप की कुछ राजनीतिक चर्चा है। मेरा कहना है कि आपको एक बात का निर्णय करना है। यदि आप आश्वस्त थे कि श्री फारूक अब्दुल्ला अलहगाववादी राष्ट्र विरोधी नीतियों का अनुशरण कर रहे थे, जैसाकि यहां पर बहुत से सदस्यों ने बताया है, और आपके पास इसका प्रमाण था तो उन्हें पद से बर्खास्त करना आपका कार्य था। उन्हें इस आधार पर ही बर्खास्त कर देना चाहिये कि वह राष्ट्र-विरोधी अलगाववादी गतिविधियों और नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन आपके पास प्रमाण नहीं था। इस लिए आपने यह तरीका नहीं अपनाया। आपको कुछ करना था जो हम देख चुके हैं कि यह किस प्रकार किया गया। मुझे श्री फारुक अब्दुल्ला के लिये दुख है कि वह शायद इन मामलों में नौसिखिए हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 12 अथवा 13 सदस्य उन्हें छोड़ रहे हैं उनके लिए यह अचानक हुआ। वह प्रात: थोड़ी देर से उठे। इससे पहले ही 5.30 बजे प्रात: कुछ हो चुका था।

एक माननीय सदस्य : वह देर से सोये थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हो सकता है कि वह देर से सोये हों। लेकिन मैं यहां पर मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वे किस समय सोते हैं **(**व्यवधान**) क्या आप वाद-विवाद का स्तर इस हद तक गिरा रहे हैं ? क्या चर्चा करने का यही तरीका है ? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : हमें उनसे यह आशा नहीं थी।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आपके पास राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों का प्रमाण हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गुप्ता से सहमत हूं। किसी के बारे में किसी भी समय व्यक्ति. गत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आप से सहमत हूं। मैं अपने मित्रों को यही बता रहा हूं। किसी व्यक्ति के विरूद्ध कुछ कहा जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह कहा हूँ कि यदि राष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादी गतिविधियों के बारे में सबूत दिये होते जिससे आपके द्वारा उनकी सरकार बर्खास्त किये जाने का औचित्य सिद्ध हो जाता तो सम्पूर्ण देश आपके साथ होता। परन्तु आपने यह रास्ता नहीं अपनाया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि दल-बदलुओं को खरीदने और बेचने का खेल अनैतिक है परन्तु फिर भी इसे देश के उन राज्यों में बरदाश्त किया जा सकता है जो सीमा से बहुत दूर हैं परन्तु जब हमें यह पता हो कि सीमा की दूसरी ओर क्या हो रहा है - पजाब पर चर्चा के दौरान भी मैंने यही बात कही थी—और फिर भी सीमावर्ती राज्य में हम इसे बरदाश्त करें तो इसका अर्थ होगा कि आप आग से खेल रहे हैं, आप देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं, यद्यपि आप यह कहते हैं कि आप यह सब देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमें काश्मीर में इसी नीति का पालन करना है जिसके परिणामस्वरूप घाटी के अधिकाधिक लोगों को उन लोगों के हाथों में सौंपना है जो पाकिस्तान समर्थक हैं और पृथकतावादी हैं तथा घाटी में कार्यरत हैं ? प्रत्येक व्यक्ति उनकी उपस्थिति से अवगत है। क्या आप उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं ? क्या आप घाटी के सोगों को केन्द्र से अधिकाधिक दूर रखना चाहते हैं अथवा आप कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जिससे वे लोग हमारे और अधिक निकट आ जाएंगे और हम से दूर नहीं होंगे ? जिस घाटी में आप यह सब कर रहे हैं, वहां क्या स्थिति है ?

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है श्री मीर कासिम ने कुछ कहा था जिसका मैं यहां उल्लेख करने जा रहा हूं। निस्सन्देह, मैं उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हूँ परन्तु मैं पक्ष-दृष्टि से यह अश्वय कहूंगा। वे सुझाव दे रहे थे—और मेरे विचार में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से कई बार प्रस्ताव किया था और मैंने स्वयं उनसे सुना भी था कि शेख अब्दुल्ला अब जीवित नहीं हैं, उनका पुत्र निस्सन्देह शेख अब्दुल्ला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इससे अवगत है। परन्तु वह नेता है और चुनाव जीतने के बाद मुख्य मंत्री बन गया है। उन्होंने कहा वह अपरिपक्व और अनुभवहीन है। वह कई प्रकार के दबावों में आ सकते हैं विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि चुनावों के बाद केन्द्र की ओर से एक बहुत बड़ा प्रचार आन्दोलन आरम्भ किया गया था कि वह राष्ट्र विरोधी हैं

आदि-आदि। श्री मीर कासिम बार-बार यह कह रहे थे कि इस फारुख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस के लिए काश्मीर में अकेले स्थायित्व प्रदान करना बहुत कठिन होगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी यदि यह सोचती है कि वह उपेक्षा द्वारा इतिहास के पृष्ठों, उस नेशनल कांफ्रेंस का नाम मिटाकर, जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और देश-भक्ति, धर्मनिरपेक्षता, साम्राज्य-वादी विरोध का और भारत के साथ एकता बनाए रखने का शानदार रिकार्ड रहा है, जो शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित किया गया था, वह अब यहां न हो, परन्तु वे परम्पराएं और वह इतिहास मौजूद है, वहां जाकर शासन कर सकती है तो यह भी संभव नहीं है और श्री मीर कासिम यह वकालत कर रहे थे कि उनकी हालत के बारे में यह राय थी कि इन सभी स्थितियों में काश्मीर में स्थायित्व तभी आ सकता है जब नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में परस्पर समझौता हो जाए और एक दूसरे से सहयोग करें। उनके अनुसार अन्य कोई ढंग नहीं है। महोदय, अब क्या हो रहा है ? अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि श्री फारुख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस पार्टी कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहती है। क्यों ? क्योंकि वे चुनावों में कांग्रेस को अधिक स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं नहीं जानता, कौन ? परन्तु इसके साथ ही कांग्रेस उसी नेता ने मुझे बताया कि घाटी में 25 स्थानों में से, परस्पर यह तय हो गया था कि छः स्थान कांग्रेस को दिए जाएंगे और शेष 19 नेशनल कॉफ्रेंस के पास रहेंगे। परन्तु एक दूसरे नेता और बड़े नेता ने मुझे बताया कि हम इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचे जब स्थानों के बंटवारे पर चर्चा की गई हो। सारी समस्या यह थी कि वह कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे और इसलिए हम यह राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं नहीं जानता कि ठीक स्रोत क्या है। मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि क्या यह घाटी में स्थानों के वितरण के कारण टूट गई अथवा वह कांग्रेस को बिल्कुल समाप्त करने की एक चाल थी अब क्या हो रहा है ? अब शासक दल द्वारा नेशनल कांफ्रेंस को समाप्त करने का दिल्ली में प्रयास किया जा रहा है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुन्टूर) : नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह और क्या है ? प्रत्येक ने इसका यही अर्थ लिया है। काश्मीर के अधिकांश लोगों ने भी इसे इसी प्रकार समझा है और इसी कारण इतनी घटनाएं हो रही हैं। जब विधान सभा में यह नाटक खेला जा रहा था तब सारा श्रीनगर कर्फ्यू और वह भी अनि-श्चितिकालीन कर्फ्यू की लपेट में क्यों था ? और अब भी, मुझे पता चला है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीनगर के लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं। क्यों ? उन्हें अपने घरों में बन्द रहने के लिए क्यों विवश किया गया है ? इस प्रकार ईश्वर के नाम पर देश की सुरक्षा के बारे में सोचिए जो काश्मीर की सुरक्षा पर निर्भर करती है। यदि आप वहां स्थिरता चाहते हैं तब नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस को समाप्त करने के प्रयास और कांग्रेस के नेशनल कांफ्रेंस को समाप्त करने का प्रयास से केवल उन लोगों को सहायता मिलेगी जो काश्मीर में अस्थिरता पैदा करने पर तुले हुए हैं जो वास्तव में पाकिस्तान समर्थक और पृथकतावादी हैं। इससे किसी को लाभ नहीं होगा। दुर्भाग्यवश, अपनी पार्टी के सदस्य के रूप में मैं यह कहूंगा कि इस समय वहां केवल दो शक्तियां हैं और ये दोनों एक अत्यन्त विलक्षण खेल, खेल रहे हैं और काश्मीर तथा देश के हित को पूर्णतया भूल गए हैं। आप नेशनल कांफ्रेंस

को केवल इसलिए समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उसमें शेख अब्दुल्ला नहीं है। वहां के लोगोंके हृदय में नेशनल कांफ्रेंस। इसके ध्वज, इसकी परंपराओं, इसके इतिहास का कुछ स्थान है। आप इसे इस प्रकार मिटा नहीं सकते। यदि आप यह कहते हैं कि "नहीं, फारुख अब्दुल्ला के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वह एक अक्षम अथवा अकुशल अथवा कमजोर प्रशासक थे, वह जान-बूझकर कोई भी राष्ट्र-विरोधी कार्य नहीं कर रहे थे परन्तु वह एक अत्यन्त कमजोर अक्षम प्रशासक थे और इसलिये हम उन्हें हटाना चाहते थे।" यह एक भिन्न बात होती। परन्तु अपने ऐसा नहीं कहा और उन्हें हटाने का तरीका भी ठीक नहीं था। अब आप चाहते हैं कि काश्मीर में उप जी. एम. शाह का हुक्म चले जो 1950 और 1960 के 'जनमत-संग्रह मोर्चे' के सक्रिय समर्थक थे। क्या आपके अभिलेखागार में श्री जी. एम. शाह पर फाइलें उपलब्ध नहीं हैं? क्या मैं यह गलत या झूठ कह रहा हूं कि 1950 और 1960 के दशक में श्री जी. एम. शाह जनमत-संग्रह मोर्चे के कट्टर समर्थक थे? क्या यह सच नहीं है कि विधान सभा में आपकी पार्टी के नेता श्री अंसारी जनमत-संग्रह मोर्चे के एक कट्टर समर्थक थे और बाद में वह जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और अब वह विधान सभा में आपके नेता बन गये हैं? इन लोगों के सहारे आप आज जम्मू और काश्मीर में स्थिर प्रशासन प्रदान करने की आशा रखते हैं जबकि सीमा पार सभी प्रकार की शक्तियां हमारे विरुद्ध षडयन्त्र रच रही हैं और संभवतः इससे भी अधिक कुछ करने का प्रयास कर रही हैं। आज पंजाब और काश्मीर की यह दुःखद स्थिति है। इसमें कई लोगों का हाथ है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी है। परन्तु सबसे बढ़कर पंजाब और काश्मीर की दुःखद स्थिति यह है कि वहां जो कुछ हो रहा है उससे उन राज्यों के लोगों की एकता कमजोर होगी और इससे अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों को सहायता मिलेगी। यदि यह सीमा से कुछ मील इधर हुआ होता तो इसे सहन किया जा सकता है। परन्तु आज बहुत-सी बातें कही गई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी सभा मे कभी भी दल-बदल विरोधी विधेयक नहीं लाएगी। दल-बदल के लिए इतनी अधिक बोली लगाई गई है। दल-बदल को गौरवमय बनाया जा रहा है और इसे श्रेष्ठ दर्जा दिया जा रहा है जिससे सिद्ध किया जा सके कि दल-बदल सिद्धान्तों के अनुरूप है और लोग विचारों और नीतियों में बुनियादी मतभेद के कारण दल-बदल कर रहे हैं। देश में दल-बदल को और प्रोत्साहन देने का और उसका मुकाबला करने का यह तरीका है। आप किन्हीं घृणित तरीकों से किसी दिन पश्चिम बंगाल सरकार को उखाड़ने में सफल हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। परन्तु आप दल-बदल कराकर ऐसा नहीं कर सकेंगे। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं कि कभी भी नहीं करा सकते। केरल में 1957 में जब पहली साम्यवादी सरकार बनी थी हमें दो या तीन सदस्यों से बहुमत प्राप्त था और दो वर्षों तक उन्होंने किसी न किसी प्रकार दो या तीन सदस्यों को तोड़ने का प्रयास किया ताकि मंत्रिमण्डल का पतन हो जाए। परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि यह साम्यवादी सरकार थी। आप पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कर सकते यद्यपि अन्य किसी गलत तरीके से आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं, मैं यह नहीं जानता हूं कि आप कौन-सा तरीका अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इस प्रकार दल-बदल को गौरवमय मत बनाइये। लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए दल-बदल किया। उन सब को अगले ही दिन पुरस्कारस्वरूप मंत्री पद मिल गया। क्या उन सबको मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री बनाया जाना घृणास्पद और घिनावना नहीं है? अचानक वे लोग, जिन पर सरकार चलाने के लिए निर्भर कर रहे हैं, अत्यधिक सक्षम प्रशासक, विश्वसनीय और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति

बन गए हैं। वह सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की दया पर निर्भर है, चलेगी नहीं। मैं भविष्य के प्रति और भी आशंकित हूं कि यदि किसी अवस्था में गुलशाह सरकार न चला सके या अपने समर्थकों से उनकी न बनी तो केवल एक ही विकल्प रह जाएगा कि पूर्णतया कांग्रेस सरकार सत्ता में आए जो कि जम्मू और काश्मीर के हालातों और ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि और परम्पराओं को देखते हुए विनाशकारी होगा। सम्पूर्ण काश्मीर के लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, इससे केवल सीमा-पार की शक्तियों को सहायता मिलेगी। कृपया लोगों के भाग्य के साथ शतरंज का खेल न खेलें।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर द्वारा सिद्धान्तों और नीतियों का जहां तक प्रश्न है वाद-विवाद का एक उच्च स्तर बनाए रखेंगे और इसे उस स्तर तक नहीं लाएंगे जिसमें कौन सैर-सपाटा करने जा रहा है, कौन शिकार करने जा रहा है और कौन मोटर साइकिल पर चढ़कर घूमने जा रहा है आदि-आदि। हम यहां इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

मैं श्री फारुख अब्दुल्ला को शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। कि व्यक्ति होने के नाते वह कई मामलों में ढुलमुल, कमजोर और अक्षम हो सकते हैं। कुछ मामलों में वह अविश्वसनीय भी हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मश्मीर के सम्बन्ध में आपकी राजनैतिक नीति क्या है? आपका क्या करने का विचार है?

पंजाब में आपने जो कुछ किया आपके पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था, फिर भी आप उससे बच सकते थे। हमने उसे समाप्त कर दिया। लेकिन अभी भी आप वहां बड़ी परेशानी में हैं। पंजाब में कोई समाधान नहीं किया गया है। वह हमारा सामरिक महत्व का एक बड़ा सीमावर्ती राज्य है, जिसके 1 लाख लोग अभी भी सेना में हैं। हम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है?

जबकि इस समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी है और वे इसका हल करने में समर्थ नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि सरकार को कम से कम हमें यह बता देना चाहिए कि कश्मीर के भविष्य के बारे में उनकी नीति क्या है और क्या वे नेशनल कांफ्रेंस को समाप्त करना चाहते हैं? यदि वे ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस देश का न कोई भविष्य है और न हो इसकी सुरक्षा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डोगरा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेआली, मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। इन्द्रजीत गुप्ता जी की तकरीर मैंने सुनी। उनको जो तमाम वाकयात सुनाए गए हैं, वे सही होते तो मैं उनसे इत्तफाक करता। मैं उनकी इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि प्रिंसीपल के लेवल पर डिबेट जानी चाहिए। इनको जो बताया गया है मीर कासिम साहब ने मैडम को कहा कि डा. फारुक अनाडी हैं, कांग्रेस को उसका हाथ पकड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस

और नेशनल कांफ्रेंस दोनों जमायते कश्मीर में हैं और दोनों सैकुलर हैं और प्रोइन्डिया हैं। और कांग्रेस की इनसे सुलह हो चुकी है, पता नहीं ये किस जमाने की बात करते हैं। कम से कम हमारे युग की तो बात नहीं है। आखिरकार हम भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। फारूख साहब के वक्त में क्या हुआ, यह हमें पता नहीं है। मैं गुप्ता जी को दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। एक तो वाकया यह है कि 14 जनवरी को 9 आदमी को मारे गए, शहीद हुए, सब के सब मुसलमान थे। 14 जनवरी को सैकड़ों आदमी जख्मी हुए, जेल गए, जिनको सिग्रेट के टुकड़े लगाए गए, वे सब के सब मुसलमान थे। उनका कुसूर केवल यह था कि वे "हिन्दुस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगा रहे थे। यह सब फारुख अब्दुल्ला का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जितनी बातें आपने कहीं हैं, उनके बारे में। आपने कहा है कि शेख अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर थे। इससे इन्कार नहीं है। नेशनल फ्रन्ट के प्रेसीडेंट नहीं बने, बेग साहब प्रेसीडेंट थे। शाह साहब नेशनल फ्रन्ट में नहीं थे, यह बात दुरुस्त है। शाह साहब और बट्ट साहब को छोड़कर बाकी सब के सब कांग्रेस में आ गए। वह नेशनल काफ्रेंस जो थी, वह अरलियर स्टेट पीपल्स नेशनल काफ्रेंस का हिस्सा थी, जिसमें वे आ गए। कान्कलेव की भी आप लोग बात करते हैं। मैं समझता हूं इससे एन्टी सोशल एलीमेंट्स को एन्करजेमेंट मिला। क्रिकेट मैच के समय क्या हुआ, यह आप सब जानते हैं। उसको रोकना जरूरी था। फारूक साहब को कहा गया कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि बुझदिल हो, क्या कर रहे हो? गुप्ता जी अभी कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि उनको किसके साथ मिलकर रहना चाहिए। यह एक सियासी मसला है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। यह बात नहीं भूल सकते कि जब पहली दफा कांग्रेस ने इलैक्शन लड़ा तो कश्मीरी मुसलमान हिन्दुस्तान में बोट देने और लेने के लिए आए। जो थीसीस बहुत से लीडर देते रहे, वह हिन्दुस्तान के हक में नहीं है। काश्मीर की एक ट्रेडीशन रही है। बुद्ध के पीरियड से लेकर कश्मीरी मुसलमान सेक्युलर और देशभक्त रहे हैं। काश्मीर के मुसलमानों ने 1947 में पाकिस्तान के हमले से हिन्दुस्तान को बचाया है। काश्मीर के मुसलमानों ने सन् 65 में भी हिन्दुस्तान को बचाया, जिसका जिक्र अभी सेन साहब ने भी किया था। काश्मीर के मुसलमानों ने 1971 में इन्फीलट्रेटर्स को पकड़ा और आर्मी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया। जनरल मुसा ने सम 65 के जिबराल्टर आंपरेशन के बाद एक किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है कि काश्मीर के मुसलमानों ने को-आपरेट नहीं किया जिसकी वजह से हम लोग फेल हो गए। वह सब कुछ इन्हीं के जमाने में हुआ। जेठमलानी साहब पबलिक मोरेलिटी की बात कर रहे थे। जम्मू-काश्मीर असेम्बली का सेपरेट कास्टीच्युशन है और उसके तहत ही वह काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि उसको किस तरह से डिसकस कर सकते हैं। पब्लिक मोरेलिटी इसमें इन्वाल्वड है तो फिर उसको डिसकस ही नहीं कर सकते हैं। मैंने, श्री बी.के. नेहरू को कहा था, जब 14 तारीख को लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनको गिरफ्तार किया गया, अगर मैं गवर्नर होता तो 15 तारीख को ही उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता। अगर, होम-मिनिस्टर होता तो आपको भी रिमूव कर देता। मैं नहीं देखता कि कौन क्या कहता है क्योंकि इसमें हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी और लोगों की भलाई का ताल्लुक है। हमें मालूम है कि किस तरह से वहां एडमिनिस्ट्रेशन को खराब किया गया? दूसरे की तकलीफ को सिर्फ लैक्चर देकर ही तसल्ली नहीं दी जा सकती।

हमारे जमाने में जितना रुपया वहां आया, उतना कभी नहीं आया। लेकिन कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। न तो सड़कें बनी, न किसी को नौकरी मिली और न किसी को कारोबार के लिए मदद मिली। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट नहीं, कोई एग्रीकल्चरल डैवलपमैंट नहीं और इस तरह का कोई दूसरा विकास नहीं। जब लोग डिमाण्ड करते हैं तो उनको सताया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और दूसरी किस्म की तकलीफ दी जाती है और यहां आकर लैक्चर दिए जाते हैं। मुझे पता है और मैं जानता हूं कि सोज साहब की कान्सटीट्एंसी में क्या हुआ··· (व्यवधान)··· सोज साहब की कान्सटीटूऐन्सी में एक एस. एच. ओ. ऐसा था, जिसने कहा था कि मैं इसकी लड़की को लबे सड़क खराब करूंगा, इसने हिन्दुस्तान जिन्दाबाद कैसे कहा। हमारे कहने के बावजूद भी फारूख साहब ने उसको ट्रांसफर नहीं किया। फिर भी हमारे साथी यहां कहते हैं कि हमने गलत काम किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिए था उसमें तो हमारी यह कमजोरी रही कि हमने उसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, जम्मू-कश्मीर सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। हमारे एक साथी ने बिल्कुल ठीक कहा।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि गवर्नर ने वहां जो एक्शन लिया, वह अकार्डिंग टू दी कांस्टीट्यूशन था। ऐसी बात नहीं है, जैसा जेठमलानी जी कह रहे थे। उसका ड्राफ्ट तो सुन्दरम साहब के जमाने में बना। इसलिए जैसा मैंने कहा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे तो ज्यादा बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन आप बाधा जरूर डाल रहे हैं। आप बैठिए।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यहां पर सैक्शन 92 और सैक्शन 36 का जिक्र आया। उसको ड्राफ्ट में सुन्दरम साहब ने इसलिए रखा कि कहीं कोई एक्शन लेना हो, किसी चीज के मुताबिक गवर्नमैंट को डिसमिस करना हो तो उसको पूछा जाएगा। लेकिन कौन इतनी गहराई में जाकर देखेगा कि गवर्नमैंट ने मैजोरिटी लांस्ट कर दी है, कौन सी सरकार वहां बन सकती है, किस सरकार को बर्खास्त किया जाए, किस को नहीं। जब उनके सामने सैक्शन 36 का रैफरैंस दिया तो गवर्नर साहब ने वहाँ नई गवर्नमैंट बना दी जो कि पूरी तरह से कांसटीट्यूशन के मुताबिक है। मैं नहीं समझता कि आपने क्यों दोनों बातों को आपस में जोड़ा है। मगर यह बात कही जा सकती है, जैसा उन्नीकृष्णन साहब ने कहा कि एल. के. झा. जी ने ज्यादती की। लेकिन उस वक्त यहां पर चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे और उन्होंने ही उसको डिसमिस करवाया··· (व्यवधान)···क्योंकि आपने वीकनैस बताई इसलिए मुझे कहना पड़ा।

वैसे मैं इस बात की तह में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहां पर पहले ही काफी बातें हो चुकी हैं। वहां इलैक्शन्स हुए, उनके रिजल्टस भी आये, और सारा कुछ हुआ। यह भी ठीक है कि जब शेख साहब जिन्दा थे तो उनको भी वोट मिलते थे। यह कहने की बात नहीं है कि उनको वोट नहीं मिलते थे। बावजूद इस बात के कि कश्मीर का मुसलमान सैकूलर है और वह शेख साहब की बड़ी इज्जत करता था। उनको अपना लीडर समझता था।

यहां पर यह भी कहा गया कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने वहां इंटरफीयर किया। लेकिन यह बात गलत है, सैन्ट्रल गवर्नमैंट के कहने पर वहां के गवर्नर ने एक्ट नहीं किया, या सैन्ट्रल हाई कमान के कहने पर भी नहीं किया, बल्कि वहां की कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद इसलिए की कि जब उन्होंने देखा कि ऐसी हकूमत से छुटकारा मिलना चाहिए जो लोगों को बिलावजह तंग करती है, लोगों को जलील करती है, जो रुपया जाया करती है, लोगों को बरबाद करती है, लोगों को खराब करती है। इसीलिए उन्होंने उसको बदल दिया। और उसके कारण ही वहां ऐसा हुआ, जिस पर हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं।

बजाए सही एक्शन को क्रीटिसाइज करने के यदि आप हमें एडवाइज करते कि हम किस तरह से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बैटर बना सकते हैं, हमें किस तरह से फंक्शन करना चाहिए ताकि वहां के हालात को ठीक किया जा सके, हम सब यहां इकट्ठे होकर इस बात पर डिस्कशन करते तो शायद किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता था। लेकिन हर बात पर गवर्नमैंट को क्रीटिसाइज करने से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं होता। उसके बजाय आप लोग तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से सैन्ट्रल गवर्नमैंट को और प्राइम मिनिस्टर को इन्वाल्व किया जाए। लेकिन इस तरह करके कुछ निकलने वाला नहीं है। इस तरह से यदि आप कहें कि हम पैट्रियट हैं तो वह पैट्रियटिक चीज नहीं है। यदि आप ठन्डे दिमाग से सोच करके हमारे होम मिनिस्टर को या हमारी प्राइम मिनिस्टर को कोई तरीका बताते कि इस तरह चलने से देश का फायदा होगा तो वह ज्यादा हमारे हित में होता, देश के हित में होता। मैं फिर आपसे चाहता हूँ कि इस तरह की बहस करने के बजाए आप कोई ऐसा तरीका निकालें ताकि आइन्दा के लिए हमारा जम्मू और कश्मीर मजबूत हो सके, पंजाब मजबूत हो सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री दंडपाणि।

श्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी (नरसारावपेट) : सदन की बैठक कब तक चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होता है। हमने वह निर्णय कर लिया है। मुझे सदन की सहमति मिल गई है।

श्री सी टी. दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, माननीय गृह मन्त्री ने कल इस तर्क की पुष्टि की थी कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने सांविधानिक उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है और उन्होंने भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही कार्य किया है।

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान सभा के वाद-विवादों में सदस्यों ने राज्यपाल की भूमिका और अधिकारों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और मैं उन्हें दोहराना चाहता हूं।

डा. अम्बेडकर ने अपनी टिप्पणी में कहा :—

"मेरे मतानुसार राज्यपाल के कर्त्तव्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक यह कि उसे सरकार को बनाए रखना है और चूंकि सरकार को उनके प्रसाद पर्यन्त बने रहना है, उन्हें देखना होगा कि क्या या कब सरकार के विरुद्ध अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राज्यपाल का दूसरा कर्त्तव्य है सरकार को परामर्श देना, उसे चेतावनी देना, तथा विकल्प का सुझाव देना तथा पुनः विचार करने के लिए कहना।"

47 वर्ष पहले 1937 में जो कुछ हुआ, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई और उन्होंने एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी, जिसका राज्यों में बहुमत है, द्वारा बनाई गई सरकार स्वीकार करते हैं बशर्ते कि राज्यपाल यह आश्वासन दे कि वह सरकार के रोजमर्रा कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सरकार के विरुद्ध वह अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे।

इसी तरह, विशेष रूप से मेरे अपने राज्य में, जब तत्कालीन राज्यपाल ने राजा जी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया था। राजा जी ने वह निमन्त्रण स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि राज्यपाल ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने विषकाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। तब राज्यपाल के राज्य सचिव ने एक पत्र लिखा और 25 मार्च, 1937 को एक वक्तव्य दिया। सरकार ने मद्रास विधान मन्डल में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राजागोपालाचारी को उन्हें सरकार बनाने में सहायता देने के लिए आमन्त्रित किया। श्री राजगोपालाचारी ने अपने प्रथम साक्षात्कार में यह संकेत दिया कि वह यह निमत्रण तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक राज्यपाल द्वारा यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि वह अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा अथवा वह कार्य नहीं करेगा जो कि कानून उनके विवेक अथवा स्वनिर्णय पर छोड़ दिए गए हैं।

यहां तक कि 31 अप्रैल, 1937 को पूछ में गांधी जी ने भी कहा :

"कांग्रेस द्वारा कार्यभार संभाले जाने से पहले मैं एक आश्वासन चाहता हूं जो कि राज्यपालों की शक्तियों के बारे में है कि वे प्रदेशों के दिन-प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

गांधी जी की कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल द्वारा जब तक यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वह सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल का अधिकार, जो कि अंग्रेजों द्वारा 1935 के अधिनियम में सम्मिलित किया गया था, लोकतन्त्रीय प्रक्रिया के विरूद्ध है।

6.00 म.प.

वर्तमान कांग्रेस का दावा है कि सरकारी पक्ष के कांग्रेस-आई, के सभी वक्ताओं ने कहा

है कि राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। वर्तमान कांग्रेस की नीति यह है। मैं यह नहीं समझ सकता।

जम्मू के मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि 1983 में श्रीनगर में हुए सम्मेलन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने के बारे में चर्चा की गई। मैं भी उस सम्मेलन में भाग लेने वालों में से था। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहता हूं कि हमने वहां केवल केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में ही चर्चा की। हमने डी.एम.के. पार्टी की ओर से एक पत्र भी दिया; इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना है कि कुछ चर्चा की गई थी। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उन बातों का पता कैसा लगाया। अंग्रेजों के निकल जाने के बाद भी हम अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति, फूट डालो और शासन करो लोगों में फूट डालो और उन पर शासन करो, छोड़ने को तैयार नहीं है। 1959 से वही सब हो रहा है।

यहां मैं यह बताना चाहता हूँ कि श्री फारूख अब्दुल्ला के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई हैं। मेरा उनके साथ निजी तौर पर कोई परिचय नहीं है। लेकिन मेरा मंत्री महोदय तथा सरकार से नम्र निवेदन है कि बर्खास्तगी के बाद उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सब आरोप नहीं लगाने चाहिये। मेरी पार्टी को सरकार को भी 1976 में यह सब सहना पड़ा। 1976 में डी.एम.के. सरकार हटाए जाने के तुरन्त बाद, श्री करुनानिधि को पृथकतावादी, और राष्ट्र-विरोधी कहा गया था और फिर सरकारिया आयोगह का गठन किया गया था; उनके घर पर छापा मारा गया था, जब सब कुछ किया गया था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी। आज या कल या पांच अथवा दस वर्षों के बाद, हर एक के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। यदि सत्तारूढ़ दल दूसरे दल के विरुद्ध इस हथियार का प्रयोग करता है, तो राजनैतिक जीवन में यह पूर्णतः नैतिक पतन होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि वह देशभक्त नहीं है; उनके पिता देशभक्त थे। यह कहा गया था और सदस्यों से यह प्रश्न पूछा गया था कि उस मामले में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था, उन्हें कैद में क्यों रखा गया था, उन्हें कोद्ईकनाल तथा अन्य स्थानों पर जेल में क्यों डाला गया था ? उन्हें जेल में क्यों डाला गया था ? उसका क्या कारण था, एक देशभक्त को गिरफ्तार करके स्वतंत्रता के बाद उसे जेल में क्यों डाल दिया गया ? फिर हर व्यक्ति देशद्रोही बनना चाहेगा। यदि देशद्रोही को पीड़ित किया जाना है, उसे जेल में डाला जाना है। तो हर व्यक्ति ही देशद्रोही बनना चाहेगा। अतः मैं विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। केन्द्रीय सरकार का अर्थ है केन्द्र की ऐसी सरकार जो प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से शक्तियों का बटवारा करे। उसे इतना ही कहना है। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि राष्ट्र एक हो। डी.एम.के. वही चाहती है। जब हम सरकार या कांग्रेस-आई के साथ लड़ाई करते हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम राष्ट्र-विरोधी हैं। कृपया भविष्य में वैसा डरावा मत दीजिए। मैं यह अपील विशेषकर कांग्रेस (आई) के वरिष्ट नेताओं से कर रहा हूं। कल माननीय मंत्री महोदय ने यह कहकर हस्तक्षेप किया था कि यह जम्मू एव काश्मीर सरकार द्वारा जारी किया हुआ श्वेत पत्र नहीं है। निःसन्देह, यह उनके द्वारा जारी किया गया एक वक्तव्य है। मैं उसमें से एक भाग पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"यदि राज्यपाल ने श्री अब्दुल्ला को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दे दी होती तो श्री अब्दुल्ला अपनी प्रशासनिक शक्ति का दुरूपयोग करके नेशनल कांफ्रेंस के उन 13 विधायकों को अपनी ओर कर लेते।" यह वाक्य वक्तव्य में है। इसका क्या अर्थ है ? इस प्रकार ये 13 विधायक आसानी से खरीदे जा सकते हैं। सरकार का यह कहना है। सरकार का यह कहना है। वे उधर कैसे गए ? इसी प्रकार वे दूसरे पक्ष में भी चले जाएंगे। क्या आप ऐसे लोगों से सरकार चलायेंगे ? कृपया इस पर विचार कीजिए।

दूसरे, हमारे मित्रों ने बहुत से उद्धारण प्रस्तुत किए हैं। पांडिचेरी को लीजिए। वहां एक सरकार थी—कांग्रेस तथा डी०एम०के० की मिली जुली सरकार। कुल सीटों की संख्या 30 थी। डी०एम०के० की 13 सीटें थीं तथा कांग्रेस की 10, शेष जनता तथा अन्य दलों की थी चूंकि एक दिन मुख्य मन्त्री डी. रामचन्द्रन ने बगलौर में विपक्षी मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लिया, सरकार बर्खास्त कर दी गई। वह एक अलग प्रश्न है, और हमें इस बारे में चिन्ता नहीं है। कांग्रेस ने अपने 10 सदस्यों के साथ समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के तुरन्त बाद जनता के 2, एक मार्क्सवादी तथा एक मुस्लिम लीग—ये चारों सदस्य उप राज्यपाल के पास गए और उन्हें इस आशय का एक पत्र दिया कि 'यदि डी०एम०के० को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, तो हम उसका समर्थन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ ? उप-राज्यपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा विधान सभा भंग कर दी गई। आपने पांडिचेरी में यह निर्णय लिया तथा यहां जम्मू एवं काश्मीर में एक अल्पमत वाले दल को, जिसके केवल 12 सदस्य थे, सरकार बनाने के लिए कहा गया। यह बिलकुल हास्यस्पद है। यह इस समय आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन भविष्य में, मैं नहीं समझता कि यह हमारे मित्रों के लिए सहायक होगा।

जहां तक हमारे डी.एम.के. दल का सम्बन्ध है, हम राज्यपाल के पद के विरूद्ध हैं। हम राज्यपाल के पद के इसलिए विरूद्ध हैं क्योंकि इस पद का सभी दुरूपयोग करते हैं—न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जनता तथा सभी दल। जो भी केन्द्र में शासन करता है, वह राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करता है। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह देखे कि राज्यपाल का पद समाप्त हो। राज्यपाल के स्थान पर, पश्चिम जर्मनी की भांति, जैसा कि वीमर संविधान में प्रावधान है, यदि कोई सांविधानिक संकट उत्पन्न होता है तो सम्बधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का कार्य सौंपा जा सकता है, ताकि वह चुनाव का संचालन कर सके या बहुमत सिद्ध करने के लिए बिधान सभा का अधिवेशन बुला सकें।

जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मेरे पास इन सभी बातों को पढ़ने का समय नहीं है। यह बहुमत सिद्ध करने का कार्य विधान सभा के अन्दर होना चाहिए, बाहर नहीं। केवल विधान सभा ही सर्वोच्च शक्ति है जो यह निर्णय कर सकती है कि बहुमत है या नहीं। यदि यह कार्य सदन से बाहर किया जाता है तो यह स्वाभाविक तौर पर सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, आप विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, 1967 में बिहार में बी०पी०

मंडल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय वह संसद सदस्य थे। वह संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्हें बिहार में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह कुछ समय के लिए बिहार में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। कुछ समय बाद वह कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। कुछ और लोगों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। उसने फिर कहा, 'मैं सरकार बनाऊंगा।' जब उसने कांग्रेस को समर्थन देना बन्द कर दिया, तो तत्कालीन राज्यपाल श्री अनन्तशायनम आयंगर ने कहा कि वह उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वह इस विधान सभा के सदस्य नहीं है। श्री अनन्तशायनम आयंगर उन्हें पहले ही आमंत्रित कर चुके थे लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जब तक वह महान्यायवादी से राय न ले लें, उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। तदुपरान्त, उन्होंने विधि विशेषज्ञों से राय ली और अन्ततः राज्यपाल ने कहा कि चूंकि वह सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि अलग-अलग निर्णय लिए जाते हैं। जब वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे तो उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन जब वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे तो मनाकर दिया गया और राज्यपाल ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। (व्यवधान)

अतएव, केन्द्र सरकार का इस प्रकार का रवैया समाप्त होना चाहिए। आपको सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि केन्द्र सरकार सभी राज्यों के लिए पितृ सरकार तुल्य है। आपको सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए।

प्रो सैफुद्दीन सोज : मातृ सरकार !

श्री सी. टी. दण्डपाणि : जो कुछ भी है।

उन्हें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि राज्यों में शासन कर रहे सभी राजनैतिक दलों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यह बहुत जरूरी है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति को राज्यपालों के माध्यम से दी गई व्यापक शक्ति अर्थात् अनुच्छेद 356 के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। उसे भी हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यापक शक्ति दी गई है। किसी भी कारणवश राज्यपाल एक विधिवत निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयत्न कर सकता है, उसी ढंग से जैसे राज्यपाल ने जम्मू एवं जम्मू एवं काश्मीर के मामले में किया है। जिस ढंग से सरकार ने कार्यवाही की है, वह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। मैं एक बार इस सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि वह विशेष तौर पर जम्मू एवं काश्मीर में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे वहां सामान्य स्थिति पुनः बहाल की जा सके और प्रभावित दलों के बीच उचित बातचीत शुरू हो सके, ताकि जम्मू एवं काश्मीर के भविष्य तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके।

जम्मू और काश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में चर्चा जारी

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की केन्द्रीय

सरकार जिस प्रकार का आचरण इस समय कर रही है इससे सम्पूर्ण देश की भावनात्मक एकता और क्षेत्रीय अखंडतादोनों खतरे में पड़ गई हैं काश्मीर में लोकतत्र की हत्या करने की जो साजिश की गई है, उसके लिये मैं पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार समझता हूँ। सभी को मालूम है कि डा. फारूक अब्दुल्ला को काश्मीर का मुख्य मत्री बनाने में केन्द्रीय सरकार के नेताओं का हाथ था और मुख्य रूप से हमारी प्रधान मंत्री का हाथ था। कब से फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हो गये—इस बात को समझने में थोड़ी हैरानी होती है। उनको मुख्य मंत्री इन्होंने ही बनाया था। जी. एम. शाह को कभी भी यह नहीं समझा गया कि वे इस पद के लिये बेहतर व्यक्ति साबित होंगे। इसके कई कारण थे, उनके पहले के कारनामों को दृष्टि में रखते हुए यह तय किया गया था कि फारूक अब्दुल्ला बेहतर व्यक्ति सिद्ध होगे, इसलिये उनको वहां का मुख्य मन्त्री बनाया गया। लेकिन जैसे ही फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के बाद अपने ढंग से काम करना शुरू किया और चुनावों में कांग्रेस का समर्थन नहीं किया या कांग्रेसियों की इच्छा के अनुरूप काम नहीं किया, तब से उनको गलत व्यक्ति करार देने की कोशिश की गई, उनको देशद्रोही और अराष्ट्रीय तक कहा जाने लगा। इससे ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऐसा मानता है कि देश में जो व्यक्ति उनका समर्थन करते हैं, वे ठीक हैं, लेकिन जो समर्थन नहीं करते हैं, वे देशद्रोही हैं। इस प्रकार से कार्य करने की जो पद्धति केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई · (व्यवधान)

जब श्री श[redacted]शपथ ले रहे थे—उस समय तारीक अब्दुल्ला वहां मौजूद थे, जो पाकिस्तान का एक नहीं अनेक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में पाकिस्तान की तरफ से प्रतिनिधि बनकर भारत के विरुद्ध जो बातें उन्होंने कही हैं, वे केन्द्रीय सरकार को अच्छी तरह से मालूम होंगी। जब जी.एम. शाह मुख्य मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो यह व्यक्ति इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद था। डा. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ तारीक अब्दुल्ला से बार-बार भाषण करवाया गया और गम्भीर आरोप लगवाये गये। एक पाकिस्तानी नागरिक, जिसकी नागरिकता पाकिस्तान में रही हो, क्या उसके सर्टिफिकेट की जरूरत थी जो यह बतलाता कि फारूक भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं या विदेशी हैं हैं या विदेशों के एजेन्ट हैं। लेकिन इस सरकार ने तारीक अब्दुल्ला का प्रयोग करने की कोशिश की।

प्रधान मंत्री जी पिछले दिनों जब दक्षिण भारत के दौरे पर गई थीं, वहां पर उन्होंने कहा था—यह सब एक घर का झगड़ा है और इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, घर का झगड़ा सब जगह होता है और प्रधान मंत्री जी इस तरह का झगड़ा कराने की योग्यता रखती हैं, अपने ही घर में उन्होंने इस प्रकार का झगड़ा करवा लिया है, इसलिये दूसरी जगह वह राजनीतिक झगड़े को घरेलू झगड़ा मानती है तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जहां तक उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने का सवाल है, गृह मंत्री जी जानते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सभी जगहों पर उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिये गये, यहां तक कि दिल्ली में भी दिये गये थे। पंजाब में उग्रवादियों को हथियार राजस्थान और पंजाब के बार्डर से आये थे। बिहार में 'कोल्हनिस्तान' की मांग हो रही है, कहीं "खालिस्तान" की मांग हो रही है। आज सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, जिस प्रकार का शासन चला

रही है उसका परिणाम है कि सारे देश में इस प्रकार की ताकतें उभर रही हैं और खास कर यह चीज उन राज्यों में हो रही है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन क्या बिहार में कांग्रेस की सरकार को भंग करने की बात यह सरकार सोचेगी। आज तरह-तरह की चीजें उन प्रदेशों में हो रही हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 11 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया और जिस गांव में वे जलाये गये उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो माननीय सदस्य इस सदन में करते हैं, वे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरा तात्पर्य अमेठी क्षेत्र से है। लेकिन न वहां पर प्रधान मंत्री गई, न वह संसद सदस्य गये। जहां इस प्रकार की हालत है, वहाँ पर जो सरकारें काम कर रही हैं, उनको भंग करने के बारे में यह सरकार क्यों नहीं सोचती है? जिन सतही कारणों से फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई गई है अगर उस प्रकार के कारण देखे जाएं तो उससे भी और बड़े-बड़े कारण हैं जिनके आधार पर कांग्रेस की कोई भी सरकार किसी राज्य में कार्य नहीं कर सकती है। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार तक कार्य नहीं कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पी.ए.सी. का विद्रोह हुआ था और जब विद्रोह हुआ था, तो तत्कालीन मुख्य मन्त्री आदरणीय कमलापति त्रिपाटी को बगैर किसी कारण के इस बात के लिए हटा दिया गया कि वहां पर पी. ए. सी. का विद्रोह हुआ। आज जबकि पंजाब के मामले पर फौज में विद्रोह हुआ है, तो इस सरकार का क्या नैतिक अधिकार है कि वह एक मिनट के लिए भी इस देश के शासन सत्ता पर बैठी रहे। क्यों नहीं यह इस्तीफा देती है लेकिन यह इस्तीफा नहीं देना चाहती है और केवल दूसरों को गिराना चाहती है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो चीजें चल रही हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह देश के शासन में बनी रहे।

आज फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जमायते-इस्लामी के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस से सन् 1972 में जमायते-इस्लामी को 7 सीटें दी थीं, जिनमें से 36 सीटों पर वे जीते थे। फारूक अब्दुल्ला ने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया और एक भी सीट उनको नहीं दी। आज मौलबी फारूक के बारे में बार-बार प्रधान मंत्री जी कहा करती हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मौलबी फारूक से स्वय प्रधान मंत्री जी कई बार बात कर चुकी हैं और अभी नई सरकार श्री जी. एम. शाह की बनने जा रही थी, तो उस समय वहां के गवर्नर ने मौलवी फारूक को टेलीफोन किया और उनसे कहा था कि आप हमें सहयोग दीजिए। तो मान्यवर ये सारी चीजें आज देश में हो रही हैं।

श्रीमान्, यह 27 जुलाई का "टेलीग्राफ" अखबार है। मैं इसमें से थोड़ा कोट करना चाहता हूं। श्री जी. एम. शाह ने जो कहा है, वे चीजें इस अखबार से मैं कोट कर रहा हूँ:

"श्री जी. एम. शाह ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा डी. एस. पी. नेता, सैय्यद मीर कासिम तथा मीरवेज मौलबी फारूक पर डा. अब्दुल्ला का समर्थन करने के लिए आक्षेप किए हैं। उन्होंने कहा, "मीर कासिम हत्यारे तथा देशद्रोही हैं", जिन्होंने भारत के

भीतर काश्मीर के विशेष दर्जे को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हजारों काश्मीरियों को मार डाला . उन्होंने कहा कि भारत के साथ जम्मू एव काश्मीर का विलय रक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार तक ही सीमित है।"

इस तरह का व्यक्ति जो कहता है कि भारत के साथ जो काश्मीर का सम्बन्ध है, वह केवल प्रतिरक्षा, विदेश के मामले और सचार के मामले तक ही सीमित हो, आज इस प्रकार के व्यक्ति को हमारी प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय सरकार ने तय किया है कि वहां का मुख्य मन्त्री बनाया जाए। और आगे वे कहते हैं।

"इसी बीच मुख्य मन्त्री, श्री जी. एम शाह ने डा. अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसे राजनेताओं तथा दलों से सांठ-गांठ की है, जो करोड़ों मुसलमानों को मारकर भारत में हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहते हैं।"

इस प्रकार से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में विद्रोह की भावना भड़काने वाले, भाषण करने वाले व्यक्ति को आज जम्मू व काश्मीर का मुख्य मन्त्री फारूक अब्दुल्ला की जगह पर बनाया गया है। क्या इस प्रकार के वक्तव्य देने वाले या इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से आप समझते हैं कि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार आज इस बात के लिए जिम्मेवार है जो आज राष्ट्र के अन्दर इस प्रकार की ताकतें राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बन रही हैं। ऐसी ताकतों को जो बढ़ावा मिल रहा है, उसके लिए केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसा मैं मानता हूँ।

एक बात और कहना चाहता हूँ। कल यहां पर ऊर्जा राज्य मन्त्री जी भाषण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक शाह वेग सिंह की चर्चा की थी और कहा था कि मेरी पार्टी से उनका कोई सबंध रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बात की अच्छी तरह से छानबीन की है और मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं रहा है. जिसका नाम शाह वेग सिंह है और जिस भी अखबार में इस प्रकार की बात छापी गई थी, वह बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन और अनुचित है। ऐसा लगता है कि हम लोगों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कराने की एक साजिश चल रही है, जिससे इस तरह की खबर प्रकाशित की गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेजर जनरल सुबेर सिंह के बारे में जो कुछ बात हमें मालूम हुई है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। मेजर जनरल सुबेर सिंह, जो भिंडरावाले के साथ मारे गये हैं और जिन्होंने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षत किया था, वे प्रधान मंत्री से और श्री अरुण नेहरू, संसद सदस्य से 1980 के चुनाव के बाद, जब यह सरकार शासन में आई थी, मिले थे। और इन लोगों के बीच में आपस में क्या बातचीत हुई, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों और किताबों में तो बहुत कुछ छपता रहता है। प्रधान मंत्री पर भी इस सदन के अन्दर और बाहर भी आरोप लगाये गये हैं कि भिंडरावाला से उनके सम्बन्ध थे और 1980 के चुनावों में उसने कांग्रेस का समर्थन किया था। मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन किताबों और अखबारों के आधार पर हम पर जो लांछन

लगाया जाता है उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि किताबों में तो बहुत कुछ छपता रहता है। मोइनिहन की किताब "ए डेंजर्स प्लेस" में प्रधान मंत्री के बारे में बहुत कुछ छपा। अखबारों में आया कि कांग्रेस (आई) के जनरल सेक्रेटरी ने मिडरावाला को एक धार्मिक नेता कहा था।

एक माननीय सदस्य : इस शब्द का खण्डन किया गया है।

श्री हरिकेश बहादुर : खण्डन करने की तो आपकी आदत पड़ गई है। पहले कह दिया फिर खण्डन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं जो कुछ भी अखबार अथवा पत्रिका में छपे उसे सही नहीं मानना चाहिये। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्यों कि आरिफ मोहम्मद खां ने हमारे विरुद्ध आरोप लगाये हैं। अखबारों तथा अन्य पत्रिकाओं में बहुत कुछ गलत छपा है जो कि कांग्रेस दल तथा उसके नेताओं द्वारा उठाया जा रहा है। आप उन्हें सही अपने हैं अगर हम उसमें शुद्धि नहीं करते हैं। हमारे विरुद्ध लगाये गये इन सभी आरोपों को आप क्यों सही समझ रहे है। मैं यही कहना चाहता हूं।

मान्यवर आज वहां सरकार सपथ ग्रहण कर रही हैं और सारे कश्मीर में कर्फ्यू लगा है। यही है उस सरकार की लोकप्रियता का प्रमाण। अभी डोगरा साहब कह रहे थे कि 1977 में भा साहब ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर जो असेम्बली को डिजोल्व किया था वह अनुचित किया था। जो आप करे वह ठीक है और जो दूसरा करे वह गलत है सिक्किम और हरियाणा राज्यों में जो कुछ किया गया इसे आप ठीक कहते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 1970 में जब बी. एम. सादिक जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री थे तो वहां के 33 विधायक हमारी प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उनसे उन्होंने कहा था कि हम जी. एम. सादिक को मुख्य मंत्री नहीं चाहते हैं, सैय्यद मीर कासिम को चाहते है। उस समय प्रधान मंत्री ने उनसे यह कहा था कि जी. एम. सादिक की सलाह पर वहां के गवर्नर असेम्बली को डिजाल्व कर देंगे। यह कह कर उन्होंने उन विधायकों को वापस भेज दिया था। संविधान के जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने वह बात कही थी उसी आर्टिकल के तहत आज आप दूसरी बात कर रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि डा. फारूक अब्दुल्ला ने राज्यपाल को जो सलाह दी थी उसके आधार पर वहां की असेम्बली को तत्काल भंग किया जाए और वहां पर चुनाव कराये जाएं।

श्री कमालुद्दीन अहमद (वारंगल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष की ओर से दी गई सम्पूर्ण दलील एक ही बात का सकेत देती है कि राज्यपाल विधि निर्माता है। सच तो यह है कि राज्यपाल को विद्यमान कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है और हर मामले में कश्मीर के राज्यपाल ने केवल विद्यमान कानून के अनुसार ही कार्य किया है। कानून के उपबन्धों तथा कश्मीर के संविधान से विचलित हो जाने का उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस पर हमें उन्हें इसके

लिए और लोकतंत्र सिद्धान्तों की सुरक्षा करने के लिए भी बधाई देनी चाहिये। अब अपने आपको संतुष्ट करके, और वास्तविक रूप से इस लाभ में भी संतुष्ट करके कि कितने लोग उनके पास आये और क्या तत्कालीन मुख्य-मत्री को बहुमत प्राप्त था या नहीं और यह पता लगाना कि मुख्य मंत्री को विधायकों का बहुमत प्राप्त नहीं है, किस प्रकार वह मुख्य मंत्री की सलाह पर कार्यवाही कर सकते हैं ? उन्होंने मुख्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिये कहा। बाद में जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें मुख्य मंत्री को बरखास्त करना पड़ा। और फिर इसके पश्चात उन्होंने श्री जी. एम. शाह को विधान-सभा बुलाने के लिये कहा जिसमें वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें और वहां अपना बहुमत दिखायें।

इसी तरह के मामले में कर्नाटक में विधान सभा के गत चुनावों के पश्चात कोई भी दल पूरा बहुमत प्राप्त करके सरकार नहीं बना सकी थी। इसके बाद जनता दल के नेता राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण के पास गये और कहा कि उन्हें भारतीय जनतादल का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिये तुरन्त ही आमंत्रित किया। यहां तक कि उन्होने उन्हें विधान सभा बुलाने के लिये तथा वहां अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये भी नहीं कहा।

इस मामले में, जब 13 सदस्य प्रत्यक्ष रूप में राज्यपाल के समक्ष उपस्थित थे तो सिवाय संविधान के अनुसार कार्य करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नही था। विरोधी दलों को यह अवश्य ही जानना चाहिये कि पदमुक्त मुख्य मंत्री का रवैया तथा कार्य किस प्रकार के थे। कुछ दिनों पहले "पैट्रियाट में एक खबर छपी थी और उस मामले को यहां उठाया गया था। यह देश के विभाजन करने की अमेरिका चालों के बारे में था। इस पर कोई अधिक चर्चा नहीं हुई थी। किन्तु जो घटनाएं हुई हैं, विशेष रूप में पंजाब और कश्मीर की घटनाएं उनसे सिर्फ उन आशकाओं की पुष्टि होती है। हमारे देश के विभाजन एवं विघटन का एक गम्भीर षडयंत्र था, हमें उस सदर्भ में इन सभी बातों को देखना होगा।

डा. फारुक अब्दुल्ला वो कुछ भी कह रहे हैं और कर रहे हैं उसी संदर्भ में उस पर विचार करना चाहिये। हमने कहा है कि डा. अब्दुल्ला अकाली दल, जनमत-सग्रह मोर्चा, जमायत-ए-इस्लामी, जमाहत-ए-तुलना तथा जम्मू एवं कश्मीर मुक्ति मोर्चे जैसे संगठनों के साथ-साथ थे। उन्हें इन संगठनों का समर्थन प्राप्त थे। यहां तक कि प्रो. सोफ ने भी डा. अब्दुल्ला के इनके साथ सम्बन्धों का खण्डन नहीं किया है।

विरोधी दलों तथा इन संगठनों के बीच कुछ सामूहिक रूप से कुछ नहीं है जिससे कि वे आपस में अपने सिद्धांतों आदि से सहमत। जब हम देखते हैं कि डा. अब्दुल्ला खुले तौर पर अपने आप को इन संगठनों से जुड़ा बनाते हैं, तो यह एक गम्भीर मामला है और सारे देश को इस पर ध्यान देना चाहिये। हमने इसे गम्भीरता से तभी लिया जब डा. अब्दुल्ला ने स्वयं को जनमत: संग्रह मोर्चे के नेता मौलवी फारुक, के साथ मिलेगा और वह भी क्योंकि वह बहुत ही स्पष्ट...

प्रो. सैफुद्दीन सोज : माननीय सदस्य को उस दल का नाम सही सही मालूम होना चाहिये। यह अवामी एक्शन कमेटी है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं अपने आप का सुधारता हूं। किन्तु सच तो यह है कि ये दो फारुक मिल गये हैं और एक फारुक के रूप में सामने आये हैं। इस प्रकार से यह हुआ है। मौलवी फारुक, के बारे में सभी जानते हैं कि उनकी दृष्टि में भारत के साथ कश्मीर का विलय अन्तिम नहीं है जोकि वह हर वक्त कहते रहे है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आपने निदेश दिया है कि माननीय सदस्यों को उन सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये अथवा उनके विरुद्ध आरोप नहीं लगाने चाहिये जो यहां उपस्थित नहीं हैं और अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। परन्तु जबकि उन्होने मौलवी फारुक का नाम लिया है तो मैं उनके बारे में उन्हें जानकारी जरूर दूंगा। हम महीने की 17 जुलाई को शहीदी समाधि पर उन्होने 5 लाख लोगों को संबोधित किया। मैं वहां पर उपस्थित था। मैंने उन्हें बोलते हुये सुना। उन्होंने कहा," मैं उतना ही हिन्दुस्तानी हूं जितने कि ज्ञानी जैल सिंह और श्रीमती इन्दिरा गांधी। उन्होने भारत के साथ कश्मीर के विलय को स्वीकार किया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह एक स्वागत योग्य कदम हैं। इसके अतिरिक्त, एक अस घाग स्थिति दिखाई पड़ती है। मैंने बिल्कुल अभी अभी 22 जुलाई का "पाकिस्तान टाइम्स" देखा था। "पाकिस्तान टाइम्स" जो कि पाकिस्तान सरकार का है, किस तरह से सम्पूर्ण कश्मीर के मामले को उछाल रहा है कि हर व्यक्ति के लिये इसका अर्थ निकालना बहुत ही स्पष्ट है इसमें उन्होने डा. अब्दुल्ला की तस्वीर छापी है और लिखते हैं कि पाक-अधिकृत कश्मीर के मुख्य मंत्री को वरखास्त करो। 'पाक अधिकृत कश्मीर' यह शब्द बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने उसे यहां पर भेज दिया ताकि यह आपके ध्यान में लाया जा सके। अतः विरोधी दल से मेरा अनुरोध है कि व्यक्ति की पहचान उससे होती है। किस तरह से साथियों के साथ रहता है और व्यक्ति को उसके कार्यों से आंकना चाहिये न कि शब्दों से। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कि डा. अब्दुल्ला यह न कहते हों कि वह अधिक धर्मनिरपेक्ष हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वह क्यों सब लोगों से इस प्रकार की बातें करते हैं? मैं नहीं समझता कि क्या इस तरह की आवश्यकता है। अगर वह सचमुच ही धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्रवादी है तो खैर यह सच होगा, उन्हें हर वक्त ये बातें कहने की जरूरत नहीं है।

अन्त में, जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर सरकार को चलाया उससे मजबूर होकर विधान सभा सदस्यों को उनसे अलग होना पड़ा और जिसके फलस्वरूप आज की स्थिति पैदा हुई और मैं समझता हूं कि जिन विधान सभा सदस्यों ने ठीक ही उनके कार्यों की आलोचना की है और उनसे अलग हुये हैं उन्हें निश्चय ही बधाई दी जानी चाहिये।

श्री राम जेठमलानी अनुच्छेद 317 के बारे में कुछ कह रहे थे। यह सच है कि संविधान का वह विशेष उपबन्ध तथा कश्मीर की विशेष स्थिति एक विशेष पृष्ठभूमि में हुई क्योंकि यह सभी जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के तुरन्त पश्चात ही पाकिस्तान की सेना तथा घुसपैठिये कश्मीर में आ गये तथा कश्मीर का विलय अक्टूबर 1947 के महीने में ही हुआ था यह आजादी के लगभग 3-4 महीने बाद हुआ और हमें नहीं मालूम कि किन परिस्थितियों के वशीभूत ये निर्णय लिये गये थे। किन्तु मुझे यहां यह कहते हुये कोई झिझक नहीं है कि डा. अब्दुल्ला ने उस विशेषाधिकार, कानून के इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया तथा अनुच्छेद 317 की अवज्ञा की और संविधान के उस विशेष उपबंध की अनुचित लाभ उठाया। हमें इस उस संदर्भ मे सोचना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ कहूंगा कि हमारे देश के विरुद्ध गहरा षड़यंत्र है। में उस कवि का एक दोहा सुनाना चाहूंगा जिन्होंने कहा है :

"सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" इसी कवि ने कहा है :

बतन की फिक्र कर नांदा मुसीबत आने वाली है।

तेरी बरबादियों के मश्वरे हैं, आसमानों पर ॥

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेन आपको भी जानना चाहिये कृपया सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी।

एक माननीय सदस्य : किस दल की ओर से, महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह संसद सदस्य हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : काश्मीर की स्थिति दिन प्रतिदिन अंधकारमय होती जा रही है। जब से हमने वाद-विवाद आरंभ किया तब से लेकर जो घटनाएं हुई हैं उनसे स्थिति बिल्कुल ही अन्धकारमय हो गई है। बाहर के लोग और मैं बिल्कुल नहीं समझ पाये कि मामले क्या हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में कुछ मुद्दों को स्पष्ट कर दे।

एक माननीय सदस्य : साथ में आपको भी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं स्पष्ट हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल ने फारुक अब्दुल्ला के मंत्रालय को इसलिये हटा दिया था कि उनका बहुमत नहीं रहा था अथवा यथाआरोपित वह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे ? यह आरोप है कि काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और उसमें श्री फारुक का हाथ होना भी बताया गया है। अभिलेख के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल का निर्णय भी उसी पर आधारित है अथवा यह मामला केवल सदस्यों की संख्या गिनने का था। यह एक ऐसी बात है जिसे राष्ट्र जानना

चाहता है और क्या श्री फारुक ने किसी समय भी यह स्वीकार किया है कि वह बहुमत में नहीं है ? यह बात विवादास्पद है। हम लोगों ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री फारुक ने स्वयं लिखित रूप में अथवा किसी ठोस प्रमाण के रूप में यह स्वीकार किया है कि वह बहुमत खो चुके हैं।

काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह एक रुचिकर बिषय बन गया है। क्रिकेट मैच में रुचि होना एक अलग घटना है किन्तु इसका प्रभाव तो सारे देश पर पड़ता है। जहां भी मैं जाता हूँ, वहीं यह प्रश्न उठाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ ? अब, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसी घटनायें और कहीं हो ही नहीं सकती। किन्तु ऐसी घटना काश्मीर में हुई और उसे दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया और देश भर के लोगों ने उसे देखा और इसलिये भी, लोग बहुत चिन्तित रहते हैं क्योंकि काश्मीर हमारे लिये एक युद्धक्षेत्र रहा है, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में भारत के लोग 1947 से ही चिंतित रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। दुर्भाग्यवश बिभिन्न राजनीतिक नेताओं, विशेषकर सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक नेताओं द्वारा दिये गए गैर-सरकारी वक्तव्यों से स्थिति और भी अधिक भ्रमपूर्ण और घृणित हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अपने उत्तर में मंत्री जी मामले को स्पष्ट करें। सत्तारूढ़ दल द्वारा दिये गए बार-बार के वक्तव्यों में यह कहा गया है कि काश्मीर के विलय का मामला तय हो चुका है। मैं मौलाना फारुक को जानता हूं और मैं श्री फारुक को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैंने अपनी व्यक्तिगत बात-चीत में भी उनसे काश्मीर को भारत से अलग करने की दलील देते हुए कभी नहीं सुना है। मुझे यह नहीं मालूम कि वे क्या कर रहे हैं। वहां आमंत्रित किये जाने का विशेष अवसर श्री चन्द्रजीत यादव तथा अन्य कुछ लोगों को प्राप्त हुआ है और जो लोग वहां गये थे, वे ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें स्वर्ण मंदिर में कभी भी आमन्त्रित नहीं किया गया।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : भिंडरांवाले के बारे में मैं बोलूंगा, फारुक अब्दुल्ला के बारे में वे लोग बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि लोग काश्मीर के भारत में विलय के बारे में संदेह कर रहे हैं। यह भारत सरकार ही है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद-सम्बन्धी अनुच्छेद के अधीन संयुक्त राष्ट्र को याचिका दी थी, न कि भारत पर चढ़ाई करने के अनुच्छेद के अधीन संयुक्त राष्ट्र को काश्मीर के मामले मे दखल देने को कहा था। वह याचिका अब भी वहीं है। भारत सरकार ने उसे वापस नहीं लिया है। वास्तव में उनके केवल इसी कार्य से, काश्मीर का मामला अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में अभी तक जीवित है। क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की सेना के पर्यवेक्षक वहां तैनात है और उनका मुख्यालय पटियाला हाउस के पास है ? वे कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी वहां बराबर जाते हैं। वे लोग प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। काश्मीर की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और यहां तक कि सोवियत संघ जैसे "मित्र" देश भी एटलस प्रकाशित करते हैं उसमें आज भी काश्मीर हिस्सों को दूसरे देशों के अधिकार में दर्शाया जाता है। जैसा कि श्री ए. के. सेन ने यहां कहा है, यदि आप इस बात से सहमत हैं कि काश्मीर भारत का अंग है और हमेशा भारत का अंग बना रहेगा तो संयुक्त राष्ट्र की सेना के पर्यवेक्षक

वहां क्यों जाते हैं ? मैं चाहता हूँ कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दें। क्या यह सच नहीं है कि युद्धों के दौरान पाकिस्तान से छीने गये काश्मीर के प्रदेश इसी सरकार ने पाकिस्तान को वापिस लौटा दिये थे ? भारतीय सेना ने महान् त्याग करके जिस हाजी पीर दर्रा को जीता था, उसे इसी कांग्रेस (इ) पार्टी ने लौटा दिया। सैनिक चिल्लाते रह गये। उन्होंने नीचे आने से इन्कार कर दिया। यह एक तरह से सैनिक विद्रोह था। किन्तु इन मुद्दों के दौरान काश्मीर के जो भाग जीते गये थे, उन्हें इस सरकार ने वापिस लौटा दिया। यदि आपके विचार में काश्मीर भारत का अंग है तो आपने उन क्षेत्रों को पाकिस्तान को क्यों वापिस लौटा दिया जब तक आप ऐसा नहीं समझते थे कि वह विवादास्पद प्रदेश था और इसीलिये, उन क्षेत्रों को वापिस किया जाना चाहिये था।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : आप किस भाग की बात कह रहे हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नियंत्रण रेखा चिमन नेक की बात कह रहा हू। मैं सन् 65 के युद्ध की बात कह रहा हूँ। यहां तक कि 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हो जाने के बाद आपने उन्हें लौटा दिया। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि सरकार की स्थिति जब भी कमजोर रही है, तभी वे लोग काश्मीर के बारे में चर्चा करने को सहमत हुए हैं। यदि कार्यवाही वृत्तांतों को अवर्गीकृत किया जाय, तो पता चलेगा कि 1963 में भारत सरकार काश्मीर के मामले पर बात-चीत करने को तैयार थीं। शिमला समझौते में एक उपबन्ध यह है कि बिना दोनों पक्षों की ओर से बिना किसी भेद-भाव के काश्मीर से सम्बन्धित किसी भी मामले का निपटारा द्विपक्षीय न्यायालय द्वारा किया जायगा। इतना होने के बावजूद, आपने संविधान में उनके लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। कुछ लोगों का कहना है कि देश के अन्य भागों के लिए हमारे दूसरे उपबंध हैं। किन्तु किसी भी राज्य का कोई पृथक् संविधान नहीं है। अनुच्छेद 370 अस्थायी तौर पर जोड़ा गया था। किन्तु आज वही अनुच्छेद स्थायी हो गया है। अनुच्छेद 370 अभी तक क्यों बना हुआ है ? वास्तव में, मैं नेशनल कांफ्रेंस के अपने मित्रों से यह कह रहा था कि आप देखिये कि विरोधी दल के सभी दलों ने डा. फारुक अब्दुल्ला का समर्थन किया है; आप अपने को हमारे समान ही भारतीय मानते हैं और न आपको हमसे कोई खतरा है और न हमको आपसे, तो आप अनुच्छेद 370 को क्यों अपनाये हुए, इसे निकाल बाहर कीजिए। समझौते के बारे में संरक्षण निर्धारित कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं डा. स्वामी को केवल सूचनार्थ बता रहा हूं कि मेरे समक्ष अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने से पूर्व वह उन लोगों से पूछे, जिन्होंने जम्मू-काश्मीर राज्य में चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव के घोषणा पत्र में अन्य मुद्दों के साथ-साथ एक यह भी मुद्दा था कि अनुच्छेद 370 को यथावत बनाया रखा जाय।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपकी बात से पूर्णत: सहमत हूं। मुझे पता है कि उन्होंने काश्मीर के मामले पर एक प्रश्न-चिह्न लगा रखा है। मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप स्वेच्छा-पूर्वक यह कह दें कि आप अनुच्छेद 370 नहीं चाहते हैं। तो आप शेष भारत के लोगों का हृदय जीत लेंगे। इसीलिये, मैं कहता हू जब तक आप इस मसले को अनिर्णित रखेंगे, तब तक आपको

यह अधिकार नहीं है कि काश्मीर में राज्याधिकार होने के बारे में कोई भी प्रश्न उठाये क्योंकि आप इस प्रश्न को जीवित रख रहे हैं। आप इसे स्वयं ही अनिर्णित रख रहे हैं। इसलिये जब दूसरे लोग इस प्रश्न को उठाते हैं तो आप उसके बारे में कोई प्रश्न उठाते हैं तो यह आपकी बहुत ही बड़ी नैतिक कमजोरी है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि काश्मीर के बारे में अनिश्चितता समाप्त करने का समय आ गया है अन्यथा ये समस्याएं यथावत बनी रहेंगी। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिये अपना जीवन लगा दिया, देशवासी अब भी इस बात को याद करते हैं और देश की शेष जनता इस प्रश्न को उठाती है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, जो लोग मुझ से पूछते हैं, ऐसा क्यों है ? सरकार को चाहिये कि वह पृथक् संविधान को समाप्त कर दे। संविधान के अध्ययन से मैं जो समझ पाया हूं उसके अनुसार, अनुच्छेद 370(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है। मंत्री जी इसके बारे में बता सकते हैं। उन्हें चाहिये कि शेष भारत के साथ काश्मीर का विलय कर दें और उसके बारे में कोई प्रश्न-चिह्न न लगा रहने दें। इसके बाद ही उन्हें यह नैतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो भारत के राज्याधिकार के बारे में प्रश्न करते हैं, उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। मैं दोष लगाने वाले प्रश्न नहीं उठाऊंगा और यह नहीं कहूंगा कि विधान सभा सदस्य खरीदे जा रहे हैं क्योंकि इस समय में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ धूली-धूरसित है··· (**व्यवधान**)

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी (नरसापुर) : नहीं, सभी नहीं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज को छोड़कर सभी हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : इस ओर नहीं, महोदय।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : विधान सभा सदस्यों की खरीद, दल-बदल प्रोत्साहित करना आदि राष्ट्र व्याधि हैं। हम सबको एक होकर कुछ मानदण्ड तैयार करने होंगे··· (**व्यवधान**)। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ किन्तु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे विचार से हम लोगों को कुछ मानदण्ड बनाने चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की घटना न घटें। इस समय जिस प्रकार काश्मीर में सरकार बनाई गई है, यह कोई अभूतपूर्व नहीं है, ऐसा भारत में अन्य स्थानों में भी हुआ है।

ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिये अगर हम चुनावों में सुधार, दल-बदल सम्बन्धी नियम आदि बनाकर और इससे भी बढ़कर हम जो शिक्षा देते हैं उस पर खुद भी अमल करें तो इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन जैसे कि आज की स्थिति सुधार है, मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि काश्मीर की स्थिति की अनिश्चितता को समाप्त करे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में कार्यवाही करें।—धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर प्रत्येक सदस्य कम समय में अपना भाषण पूरा करें तो मैं मंत्री से कह सकता हूँ कि वह निश्चित समय पर उत्तर दें।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन एक शहर के बाहर एक सज्जन रात्रि के समय एक खाई में गिर गया। वह सारी रात वहीं पड़ा रहा। सवेरे जब प्रो. मधु दंडवते जैसा सज्जन आदमी सैर को निकला, तो उनकी आहट को सुनकर उस आदमी ने आवाज दी कि मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो। श्री मधु दंडवते को दया आई कि कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, इसकी सहायता करनी चाहिए। जब वह कदम बढ़ा कर खाई के पास पहुंचे, तो देखा कि एक लम्बा चौड़ा आदमी धोती-कुर्ता पहने हुए खाई में पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने पुकारा कि दंडवते जी, मुझे बाहर निकालो। दंडवते जी ने कहा कि मैं आपको बाहर तो निकालता हूं, लेकिन पहले यह बताओ कि आपकी आँखों में चश्मा नहीं लगा है, उम्र 40, 45 साल की है, आप इस खाई में गिरे कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ज्योतिषी हूं, मैं रात के वक्त नक्षत्रों की तहकीकात करता हुआ जा रहा था, मेरी नजर आकाश की तरफ थी, जमीन की तरफ मेरा ध्यान न था, इस लिए खाई में गिर गया। श्री दंडवते ने कहा कि भले आदमी, नक्षत्रों की तहकीकात करने से पहले पैरों तले की धरती की तहकीकात कर लेते तो रात भर खाई में न पडे रहते, न यह बुरी हालत होती, न सारी रात भूखे रहते और न चोट आती।

अगर डा० फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद काश्मीर के विकास के सम्बन्ध में सोचते और काम करते और अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाते, तो आज जो उनकी दशा बनी है, वह न बनती। यहां पर विरोधी दलों के जो लोग बोले हैं, प्रो० सोज साहब को छोड़कर उनमें से एक का भी कोई प्रतिनिधि काश्मीर की विधान सभा में नहीं है। तो फिर ये रो क्यों रहे हैं ? एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको डर है कि इसके बाद कर्नाटक का नम्बर आने वाला है, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बगाल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अपना बचाव करने के लिए पहले ही प्रयास कर रहे हैं उसकी वकालत करके। परन्तु आप इनसे पूछिए तो सही, आज उन फारूक अब्दुल्ला की बड़ी वहन खालिदा जी कौन हैं ? जो यह कहते हैं हमारे भाई जैसे अभी इन्द्रजीत गुप्ता जी ने कहा कि कौन सी नेशनल कान्फ्रेंस है जिसके अधिक मेम्बर हैं, किसको माना जाय, ? यह मन्त्री जी से पूछा उन्होंने। क्या इन्द्रजीत गुप्ता जी को यह पता नहीं है कि कई महीने पूर्व नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष थे डा० फारूक, नेशनल कान्फ्रेंस के लोगों ने मीटिंग बुला करके उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया और बेगम खालिदा को नेशनल कान्फ्रेंस का अध्यक्ष बना दिया ? आज वह नेशनल कान्फ्रेंस के लीडर नहीं है, न काश्मीर की प्रजा उनको मानती है। आज नेशनल कान्फ्रेंस वह है जिसकी अध्यक्ष बेगम खालिदा हैं जो उनकी बड़ी वहन हैं। उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों ? उनके भाई मुस्तफा अब्दुल्ला ने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों ? उनके दूसरे भाई तारिक अब्दुल्ला ने उनको छोड़ दिया जिनके बारे में···

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मुस्तफा के बारे में किस ने कहा आप से ?

आचार्य भगवान देव : सोज साहब, आप बीच में मत बोलिये। मैं नहीं बोला हूं। मुझे सारा इतिहास पता है, आप के परिवार से लेकर सारा, मत छेड़िए मुझको। आपको बहुत टाइम दिया गया। आप बार बार बोलते रहे।

मैं पूछना चाहता हूं, तारिक अब्दुल्ला के बारे में यहां पर बात की गई, कल कौन क्या था, आज कौन क्या है, कल क्या कौन बनने वाला है ? यहां से निकल कर कोई शैतानियत कर देता है, व्यक्तिगत झगड़े के कारण कोई किसी का खून कर देता है, किसी के साथ अत्याचार कर देता है कानून उसके खिलाफ कार्यवाही करता है। यह इन्सान सुधरता भी है, बिगड़ता भी है। हमें हर व्यक्ति का पता है कि फारूक अब्दुल्ला कौन है, मुस्तफा कौन हैं या उनके बहनोई जो चीफ मिनिस्टर हैं गुलाम मौहम्मद शाह और उनकी पत्नी शेख अब्दुल्ला की बड़ी बेटी और फारूक की बड़ी बहन कौन है ? मुसीबत के टाइम में उन्होंने शेख अब्दुल्ला की मदद की, सेवा की जब डा० फारूक अब्दुल्ला मौज कर रहे थे लंदन के अन्दर और इनको बनाने वाले कौन थे ? डा० फारूक को डा० फारूक बनाने वाले कौन थे ? उसका भी इतिहास है। उसके लिए समय चाहिए, समय आपने बहुत कम दिया है।

मैं पूछना चाहता हूं यदि डा० फारूक ईमानदारी से काम करते और मौलाना फारूक जैसे व्यक्ति, मकबूल वट्ट जैसे व्यक्ति, अब्दुल गनी लोन जैसे व्यक्ति, सूफी मोहम्मद अमीनुल्ला खां जैसे व्यक्ति जो हमेशा राष्ट्र के खिलाफ बात करके विदेशी ताकतों की वकालत करते रहे, जो हिन्दुस्तान के खिलाफ यहां दिन रात काम कर रहे हैं, इन लोगों के चुंगल में फंसकर के अपने दायित्व को न भूल जाते तो इस हालत में नहीं पहुंचते इन लोगों के चुंगल में फंस करके अपने दायित्व को डा० फारूक अब्दुल्ला भूल गए और काश्मीर को तो बचाया नहीं, उनको नेशनल लीडर बनने की चिन्ता हो गई और ईन्टरनेशनल बनने की कोशिश करने लगे। जब इन्टरनेशनल बनने की कोशिश की तो इनके पांव तले की धरती निकल गई, उस ज्योतिषी की माफिक वह खाई में गिर गए।

यहां पूछते हैं कि नीति क्या है ? नीति स्पष्ट है। लोकशाही में बहुमत के आधार पर हुकूमत चलती है। जेठमलानी जी बैठे हैं, बड़ी बातें कर रहे थे बड़ी लम्बी चौड़ी, उनको बादाम रोगन का तेल लगाना चाहिए सिर पर 370 की बात करते करते उसको समाप्त करने की बात भी कह गए आज वह फारूक अब्दुल्ला की वकालत करते हैं। कहते हैं कि किसी की गर्दन काट कर उसको फूल माला पहना दी। काश्मीर की जनता की इन्होंने अपने ब्यान से गर्दन काट दी 370 को समाप्त करने की बात कह कर और उनके ईमानदार साथी बनने का प्रयत्न करते हैं। इस व्यक्ति ने जो वकालत की यहां पर और जो बड़ी-बड़ी बातें कीं, मुझे श्यामा प्रसाद मुकर्जी याद आते हैं जब मैं बाजपेयी जी को फारूक अब्दुल्ला से गले पकड़ कर बात करते देखता हूं और जब ये इस तरह की बातें करते हैं। जमात-ए-तलवा, जमात-ए इस्लामी, म्हाज-ए-आजमी, पीपल्स पार्टी और सिख छात्र फेडरेशन, इन सारे के सारे संगठनों के साथ रहकर इन्होंने अपने और काश्मीर की प्रजा के साथ जो कार्य किया है उसका फल उनको मिला है। आज मैं यह बात साफ कह दूं 42 के बहुमत से वहां पर मिल्टर शाह ने अपना शासन सभाल लिया और 32 व्यक्ति वाक आउट करके चले गए। राज्य के अन्दर जो बहुमत को ले लेता है अपने साथ उसकी हुकूमत रहती है। जिसके साथ अधिक वोट रहेंगे, उसके साथ सत्ता

7.00 म. प.

रहेगी। वहां पर यही हुआ है। ये कहते हैं कि वहां पर क्यों फौज की व्यवस्था की, तो क्या

वहां गुण्डों को गुण्डागर्दी करने देते। गुण्डागर्दी को रोकने के लिए, काश्मीर की उन हरी-भरी वादियों को आग से बचाने के लिए, वहां की जनता की जान-व-माल की रक्षा के लिए हमारा दायित्व हो जाता है कि वहां की रक्षा करें। जो वहां के मेम्बर हैं, हैं खुले रूप में बैठकर बहुमत के आधार पर अपना निर्णय करें और वह निर्णय वहां पर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे दो-चार मिनट और दे दें, तो मैं कुछ बातों का और उल्लेख करना चाहता हूं, जिन के सम्बन्ध में यहां पर नहीं कहा गया है। 19 मई, 1983 को कांग्रेस आई के कार्यालय को नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने पुलिस के सामने आग लगाई। 29 मई, 1983 को नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने बसों, ट्रकों, दुकानों में आग लगाकर लोगों को भयभीत किया। उसके बाद 3 जून, 1983 को प्रधान मन्त्री जी की सभा पर पथराव कराया गया और वहां पर नंगा-नाच किया, जिसका जिक्र श्रीमती वाजपेयी जी ने अपने भाषण में किया है। उसके बाद 15 जुलाई को मौलवी फारूक ने जहरीला भाषण देकर भारत से अलग होने की बात की। 8 अगस्त को मौलाना फारुक ने कशमिरियों को कहा कि हथियार उठा लो। 14 अगस्त को कई स्थानों पर लोगों को मारा-पीटा गया। 15 अगस्त को श्रीनगर के स्पोर्टस क्लब में बम फेंका गया, जहां पर डा. फारुक अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। उसके बाद वहां सितम्बर में काफी हाउस में बम फेंका गया। 15 सितम्बर को कांग्रेस के शान्त जलूस पर हमला किया गया। 9 अक्टूबर, 1983 को सूफी मोहम्मद ने राष्ट्र विरोधी भाषण देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। 13 अक्टूबर को वैस्ट इंडीज और भारत का क्रिकेट मैच हो रहा था तो वहां पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। 29 अक्टूबर को जम्मू-काश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आनन्द के घर पर बम फेंका गया। 7 नवम्बर, 1983 को कांग्रेस के शान्त जलूस पर नेशनल कांफ्रेंस के गुण्डों ने हमला किया। 27 दिसम्बर को जसेल सिंह भिंडरावाले का चित्र डा. फारुक अब्दुल्ला ने मुख्य मन्त्री की हैसियत से अपने आफिस में लगाया। इससे बढ़ कर शर्म की और क्या बात हो सकती है। 19 जनवरी, 1984 को सत्ता पक्ष नेशनल कांफ्रेंस ने काश्मीर बन्द का ऐलान करके लूटपाट की और पाकिस्तान जिन्दाबाद, खालिस्तान जिन्दाबाद आदि के नारे लगाए। उसके बाद गुरमत ट्रेनिंग सैन्टर की बात कही गई है। जिसका उल्लेख करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। 3 से 11 जुलाई के बीच में उधमपुर जिले की तहसील रियासी के ग्राम बरास में शिविर लगाया खालिस्तान के उग्रवादियों ने। उसके बाद 25 से 27 जून को पूछ के नगाली साहब में शिविर लगाया और वहां पर उपयोग की जारी बन्दूकों के माध्यम से एक व्यक्ति को गोली से मारा गया। उस समय डा. फारुख साहब उस क्षेत्र में थे। लेकिन उसकी जांच नहीं हुई। 8 से 10 जुलाई पलवामा के शादीमार्ग में शिविर लगाया, जहां पर उग्रवादियों को मदद दी जाती रही। 12 से 21 जुलाई में बारामूला में शिविर लगाया। वहां पर सारे साधन फारुख साहब ने जुटाए 14 से 29 सितम्बर के बीच तथा 7 से 9 अक्टूबर, 1983 में जम्मू-काश्मीर के डिगयाना आश्रम में उग्रवादी सिक्ख युवकों का शिविर लगा। जहां पर उन्होंने पूरी मदद दी। 2 जुलाई से पलवामा में जो शिविर उग्रवादी सिक्खों का लगा उसकी समाप्ति पर जो जलूस निकाला गया उसमें खालिस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान जिन्दाबाद, भिंडरावाला जिन्दाबाद के नारे लगाए गए और नारे लगाने वालों में डा. फारुख साहब भी थे। उसके बाद नानकपुर (गांधी नगर) जम्मू के अन्दर कई महीनों से उग्रवादियों की गतिविधियों को पूरी मदद दी जाती रही। खाना और

सारी सुविधायें जुटाते रहे। अब यह कहते हैं कि जगमोहन जी ने यह सारा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि श्री बी. के. नेहरु, जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने तथा उनको केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्रालय से कई सूचनायें गई कि फारुक साहब आपकी स्टेट में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और वे चैन की बंसी बजाते रहे और वहां पर काम करते रहे। मैं जगमोहन जी के बारे में कह सकता हूं कि उनको जो गवर्नर के नाते सही लगा, उन्होंने किया। उन्होंने तुरन्त उसको हकुमत बनाने के लिए नहीं कहा। जैसा कि श्री जेठमलानी और प्रो. सोज जी ने कहा कि वे लोग रात को वहां पर रहना चाहते थे, क्योंकि वे नेशनल कांफ्रेंस के लोगों से बहुत भयभीत थे, लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। आप गवर्नर हाउस में नहीं रह सकते हैं, यह कह कर उनको विदा कर दिया। उसके बाद डा. फारुक अब्दुल्ला को बुलाया और उन से कह कि आपके आदमी आप को छोड़ चुके हैं और उनको बहुमत मिल चुका है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से पूछूंगा। मैं कहना चाहता हूँ-अगर डा. फारुक अब्दुल्ला के साथ बहुमत था तो उस का फर्ज था कि जिस तरह से दूसरे लोग वहां पर पहुंचे थे, वह भी अपने साथियों को ले जा कर वहां पहुंचा और अपना बहुमत साबित करता। लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। उनके भाई, बहन, बहनोई, सब परिवार के लोगों ने और जो उनके मुख्य सचेतक थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया।

उन्होंने धार्मिक स्थानों के साथ खिलवाड़ की, शराब पीकर तरह-तरह की बातें करने लगे, जो काश्मीर के लोगों को सहन नहीं हुआ। वे बाहर जाकर ट्रेड यूनियन का शिविर लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं और वहां .. ** ..जा कर क्या करते हैं-मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनकी इन बातों के कारण उनके अपने परिवार के लोग, काश्मीर के लोग उनके खिलाफ हो गये, जिसके कारण उनको वहां से हटाना पड़ा। विरोधी पार्टियों के लोग जो आज उनका चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, वे किस मुंह से बचाव करना चाहते हैं, वह अपनी मौत अपने कर्मों से गिरा है, उसके अपने कर्मों का फल उसको भुगतना पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की अखंडता के लिए, काश्मीर के महत्व को देखते हुए बेहूदा और इधर-उधर की बातें न करें, बल्कि ऐसी बातें करें जिससे काश्मीर में शान्ति स्थापित हो।

मैं बतलाता हूं-केन्द्रीय सरकार ने किश्तवार की योजना के लिए 350 करोड़ रुपये दिये लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। प्रो. सोज ने कहा था कि वहां पर बिजली पैदा की जा सकता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या इस काम के लिए भारत सरकार ने 350 करोड़ रुपया नहीं दिया जिससे 1400 मैगावट बिजली पैदा की जा सकती है ? लेकिन अफसोस यह है कि अफसरों के रहने के लिए कालोनी बनाने की जमीन इन्होंने नहीं दी। नेशनल हाई-वे बनाने के लिए तरह-तरह की बाधायें खड़ी की, वहां इन की पी. डब्लू. डी. के इंजीनियरों की तरफ से चार-सौ-बीसी और भ्रष्टाचार चलता रहा। इस प्रकार की सरकार को वहां पर नहीं चलाया जा सकता था। वहां के लोगों ने, वहां के समझदार एम.एल.एज ने बहुमत के आधार पर उनको

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

वहां से हटाया है। राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहन न दो, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने पहले ही घोषणा की है कि मन्त्री ज्यादा से ज्यादा सायं 7 बजे उत्तर देंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के दो या तीन और नेताओं ने इस पर बोलना है और मैं समझता हूं कि इस तरह से जिन लोगों ने बोलना था उन्होंने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया है और वे इसके जोर नहीं डाल रहे हैं। इसलिए सारे विपक्ष की ओर से मैं चाहूंगा कि एक सदस्य बोले। अब श्री चन्द्रजीत यादव बोलेंगे। उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : क्यों ? कृपया मुझे भी बोलने के लिए समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास समय नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री मगन भाई बरोट : मुझे थोड़ा समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खेद है। मन्त्री महोदय को उत्तर देने में भी कुछ समय लगेगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर सकते हैं ?

श्री मगन भाई बरोट : हां, मैं कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। तब श्री बरोट बोलेंगे। ठीक 5 मिनट बाद मैं घंटी बजा दूंगा और दूसरे वक्त को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : श्रीमान, मेरे बारे में क्या निदेश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप घबराइये नहीं। आप पर भी वही नियम लागू होता है।

(**व्यवधान**)

श्री मगन भाई बरोट : लोकतंत्र में नेता कौन है या वहां कौन सी पार्टी है अगर इसका अंतिम फैसला लोगों को करना है तो अन्ततोगत्वा जम्मू और काश्मीर के लोगों का ही यह फैसला करना है कि,असली नेशनल कांफ्रेंस कौन सी है, लेकिन श्रीमान, हम राज्यपाल की कार्यवाही का संवैधानिक और कानूनी पक्ष पर विचार कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर में न केवल कानून है, बल्कि उच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया है कि... (**व्यवधान**)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : श्रीमान, वह पहले ही दल-बदल कर ..

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बरोट अपना ध्यान खुद रख लेंगे ।

श्री मगन भाई बरोट : जम्मू और काश्मीर उच्च न्यायालय ने 1982 में उसी नियम पर फैसला दिया था, उसी खण्ड उसी विषय यानि दल-बदल पर, आखिरकार फैसला दिया । अब यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है । मैं केवल रिकार्ड के लिए यह बातें कह रहा हूं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा करेंगे तो मन्त्री उत्तर नहीं दे पायेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जम्मू व काश्मीर में शक्ति परीक्षण हो चुका है । डा. फारूख अब्दुल्ला हाऊस से वाक आऊट करके चले गये अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहां केस पेंडिंग रह गया है ।

श्री मगन भाई बरोट : मैं इसके बारे में भी बता दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी व्यवधान का उत्तर न दें । कोई भी व्यवधान कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री मगन भाई बरोट : उस फैसले में जिसमें न्यायमूर्ति आनन्द खुद फैसले के अंग थे और है जहां बहुमत का फैसला माना जाता है बहां दल-बदल और दल-विभाजन दोनों के बारे में नियम निर्धारित हैं जहां तक राज्य का प्रश्न है, और उस उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल स्पष्ट कमा गया है कि विभाजन भी दल-बदल है और ऐसा सदस्य विधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता ।

यह रिकार्ड के लिए है । इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कहा कि यह मामला विचाराधीन है, निदेश जारी किए हैं कि आप विधान सभा के सदस्य रहोगे किन्तु आपको विधान सभा में मतदान अधिकार नहीं होगा । ठीक यही प्रश्न आज जम्मू और काश्मीर विधान सभा के सामने है कि-क्या इन 12 व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार है या नहीं या उन्हें उनकी सदस्यता को अवैध घोषित किया जा चुका है या नहीं । मैं सभा में सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि 23 मई, 1984 को श्री जी. एम. शाह ने अपनी नेशनल कांफ्रेंस का सम्मेलन बुला या । मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि नेशनल कांफ्रेंस का बहुमत श्री जी. एम. शाह के साथ है या डा. फारूक अब्दुल्ला के साथ, लेकिन निश्चित रूप से ये 12 सज्जन 23 मई के सम्मेलन में अपना समर्थन श्री शाह को देने के लिए उपस्थित नहीं थे ।

26 मई, 19 4 को, तीन दिन पश्चात, जब डा. फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस का सम्मेलन बुलाया, तो ये उपस्थित थे और उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की । अब प्रश्न यह है और माननीय राज्यपाल के सामने भी था न्यायालय के सामने भी था कि जिन 12 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से नेशनल कांफ्रेंस में कहा था कि वे डा. फारुक अब्दुल्ला के साथ हैं, क्या उन लोगों द्वारा यह कहा जाना कि हम दल-बदलू हैं मान्य हैं...(व्यवधान)

यह सत्य है कि उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है। मैं सविनय कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय जो कि इस फैसला का खुद एक अंग है, के माननीय न्यायालय ने कहा है...

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मगन भाई बरोट : यह जम्मू और काश्मीर उच्च न्यायालय का 1982 का फैसला है। कृपया उसे देखिये... (**व्यवधान**)

आप किन्हीं भी कारणों से चुनाव न रखना चाहें, लेकिन जहाँ तक सभा का सम्बन्ध है, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, संविधान का सम्बन्ध है, वे दल-बदलू हैं, और उन्हें मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है .. (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी अच्छे कानूनी पक्ष को रखा है।

श्री मगन भाई बरोट : 1982 में आपने एक पुस्तिका 'रेड पुस्तक' बटवाई थी। इसे कांग्रेस दल ने जारी किया था। ये बिल्कुल (**व्यवधान**)

1982 में उन्होंने एक लाल किताब (रेड बुक) नामक पुस्तिका बाँटी। वह श्री जी. एम. शाह के विरुद्ध आरोपों से भरी हुई थी। उन्हें एक पाकिस्तानी ऐजेन्ट के रूप में बताया गया था और एक विदेशी संस्था के साथ उनके संबंध के बारे उल्लेख भी किया गया था। उस पुस्तक में श्री जी. एम. शाह के विरूद्ध सब कुछ कहा गया था जिसके साथ उनका अब काश्मीर में गठजोड़ है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये वही श्री जी. एम. शाह हैं जिन्होंने 1977 में इस विचार का विरोध किया था जब श्री शेख अब्दुल्ला ने यह दिखाने के लिए कि भारत और काश्मीर एक है, श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आमन्त्रण दिया था। उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्र का हस्तक्षेप और आक्रमण है। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने श्री इन्दिरा गांधी द्वारा श्रीनगर से चुनाव लडने का विरोध किया था। यह सब ठीक है। आपका अब उनके साथ गठजोड़ है। परन्तु समय आयेगा जब आप स्वयं इस गठजोड़ के विरूद्ध बोलेंगे। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य 5 मिनट से अधिक नहीं लेगा। मन्त्री को कम से कम 7-30 म. प. तक उत्तर देना है।

* **श्री पुचालापल्ली वेंचालैया** (नेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय जम्मू और काश्मीर में जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं और जिनके कारण हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कलक लग गया है, बहुत ही खेदजनक हैं। जब देश में चारों ओर तनाव फैला हुआ है तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की

* तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

बात है कि सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रहीं राज्य सरकारों का तख्ता पलट कर,देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। यह नकेवल देश के लिए बल्कि इसकी उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि देश परेशानी से मुक्त रहे। चाहे यह सत्तारूढ़ दल हो अथवा विपक्षी दल, वे जनता द्वारा विधिवत चुने जाते हैं। वे जनता की वास्तिविक आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही दूर्भाग्य की बात है कि केन्द्र राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयत्न कर रहा है और उनके स्थान पर कठपुतली सरकारों की नियुक्ति कर रहा है।

आरंभ से ही केन्द्र गैर-कांग्रेस सरकारों वाले राज्यों की ओर कम ध्यान दे रहा है। यद्यपि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पिछड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें उनके विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई विकास योजनाओं की भी बड़ी बेदर्दी से काट-छांट करता है। बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक संकट के समय पर भी केन्द्र, इन राज्यों को कोई भी सहायता देने के लिए कभी-कभी तैयार हो पाता है। संयोगवस यदि कोई सहायता दी भी जाती है तो यह केवल ऋण के रूप में दी जाती है। यह कहना कि केन्द्र सभी राज्यों के साथ एक सा व्यवहार करता है, बिल्कुल अर्थहीन है।

केवल इतना ही, नहीं केन्द्र,राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों का तख्ता पलटना अपना पहला और सबसे बड़ा कर्त्तव्य समझता है। जम्मू और काश्मीर में हुई घटनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं। कांग्रेस-(इ) के कुछ माननीय सदस्यों ने इसी सभा में पहले से ही कर्नाटक सरकार को भग करने की माग करना शुरू कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है। इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार सोते हैं। डा० फारूक अब्दुल्ला की सरकार का विधिवत चुनाव और गठन हुआ था। 77 सदस्यों वाले विधान मण्डल में डा० फारूक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। कांग्रेस (इ) दल को, जिसने पिछले चुनावों में केवल 26 सीटें प्राप्त की, सरकार चलाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सत्ता के लिए अपनी लालसा के कारण कांग्रेस (इ) दल ने सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस दल को विभाजित करने का खेल खेलना शुरू कर दिया। नेशनल कान्फ्रेन्स के कुछ लालची सदस्यों ने उनके संधि-प्रस्तावों का भली प्रकार से उत्तर दिया। इसके फलस्वरूप नेशनल कान्फ्रेन्स दो भागों में बट गई (व्यवधान) जिन व्यक्तियों ने केन्द्र सरकार का साथ दिया, उन्हें राज्य सरकार चलाने का कार्यभार सौंपा गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति प्रजातंत्र का रक्षक होने का दावा करते हैं उन्होंने इतने घटिया तरीके अपनाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पेंचालैया, कृपया अन्तिम वाक्य पढ़िये और अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री पुचालापल्ली पेंचालैया : केवल यही नहीं। यह एक प्रथा है कि मुख्य मन्त्री की शक्ति को विधान सभा में ओंका जाए। डा. फारूक ने राज्यपाल को विधान सभा को बुलाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वें अपनी शक्ति को सिद्ध कर सके। दुर्भाग्यवश, राज्यपाल ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उस सरकार

को बर्खास्त कर दिया जिसका डा. फारूक नेतृत्व कर रहे थे और बहाना यह बनाया कि इसने बहुमत खो दिया राज्यपाल का यह व्यवहार प्रजातन्त्र के बहुत ही पुराने सिद्धान्तों के विपरीत है। यह आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल ने, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सही सलाह देकर एक रचनात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए थी, एक अलोकतत्रीय तरीके से काम लिया है।

जम्मू और काश्मीर केवल एक ऐसा राज्य है जिसने दलबदल विरोधी कानून अधिनियमित किया है। उस कानून के अनुसार किसी भी दलबदलू को मतदेने का अधिकार नहीं है। वर्तमान राज्य मन्त्री मण्डल में सभी 12 सदस्य हैं जिन्होंने अपनी सम्बद्धता बदली है। यह ऐसी सरकार है जिसे अलोकतत्रीय रूप से बनाया गया गया है। दलबदल तथा दलबदलुओं को दिया गया प्रोत्साहन हमारे राजनीतिक ढांचे को केवल और बदनाम करेगा। यदि इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए तत्काल कदम न उठाए गए तो हमारे देश का कोई भविष्य नहीं रहेगा।

इस विशेष नाजुक मोड़ पर मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वे सब एक हो जाएं और अपनी पूरी ताकत के साथ प्रजातन्त्र की रक्षा करें। महोदय, आपने जो मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय। श्री चन्द्रजीत यादव अन्तिम बोलने वाले सदस्य होंगे। उसके बाद मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री ए.के. राय : उपान्तिम भाषण परन्तु महत्वपूर्ण।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पांच मिनट के लिए भाषण होगा।

श्री ए. के. राय : परन्तु मेरा भाषण टिकाऊ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का मेरा कोई विचार नहीं था.....

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप बैठ सकते हैं। मैं श्री चन्द्रजीत यादव को बुलाता हूँ।

श्री ए. के. राय : वही तो मैं आपको बता रहा हूं।

मेरा एक विचार था कि सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस दल, एक माननीय दल होने के अतिरिक्त एक बुद्धिमान दल भी है। परन्तु जिस प्रकार से इस दल ने काश्मीर में व्यवहार किया है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस दल और जनता दल में कोई अन्तर नहीं है। हमें चिंता इस बात की हो रही है कि अपने कार्यकाल के बिलकुल अन्त में कांग्रेस दल उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है जिस प्रकार जनता दल ने किया था। मुझे डर है कि कांग्रेस दल का भी वही हाल होगा जो जनता दल का हुआ था। महोदय, सभा ने कई तथ्यों और मनगढ़त बातों, सच्ची बात तथा कहानियों के बारे में भी सुना। राज्यपाल ने मंत्री मण्डल के विरुद्ध और मंत्रि मण्डल ने देश के विरूद्ध किस प्रकार षड़यन्त्र रचा, इसके बारे में भी सुना। विभिन्न नामों अर्थात फारूक अब्दुल्ला, तारिक अब्दुल्ला और अन्य कितने ही व्यक्तियों का उल्लेख किया गया। यह बहुत ही

चकरा देने वाली बात है। सभा को गुमराह तथा इसे चक्कर में डालने के लिए, विधि के कई प्रकाण्ड विद्वानों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों ने अपनी सुविज्ञता का प्रयोग किया है। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ।

मैं तो केवल दो बातें जानता हूँ जिन्हें मैंने सुना है और जिनकी जानकारी मुझे अपने अल्प राजनीतिक जीवन से प्राप्त हुई है। दलबदल दो प्रकार के होते हैं। एक तो, कारगार दलबदल और दूसरा दोषपूर्ण दलबदल कारगर दलबदल का अर्थ है कि प्रत्येक दलबदल मन्त्री बनेगा। कांग्रेस दल की मुझे प्रशंसा करनी चाहिए कि इसने कारगर दलबदल का निर्माण किया ताकि सभी दलबदलू मंत्री बन सकें। इन बातों को दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। कभी थोड़ी मात्रा में दलबदल होता है। और कभी अन्धाधुन्ध दलबदल होता है। हम इसे कारगार अन्धाधुन्ध दलबदल कह सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वास्तव में चकरा गये हैं।

श्री ए. के. राय : सवाल कुछ घटनाओं को सक्षेप में समझने का नहीं है। घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात महत्वपूर्ण है, वह है उद्देश्य। मुझे याद है जनता दल के समय दलबदल के विरोधी विधेयक सभा में रखा गया था। श्री मधु लिमये ने खड़े होकर इसका विरोध किया था और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था जिनके द्वारा काश्मीर उच्च न्यायालय ने यह याचिका रद्द की है।

श्री लिमये ने यह प्रश्न उठाया था "यह युद्ध तानाशाही और प्रजातंत्र के बीच है। यह युद्ध 'वॉपीजम" और संसद सदस्यों की स्वतंत्रता के बीच है।" यदि यह केवल संसद सदस्यों की स्वतन्त्रता की बात होती तथा स्वभाविक दलबदल, छोड़ने की बात होती, तो कोई भी कुछ न कहता। परन्तु क्या ऐसी बात है ? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि ऐसी बात है ? कुछ सदस्यों ने अपने विवेकानुसार यह समझा कि हमें अलग हो जाना चाहिये और वे अलग हो गये।

श्री बी. आर. भगत, सभा के बहुत वरिष्ठ सदस्य है। जब हम राजनीति में भी नहीं थे, तब भी उनका नाम सुना करते थे। मुझे और कई वरिष्ठ सदस्यों को उनसे यह आशा थी कि इस पूरे वाद-विवाद के अन्त मे वे कुछ सही आत्मविश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के जीवन का विश्लेषण 'हैमलेट' के जीवन के रूप में करना आरंभ किया। क्या वे फारूक अब्दुल्ला को हैमलेट के रूप में समझते हैं। यही तो हम कहना चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला हैमलेट हैं। तब होरेशियो कौन है जिसके पास उन्होंने विश्व को यह बताने के लिए सन्देश छोड़ा था कि डेनमार्क के युवराज के साथ वहां क्या हुआ।

जिन्दा रहूँ अथवा नहीं रहूँ, यही तो प्रश्न है। क्या परेशानी के समुद्र के विरूद्ध शस्त्र उठाये जाएं।" आप नहीं जानते कि उल्लेख किस प्रकार किया जाता है। इस सभा और बाहर सारे देश को बताने के लिए कि डेनमार्क में क्या हुआ और आपने किस प्रकार

व्यवहार, किया आपने फारूक अब्दुल्ला को एक छोटा-सा हैमलेट और श्रीमान होरेशियो बना दिया। यही विषय तो चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, इस घण्टी के माध्यम से आपको स्मरण करा रहा हूं कि आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री ए. के. राय : सभा में कई कहानियां सुनाई गई जो शोर और गुस्से से भरी थीं। परन्तु उनका अर्थ कुछ नहीं था। मैं मैम्बेर के उद्धरण नहीं दे रहा हूं। परन्तु मैं इस अपमानित माननीय गृह मंत्री और अपमानित माननीय विदेश मंत्री से एक बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक सम्मानित विदेश मत्री थे और गृह मंत्री के रूप में भी वे सम्मान प्राप्त करेंगे।

श्री ए. के. राय : उद्दीपृ विदेश मन्त्री और एक बुछा हुआ गृह मंत्री। वही तो मैं कह रहा हूं।

प्लेटो के 'रिपब्लिक' में सुकरात ने पूछा कि न्याय क्या है। उसके कई अनुयाइयों ने उत्तर दिया "न्याय का अर्थ यह है, न्याय का अर्थ वह है"। तत्पश्चात उनके एक अनुयायी 'फ्रैसी मैकस' ने कहा कि "न्याय ताकतवर के हित के अलावा कुछ नहीं है"। जिसकी लाठी उसी की भैंस। सुकरात ने इसका विरोध किया और तत्पश्चात वाद-विवाद चला और फलस्वरुप दुनियां का एक उत्कृष्ट साहित्य प्लेटो के रिपब्लिक (गणराज्य) की रचना हुई। अब हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल वही सिद्धान्त प्रयोग में ला रहा है। न्याय, ताकतवर के हित के अलावा कुछ भी नहीं ; वे ताकतवर हैं वे सीटें ग्रहण कर रहे हैं चाहे अस्थायी ही क्यों न हो कोई भी व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। इसलिए ताकतवर के हित में जो कुछ भी हुआ है वही न्याय है और जो दल बदलया वह "न्यायोचित" है। वह, "न्यायोचित" मंत्रालय है और सभी कुछ 'न्यायोचित' हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि डा. फारूक अब्दुल्ला भारत की मुख्य धारा में स्वयं को नहीं ला रहे थे और कश्मीर में काफी साम्प्रदायिकतावाद था···

एक माननीय सदस्य : आपकी क्या राय है ?

श्री ए. के. राय : मेरी राय में भी कश्मीर में साम्प्रदायिक प्रवृति बढ़ गई है। यह मेरी राय है। क्यों ? क्योंकि डा. फारुक अब्दुल्ला भारत की मुख्य धारा में आये, क्योंकि भारत की मुख्यधारा में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, देशकी मुख्य धारा के अन्दर ही साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। अत: भारत के अन्य भागों के साम्प्रदायिकता की बीमारी कश्मीर में भी लग गई है। मैं आपके साथ पूर्णत: सहमत हूं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? असम में साम्प्रदायिकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है ? बिहार, हैदरावाद तथा अन्य क्षेत्रों में साम्प्रदायवाद के लिए कौन

जिम्मेदार है ? क्या अहमदाबाद अथवा हैदराबाद या औरंगाबाद या इलाहाबाद सभी 'बाद' बुरे हो गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। कृपया इस मामले की तह में पायें। राष्ट्र देखेगा। कश्मीर में कुछ में ससदीय नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री ए. के. राय : यहां आप घंटी बजा रहे हैं। वहां अध्यक्ष को जबरदस्ती उठाकर फेंक दिया गया है। यहां पर आप घंटी बजा रहे हैं और हम लोग बैठे हुये हैं। वहां पर अध्यक्ष को जबरदस्ती उठाकर·····

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा, मुझे भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

श्री ए. के. राय : लोगों ने अनुच्छेद 370 के संवैधानिक उपबंध का स्पष्ट विश्लेषण किया। अनुच्छेद 370 में विधायकों को तस्करी के रूप में राज्यपाल के घर ले जाने का प्रावधान नहीं है। अगर आप नियम पुस्तक का विश्लेषण करें तो वहां रखी नियम पुस्तक में 389 से ज्यादा लिखित नियम हैं, उनमें अध्यक्ष को जबरदस्ती उसकी सीट से उठा कर····· का कोई नियम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब उस पर चर्चा मत करिये। कृपया समाप्त कीजिये। मैं श्री चन्द्रजीत यादव को बुला रहा हूँ।

श्री ए. के. राय : सिर्फ एक मिनट। कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता का युद्ध अभी भी जारी है और भारत में अन्य क्षेत्रों में, हम इस युद्ध में हार रहे हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है और मैं चेतावनी देता हूं कि सरकार को पूरी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और कुछ उदाहरण वापस करने चाहिए ताकि पूरे देश में इनकी प्रतिक्रिया हो एवं प्रभाव पड़े।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में, डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी भारत सरकार द्वारा किसी भी गैस कांग्रेस-(इ) राज्य सरकार के विरुद्ध की गई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही का एक अनोखा नमूना है, मैं इस निष्कर्ष पर इस बात से पहुंचा हूं कि 5 जून, 1983 से, जब से डा. फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आये थे, कांग्रेस-इ दल ने पूरे देश में एक वातावरण उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। पहली बात यह थी कि उन्होंने डा. अब्दुल्ला पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया अगर चुनाओं में गड़बड़ी हुई होती तो वे चुनाव याचिका दायर कर अदालत में जा सकते थे। किन्तु उन्होंने वह वैध तरीका, लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया। किन्तु ऐसा करने की बजाय जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस (इ) नेताओं को पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य में जाने के लिए दिल्ली से प्रोत्साहित किया जा रहा था इसके अलावा डा. फारूक की बैठकों को रोकना और बाधायें खड़ी करना, प्रदर्शन करना तथा हिंसक प्रदर्शनों के लिए उन्हें दिल्ली से प्रोत्साहित किया जा रहा था। जब विधान सभा अधिवेशन के लिए बुलाई जा रही थी तो सम्पूर्ण कांग्रेस (इ)

सदस्यों, जो कि विरोधी दल में बैठे हुये थे, वे विधान सभा की कार्यवाही को रोक दिया। प्रथम दिन से ही उन्होंने डा. फारूक अब्दुल्ला को ठीक से कार्य नहीं करने दिया। मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि कुछ माननीय सदस्य लोक सभा के लिए पहली बार चुने गये थे। जब वे सदन में बैठने के लिए आये—यह बहुत ही अभूतपूर्व था, जब से लोक सभा गठित हुई थी—ना मैंने कभी देखा और न ही सुना—उन सदस्यों को शपथ लेने से रोका गया। एक कांग्रेस (इ) के माननीय सदस्य ने उन्हें शपथ लेने से रोका··· (व्यवधान) मैं सिर्फ आप को याद दिला रहा हूं। यह आपको शायद अच्छा न लगे परन्तु इससे पता चलता है कि किस प्रकार उनका दिमाग कार्य कर रहा था।

अब गृह मन्त्री जी कहेंगे कि डा. फारूक अब्दुल्ला ने बहुमत खो दिया है इसलिए राज्यपाल ने अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर दिया। सत्ताधारी पक्ष के सारे वाद-विवाद का अभिप्राय यह था, नहीं डा. फारुक अब्दुल्ला सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को न सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे थे अपितु उसमें आसक्त भी थे। यह पहली एक बात है। दूसरा आरोप यह था कि वह जम्मू और कश्मीर में पृथकतावाद को बढ़ावा दे रहे थे। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी इस सदन को बतायें और देश को विश्वास में लें। जब उन्हें पर मालूम हुआ कि राज्य का मुख्य मन्त्री राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बहुत ही अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं क्या उस समय उन्हें इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा गया था? क्या उन्हें दिल्ली बुलाकर बताया गया था कि आप राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। मैं जानना चाहूंगा।

यहां पर डा. फारूक अब्दुल्ला का जीवन वृत दिया गया है जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वे बचपन से ही राष्ट्रवादी नहीं थे, देशभक्त नहीं थे और शुरू से ही वे राष्ट्र-विरोधी थे। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी जब जवाब दें तो एक बात बतायें। क्या वह सच नहीं है कि आपका दल डा फारूक अब्दुल्ला के साथ चुनाव समझौता करने की कोशिश कर रहा था? किसी ने भी इसका खण्डन नहीं किया, कि इस पर वार्ता की जा रही थी और समझौते हुये थे। अगर वह राष्ट्र-विरोधी थे तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव समझौता कर रहे थे? दूसरे क्या यह सच नहीं है कि जब सीटों में बंटवारे के लिए जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनाव वार्ता चल रही थी तो उन्हें श्री नगर में बुलाया। वह सीमा सुरक्षा बल के विमान में दिल्ली आये और समझौता हो गया था? अन्तिम समझौते के लिए उन्हें शाम 8 बजे प्रधान मन्त्री के निवास पर पहुंचना था और कांग्रेस (ई) के प्रमुख सदस्यों ने आरोप लगाया कि वे नहीं आए। शाम 8 बजे के बजाय वे रात 11.30 बजे आये। इसलिए समझौता नहीं हो सका। जब वे आये तो, उन्होने कहा, नहीं, अब मेरे कुछ मन्त्रिमंडल के सहयोगी इस समझौते के विरुद्ध हैं। इसलिए मैं समझौता नहीं कर सकता। अब आप यह कह रहे हैं और आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वह राष्ट्र विरोधी रहे हैं। परन्तु आखिरी क्षण तक आप उन्हें समझौता करने के लिए मनाते रहे। क्या मुझे इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि जब यह आपके राजनैतिक हितों के अनुकूल होता है तो सभी लोग राष्ट्रवादी हो जाते हैं और जब आपके राजनैतिक हितों के अनुकूल नहीं होता तो सभी व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी बन जाते हैं।

महोदय, जम्मू और कश्मीक में सत्ताधारी दल ने राष्ट्रीय हित को दल के हित के अधीन कर दिया है। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बरखास्ती से जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावात्मक अखंडता को भारी धक्का पहुंचा है।

महोदय, उनकी बरखास्तगी के पश्चात उन्होंने एक बैठक आयोजित की। यह जम्मू और कश्मीर में हुई 1953 के पश्चात की सबसे बड़ी बैठक थी। और जिन व्यक्तियों ने श्रीनगर तथा जम्मू और कश्मीर स्थिति को देखा हो वे जानते होंगें कि जो कार्य किये गये थे उनके प्रति किस प्रकार ये लोग भाजुकतापूर्ण थे। इस बरखास्तगी ने सम्पूर्ण कश्मीरियों को भारतवासियों से विमुख कर दिया है और वास्तव में यह राष्ट्र-विरोधी है। डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकार की बरखास्तगी इस मायने में राष्ट्र-विरोधी है कि जब डा. फारुक अब्दुल्ला देश में सभी जगह जा रहे थे और कह रहे थे कि भारत के साथ विलय अपरिवर्तनीय है। उस समय यह कार्यवाही करना, मेरे विचार से..... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तथा श्रीनगर में कुछ नारे लगाये जा रहे थे। (व्यवधान) सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि श्रीनगर में खालिस्तान-समर्थक नारे लगाये गये थे। क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं ?

क्या यह सच नहीं है कि गत माह के दौरान दिल्ली के एक या दो गुरुद्वारों में खालिस्तान समर्थक नारे लगाये गये थे ? उस समय आपने क्या किया ? नारे लगाने का अर्थ राष्ट्र-विरोधी कार्य करना नही होता। (व्यवधान)

कृपया सुनिये। मैं अन्तर समझता हूं। मैं सरकार के इस अनुमान से सहमत नहीं हूं कि डा. फारुक अब्दुल्ला राष्ट्र-विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रहे थे। मेरे विचार में हमें अपनी शक्ति के साथ इस आरोप का विरोध करना चाहिए। डा. फारुक अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस के मुख्य मंत्रियों में से हैं जिन्होंने सारे देश में जाकर के और यह कह करके कि हम भारत के हैं, भारत में इसका विलय अन्तिम और अटल है। वह काम किया जो उनके पिता नहीं कर सके। मैं इस बात का गवाह हूं।

महोदय, उनकी सरकार को बर्खास्त किये जाने के बाद—हममें से कुछ लोग श्री नगर में थे—वहां 30,000 से कम भीड़ नहीं थी। उन्होंने कर्फ्यू का उल्लंघन किया और मुजाहिद मंजल में एकत्र हो गये। उनकी सरकार को बर्खास्त किये जाने से यद्यपि भीड़ क्रोधित और दु:खित थी किन्तु फिर भी लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा.....

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : इस बात की प्रेस रिपोर्ट है कि वहां पाकिस्तान-समर्थक नारे लगाये गये थे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वहां पाकिस्तान-समर्थक नारे नहीं लगाये गये थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। आप प्रेस रिपोर्ट के पीछे क्यों जाते हैं। (व्यवधान) आपके गृह मंत्री उत्तर

देंगे । कृपया बीच में मत बोलिये । इसीलिये, महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में भी, जबकि असंवधानिक रूप से डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किये जाने के परिणाम स्वरूप भीड़ क्रोधित थी और दुःखी थी, उस भीड़ में भी डा. फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि "आप देखिए कि विरोधी दल के कुछ नेता जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में जाने माने लोग हैं, हम हुकूमते हिन्दुस्तान के गलत कामों के खिलाफ हैं ।" उस भीड़ के समक्ष यह कहने का उनमें ही साहस था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहां कुछ विदेशी संवाददाता उपस्थित थे, जो न तो उर्दू समझते थे और न हिन्दी ही, उनसे उन्होंने कहा कि काश्मीर का भारत में विलय अटल है और अन्तिम है । यह डा. फारूक अब्दुल्ला का बयान है । यहां तक कि वह सीमावर्ती प्रदेशों में गये और युवकों से कहा कि "पाकिस्तान को भूल जाओ, आप देख रहे हैं कि सीमा के पार क्या हो रहा है जहां सैनिक शासन है । आप लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी है, वह भारत के साथ मिलकर लड़ो ।" अतः उस युवा मुख्य मंत्री और लोगों द्वारा चुने गये नेता को जो सारे राज्य का दौरा करता था और जम्मू और काश्मीर के लोगों में भारत के लोगों के साथ भावात्मक एकता लाने की चेष्टा करता था अब बर्खास्त कर दिया गया है ।

गृह मंत्री जी, अब यदि यह मान लें कि आपने ऐसा सोचा कि वह सीमावर्ती प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूर्ण सतर्क नहीं रह सके, तो क्या आप इस बात को भूल सकते हैं कि मौजूदा मुख्य मंत्री, जिन्हें आपने अपनी सहायता से सत्तारूढ़ किया है, जिसकी गतिविधियां गत 20 वर्षों से जानी-मानी हैं, सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कर सकेंगे ? जब डा. फारूक अब्दुल्ला के बुरे दिन थे तब वह परेशान थे । किन्तु यह व्यक्ति क्या कर रहा था ? अब, गृह मंत्री जी स्वय अपना दिखाई देखें । उस समय भारत सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला था कि यही वह व्यक्ति है जो पाकिस्तान तथा अन्य लोगों के साथ मिला हुआ है और अब उसी व्यक्ति को सीमावर्ती राज्य का प्रशासक बना दिया है जिसके बारे में हमारी सरकार बहुत अधिक चिंतत है ।

दूसरी बात है अमरीका द्वारा अपने देश के टुकड़े-टुकड़े किया जाना । यदि अमरीका इस देश के टुकड़े-टुकड़े करने को तैयार है और सभी इस बात को जानते हैं कि वह किस प्रकार अपने देश के चारों ओर किस प्रकार की हरकतें कर रहा है और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है । यह सर्वविदित है । वर्तमान नेतृत्व को पूरा समर्थन दे करके क्या आप सचमुच देश के टुकड़े-टुकड़े करने की धमकी का मुकाबला करने जा रहे हैं ? पंजाब में सैनिक कार्यवाही करने में इतनी देरी की गई और आप आतंक वादियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने में असफल रहे । अन्ततोगत्वा सारी सिख समुदाय अप्रसन्न हो गया । काश्मीर में डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करके अपने वहां के लोगों को नाराज कर दिया है । यदि सीमावर्ती राज्य के लोगों को नाराज कर दिया जाएगा, तो सैनिक प्रशासन अपने देश की प्रभुसत्ता और सुरक्षा की देखभाल नहीं कर पायेगा । आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा । अप्रसन्न और असंतुष्ट व्यक्ति सदा ही मूक दर्शक नहीं बने रह सकते ।

मैं गृह मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं । क्या यह सच है कि राज्यपाल ने यह सिफारिश की थी कि यदि डा. फारूक अब्दुल्ला को हटाया जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें उनसे अच्छा व्यक्ति नहीं प्राप्त हो रहा है ? वर्त्तमान

स्थिति में केवल राष्ट्रपति शासन ही सम्भव है। वर्त्तमान राज्यपाल ने यह सिफारिश की थी और उनसे पहले के राज्यपाल श्री वी. के. नेहरू ने जो कहा था उसे सम्वाददाता ने यों उद्धृत किया था कि यदि डा. फारुक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि भारत सरकार को उनके स्थान की पूर्ति के लिए उनसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। किन्तु वर्त्तमान स्थिति में उनके स्थान पर सबसे खराब व्यक्ति लाया गया है।

इसलिए, भारत सरकार के इस कार्य से हमारी राष्ट्रीय एकता को कोई बल नहीं मिल रहा है और न इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दृढ़ हुई है बल्कि कमजोर हुई है और यह भी सिद्ध होता है कि भारत सरकार बहुत ही अलोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है। देश भर में यह धारणा व्याप्त होती जा रही है कि केन्द्र राज्यों में किसी भी गैर कांग्रेस (इ) सरकार को कार्यरत नही रहने देना चाहता हूँ। भारतीय लोकतन्त्र के भविष्य के लिये यह बहुत ही अलोक तांत्रिक और अस्वस्थ प्रक्रिया है।

गृह मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर यह एक लम्बी चर्चा चली है—लम्बी, व्यापक, कहीं कहीं पांडादार्या— लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि यह ठीक ही रही है, क्योंकि सभी विचार प्रकट किए गए हैं। पच्चीस सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और मैं उन सभी का आभारी हूं।

आरम्भ में मैं एक प्रश्न को निपटना चाहूंगा जो हमारे न्यायालयों में जिरह के दौरान प्राय: पूछा जाता है। यह ऐसा है या वैसा है ? क्या डा. फारुक अब्दुल्ला को इसलिए बर्खास्त किया गया कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था या उसे इसलिए बर्खास्त किया गया कि उसके शासनकाल में राष्ट्र विरोधी शक्तियों जोर पकड़ गई थीं ? नि:सन्देह इस चर्चा में दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा ही होना चाहिए था और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है।

इस विषय पर जो वक्तव्य दिया गया था उसका शीर्षक था काश्मीर में हाल ही में हुई घटनाएं'। अब, हाल ही की घटनाओं का अर्थ केवल डा. फारुक अब्दुल्ला की बर्खास्तगी नहीं हो सकता, स्वाभाविक तौर पर इसका अभिप्राय और भी बहुत सी अन्य बातों से था। यह एक विशाल प्रश्न से निपटा जाना जरूरी था। अब, किसी ने पूछा था कि क्या यह विशाल प्रश्न का हाल ही की घटनाओं का अर्थ 1983 की अमुक अमुक तिथियों से है, जिसका कि मैंने तुरन्त उत्तर दिया था कि 'हाल की घटनाएं'। ऐसी चीज है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। सरकार के विचार में, ये हाल की घटनाएं हैं, जिन्हें हमने सदन के सम्मुख रखा है। और भी घटनाएं हुई हैं, पुरानी घटनाएं, तथा बाद की घटनाएं जो आज प्रकाश में आई हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के अन्तर्गत सदन को जो कुछ बताया जाना था, वह हमारे विचार से हाल की घटनाएं थी जैसा कि हमने उन्हें समझा।

इसी तरह से मैं सदन को विश्वास में लेने में भी सकोच नहीं करता हूं क्योंकि ये दो प्रश्न इस ढंग से पूछे गए हैं जैसे कि ये परस्पर भिन्न हों। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यदि राष्ट्र विरोधी शक्तियों आदि से सम्बन्धित अन्य घटनाएं न भी हुई होतीं—मैं पुनः कहता हूं कि,

न भी हुई होतीं—लेकिन डा. फारुक अब्दुल्ला या उनके स्थान पर कोई और भी मुख्य मन्त्री, एक विशेष अवसर पर अपना बहुमत खो देते तो उनकी मुख्य मन्त्री की कुर्सी जाती रहती। इसलिए, यह बहुत स्पष्ट है कि बिना किसी अन्य बात के, उनका बहुमत खो देना ही उन्हें जम्मू एवं काश्मीर के मुख्य मन्त्री बने रहने के अधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त था। यह कैसे किया गया, क्या यह संविधान तथा कानून आदि के अनुसार किया गया, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, और मैं इस मामले की ओर थोड़ी देर में आऊंगा। पहले मैं अन्य पहलुओं का उल्लेख कर लूं।

दूसरी ओर, हाल की घटनाओं जैसा कि हमने उन्हें समझा है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियों को इस शासन काल के दौरान काफी प्रोत्साहन मिला।

मैं इसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर नहीं डाल रहा हूँ। इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के पूर्ववृत्त में नहीं जाऊंगा। इस बारे में भी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभिलेख देखे हैं। इसलिए मान लीजिए कि डा० फारूक अब्दुल्ला ने अपना बहुमत न खोया होता, यह सच है कि उस खास दिन को उन्हें कुछ न हुआ होता। लेकिन, जिस ढंग से घटना चक्र चल रहा था, जिस ढंग से ये शक्तियां मजबूत होती जा रही थी और केन्द्र सरकार से बार बार पत्र लिखे जाने तथा अनुरोध किए जाने के बावजूद जिस प्रकार डा. फारूक अब्दुल्ला इन शक्तियों पर काबू पाने में प्रभावी नहीं हो पा रहे थे, जिस ढंग से ये चीजें बिगड़ती जा रही थीं, मैं नहीं कह सकता कि क्या हो गया होता। इसके साथ-साथ मै यह नहीं कहूंगा कि कुछ भी न हुआ होता। हो सकता है मुझे इस सदन के सम्मुख आना पड़ता मैं सभी तथ्य सदन के सम्मुख रखता, चर्चा के लिए कहता तथा सदन के सम्मुख लाए गए तथ्यों के प्रकाश में मैं निश्चय ही सदस्यों से पूछता कि उनके विचार में क्या किया जाना चाहिये। या मैं उस समय सही निर्णय लेता जब ऐसा निर्णय लेना अपरिहार्य हो जाता और उसके बाद सदन के सम्मुख आता तथा सभी तथ्यों की जानकारी एक बार फिर सदन को देता। इसलिए आप यह क्यों चाहते हैं कि मैं इस बारे में अटकलबाजी करूं।

जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यह सच है कि अन्त में जो बात हुई थी जिससे स्थिति तत्काल गड़बड़ा गई वह यह थी कि उन्होंने अपना बहुमत खो दिया था। अन्त तो गत्वा वह गुणों के मूर्तिमान आदर्श हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी न किया हो। हो सकता है कि वह एक महान राष्ट्रवादी हों। लेकिन उन्हें सत्ता में बनाये रखने का मुझे इसलिए अधिकार नहीं है क्यों कि वह महान राष्ट्र-वादी है। राज्यपाल उन्हें इस कारण भी चलने नहीं दे सकते थे कि वह उन्हें चाहते हैं या हम उन्हें चाहते हैं इसलिए यह किस प्रकार का प्रश्न है मैं अपनी बात न कह सकूं इसीलिए आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं पर यह तरीका ठीक नहीं है और अपनी कोई भी बात सही सिद्ध करने का भी यह उचित तरीका नहीं है।

वहां दोनों बातें थीं। जैसाकि मैं कह चुका हूं कि बात इतनी बढ गई थी, वे लोग इतना

आगे बढ़ चुके थे कि वहां से लौट नहीं सकते थे। इस बात को मैं दूसरे सदन में कह चुका हूं। मैंने यह बात यहां भी नहीं थी उन लोगों के सम्बन्ध से ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि श्वेत पत्र निकाला जाता जो कि स्वयं साक्ष्य है। मैंने केवल प्रवृत्ति का बढ़ती हुई अस्थिरता के बारे में कहा था। उदाहरण भी दिये गये हैं। घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मैं उन्हें दोबारा भी उद्धरित कर सकता हूं। किन्तु चूंकि सदस्यगण उन्हें पहले उद्धरित कर चुक हैं और उन्होंने इसका बिरोध भी नहीं किया इसलिये मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अब मैं अर्थात् अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या इन सभी घटनाओं को एक साथ रखा जाये तो क्या स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि राज्यपाल को उसमें दखल देना आवश्यक हो गया था? यह पुनः एक कल्पनात्मक प्रश्न है क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी।

इसके साथ-साथ एक और स्थिति पैदा होने लगी थी और इस नई स्थिति के कारण मैं अपने वक्तव्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं दूसरी स्थिति के कारण ही कार्यवाही की गई और आज की स्थिति हमारे सामने है। इसलिए इस बढ़ते हुए प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाना इस समय मुद्दे से परे जाना होगा। किन्तु जो कुछ कहा गया है, उसके साथ मैं उत्तरदायित्व पूर्वक कुछ और भी कहना चाहूंगा। इन घटनाओं के साथ-साथ हमारे पास ऐसे पर्याप्त प्रमाण है कि सोमवर्ती क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में सवेदनशील क्षेत्रों में और कुछ अधिकारियों को यहां तक कि कुछ कर्मचारियों को पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र दिये गये थे और लायसेंस देने में अत्याधिक नरमी बरती जा रही थी।

8.00 म० प०

इन सब बातों की अफवाहें फैल रही थी। इनमें से प्रत्येक अफवाह स्वयं में प्रमाणिक नहीं हो सकती है किन्तु बात यह है कि संवेदन शील क्षेत्रों में इनमें से प्रत्येक अफवाह का महत्व होता है और इसका महत्व सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इतने पर भी उनके आधार पर हमने कोई कार्यवाही नहीं की।

अब वैधानिक संवैधानिक और औचित्य के प्रश्न पर आता हूं और आगे बात कहने से पूर्व मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में हुए बाद-विवाद के दौरान, इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था, और उस बाद-विवाद में यह उद्घोषित और स्पष्ट हो गया था तथा डा० अम्बेदकर ने जो स्वयं कहा था, उसे मैं उद्धृत करता हूं:—

> "इच्छा प्रयन्त से हमेशा यह समझा जाता है कि यह इच्छा सदा नहीं चल सकती चाहे मंत्रिमंडल ने बहुमत का विश्वास खो दिया हो। जैसे ही मंत्रिमंडल बहुमत खो देता है; तो यह समझा जाता है कि राज्यपाल अपनी इच्छा का प्रयोग करेगा।"

ये शब्द डा० अम्बेदकर के हैं।

इसके साथ ही एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयुक्त बात, जिस पर

यहां ध्यान देने की आवश्यकता है यह है कि संविधान के कुछ प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से काम लेने के कुछ अधिकार दिये जा रहे थे। प्रश्न यह उठा कि क्या राज्यपाल को इतनी अधिक स्वेच्छा से काम लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्या यह वांछनीय है क्या यह उचित है; और क्या राज्यपाल के पद पर कार्य करते हुए राज्यपाल के स्वेच्छा का उपयोग करने के अधिकार पर हमें कुछ रोक लगानी चाहिये ? इसके बारे में पुन: बाद विवाद हुआ था और अन्त में राज्यपाल को अनुदेशों का एक लिखित बध पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखा गया पर अन्त में उसे छोड़ दिया गया। उसका एक मुख्य कारण था यह सोचा गया कि इस अधिकार को उपबंधों में बांधना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा और राज्यपाल को मामले की स्थिति के अनुरूप अपने निर्णय और स्वविवेक से काम लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये जिसका उल्लेख श्री जेठमलानी ने भी विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न प्रकार से अपने ही तरीके से किया है।

इसलिये जब प्रत्येक मामलों में उसकी विशेष स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाना है तो हर मामले के बारे में अलग अलग वाद-विवाद का और उसकी आलोचना करने का क्या लाभ क्या यह कोई ऐसा मामला है जो जी. सी· एम. से अथवा एल. सी. एम. से संबंधित है, ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें राज्यपालों ने अपनी स्वेच्छा से काम लिया। देश में ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसनें मुख्यमंत्री के बहुमत में होने की बात की परीक्षा वास्तव में सदन में की गई हो।

पिछले दिन जब बाद-विवाद हो रहा था तब अपनी पारी न होने पर भी मैं इस प्रश्न के बारे में बीच में बोला था, क्योंकि पुराने सदस्य यहां बैठे हुए थे। आप याद करें, मैंने कहा था मैं कोई वरिष्ठ सदस्य नहीं हूं किन्तु मुझे याद है पंडित जी तथा अन्य अनेक सदस्य यहां बैठे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें ऐसी घटना घटी हो। ऐसी सिफारिश की गई थी संकल्प भी लिया गया था, किन्तु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। क्यों ? ऐसा इसलिये नहीं हुआ क्योकि जिस क्षण भी मुख्यमंत्री को पता चला कि उसका बहुमत नहीं रहा है और जिस क्षण भी प्रधान मंत्री तत्कालीन भारत के प्रधान मंत्री को इस बात का पता चल गया कि उसका बहुमत नहीं रहा वह और अधिक अपमान सहने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसे इस बात का पता था कि सदन में क्या होगा। इसलिए कौन सा मुख्य मत्री यह चाहेगा कि उसके बहुमत में होने की बात की परीक्षा सदन में की जाये ? श्री मुरारजी देसाई के बहुमत में होने की बात की परीक्षा लोक सभा में नहीं की गई श्री चरण सिंह ने बहुमत में होने की बात की परीक्षा लोक सभा में नहीं की वे लोग चुपचाप चले गये और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह बहुत ही महत्व पूर्ण मुद्दा है। डा० फारूक अब्दुल्ला इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बहुमत नहीं रहा है।

श्री ए के राय : मतदान हुआ था और बिहार में 1968 में महामाया मंत्रि मण्डल का पतन हो गया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही बात तो मैंने कही थी। मैंने यही तो कहा था कि आपको ऐसे कितने मामलों के बारे में याद है और बहुमत में होने के कारण सरकार के परिवर्तित होने के कुल मामलों में उनकी प्रतिशतता कितनी है। अब तक तो मुझे किसी ने एक मामले में बारे में नहीं बताया।

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की)। ट्रावनकोर-कोचीन में भी एक मामला हुआ था।

श्री पी. वी. नरसिम्हा राव : मैंने इसीलिये यह प्रश्न उठाया था क्योंकि मुझे याद नहीं था। यदि आपको एक या दो मामले के बारे में पता हो तो आप अवश्य बताएं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे मामले अब नहीं हैं। किन्तु मुद्दा यह है कि उनका अनुपात क्या है ? शायद इस बात को सभी भूल चुके हैं कि गत दो या तीन दशकों के दौरान क्या हुआ है, हुआ यह है कि जब भी कोई मुख्य मत्री बहुमत खो देता है तो वह इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस बात की परीक्षा सदन में की जाये। जिस क्षण भी उसे इस बात की सतुष्टि हो जाती हैं कि वह बहुमत में नहीं रहा है, उसी क्षण वह चुपचाप त्यागपत्र दे देता है और एक बार जब वह त्याग-पत्र दे देता है, तो राज्यपाल अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। इसके अलावा, हमारे पास ऐसे उदाहरण मौजूद है जब राज्यपाल को यह पता चला कि कोई दूसरी सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इसलिये, उसे यह कहना पड़ा कि ठीक है, हम लोग अनुच्छेद 356 का पालन करेंगे। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें राज्यपाल द्वारा दूसरे दल की सरकार बनाई गई; किन्तु यह बात भिन्न-भिन्न मामलों में पृथक्-पृथक् है कि दूसरे दल की सरकार चल पाई अथवा नहीं चल पाई। किन्तु उसने सदा ही दूसरे लाकतांत्रिक विकल्प का पता लगाया है और जहां संभव हुआ वहां उसे सत्तारूढ़ भी किया गया है और यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे वैध आलोचना की जा सकती थी कि उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उसे यह करना चाहिये था, उसने ऐसा नहीं किया। अपना शासन स्थापित करने के लिए वह इतना उतावला था। इस सदन में भी यही आलोचना की जाती। मुझे इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसलिए, इस राज्यपाल ने भी, अन्य अनेकों ने राज्यपालों की तरह, दूसरे लोकतांत्रिक विकल्पों का पता लगाया और उसे व्यवहार्य पाया तथापि उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि ऐसा करना व्यावहारिक है अथवा नहीं। इसीलिये, उसने कहा था, ठीक है, इस बात की परीक्षा सदन में की जाएगी और इसके बाद ही आप सत्तारूढ़ रह सकेंगे अन्यथा नहीं। उसने यही किया था और इनमें से एक भी मुद्दे पर मैं उसकी आलोचना करने का कोई कारण नहीं पाता।

इस बात पर जोर दिया गया था कि जम्मू और काश्मीर के लिए पृथक् संविधान और पृथक् विधि है और इसलिए वहां की बात, ही कुछ विशेष है। इस सदन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) की धारा 39 और 36 दोनों में ही एक से उपबन्ध किये गये हैं। उनकी शब्दावली समान है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी मामला है जिसमें श्री सेन द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मामले में उद्धृत की गई विधि से पृथक् कोई नियम निर्धारित किये गए हैं। क्या ऐसा हुआ है ? क्या काश्मीर के मामले मे किसी और नियम अथवा सिद्धान्त का पालन किया गया है ? यदि ऐसा नहीं किया गया है, बिल्कुल ऐसा ही एक मामले पर निर्णय लिया गया था और आज वही देश का कानून बन गया है, इसलिए इच्छा पर्यन्त के सम्बन्ध में भारत में जो उपबन्ध और काश्मीर जो उपबन्ध है, उसमें कोई अन्तर रखने का कोई औचित्य नहीं पाता हूं। इसलिये, मेरे विचार से वैधानिक और संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री जेठमलानी ने, अपने तरीके से, यह कहते हुए अपना भाषण आरम्भ किया था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, वह इन लोगों को दल-बदलू नहीं पाते हैं, यद्यपि उसी

समय उन्होंने उनके बारे में बहुतसारी खेदपूर्ण बातें कह दी। किन्तु जहां तक संवैधानिक पक्ष और वैधानिक पक्ष का प्रश्न है, वह इस बात से सहमत थे कि वे सब सदस्य हैं, वे लोग दल-बदलू नहीं हैं, उनमें से कोई भी अयोग्य नहीं पाया गया है, इसीलिये हम लोग अन्य बातों पर विचार-विमर्श नहीं कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूं कि जब तक कोई सरकार विधिमान्य स्थिति में रही तब तक वह वैद्य थी और उसके स्थान पर जब किसी और की सरकार बन गई तो इस समय वह भी वैद्य है और वह सरकार जब तक वैद्य है जब तक वह सत्तारुढ़ रहती है। मेरी स्थिति यह है। मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता।

स्वभाविक है, श्री जेठमलानी ने, विधिक और संवैधानिक पक्ष को बहुत मजबूत न पाकर नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। हम सब देश में दल-बदल को रोकना चाहते हैं। परन्तु जब सदस्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा है और अंत-आत्मा को आजादी है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इस देश में श्री मधु लिमये और उनकी तरह कई व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि दल बदल अपने आप में गलत नहीं है। किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति, एक संसद सदस्य विधान सभा का सदस्य अपना विचार बदल सकता है। यही कारण है कि संसद में दो बार इस संबध में विधेयक पुरः स्थापित हुए, एक बार कांग्रेस के शासन के दौरान, पिछले कांग्रेस शासन के दौरान, और दूसरी बार जनता दल के शासन के दौरान। और मुझे सही याद है तो ये विधेयक दो बार ही व्ययगत हो गये क्यों कि हम दल बदल की कोई परिभाषा निश्चत नहीं कर सके। अब, दल-बदल की कोई परिभाषा दिए बिना यदि आप, दलबदलुओं, और गैर दलबदलुओं के बारे में कुछ कहते हैं तो यह 'गाली' बन जायेगी, न इससे कुछ अधिक न कुछ कम। यह एक गाली बन जाती है। ईश्वर के लिए हमें, बिना परिभाषा दिये, इन गालियों को कहना-सुनना नहीं चाहिए। इनकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गई हैं। किसी को दलबदलू कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वास्तव में उच्च न्यायालय ने उसे दल बदलू की संज्ञा न दी हो। जम्मू और काश्मीर के कानून में दल बदलू की कुछ परिभाषा दी गई है। परन्तु उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि ये लोग दलबदलू नहीं हैं। हमें उन्हें भी अन्य सदस्यों की तरह पूर्ण रूप से सदस्य समझना चाहिए। हो सकता है हम उन्हें पसन्द न करें जिस प्रकार से उन्होंने अपने दल को छोड़ा है, या अपने दल को विभाजित किया है, हम उसे पसन्द न करें। ऐसा कई बार हुआ है। भारत में मुश्किल से ऐसा कोई राजनैतिक दल होगा जिसका उसके लम्बे इतिहास अथवा छोटे इतिहास के दौरान यह निर्भर करता है कि वह दल कितना पुराना है, विभाजन न हुआ हो। अतः इस देश में दलों के विभाजन तो हुए हैं। परन्तु हमें इस बात के लिए गाली-गलौज से पूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

मैं, इस सभा की जानकारी के लिए कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है और राज्य सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य स्तर पर राज्यपाल की कोई शक्ति ही नहीं है। यह प्रश्न उठाया गया था कि राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए था क्योंकि राज्य सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। यह बिलकुल सही नहीं है। दोनों सही हैं। राज्य सरकार विधान सभा के प्रति इस अर्थ में उत्तरदायी है कि

यदि विधान सभा सरकार को नहीं चाहती और यदि अविश्वास प्रस्ताव होता है तो सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती और उस स्थिति में यह भी सही है कि राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री पदों पर टिके रह सकते हैं। अतः यह दोनों तरह से सही है कि सरकार का जीवन इन दो संभाव्य घटनाओं पर निर्भर करता है। अतः मेरे विचार से यह प्रश्न ठीक नहीं है। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिये, जैसा कि कई मामलों में हुआ है और यह विधि और संविधान मे भी स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास के पास विवेक शक्ति है जो संविधान के अन्तर्गत दी गई है।

जैसा कि मैंने कहा था कि मैं व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसा करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। वाद-विवाद के जोश में क, ख और ग के बारे में बातें कही गई हैं। मैं उनकी बात नहीं करूगा। क्योंकि, जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुझे कहा था और मुझे उन्हीने सलाह दी थी कि मुझे एक स्तर बनाये रखना चाहिये। मैं नहीं जानता किस हद तक मुझे उस सलाह की आवश्यकता थी परन्तु, फिर भी मैं वह स्तर बनाये रखूं इसके लिए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है और वह यह है जिसके बारे में मैं अपनी ओर से इस सभा को और देश को अपील करना चाहता हूं। उन्होने कहा था कि काश्मीर में केवल दो ही ताकते, दो ही दल हैं—एक नेशनल कांफ्रेंस और दूसरी कांग्रेस। यह सच है कि अन्य दलों के वहां पर पांय नहीं जमें हैं चूंकि अन्य दलों के नेता कश्मीर में डा. फारूक अब्दुल्ला का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि वे इस सभा में उनका समर्थन करें। अतः मैं इस बात को समझता हूं। इस सबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें भी दोष निकाले गये हैं। हां, वे दो ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय और धर्म निरपेक्ष शक्तियाँ कहा जा सकता है। जब इन दो शक्तियों में टकराव आया तो डा. फारूक अब्दुल्ला ने, जो कि उस समय सत्ता में आये निश्चय ही अपने आप को असुरक्षित पाया। इसके यह पहलू हैं। अगर ये ताकतें इकट्ठी रहतीं तो जम्मू और कश्मीर में ये सबसे मजबूत शक्तियां सिद्ध होती। जम्मू और कश्मीर में यही एक शक्ति रह जाती लेकिन मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ूगा। इनपर पहले ही चर्चा हो चुकी है, चाहे वह गलत थी या सही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन दो शक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने के करिणाम स्वरूप निश्चय ही डा. फारुक अब्दुल्ला मुख्य मन्त्री बनने के पश्चात भी असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहे। लेकिन वहां तीसरी शक्ति कौन सी थी। यह तीसरी शक्ति राष्ट्र विरोधी ताकत थी, अलगांववादी ताकत थी। कोई और ताकत नहीं थीं। अगर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इनके प्रति नरम रवैया अपनाया तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्होंने इनका साथ दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह मेरा मामला नहीं है—वे यही चाहते थे, उनकी यही आवश्यकता थी। वे नहीं चाहते थे कि डा. फारूक अब्दुल्ला हट जाएं वे तो उनका सहारा चाहते थे। बाकी का कार्य खुद कर लेते। आज नहीं तो छः माह बाद उन्होंने ऐसा कर दिया होता। पहले ही जो कुछ पंजाब में हुआ है और जो कुछ काश्मीर में हुआ है, इनमें संबंध पाये गये हैं। मैं अपनी बात मनवाने के लिये यह नहीं कह रहा हूँ। मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसा हुआ है। यह अध्याय समाप्त ही गया है। मैं चाहता हूँ कि जो सूचना हमें मिली

है, उसके अनुसार हम लगातार भयानक घटना चक्र में उसमें जा रहे हैं क्यों कि डा. फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उनके विरुद्ध अपर्याप्त और विलम्ब से कार्यवाही की। इन तथ्यों के तहत जो प्रवृत्तियां आरम्भ हुई, उनके फलस्वरूप जो स्थिति पैदा होती वह काफी भयानक होती। इन सब स्थितियों का हम अनुमान लगा सकते हैं। पंजाब में भारत सरकार द्वारा काफी देरी से की गई कार्यवाही की कड़ी निन्दा की गई है। हमारे ऊपर यह आरोप बार-बार लगाया जाता है कि आपने इतनी देरी क्यों की। काश्मीर के संदर्भ में जहां कि घटनाओं से हमें चिन्ता हो रही थी वहां प्रश्न यह था "कि क्या यह सभी तत्व इनने मजबूत हैं कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है ?" नहीं ! मुझे विश्वास है कि वे इतने ताकतवर नहीं होंगे। लेकिन आप बतायें कि राष्ट्रविरोधी ताकत की प्रभावी बनने के लिए कितनी ताकत आवश्यकता होती है ? मौन बहुमत एक कमजोर बहुमत होता है। थोड़े से दृढ़ इरादे के लोग जिनके पास हथियार हैं, नारे हैं और वे सब साज सामान है जिससे लोगों को धमकाया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और हम इसी प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वे कल ही ऐसा कर पाते। यह हमारी अपेक्षा नही थी और न ही यह हमारा अनुमान था।

एक माननीय सदस्य : आप उनको भी चेतावनी दे रहे थे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमने चेतावनी दी थी। लेकिन प्रश्न तो यही है। अब सभी के ऊपर स्वार्थी होने का दोष लगाना तो संभव है किन्तु कीचड़ उछालने का खेल समाप्त हो गया है। मैं तो केवल यह कहूंगा कि मुझे आरोप नहीं लगाना है और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। इस देश में ऐसे कई कांग्रेस के मुख्य मत्री हैं जिन्हें त्याग पत्र देने के लिए कहा गया है। यह इसलिए नहीं कह गया कि उनके उद्देश्य गलत थे या कि सभा में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं था और न ही इस लिए कि उन्होंने कोई घृणित कार्य किया था परन्तु इसलिये कहा गया क्योंकि वे स्थिति का मुकावला नहीं कर सकते थे। जिस स्थिति का उन्होंने मुकाबला किया वह इतनी मजबूत और कटिन स्थिति थी कि राज्य के हित में उनको बदलना आवश्यक हो गया मुझे अन्य उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही इसका उदाहरण हूं। अत: हम किस बात का तर्क दे रहे हैं ? वे ऐसी कौन सी बाते हैं जो मत्री मंडल की बर्खास्तगी अथवा मुख्य मंत्री को बदलने के लिये आवश्यक होते हैं। हमने सिक्किम में मुख्य मंत्री को बदलना है और वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया है। परन्तु उस मन्त्री के बारे में संभवत: कोई दु:ख प्रकट नहीं किया गया। उसके अपमान की कोई बात नहीं की गई। उसके बारे में होहल्ला नहीं हुआ क्योंकि वह कांग्रेस (इ) का मुख्य मंत्री था। दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्यों के विचार से एक कांग्रेस (इ) की सरकार कम हुई थी इसलिए अच्छा छुटकारा हुआ। परन्तु जब बात काश्मीर पर पड़ती है तो यह सब कुछ किया जाता है। अत: यह बातें हुई हैं और यह बातें तब तक होती रहेंगी जब तक अनुच्छेद 356 और संविधान के अन्य बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपबन्ध संविधान की पुस्तक में विद्यमान हैं। और यदि यह उपबन्ध विद्यमान न हों तो आपके लिये गतिरोध उत्पन्न हो जायेंगे आपकी गति रूक जायेगी। आप समझ नहीं पायेंगे कि कि क्या करना है। आजकल केन्द्र में यही स्थिति है। यहां पर कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति का शासन संसद का शासन है। यदि वहां

की चुनी हुई विधान सभा शासन नहीं कर सकती वहां की चुनी हुई सरकार शासन नहीं कर सकती तो हम राज्य में उच्च स्तर पर चुनी हुई अन्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर चुनी गई संसद द्वारा शासन चलता है इन सब बातों का यही अर्थ निकलता है। सरकार और संसद दोनों का चुनाव होता है परंतु यह विभिन्न स्तरों पर होता हैं। यदि एक स्तर पर सरकार सफर नहीं होती तो उसे उच्च स्तर पर चलाया जाता है लेकिन जहाँ तक सरकार का संबन्ध है यह उच्च स्तर क्या है? इसलिये संसद के संबन्ध में ऐसी स्थितियाँ उप्पन्न न हों इसके लिये हमें अधिक सावधान रहना पड़ता है। यह कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर विचार करना होगा। दल बदल की परिभाषा देनी होगी किन्तु इस प्रकार नहीं कि उन्हें गाली के रूप में समझा जाये अथवा उन्हें थोपा हुआ समझा जाये। हम सबको मिलकर विचार करना चाहिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा करने के लिये हमेशा तैयार हूँ। आखिर हमने एक विधेयक प्रस्तुत करके अपनी सदाशयेता सिद्ध कर दी हैं। विपक्ष ने एक दूसरा विधेयक प्रस्तुय करके अपनी सदाशयता कर दी है। दूर्भाग्यवश, दोनों विधेयक व्ययगत हो गये। हम दल-बदल विरोधी कानून के संबन्ध में कुछ करने के लिए गभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। उस कानून के लिए एक मंत्रि मण्डलीय समिति है, में उस समिति का सदस्य हूँ। हम इस बारे में बहुत सर पटक रहे हैं कि किसी तरह रास्ता निकाला जाये। यह जो हम गतिरोध की स्थिति पर पहुंच गए है, उससे बाहर कैसे निकला जाए। क्या एक व्यकित अपना दल बदल सकता है अथवा नहीं? दल बदल और विभाजन में क्या अन्तर है? हम इस हद तक यह कहना चाहते है कि यदि पाँच व्यक्ति दल बदलते हैं तो वह विभाजन है अथवा यदि एक चौथाई व्यक्ति या एक तिहाई व्यक्ति दल बदलते हैं तो वह विभाजन है। हमने सभी प्रकार की मनमानी बातें कही हैं। पांच के बारे में कौन-सी पवित्रता की बात हैं जो छः सात अथवा आठ के बारे में नहीं है 25 प्रतिशत के बारे में कौन सी पवित्रता की बात है जो 30 प्रतिशत के बारे में नही है। इन सभी मामलों पर विस्तार पूर्वक सोचना होगा। परन्तु आप इसकी वास्तविक परिभाषा कैसे दे। आप जब यह कहते हैं कि यदि चार व्यक्ति दल बदलते है तो यह दल बदल और यदि पाँचवा व्यक्ति बदलता है तो यह विभाजत है। इसका अर्थ है कि उन्हे पांचवे व्यक्ति को अपने साथ घसीटना ही होगा ताकि वे दल बदलू न बनें। इसका तो अर्थ निकलता है। अतः इस प्रकार की असमान्य विचार धारा चल रही है। हम इसका उपाय नहीं निकाल सके। यह अंतरोत्मा और दल के प्रति वफादारी के बीच विरोध है। दुर्भाग्यवश हम इसका कोई समाधान नही कर सके हैं परन्तु जब तक हम इसका समाधान नहीं कर पाते, हमें बार-बार प्रयत्न करना होगा। यही हमरी दूररर्शिता का सही प्रमाण है न कि हम केवल किसी न किसी पर आरोप लगाते रहें। इतनी पृष्ठ भूमि के सम्बंध में सामग्री दी नई है—कि किसी व्यक्यि विशेष और अन्ल व्यक्ति के बीच क्या सम्बंध है, सम्बन्ध क्या है और डा. फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस (इ) के पक्ष में प्रचार क्यों किया क्या वे उस समय पर बहुत बड़े देश भक्त थे और तत्काल हीं वे राष्ट्र विरोधी बन गये? में यह नहीं कह रहा हूँ कि वे राष्ट्र विरोधी बन गए। मैं यह कह रहा हूँ कि वे अब नेता नहीं रहें। मैं तो यह कह रहा है कि काश्मीर की स्थिति में राज्यपाल ने जो रास्ता अपनाया, उसके सिवा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मेरी स्थिति यह है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : अपने भाषण के दौरान माननीय गृह मन्त्री ने यह उल्लेख किया है कि जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में से कुछ में लाइसेंस बहुत ही उदारता पूर्वक जारी किए गए। उन्होंने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया उदारपूर्वक लाइसेंस जारी करना। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी नरम रवैया रखते थे। क्या मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूं कि क्या वे लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नामों की सूची सदन के समक्ष रखेंगे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह कारण है कि मैंने किसी समाचार पत्र में से नहीं पढ़ा है मैंने कहा था कि मैं यह सब उत्तर दायित्व की पूर्ण भावना के साथ बता रहा हूं। इतना काफी होना चाहिए। यदि मैंने समाचार पत्र, मिसिल अथवा किसी अन्य कागज में से पड़ा होता तो माननीय सदस्य मुझपर तत्काल झपट पड़ते और कहते कृपया इसकी एक प्रति सभापटल पर रखें और इसी प्रकार की बातें कहते।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप कुछ समय बाद वह सूची दे सकते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : नहीं प्रोफेसर साहब। क्या आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं ? आप तो काश्मीर के हैं, आप उस क्षेत्र के हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि आपको इस बारे में जानकारी मिले।

———

8.27 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

64 वां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं, कार्य मन्त्रणा समिति का 64 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

8.28 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 1 अगस्त, 1984/10 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स साईकिल मार्किट दिल्ली-6